

मुंबई एयरपोर्ट
हेतु
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
और
मुंबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
के बीच
प्रचालन, प्रबंधन और विकास करार

4 अप्रैल 2006

विषय सूची

अध्याय I	
परिभाषाएं और निर्वचन	
अध्याय II	
प्रदत्त अधिकार का दायरा	
अध्याय III	
पूर्वपेक्षित शर्तें	
अध्याय IV	
अभ्यावेदन और वारंटी	
अध्याय V	
प्रभावी तिथि और संक्रमण चरण पर एयरपोर्ट के संबंध में अधिकारों का हस्तांतरण	
अध्याय VI	
प्रचालन सहायता	
अध्याय VII	
साइट की स्वीकृति /अस्वीकरण	
अध्याय VIII	
निर्माण/विकास, प्रचालन और प्रबंधन	
अध्याय IX	
सेवा गुणवत्ता आवश्यकताएं और विकास मानक	
अध्याय X	
निगरानी और सूचना	
अध्याय XI	
शुल्क	
अध्याय XII	
टैरिफ और विनियमन	
अध्याय XIII	
वित्तीय व्यवस्था और सुरक्षा	
अध्याय XIV	
भाविप्रा के हस्तक्षेप का अधिकार	
अध्याय XV	
विवाद	
अध्याय XVI	
अपरिहार्य परिस्थिति	
अध्याय XVII	
चूक	
अध्याय XVIII	
अवधि, समाप्ति और हस्तांतरण	
अध्याय XIX	
हस्तांतरण प्रावधान	
अध्याय XX	
सामान्य	
अनुसूची 1	
विकास मानक एवं आवश्यकताएँ	
अनुसूची 2	
प्रचालन एवं रखरखाव मानक एवं आवश्यकताएँ	
अनुसूची 3	
वस्तुनिष्ठ सेवा गुणवत्ता आवश्यकताएँ	
अनुसूची 4	
व्यक्तिपरक सेवा गुणवत्ता आवश्यकताएँ	
अनुसूची 5	

वैमानिकी सेवाएं
अनुसूची 6
गैर-वैमानिकी सेवाएं
अनुसूची 7
अनिवार्य पूंजीगत परियोजनाएं
अनुसूची 8
हवाई अड्डा प्रचालक करार (प्रचालन और प्रबंधन) सिद्धांत
अनुसूची 9
प्रतिस्थापन करार का प्रारूप
अनुसूची 10
संक्रमण योजना
अनुसूची 11
बीमा संबंधी सूची
अनुसूची 12
संविदा प्रदान करने की प्रक्रियाएँ
अनुसूची 13
एस्करो खाता करार
अनुसूची 14
प्रारंभिक विकास योजना
अनुसूची 15
विशेषज्ञों की सूची
अनुसूची 16
अत्यावश्यक सेवाएँ
अनुसूची 17
बोली प्रतिभूति का प्रारूप
अनुसूची 18
निष्पादन प्रतिभूति का प्रारूप
अनुसूची 19*
अनुसूची 20
अस्वीकरण प्रमाणपत्र
अनुसूची 21
स्वतंत्र अभियंता के कर्तव्य
अनुसूची 22
बैंक गारंटी (इक्विटी प्रतिबद्धता) का प्रारूप
अनुसूची 23
प्रचालन सहायता लागत का विवरण
अनुसूची 24
अनापत्तियों की सूची
अनुसूची 25
पट्टे पर दिए गए परिसर
अनुसूची 26
अतिक्रमण
अनुसूची 27
अपवर्जित परिसंपत्तियाँ
अनुसूची 28
विद्यमान पट्टे

अनुसूची 29*
अनुसूची 30
स्वतंत्र मूल्यनिर्धारकों के पैनल का चयन

प्रचालन, प्रबंधन एवं विकास करार

यह प्रचालन, प्रबंधन एवं विकास करार (जिसे आगे "करार" या "ओएमडीए" कहा गया है) 4 अप्रैल, 2006 को निम्नलिखित के बीच किया गया है—

पक्षकारों के बीच :

1. **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण**, अपने अध्यक्ष के माध्यम से कार्य करते हुए (जिसे आगे "भाविप्रा" कहा गया है और, जब तक संदर्भ अथवा अर्थ के प्रतिकूल न हो, इस अभिव्यक्ति में इसके उत्तराधिकारी तथा विधिपूर्वक अधिकार-प्राप्त व्यक्ति सम्मिलित होंगे), प्रथम पक्ष; तथा
2. **मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड**, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित कंपनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय मुंबई एयरपोर्ट, मुंबई में है (जिसे आगे "संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी)" कहा गया है और, जब तक संदर्भ अथवा अर्थ के प्रतिकूल न हो, इस अभिव्यक्ति में इसके उत्तराधिकारी तथा अनुमत हस्तांतरिती सम्मिलित होंगे), द्वितीय पक्ष।

भाविप्रा और संयुक्त उद्यम कंपनी को आगे सामूहिक रूप से "पक्षकार" तथा पृथक-पृथक "पक्षकार" कहा गया है।

यतः :

- (क) भाविप्रा, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "भाविप्रा अधिनियम" कहा गया है) के अधीन स्थापित एक प्राधिकरण है, जो भारत में विमानपत्तनों के विकास, प्रचालन, प्रबंधन तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है।
- (ख) भाविप्रा, विमानपत्तन के बेहतर प्रबंधन (जैसा कि इसमें परिभाषित किया गया है) और/या समग्र लोकहित में, अपने कुछ कार्यों, अर्थात् विमानपत्तन के **प्रचालन, अनुरक्षण, विकास, अभिकल्पन, निर्माण, उन्नयन, आधुनिकीकरण, वित्तपोषण तथा प्रबंधन के कार्यों को संयुक्त उद्यम कंपनी को सौंपने तथा इस प्रयोजनार्थ विमानपत्तन स्थल (जैसा कि इसमें परिभाषित किया गया है) के परिसर को, इसमें उल्लिखित निबंधनों और शर्तों के अनुसार, पट्टे पर देने का इच्छुक है।
- (ग) संयुक्त उद्यम कंपनी एक ऐसी कंपनी है, जिसकी स्थापना, अन्य बातों के साथ-साथ, विमानपत्तन (जैसा कि इसमें परिभाषित किया गया है) के प्रचालन, अनुरक्षण, विकास, अभिकल्पन, निर्माण, उन्नयन, आधुनिकीकरण, वित्तपोषण तथा प्रबंधन के उद्देश्यों से की गई है।
- (घ) संयुक्त उद्यम कंपनी, इसमें उल्लिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन तथा उनके अनुसार, विमानपत्तन (जैसा कि इसमें परिभाषित किया गया है) के प्रचालन, अनुरक्षण, विकास, अभिकल्पन, निर्माण, उन्नयन, आधुनिकीकरण, वित्तपोषण तथा प्रबंधन का कार्य करने की इच्छुक है और इसके लिए सहमत है।

अतः अब, इस करार में उल्लिखित संबंधित प्रसंविदाओं और करारों के प्रतिफलस्वरूप, जिनकी पर्याप्तता एवं यथेष्टता को एतद्वारा स्वीकार किया जाता है, तथा इस करार द्वारा विधिक रूप से आबद्ध होने के आशय से, पक्षकार निम्नलिखित रूप में सहमत होते हैं :

अध्याय I

परिभाषाएँ और निर्वचन

1.1 परिभाषाएँ

इस करार में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित शब्दों और पदों के अर्थ निम्नानुसार होंगे—

“भाविप्रा सेवाएँ” से अभिप्रेत ऐसी सेवाएँ/गतिविधियाँ हैं, जो भाविप्रा द्वारा सीएनएस/एटीएम करार के अनुसरण में निष्पादित की जाती हैं।

“वैमानिकी परिसंपत्तियाँ” से अभिप्रेत ऐसी परिसंपत्तियाँ हैं, जो विमानपत्तन पर वैमानिकी सेवाओं के निष्पादन के लिए आवश्यक या अपेक्षित हैं तथा ऐसी अन्य परिसंपत्तियाँ भी, जिन्हें जेवीसी द्वारा परियोजना करारों के प्रावधानों के अनुसार (अथवा भारत सरकार/भाविप्रा के लिखित निर्देशों के अनुसार) किसी आरक्षित गतिविधि के प्रावधान के लिए या उससे संबंधित प्रयोजन से प्रापण किया जाता है। इसमें विशेष रूप से ऐसी सभी भूमि, संपत्ति और उन पर स्थित संरचनाएँ सम्मिलित होंगी, जो ऐसी वैमानिकी परिसंपत्तियों के संबंध में अवधि के दौरान अर्जित या पट्टे पर ली गई हों।

“वैमानिकी सेवाएँ” से अभिप्रेत वही अर्थ होगा जो इस करार की अनुसूची 5 में इसे प्रदान किया गया है।

“विमानपत्तन” से अभिप्रेत विमानपत्तन स्थल पर स्थित **छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन** है।

“विमानपत्तन व्यवसाय” से अभिप्रेत विमानपत्तन के प्रचालन, अनुरक्षण, विकास, अभिकल्पना, निर्माण, उन्नयन, आधुनिकीकरण, वित्तपोषण तथा प्रबंधन और विमानपत्तन सेवाएँ प्रदान करने का व्यवसाय है।

“वैमानिकी प्रभार” से अभिप्रेत वही अर्थ होगा जो अनुच्छेद 12.1.1 में इसे प्रदान किया गया है।

“विमानपत्तन प्रचालक करार” से अभिप्रेत जेवीसी और विमानपत्तन प्रचालक के बीच किया जाने वाला सेवा-निष्पादन/सेवा-स्तर करार है, जो इस करार की अनुसूची 8 में संलग्न सिद्धांतों के आधार पर किया जाएगा।

“विमानपत्तन प्रचालक” अथवा **“प्रचालक”** से अभिप्रेत एसीएसए ग्लोबल लिमिटेड है, जिसे संघ-सदस्यों द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के दौरान इस रूप में नामित किया गया है और जो विमानपत्तन प्रचालक करार में उल्लिखित सेवाएँ प्रदान करने के लिए जेवीसी के साथ करार करता है।

“विमानपत्तन सेवाएँ” से अभिप्रेत वैमानिकी सेवाओं तथा गैर-वैमानिकी सेवाओं से मिलकर बनने वाली सेवाएँ हैं।

“विमानपत्तन स्थल” से अभिप्रेत वह अंतर्निहित भूमि है, जो पट्टेलेख में परिभाषित पट्टे पर दिए जाने वाले परिसर का भाग है और जिसे इस करार के अनुसरण में पट्टेलेख के अधीन भाविप्रा द्वारा पट्टे पर दिया जाना सहमत हुआ है तथा इस करार के अनुसरण में जेवीसी द्वारा अवधि के दौरान पट्टे पर ली गई या अन्यथा अर्जित की गई समस्त भूमि भी इसमें सम्मिलित है।

“लागू विधि” से अभिप्रेत भारत में इस करार की अवधि के दौरान प्रवर्तित और प्रभावी सभी लागू विधियाँ, उनके अधीन बनाए गए नियम, निदेश, विनियम और अधिसूचनाएँ तथा भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्णय हैं।

“बोली बंधपत्र” से अभिप्रेत भारत के किसी प्रतिष्ठित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी **रु. 50 करोड़** की बैंक गारंटी है, जिसे इस करार की तारीख से पूर्व रु. 50 करोड़ से बढ़ाकर रु. 500 करोड़ कर दिया गया था, और जिसे जेवीसी में निजी प्रतिभागियों के चयन के लिए भाविप्रा द्वारा आयोजित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के दौरान संघ-सदस्यों द्वारा भाविप्रा को प्रस्तुत किया गया था। इसका प्रारूप इस करार की अनुसूची 17 में संलग्न है।

“बीसीएस” से अभिप्रेत नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो है।

“पुस्तकीय मूल्य” से अभिप्रेत किसी विशिष्ट परिसंपत्ति अथवा परिसंपत्तियों के वर्ग का जेवीसी की पुस्तकों में दर्शाया गया हासित मूल्य है, जिसकी गणना कंपनी अधिनियम, 1956 में निर्धारित मूल्यहास दरों के अनुसार की जाएगी। यदि उक्त अधिनियम में किसी विशिष्ट परिसंपत्ति के लिए मूल्यहास दर उपलब्ध न हो, तो ऐसी परिसंपत्ति के लिए आयकर अधिनियम में निर्धारित मूल्यहास दर को हासित मूल्य पद्धति से सीधी रेखा पद्धति में परिवर्तित करके लागू किया जाएगा। यदि दोनों अधिनियमों में ऐसी दर उपलब्ध न हो, तो सामान्यतः स्वीकृत भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार मूल्यहास दर लागू की जा सकेगी।

“व्यवसाय योजना” से अभिप्रेत विमानपत्तन व्यवसाय के लिए समय-समय पर अद्यतन की जाने वाली वह योजना है, जिसमें योजना अवधि के दौरान विमानपत्तन के प्रचालन, प्रबंधन और विकास का प्रस्तावित तरीका तथा उस अवधि के वित्तीय अनुमान निर्धारित किए जाते हैं।

“पृथक की गई परिसंपत्तियाँ” से अभिप्रेत इस करार की अनुसूची 27 में विनिर्दिष्ट परिसंपत्तियाँ हैं।

“सनदी लेखाकार फर्म” से अभिप्रेत भारतीय अथवा विदेशी मूल की ऐसी फर्म है, जिसे भारत में अपनी सेवाओं का व्यवसाय करने के लिए भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा अनुमति प्राप्त है।

“अनुमति” से अभिप्रेत किसी भी प्रकार की ऐसी सहमति, लाइसेंस, अनुमोदन, अनुज्ञापत्र, निर्णय, छूट, अनापत्ति प्रमाणपत्र अथवा अन्य प्राधिकरण या अनुमति है, जिसे किसी सरकारी प्राधिकरण तथा किसी अन्य सरकारी, अर्ध-सरकारी, प्रशासनिक, न्यायिक, सार्वजनिक अथवा सांविधिक निकाय, मंत्रालय, विभाग, सरकारी उपक्रम, अभिकरण, प्राधिकरण, बोर्ड, ब्यूरो, निगम या आयोग से प्राप्त करना अथवा जिसके द्वारा प्रदान किया जाना आवश्यक हो तथा जो समय-समय पर इस करार के अधीन दायित्वों के निष्पादन के संबंध में अपेक्षित हो।

“सीएनएस/एटीएम करार” से अभिप्रेत भाविप्रा और जेवीसी के बीच सीएनएस/एटीएम सेवाएँ प्रदान करने के लिए किया जाने वाला करार है।

“सीएनएस/एटीएम सेवाएँ” से अभिप्रेत संचार, दिक्कालन और निगरानी तथा वायु यातायात प्रबंधन सेवाएँ हैं, जैसा कि सीएनएस/एटीएम करार में वर्णित है।

“पूर्वापेक्षित शर्तें” से अभिप्रेत सामूहिक रूप से भाविप्रा की पूर्वापेक्षित शर्तें, जेवीसी की पूर्वापेक्षित शर्तें और सामान्य पूर्वापेक्षित शर्तें हैं।

“संघ-सदस्य” से अभिप्रेत निम्नलिखित हैं: (i) जीवीके एयरपोर्ट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (ii) एसीएसए ग्लोबल लिमिटेड; तथा (iii) बिड सर्विसेस डिविजन (मॉरीशस) लिमिटेड

“ऋण” से अभिप्रेत हस्तांतरण की तारीख को ऋणदाताओं को देय बकाया मूलधन की वह राशि है, जो ऋणदाताओं द्वारा स्वतंत्र पक्षों के बीच प्रचलित शर्तों के आधार पर ऋण, गारंटी (जहाँ उसका आह्वान किया गया हो), अपरिवर्तनीय डिबेंचर में अभिदान, परिवर्तनीय डिबेंचर में अभिदान (जहाँ उसका इक्विटी में रूपांतरण न हुआ हो) तथा अन्य ऋण लिखतों के माध्यम से वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की गई हो और जो प्रथम प्रभार (पैरी पासु प्रभार सहित) द्वारा प्रतिभूत हो। इसमें ऋण करार, नोट, बॉण्ड तथा अन्य ऋण लिखत, प्रतिभूति करार और हस्तांतरणीय परिसंपत्तियों के विकास तथा उन्नयन के लिए पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण से संबंधित अन्य दस्तावेज सम्मिलित होंगे।

यह स्पष्ट किया जाता है कि निम्नलिखित को ऋण नहीं माना जाएगा—

(i) हस्तांतरण की तारीख से पूर्व देय ऋण की वह अदायगी—मूलधन, ब्याज, उपकर, प्रभार, दंडात्मक प्रभार, दंड और/या क्षतिपूर्ति सहित—जिसके भुगतान में जेवीसी चूक कर चुका हो; (ii) हस्तांतरणीय परिसंपत्तियों से संबंधित कोई कार्यशील पूंजी सुविधा; (iii) गैर-हस्तांतरणीय परिसंपत्तियों से संबंधित किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता; तथा (iv) अधीनस्थ ऋण।

“विकास मानक एवं अपेक्षाएँ” से अभिप्रेत इस करार की अनुसूची 1 में निर्धारित मानक एवं अपेक्षाएँ हैं।

“विवाद” से अभिप्रेत पक्षकारों के बीच इस करार से उत्पन्न, इससे संबंधित अथवा इसके संबंध में उत्पन्न कोई विवाद, मतभेद, प्रश्न अथवा विवादास्पद विषय है।

“प्रभावी तारीख” से अभिप्रेत वह तारीख है, जिस दिन पूर्वाधिकृत शर्तें इस करार के प्रावधानों के अनुसार पूरी या माफ कर दी जाती हैं।

“भार” से अभिप्रेत कोई बंधक, मार्गाधिकार, गिरवी, समतामूलक हित, पूर्व हस्तांतरण, सशर्त विक्रय करार, दृष्टिबंधक, अन्य व्यक्ति का अधिकार, दावा, प्रतिभूति हित, स्वामित्व बनाए रखने का करार, मतदान न्यास करार, हित, विकल्प, ग्रहणाधिकार, प्रभार, सुविधा अधिकार(ईजमेंट), अतिक्रमण अथवा किसी भी प्रकृति की कोई अन्य शर्त, प्रतिबद्धता, प्रतिबंध या सीमा है, जिसमें उपयोग, मतदान, हस्तांतरण, आय प्राप्त करने अथवा स्वामित्व के किसी अन्य गुण के प्रयोग पर लगाया गया कोई प्रतिबंध भी सम्मिलित है। “भारग्रस्त करना” शब्द का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा।

“इकाई” से अभिप्रेत कोई व्यक्ति, निगमित निकाय, न्यास, भागीदारी फर्म अथवा व्यक्तियों/व्यक्तियों के अन्य संघ से है, चाहे वह पंजीकृत हो अथवा नहीं।

“पर्यावरण लेखापरीक्षा एवं रिपोर्ट” से अभिप्रेत स्वतंत्र विशेषज्ञ द्वारा इस करार के अनुच्छेद 8.5.10(i) के अनुसार तैयार की गई वह रिपोर्ट है, जिसमें विमानपत्तन की पर्यावरणीय स्थिति का विवरण हो।

“पर्यावरण प्रबंधन रणनीति” से अभिप्रेत अनुच्छेद 8.5.10 के प्रावधानों के अधीन जेवीसी द्वारा तैयार की जाने वाली वह योजना है, जिसमें पर्यावरण लेखापरीक्षा रिपोर्ट में पहचाने गए विषयों के समाधान के लिए प्रस्तावित रणनीति और कार्यों का विवरण हो।

“एस्करो खाता” से अभिप्रेत एस्करो करार के अधीन/अनुसरण में स्थापित एस्करो खाता है।

“एस्करो करार” से अभिप्रेत भाविप्रा, जेवीसी और किसी बैंक के बीच इस करार की अनुसूची 13 में दिए गए प्रारूप में किया जाने वाला एस्करो करार है।

“आवश्यक परिसंपत्तियाँ” से अभिप्रेत ऐसी परिसंपत्तियाँ हैं, जो आवश्यक सेवाओं के निष्पादन के लिए आवश्यक या अपेक्षित हैं।

“आवश्यक सेवाएँ” से अभिप्रेत अनुसूची 16 में सूचीबद्ध वैमानिकी सेवाएँ तथा गैर-वैमानिकी सेवाएँ और ऐसी अन्य सेवाएँ हैं, जिन्हें समय-समय पर पारस्परिक सहमति से उक्त अनुसूची में जोड़ा जाए।

“इक्विटी” से अभिप्रेत जेवीसी की चुकता शेयर पूंजी—इक्विटी तथा अधिमान शेयर पूंजी दोनों—है। इसमें जेवीसी के शेयरधारकों द्वारा जेवीसी को दिया गया कोई अधीनस्थ ऋण भी सम्मिलित होगा, बशर्ते कि ऋणदाता या उसका अधिकर्ता ऐसे अधीनस्थ ऋण को इक्विटी के रूप में वर्गीकृत करे और इसकी सूचना भाविप्रा को लिखित रूप में दे। तथापि, उपर्युक्त के बावजूद, जेवीसी में चुकता शेयर पूंजी या अधीनस्थ ऋण के रूप में प्रविष्ट कोई राशि उस सीमा तक “इक्विटी” के रूप में वर्गीकृत नहीं की जाएगी, जिस सीमा तक ऐसी राशि हस्तांतरणीय परिसंपत्तियों से संबंधित न हो।

“विद्यमान परिसंपत्तियाँ” से अभिप्रेत विमानपत्तन स्थल पर इस करार की तारीख को विद्यमान किसी भी प्रकृति की भौतिक, मूर्त, अमूर्त तथा अन्य सभी परिसंपत्तियाँ हैं, किंतु कार्यशील पूंजी की परिसंपत्तियाँ—भंडार, स्टोर और स्पेयर को छोड़कर—इसमें सम्मिलित नहीं होंगी।

“विद्यमान पट्टे” से अभिप्रेत विमानपत्तन के किसी भाग के संबंध में भाविप्रा और विभिन्न तृतीय पक्षों के बीच वर्तमान में वैध एवं प्रवर्तित पट्टे हैं, जिनका विवरण इस करार की अनुसूची 28 में दिया गया है।

“मूल्यांकित इकाइयाँ” से अभिप्रेत हैं—(i) एयरपोर्ट्स कंपनी साउथ अफ्रीका लिमिटेड (ii) जीवीके इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ; तथा (iii) द बिडवेस्ट ग्रुप लिमिटेड

“निष्पक्ष बाजार मूल्य” से अभिप्रेत, हस्तांतरण की तारीख के संबंध में, संपूर्ण परिसंपत्ति का बाजार मूल्य, उसमें से हस्तांतरण की तारीख को प्रचलित भूमि के बाजार मूल्य को घटाने के पश्चात प्राप्त मूल्य है।

“वित्तपोषण दस्तावेज” से अभिप्रेत ऋण जुटाने के लिए जेवीसी द्वारा निष्पादित दस्तावेज हैं।

“वित्तीय निवेशक” से अभिप्रेत सेबी (प्रकटीकरण एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000 में परिभाषित कोई अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेता अथवा भारत में निगमित कोई वित्तीय रूप से विनियमित इकाई है, जो बैंकिंग, बीमा, ऋण प्रदान करने या परियोजनाओं के वित्तपोषण के व्यवसाय में संलग्न हो और जो कोई प्रमुख सदस्य और/या मूल्यांकित इकाई न हो।

“अप्रत्याशित घटना” से अभिप्रेत अनुच्छेद 16.1 में वर्णित घटनाएँ हैं।

“विदेशी विमानन कंपनियाँ” से अभिप्रेत ऐसी विदेशी इकाई है, जो हवाई परिवहन सेवाएँ प्रदान करती है।

“विदेशी इकाई” से अभिप्रेत भारतीय इकाई के अतिरिक्त कोई अन्य इकाई है।

“सामान्य कर्मचारी” से अभिप्रेत प्रभावी तारीख को विमानपत्तन पर तैनात भाविप्रा के सभी स्थायी कर्मचारी हैं, सिवाय वायु यातायात नियंत्रण (एटीसी), सुरक्षा (यदि कोई हो) तथा संचार, दिक्कालन और निगरानी (सीएनएस) विभागों से संबंधित कर्मचारियों तथा उप महाप्रबंधक अथवा समकक्ष पद से ऊपर के वरिष्ठ प्रबंधन कर्मचारियों के।

“भारत सरकार” से अभिप्रेत भारत की केंद्रीय सरकार तथा उसके नियंत्रणाधीन कोई मंत्रालय, विभाग अथवा केंद्रीय सरकारी निकाय है, जो अपने संप्रभु कार्यों का निर्वहन करता हो।

“उत्तम उद्योग प्रथा” से अभिप्रेत कौशल, परिश्रम, दक्षता, विश्वसनीयता और विवेक के उस स्तर का प्रयोग तथा उपकरणों, सुरक्षा, सेवाओं और निष्पादन से संबंधित ऐसी प्रथाएँ, विधियाँ, विनिर्देश और मानक हैं, जो समय-समय पर परिवर्तित हो सकते हैं और जिनका प्रयोग समान क्षमता वाले विश्वस्तरीय अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन की अभिकल्पना, निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण में संलग्न किसी कुशल एवं अनुभवी अंतरराष्ट्रीय प्रचालक/ठेकेदार द्वारा व्यक्तिगत रूप से और सामान्यतः अपेक्षित हो।

“सरकारी प्राधिकरण” से अभिप्रेत भारत सरकार तथा भारत में कोई प्रांतीय, राज्य अथवा स्थानीय सरकार और उसका कोई राजनीतिक उपखंड है।

“समूह इकाई” से अभिप्रेत किसी निर्दिष्ट इकाई के संबंध में ऐसी अन्य इकाई है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उक्त निर्दिष्ट इकाई को नियंत्रित करती हो, उसके द्वारा नियंत्रित हो अथवा उसके साथ सामान्य नियंत्रणाधीन हो। इस परिभाषा के प्रयोजन के लिए “नियंत्रित करना”, “द्वारा नियंत्रित” अथवा “सामान्य नियंत्रणाधीन” का अर्थ किसी इकाई के प्रबंधन और नीतियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्देशित करने अथवा निर्देशित करवाने की शक्ति से है, चाहे यह शक्ति मतदान प्रतिभूतियों के स्वामित्व, करार अथवा अन्यथा के माध्यम से प्राप्त हो, अथवा ऐसी इकाई के कम-से-कम 50 प्रतिशत निदेशकों, प्रबंधकों, भागीदारों अथवा समान प्राधिकार का प्रयोग करने वाले अन्य व्यक्तियों का निर्वाचन या नियुक्ति करने की शक्ति के माध्यम से प्राप्त हो।

“आईएटीए” से अभिप्रेत अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ है।

“आईएटीए स्लॉट आवंटन दिशानिर्देश” से अभिप्रेत आईएटीए के सदस्यों द्वारा अनुसरित स्लॉट आवंटन संबंधी नियम और दिशानिर्देश हैं।

“आईसीएओ” से अभिप्रेत शिकागो कन्वेंशन के अनुसरण में गठित अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन अथवा उसका कोई उत्तराधिकारी है।

“स्वतंत्र लेखापरीक्षक” से अभिप्रेत इस करार के अनुच्छेद 11.2 के अनुसार नियुक्त सनदी लेखाकार फर्म है।

“स्वतंत्र अभियंता” से अभिप्रेत इस करार के अनुच्छेद 8.5.8 के अनुसार नियुक्त स्वतंत्र अभियंता है।

“भारतीय इकाई” से अभिप्रेत भारत में निगमित/गठित/अधिवासित, जैसी भी स्थिति हो, कोई इकाई है।

“प्रारंभिक विकास योजना” से अभिप्रेत विमानपत्तन के आधुनिकीकरण एवं विकास के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के दौरान जेवीसी गठित करने वाले संघ-सदस्यों द्वारा भाविप्रा को प्रस्तुत विमानपत्तन के विकास की योजना है, जो इस करार की अनुसूची 14 में संलग्न है।

“भारतीय रक्षा बल” से अभिप्रेत भारत के सशस्त्र बल तथा भारत के अर्धसैनिक बल हैं।

“पट्टा विलेख” से अभिप्रेत पक्षकारों के बीच पट्टे पर दिए जाने वाले परिसर (जैसा कि इसमें परिभाषित है) के संबंध में किया जाने वाला पट्टा विलेख है।

“पूर्ववर्ती मामले” से अभिप्रेत विमानपत्तन से संबंधित वे देयताएँ या दायित्व हैं, जो प्रभावी तारीख से पूर्व की अवधि में किए गए या न किए गए कार्यों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हों अथवा उनसे उत्पन्न हुए हों।

“ऋणदाता” से अभिप्रेत वित्तीय संस्थाएँ, बैंक, बहुपक्षीय वित्तपोषण एजेंसियाँ तथा ऋण प्रदान करने का व्यवसाय करने वाली ऐसी ही अन्य संस्थाएँ अथवा उनके न्यासी/अधिकर्ता, जिनमें उनके उत्तराधिकारी और हस्तांतरिती भी सम्मिलित हैं, जिन्होंने इस करार के अनुसार हस्तांतरणीय परिसंपत्तियों के संपूर्ण या किसी भाग के विकास की लागत पूरी करने के लिए किसी वित्तपोषण दस्तावेज के अधीन जेवीसी को गारंटी देने या वित्त उपलब्ध कराने पर सहमति दी हो।

“प्रमुख विकास योजना” से अभिप्रेत प्रत्येक प्रमुख वैमानिकी अथवा अन्य विकास या विकासों के समूह के लिए तैयार की गई ऐसी योजना है, जिसमें प्रस्तावित विकास का विस्तृत विवरण दिया गया हो, जिसे मास्टर प्लान में व्यापक रूप से निर्धारित किया गया है। इसमें कार्यात्मक विनिर्देश, अभिकल्पना, आरेख/चित्र, लागत, वित्तपोषण योजना, निर्माण की समय-सारणी तथा पूंजीगत बजट सम्मिलित होंगे।

“अनिवार्य पूंजीगत परियोजनाएँ” से अभिप्रेत इस करार की अनुसूची 7 में वर्णित विकास परियोजनाएँ हैं।

“मास्टर प्लान” से अभिप्रेत विमानपत्तन के विकास के लिए जेवीसी द्वारा राज्य सहायता करार में निर्धारित तरीके से विकसित एवं तैयार की गई मास्टर योजना है, जिसमें पूरे विमानपत्तन क्षेत्र के चरणबद्ध विकास की योजनाएँ सम्मिलित हैं और जिसमें वैमानिकी तथा गैर-वैमानिकी सेवाएँ शामिल हैं। यह योजना बीस (20) वर्ष की समयावधि को ध्यान में रखकर तैयार की जाएगी तथा समय-समय पर अद्यतन की जाएगी। प्रत्येक अद्यतन राज्य सहायता करार में वर्णित तरीके से भारत सरकार की समीक्षा/टिप्पणियों तथा उसके साथ विचार-विमर्श के अधीन होगा।

“महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव” से अभिप्रेत जेवीसी या विमानपत्तन के व्यवसाय, स्थिति—वित्तीय अथवा अन्यथा—देयताओं, परिसंपत्तियों, प्रचालन अथवा प्रचालन के परिणामों या संभावनाओं पर ऐसा महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव है, जो केवल उस सीमा तक किसी पक्षकार की इस करार के स्पष्ट प्रावधानों के अधीन उसे सौंपे गए दायित्वों, वचनों, अधिकारों और लाभों के निष्पादन, निर्वहन, प्राप्ति और/या ग्रहण करने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बाधित या प्रभावित करता हो।

“निवल वर्तमान मूल्य” से अभिप्रेत किसी परिसंपत्ति के संबंध में मूल्यांकन की तारीख को अनुमानित उस परिसंपत्ति के मुक्त नकदी प्रवाह का रियायती मूल्य है, जिसमें मूल्यांकन की तारीख को संबंधित भूमि के प्रचलित बाजार मूल्य को प्रतिबिंबित किया जाएगा और जिसे मूल्यांकन की तारीख से उस परिसंपत्ति के आर्थिक जीवनकाल अथवा वर्तमान मास्टर प्लान में अभिप्रेत उस परिसंपत्ति के जीवनकाल—इनमें जो भी कम हो—के दौरान उत्पन्न होने की अपेक्षा है। ऐसे आर्थिक जीवनकाल के अंत में परिसंपत्ति का कोई अवशिष्ट मूल्य नहीं माना जाएगा।

“गैर-वैमानिकी परिसंपत्तियाँ” से अभिप्रेत—

1. विमानपत्तन पर गैर-वैमानिकी सेवाओं के निष्पादन के लिए आवश्यक या अपेक्षित सभी परिसंपत्तियाँ, जो अनुसूची 6 के भाग 1 में सूचीबद्ध हैं तथा ऐसी अन्य सेवाएँ भी जिन्हें अनुसूची 6 में जोड़ने के लिए पारस्परिक रूप से सहमति दी जाए, चाहे वे विमानपत्तन पर स्थित हों और चाहे उनका स्वामित्व जेवीसी अथवा किसी तृतीय इकाई के पास हो; तथा

2. विमानपत्तन पर गैर-वैमानिकी सेवाओं के निष्पादन के लिए आवश्यक या अपेक्षित वे सभी परिसंपत्तियाँ, जो अनुसूची 6 के भाग II में सूचीबद्ध हैं, चाहे उनका स्वामित्व जेवीसी अथवा किसी तृतीय इकाई के पास हो, इस सीमा तक कि ऐसी परिसंपत्तियाँ—(ए) किसी टर्मिनल भवन के भीतर स्थित हों अथवा उसका भाग हों; (बी) किसी अन्य वैमानिकी परिसंपत्ति या उपर्युक्त खंड (i) में सम्मिलित परिसंपत्ति से संयुक्त हों तथा ऐसी परिसंपत्तियों तक स्वतंत्र पहुँच और उनका स्वतंत्र अस्तित्व संभव न हो; अथवा (सी) मुख्यतः किसी टर्मिनल परिसर/कार्गो परिसर को सेवाएँ/खानपान प्रदान करती हों।

इसमें विशेष रूप से पट्टे पर दिए गए परिसर के अतिरिक्त ऐसी सभी अतिरिक्त भूमि, संपत्ति तथा उस पर स्थित संरचनाएँ सम्मिलित होंगी, जिन्हें अवधि के दौरान ऐसी गैर-वैमानिकी परिसंपत्तियों के संबंध में अर्जित या पट्टे पर लिया गया हो।

“गैर-वैमानिकी सेवाएँ” से अभिप्रेत इस करार की अनुसूची 6 के भाग I और भाग II में सूचीबद्ध सेवाएँ हैं।

“गैर-हस्तांतरणीय परिसंपत्तियाँ” से अभिप्रेत अनुसूची 6 के भाग II में सूचीबद्ध गैर-वैमानिकी सेवाओं के निष्पादन के लिए आवश्यक या अपेक्षित ऐसी सभी परिसंपत्तियाँ हैं, जो विमानपत्तन स्थल पर स्थित हों, चाहे उनका स्वामित्व जेवीसी अथवा किसी तृतीय इकाई के पास हो, बशर्ते कि वे गैर-वैमानिकी परिसंपत्तियाँ न हों।

“वस्तुनिष्ठ सेवा गुणवत्ता अपेक्षाएँ” से अभिप्रेत इस करार की अनुसूची 3 में निर्धारित मानक हैं।

“ओएमडीए कार्यान्वयन पर्यवेक्षण समिति” का वही अर्थ होगा जो अनुच्छेद 8.5.9 में इसे प्रदान किया गया है।

“प्रचालन एवं अनुरक्षण मानक तथा अपेक्षाएँ” से अभिप्रेत अनुसूची 2 में निर्धारित मानक हैं।

“प्रचालन सहायता” का वही अर्थ होगा जो अनुच्छेद 6.1.1 में इसे प्रदान किया गया है।

“प्रचालन सहायता लागत” से अभिप्रेत विमानपत्तन पर सामान्य कर्मचारियों के संबंध में भाविप्रा द्वारा प्रतिवर्ष वहन की जाने वाली सभी लागतें हैं, जिनमें वेतन, लाभ, सांविधिक भुगतान, अनुलाभ तथा प्रचालन सहायता की अवधि के दौरान उपार्जित सेवा-समापन लाभों में अंशदान सम्मिलित हैं, किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रचालन सहायता लागत में प्रचालन सहायता अवधि के दौरान उपार्जित ऐसे सभी कर्मचारी लाभ सम्मिलित होंगे, जो प्रचालन सहायता अवधि समाप्त होने के पश्चात देय हों। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रचालन सहायता लागत में प्रचालन सहायता अवधि के प्रारंभ होने से पूर्व उपार्जित, किंतु प्रचालन सहायता अवधि के दौरान सामान्य कर्मचारियों को देय कोई लागत या व्यय सम्मिलित नहीं होगा।

“प्रचालन सहायता अवधि” का वही अर्थ होगा जो अनुच्छेद 6.1.1 में इसे प्रदान किया गया है।

“यात्री सेवा शुल्क” से अभिप्रेत विमानपत्तन से प्रस्थान करने वाले प्रत्येक यात्री से लिया जाने वाला वह शुल्क है, जिसका वर्णन राज्य सहायता करार में किया गया है।

“निष्पादन बंधपत्र” से अभिप्रेत अनुसूची 18 में संलग्न प्रारूप में ऐसी बिना शर्त और अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी है, जिसका नई दिल्ली में प्रवर्तन एवं नकदीकरण किया जा सके और जिसका मूल्य तथा वैधता अनुच्छेद 8.6 में निर्धारित है।

“प्रमुख सदस्य” से अभिप्रेत निम्नलिखित हैं— (i) जीवीके एयरपोर्ट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (ii) एसीएसए ग्लोबल लिमिटेड; तथा (iii) बिड सर्विसेस डिविजन (मॉरीशस) लिमिटेड

“परियोजना करार” से अभिप्रेत निम्नलिखित करार हैं—

1. यह करार;
2. राज्य सहायता करार;
3. शेयरधारक करार;
4. सीएनएस-एटीएम करार;

5. विमानपत्तन प्रचालक करार;
6. राज्य सरकार सहायता करार;
7. पट्टा विलेख;
8. प्रतिस्थापन करार; तथा
9. एस्करो करार।

और “परियोजना करार” से उपर्युक्त में से कोई एक करार अभिप्रेत होगा।

“मुद्रास्फीति दर” से अभिप्रेत किसी वर्ष के लिए तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की औसत मुद्रास्फीति दर है, जिसकी गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक—औद्योगिक श्रमिक (AICPI-IW) के आधार पर की जाएगी।

“विनियामक प्राधिकरण” से अभिप्रेत भारत में विमानपत्तनों के किसी भी पहलू के विनियमन के लिए स्थापित अथवा स्थापित किए जाने वाले किसी स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण से है।

“संबंधित प्राधिकरण” में भारत सरकार, भाविप्रा, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए), नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS), गृह मंत्रालय के आब्रजन विभाग एवं नामित सुरक्षा अभिकरण, स्वास्थ्य मंत्रालय का संगरोध विभाग, कृषि मंत्रालय का पादप संगरोध विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का मौसम विज्ञान विभाग, कोई विनियामक प्राधिकरण, सीमा शुल्क विभाग, वित्त मंत्रालय अथवा उनका कोई अन्य उपविभाग या अंग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा लागू विधियों द्वारा सशक्त कोई अन्य प्राधिकरण सम्मिलित है।

“आरक्षित गतिविधियाँ” से अभिप्रेत लागू विधि के अनुसार सीमा शुल्क, आब्रजन, विमानपत्तन पर वैमानिकी परिसंपत्तियों के संबंध में सुरक्षा और उससे संबंधित सेवाएँ—विशेष रूप से वैमानिकी परिसंपत्तियों के आसपास के क्षेत्र से हटाए गए क्षेत्रों को छोड़कर—स्वास्थ्य, मौसम विज्ञान, पादप एवं पशु संगरोध तथा सीएनएस/एटीएम सेवाएँ और अन्य सांविधिक अथवा संप्रभु कार्य हैं।

“सेवानिवृत्ति क्षतिपूर्ति” से अभिप्रेत जेवीसी द्वारा अनुच्छेद 6 के प्रावधानों के अधीन रोजगार के प्रस्ताव स्वीकार करने वाले सामान्य कर्मचारियों को छोड़कर शेष सभी सामान्य कर्मचारियों के संबंध में औसत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) लागत है। यह लागत भाविप्रा की नवीनतम वीआरएस, यदि कोई हो, के अनुसार होगी और यदि भाविप्रा की कोई विशिष्ट वीआरएस उपलब्ध न हो, तो उस समय उपलब्ध लाभकारी अनुसूची ‘क’ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लागू उच्चतम वीआरएस के अनुसार होगी।

“राजस्व” से अभिप्रेत जेवीसी का कर-पूर्व सकल राजस्व है, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं होंगे—

- (क) संबंधित प्राधिकरणों द्वारा की गई गतिविधियों के लिए जेवीसी द्वारा किए गए भुगतान, यदि कोई हों, अथवा बिजली, पानी, मल-जल निकासी या समान उपयोगिताओं की आपूर्ति के लिए जेवीसी द्वारा प्राप्त भुगतान, उस सीमा तक जिस सीमा तक ऐसी उपयोगिताओं के लिए तृतीय पक्ष सेवा प्रदाताओं को राशि का भुगतान किया गया हो;
- (ख) बीमा से प्राप्त राशि, राजस्व की हानि के लिए प्राप्त बीमा क्षतिपूर्ति को छोड़कर;
- (ग) किसी पूंजीगत परिसंपत्ति या वस्तु की बिक्री से जेवीसी को प्राप्त होने वाली कोई राशि;
- (घ) लागू विधि के अधीन किसी सरकारी प्राधिकरण के लिए और उसकी ओर से जेवीसी द्वारा संग्रहीत भुगतान और/या धनराशि; तथा
- (ङ) ऐसी अशोध्य देनदारियाँ जिन्हें बट्टे खाते में डाला गया हो, बशर्ते कि वे पूर्ववर्ती राजस्व से संबंधित हों, जिस पर भाविप्रा को वार्षिक शुल्क का भुगतान किया जा चुका हो।

यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुच्छेद 11 के अधीन भाविप्रा को देय वार्षिक शुल्क तथा भाविप्रा को देय प्रचालन सहायता लागत को राजस्व से घटाया नहीं जाएगा।

“अनुसूचित विमानन कंपनियाँ” से अभिप्रेत वे विमानन कंपनियाँ हैं, जो विमान नियम, 1937 में परिभाषित “अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा” का प्रचालन करती हैं।

“शेयरधारक करार” से अभिप्रेत जेवीसी के शेयरधारकों के बीच इस करार की तारीख को या उसके आसपास की तारीख को किया गया शेयरधारक करार है।

“व्यक्तिपरक सेवा गुणवत्ता अपेक्षाएँ” से अभिप्रेत इस करार की अनुसूची 4 में निर्धारित मानक हैं।

“प्रतिस्थापन करार” से अभिप्रेत भाविप्रा, जेवीसी और ऋणदाताओं के बीच अनुसूची 9 में निर्धारित प्रारूप में किया जाने वाला करार है।

“अधिशेष खाता” का वही अर्थ होगा जो एस्करो करार में इसे प्रदान किया गया है।

“चरण 1” से अभिप्रेत प्रभावी तारीख से प्रारंभ होकर 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाली विमानपत्तन के विकास की अवधि है।

“चरण 2” से अभिप्रेत चरण 1 की समाप्ति के पश्चात प्रारंभ होकर 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाली विमानपत्तन के विकास की अवधि है।

“अधीनस्थ ऋण” से अभिप्रेत जेवीसी के शेयरधारकों द्वारा जेवीसी को दिया गया कोई भी ऋण है।

“अवधि” का वही अर्थ होगा जो इस करार के अनुच्छेद 18 में इसे प्रदान किया गया है।

“हस्तांतरणीय परिसंपत्तियाँ” से अभिप्रेत निम्नलिखित प्रकार की परिसंपत्तियाँ हैं—

- वैमानिकी परिसंपत्तियाँ; तथा
- गैर-वैमानिकी परिसंपत्तियाँ।

“हस्तांतरण तारीख” से अभिप्रेत वह तारीख है, जिस दिन जेवीसी इस करार की शर्तों के अनुसार हस्तांतरणीय परिसंपत्तियों और/या गैर-हस्तांतरणीय परिसंपत्तियों, जैसी भी स्थिति हो, का कब्जा तथा ऐसी परिसंपत्तियों के संबंध में, जो भाविप्रा के स्वामित्व में न हों, स्वामित्व और कब्जा भाविप्रा या उसके नामित व्यक्ति को हस्तांतरित करता है। यह तारीख जेवीसी या भाविप्रा, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा जारी संबंधित समाप्ति सूचना के अनुसार समाप्ति की तारीख अथवा इस करार की अवधि समाप्त होने की तारीख होगी।

“संक्रमण योजना” से अभिप्रेत विमानपत्तन को भाविप्रा से जेवीसी को हस्तांतरित करने की योजना है, जो इस करार की अनुसूची 10 में संलग्न है।

“अग्रिम शुल्क” से अभिप्रेत अनुच्छेद 11.1.1 के अनुसार जेवीसी द्वारा भाविप्रा को देय राशि है।

“वर्ष” से अभिप्रेत 31 मार्च को समाप्त होने वाली लगातार 12 महीनों की अवधि है। तथापि, प्रथम वर्ष से अभिप्रेत प्रभावी तारीख से प्रारंभ होकर उसके तुरंत बाद आने वाले 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि होगी और अंतिम वर्ष से अभिप्रेत 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर इस करार की समाप्ति अथवा अवधि समाप्त होने की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि होगी।

1.2 निर्वचन

इस करार में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(i) एकवचन के संदर्भ में बहुवचन और बहुवचन के संदर्भ में एकवचन भी सम्मिलित माना जाएगा तथा किसी भी लिंग के संदर्भ में अन्य लिंग भी सम्मिलित माना जाएगा।

- (ii) किसी अनुच्छेद, खंड, परिशिष्ट, अनुसूची, संलग्नक अथवा उपाबंध के संदर्भ का अर्थ इस करार के किसी अनुच्छेद, खंड, परिशिष्ट, अनुसूची, संलग्नक अथवा उपाबंध से होगा।
- (iii) परिशिष्ट, अनुसूचियाँ, संलग्नक और उपाबंध इस करार के अभिन्न अंग होंगे। यदि अनुच्छेद के किसी प्रावधान और परिशिष्ट, अनुसूची, संलग्नक अथवा उपाबंध के किसी प्रावधान के बीच कोई विरोध हो, तो अनुच्छेद का प्रावधान प्रभावी होगा।
- (iv) विधि के प्रभाव वाले किसी कानून या विनियम के संदर्भ में उस कानून या विनियम में समय-समय पर किए गए संशोधन, परिवर्तन, पूरक, विस्तार या पुनः अधिनियमन का संदर्भ भी सम्मिलित माना जाएगा।
- (v) समय के किसी भी संदर्भ को, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, भारत के समय के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा। कैलेंडर के किसी भी संदर्भ को ग्रेगोरियन कैलेंडर के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा।
- (vi) इस करार में अनुच्छेदों, खंडों, परिशिष्टों, अनुसूचियों, संलग्नकों और उपाबंधों के शीर्षक केवल सुविधा के लिए दिए गए हैं और इस करार के अर्थ अथवा निर्वचन को प्रभावित नहीं करेंगे।
- (vii) "सम्मिलित करना" या "सहित" शब्दों के पश्चात "बिना किसी सीमा के" अथवा "किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं" शब्द न लिखे गए हों, तब भी उन्हें ऐसे शब्दों के साथ पढ़ा जाएगा।
- (viii) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, किसी अवधि के रूप में उल्लिखित समय को उस अवधि की अंतिम तारीख की समाप्ति पर समाप्त हुआ माना जाएगा।
- (ix) यदि अनुच्छेद 1 में कोई प्रावधान किसी पक्षकार को अधिकार प्रदान करने वाला या उस पर कोई दायित्व अधिरोपित करने वाला मूलभूत प्रावधान है, तो उसे इस प्रकार प्रभावी किया जाएगा मानो वह इस करार के मुख्य भाग में विद्यमान कोई मूलभूत प्रावधान हो।
- (x) यदि ऐसा कोई निर्वचन संबंधी नियम हो जिसके अनुसार किसी करार का निर्वचन उसका प्रारूप और तैयारी करने वाले पक्षकार के विरुद्ध किया जाना चाहिए, तो ऐसा नियम इस करार पर लागू नहीं होगा।
- (xi) करारों, दस्तावेजों अथवा अन्य लिखतों के सभी संदर्भों में, सभी संबंधित अनुमोदनों के अधीन, ऐसे करार, दस्तावेज अथवा लिखत का समय-समय पर संशोधित, पूरक, परिवर्तित, प्रतिस्थापित, नवप्रवर्तित अथवा हस्तांतरित रूप भी सम्मिलित माना जाएगा।

अध्याय II

प्रदत्त अधिकार का दायरा

2.1 कार्यों का अधिकार प्रदान करना

2.1.1 भाविप्रा एतद्वारा, करार की अवधि के दौरान, जेवीसी को भाविप्रा के कुछ कार्यों, अर्थात् विमानपत्तन के प्रचालन, अनुरक्षण, विकास, अभिकल्पन, निर्माण, उन्नयन, आधुनिकीकरण, वित्तपोषण तथा प्रबंधन के कार्यों को करने और विमानपत्तन पर वैमानिकी सेवाओं तथा गैर-वैमानिकी सेवाओं (किंतु आरक्षित गतिविधियों को छोड़कर) से संबंधित सेवाओं एवं गतिविधियों का निष्पादन करने का अनन्य अधिकार और प्राधिकार प्रदान करता है। जेवीसी एतद्वारा विमानपत्तन के प्रचालन, अनुरक्षण, विकास, अभिकल्पन, निर्माण, उन्नयन, आधुनिकीकरण, वित्तपोषण तथा प्रबंधन के उक्त कार्यों को करने तथा विमानपत्तन को हर समय समुचित रूप से अनुरक्षित और प्रचालन योग्य स्थिति में रखने तथा विमानपत्तन पर वैमानिकी सेवाओं एवं गैर-वैमानिकी सेवाओं (किंतु आरक्षित गतिविधियों को छोड़कर) से संबंधित सेवाओं एवं गतिविधियों का निष्पादन करने के लिए सहमत है, जो इस करार के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार होगा (जिसे आगे “**प्रदत्त अधिकार**” कहा गया है)।

2.1.2 पूर्वोक्त के प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, भाविप्रा इस करार के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार, करार की अवधि के दौरान जेवीसी के निम्नलिखित अनन्य अधिकार को मान्यता देता है—

- (i) विमानपत्तन का विकास, वित्तपोषण, अभिकल्पना, निर्माण, आधुनिकीकरण, प्रचालन, अनुरक्षण एवं उपयोग करना तथा तृतीय पक्षों द्वारा विमानपत्तन के उपयोग को विनियमित करना;
- (ii) वैमानिकी सेवाएँ तथा गैर-वैमानिकी सेवाएँ प्रदान करने के प्रयोजन से विमानपत्तन स्थल और विद्यमान परिसंपत्तियों पर पूर्ण एवं अबाधित कब्जा तथा नियंत्रण रखना;
- (iii) इस करार के अनुच्छेद 12 के अनुसार विमानपत्तन के उपयोगकर्ताओं से प्रभार निर्धारित करना, उनकी माँग करना, उन्हें वसूल करना, अपने पास रखना तथा उनका विनियोग करना; तथा
- (iv) जेवीसी की ओर से कार्यों का निष्पादन करने के लिए तृतीय पक्षों के साथ करार करना और/या उप-संविदा करना तथा अनुच्छेद 8.5.7 के अनुसार पट्टे पर दिए गए परिसर को उप-पट्टे पर देना और/या उसका अनुज्ञापन करना।

2.2 जेवीसी का एकमात्र प्रयोजन

2.2.1 चूँकि जेवीसी की स्थापना इस करार के अधीन अपने अधिकारों का प्रयोग करने तथा अपने दायित्वों और देयताओं का पालन एवं निर्वहन करने के एकमात्र प्रयोजन से की गई है, इसलिए जेवीसी अथवा उसकी कोई सहायक कंपनी, भाविप्रा की पूर्व लिखित सहमति के बिना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, यहाँ पर परिकल्पित व्यवसाय के अतिरिक्त किसी अन्य व्यवसाय में संलग्न, संबद्ध अथवा हितबद्ध नहीं होगी। तथापि, राज्य सहायता करार के अधीन जेवीसी को प्रदान किए गए **प्रथम अस्वीकार के अधिकार** का प्रयोग किए जाने के अनुसरण में जेवीसी किसी द्वितीय विमानपत्तन के विकास, निर्माण, प्रचालन अथवा अनुरक्षण का कार्य कर सकती है।

2.2.2 आरक्षित गतिविधियाँ

अनुच्छेद 2.1 में किसी बात के होते हुए भी, **आरक्षित गतिविधियाँ**, जब तक भाविप्रा/भारत सरकार द्वारा लिखित रूप में अन्यथा निर्देशित न किया जाए, जेवीसी द्वारा निष्पादित नहीं की जाएँगी।

इस अनुच्छेद 2.2 अथवा “आरक्षित गतिविधियाँ” की परिभाषा में निहित कोई बात भाविप्रा अथवा भारत सरकार को जेवीसी से किसी या सभी आरक्षित गतिविधियों को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर निष्पादित करने की अपेक्षा करने से नहीं रोकेगी, जो दोनों पक्षकारों के लिए युक्तियुक्त रूप से स्वीकार्य हों, जिसमें ऐसी सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रतिफल भी सम्मिलित है।

ऐसी गतिविधियों को वैमानिकी सेवाओं/गैर-वैमानिकी सेवाओं की सूची में सम्मिलित किया जा सकेगा।

2.2.3 वैमानिकी सेवाएँ, गैर-वैमानिकी सेवाएँ और आवश्यक सेवाएँ

उपर्युक्त प्रावधानों तथा लागू विधि के अधीन रहते हुए, जेवीसी विमानपत्तन स्थल पर वैमानिकी सेवाओं और आवश्यक सेवाओं का निष्पादन/प्रावधान करेगी। जेवीसी विमानपत्तन स्थल पर गैर-वैमानिकी सेवाओं का निष्पादन/प्रावधान करने का प्रस्ताव कर सकती है, बशर्ते कि उन्हें प्रस्तावित (प्रारूप) मास्टर प्लान में सम्मिलित किया जाए। तथापि, यदि ऐसी सेवाएँ अंतिम मास्टर प्लान का भाग बनती हैं, तो उनका निष्पादन इस करार में उपबंधित रीति से किया जाएगा। जेवीसी और भाविप्रा, पक्षकारों के बीच पारस्परिक सहमति के पश्चात, गैर-वैमानिकी सेवाओं की सूची में ऐसी अन्य गतिविधियों को सम्मिलित करने के लिए उसे अद्यतन करेंगे, जिन्हें भाविप्रा अथवा जेवीसी द्वारा अनुरोध किया जाए।

इस करार में निहित किसी बात के होते हुए भी, जेवीसी विमानपत्तन स्थल पर वैमानिकी सेवाओं, गैर-वैमानिकी सेवाओं और आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त कोई अन्य गतिविधि नहीं करेगी।

2.2.4 पक्षकार स्पष्ट रूप से इस बात को समझते और स्वीकार करते हैं कि जेवीसी उपर्युक्तानुसार विमानपत्तन पर गैर-वैमानिकी सेवाएँ प्रदान करेगी। तथापि, गैर-हस्तांतरणीय परिसंपत्तियों के प्रावधान के लिए उपयोग किया जाने वाला भूमि क्षेत्र, पट्टे पर दिए गए परिसर के कुल भूमि क्षेत्र के दस प्रतिशत (10%) से अधिक नहीं होगा। यह प्रतिशत मुंबई के सक्षम स्थानीय प्राधिकरण के मास्टर प्लान मानदंडों में निर्धारित किसी भिन्न प्रतिशत के अधीन होगा, जैसा कि वे समय-समय पर परिवर्तित हो सकते हैं। तथापि, यदि कोई गैर-हस्तांतरणीय परिसंपत्तियाँ पृथक की गई परिसंपत्तियों का भाग हैं और/या विद्यमान पट्टों के अंतर्गत स्थित हैं, तो गैर-हस्तांतरणीय परिसंपत्तियों के प्रावधान के लिए प्रयुक्त कुल भूमि क्षेत्र का प्रतिशत निर्धारित करते समय ऐसी परिसंपत्तियों को भी ध्यान में रखा जाएगा।

2.3 अन्य महत्वपूर्ण निवेश

अनुच्छेद 2.2 की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जेवीसी करार की अवधि के दौरान भाविप्रा की लिखित सहमति के बिना विमानपत्तन के अतिरिक्त किसी अन्य उपक्रम में कोई शेयर, स्वामित्व भागीदारी अथवा किसी अन्य प्रकार का स्वामित्व हित धारण नहीं करेगी।

परंतु यह कि जेवीसी अथवा उसकी सहायक कंपनियाँ/संयुक्त उद्यम सामान्य व्यावसायिक गतिविधि के दौरान कोषागार संबंधी कार्य कर सकती हैं तथा ऐसे किसी उपक्रम में शेयर, स्वामित्व भागीदारी अथवा किसी अन्य प्रकार का स्वामित्व हित धारण कर सकती हैं, जो विशेष रूप से इस करार के अधीन परिकल्पित किसी वैमानिकी सेवा, गैर-वैमानिकी सेवा अथवा आवश्यक सेवा के निष्पादन के लिए निगमित/सृजित किया गया हो; अथवा राज्य सहायता करार के अधीन प्रथम अस्वीकार के अधिकार के प्रयोग के अनुसरण में किसी द्वितीय विमानपत्तन की अभिकल्पना, निर्माण, वित्तपोषण, प्रचालन, प्रबंधन, विकास अथवा अनुरक्षण में संलग्न हो।

2.4 कर्मचारी/अधिकर्ता

जेवीसी अपने किसी कर्मचारी, रियायतग्राही, उप-रियायतग्राही, भागीदार, व्यावसायिक सहयोगी, अनुज्ञप्तिधारी, उप-अनुज्ञप्तिधारी, उप-पट्टेदार, ठेकेदार अथवा अधिकर्ता को विमानपत्तन या विमानपत्तन स्थल पर अथवा उससे संबंधित ऐसी कोई गतिविधि अथवा व्यवसाय करने की अपेक्षा, अनुमति या सहन नहीं करेगी, जिसे इस करार के अधीन जेवीसी स्वयं करने या संचालित करने के लिए प्रतिबंधित है।

2.5 जेवीसी की स्वामित्व संरचना

(क) पक्षकार इस बात पर सहमत हैं कि जेवीसी के प्रमुख सदस्य (प्राइम मेम्बर) प्रभावी तारीख से पाँच (5) वर्ष की अवधि तक जेवीसी में उनके द्वारा धारित किसी भी इक्विटी शेयर का हस्तांतरण, उस पर कोई भार सृजित अथवा उसका अन्यथा व्यवहार नहीं करेंगे।

तथापि, प्रमुख सदस्य अपने द्वारा धारित शेयरों को किसी वित्तीय निवेशक को हस्तांतरित कर सकते हैं, बशर्ते कि संबंधित प्रमुख सदस्य जेवीसी की जारी और चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का कम-से-कम 10% धारण करता रहे; और

ऐसे वित्तीय निवेशक को किसी भी ऐसे हस्तांतरण के पश्चात सभी प्रमुख सदस्य, सामूहिक रूप से, जेवीसी की जारी और चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का कम-से-कम 26% धारण करते रहें।

इसके अतिरिक्त, यदि किसी प्रमुख सदस्य के अनुरूप कोई मूल्यांकित इकाई है, तो वह प्रमुख सदस्य अपने शेयर किसी वित्तीय निवेशक को इस प्रकार हस्तांतरित नहीं करेगा जिससे जेवीसी में संबंधित मूल्यांकित इकाई का लाभकारी स्वामित्व 10% से कम हो जाए; अथवा सभी मूल्यांकित इकाइयों के जेवीसी में लाभकारी स्वामित्व तथा उन प्रमुख सदस्यों की प्रत्यक्ष शेयरधारिता, जिनकी कोई संबंधित मूल्यांकित इकाई नहीं है और जिनकी अपनी योग्यताओं को जेवीसी में संघ-सदस्यों के चयन के लिए भाविप्रा द्वारा आयोजित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया में मूल्यांकन के प्रयोजन से ध्यान में रखा गया था, का कुल योग जेवीसी की जारी और चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के 26% से कम हो जाए।

इसके अतिरिक्त, यदि जेवीसी में किसी प्रमुख सदस्य द्वारा किसी वित्तीय निवेशक को कोई इक्विटी शेयर—“हस्तांतरित शेयर”—हस्तांतरित किए जाते हैं, तो **हस्तांतरणकर्ता प्रमुख सदस्य** और जेवीसी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा **हस्तांतरणी वित्तीय निवेशक** प्रभावी तारीख से पाँच (5) वर्ष की अवधि तक हस्तांतरित शेयरों के पूरे या किसी भाग को किसी अन्य इकाई को हस्तांतरित न करे, सिवाय किसी अन्य वित्तीय निवेशक के। ऐसा अन्य वित्तीय निवेशक भी तथा उसके द्वारा हस्तांतरित शेयरों के पूरे या किसी भाग के क्रेता भी इसी प्रकार के प्रतिबंध से आबद्ध होंगे।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अनुच्छेद 2.5(ए) के अनुसरण में जेवीसी के शेयरधारक बनने वाले वित्तीय निवेशक प्रभावी तारीख से पाँच (5) वर्ष की अवधि तक हस्तांतरित शेयरों के पूरे या किसी भाग को किसी अन्य वित्तीय निवेशक के अतिरिक्त किसी अन्य इकाई को हस्तांतरित नहीं करेंगे।

- (ख) प्रभावी तारीख से **छठे वर्ष के प्रारंभ से सातवें वर्ष के अंत तक** की अवधि के दौरान प्रमुख सदस्य जेवीसी में उनके द्वारा धारित शेयरों का हस्तांतरण, उन पर कोई भार सृजित अथवा उनको डील कर सकते हैं। तथापि, ऐसे किसी हस्तांतरण, भार के सृजन अथवा डीलिंग के बावजूद, संबंधित प्रमुख सदस्य जेवीसी की जारी और चुकता शेयर पूंजी का कम-से-कम **10%** धारण करता रहे; और प्रमुख सदस्य, सामूहिक रूप से, ऐसे हस्तांतरण के पश्चात जेवीसी की जारी और चुकता शेयर पूंजी का **26%** धारण करते रहें। इसके अतिरिक्त, यदि किसी प्रमुख सदस्य की कोई संबंधित मूल्यांकित इकाई है, तो वह जेवीसी में अपने शेयरों का हस्तांतरण, उन पर भार सृजित अथवा उनकी ऐसी डीलिंग नहीं करेगा जिससे संबंधित मूल्यांकित इकाई का जेवीसी में लाभकारी स्वामित्व **10% से कम** हो जाए अथवा सभी मूल्यांकित इकाइयों का लाभकारी स्वामित्व तथा संबंधित प्रमुख सदस्यों की प्रत्यक्ष शेयरधारिता का कुल योग जेवीसी की जारी और चुकता शेयर पूंजी के **26% से कम** हो जाए।
- (ग) प्रभावी तारीख से **सात (7) वर्ष** की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रमुख सदस्य, भाविप्रा की स्वीकृति के बिना, जेवीसी में अपने द्वारा धारित शेयरों का हस्तांतरण, उन पर कोई भार सृजित अथवा उनका सौदा कर सकते हैं। तथापि, ऐसे हस्तांतरण, भार के सृजन अथवा अन्य व्यवहार के बावजूद संबंधित प्रमुख सदस्य जेवीसी की जारी और चुकता शेयर पूंजी का कम-से-कम **10%** धारण करता रहे; और प्रमुख सदस्य, सामूहिक रूप से, जेवीसी की जारी और चुकता शेयर पूंजी का **26%** धारण करते रहें। यदि किसी प्रमुख सदस्य की कोई संबंधित मूल्यांकित इकाई है, तो ऐसा प्रमुख सदस्य अपने शेयरों का हस्तांतरण, उन पर भार सृजित अथवा उनका सौदा कर सकता है, बशर्ते कि ऐसा हस्तांतरण, भार का सृजन अथवा अन्य व्यवहार संबंधित मूल्यांकित इकाई के जेवीसी में लाभकारी स्वामित्व को **10% से कम** न करे; और सभी मूल्यांकित इकाइयों के जेवीसी में लाभकारी स्वामित्व तथा उन प्रमुख सदस्यों की प्रत्यक्ष शेयरधारिता, जिनकी कोई संबंधित मूल्यांकित इकाई नहीं है और जिनकी अपनी योग्यताओं को प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया में मूल्यांकन के लिए ध्यान में रखा गया था, के कुल योग को जेवीसी की जारी और चुकता शेयर पूंजी के **26% से कम** न करे। ऐसे हस्तांतरण अथवा व्यवहार के लिए भाविप्रा की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी। प्रभावी तारीख से सात वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात किसी प्रमुख सदस्य अथवा उसके हस्तांतरणी शेयरधारक अथवा उनके पश्चातवर्ती हस्तांतरणी शेयरधारक द्वारा जेवीसी में धारित शेयर किसी अन्य इकाई को हस्तांतरित नहीं किए जाएंगे, सिवाय इस अनुच्छेद 2.5(सी) के पूर्ववर्ती वाक्यों के अधीन अनुमत हस्तांतरण के, जब तक कि भाविप्रा की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त न हो। भाविप्रा ऐसी अनुमति तब तक नहीं रोकेगा, जब तक उसे युक्तियुक्त रूप से यह विश्वास न हो कि शेयरों के ऐसे हस्तांतरण और उसके परिणामस्वरूप संबंधित प्रमुख सदस्य अथवा उसके हस्तांतरणी शेयरधारक अथवा उनके पश्चातवर्ती हस्तांतरणी शेयरधारक के बाहर निकलने के कारण जेवीसी की तकनीकी, वित्तीय या प्रचालनात्मक क्षमता ऐसी स्थिति से कमतर हो जाएगी जो उक्त हस्तांतरण से पूर्व थी। यदि

भाविप्रा द्वारा 30 दिनों के भीतर स्वीकृति अथवा अस्वीकृति नहीं दी जाती है, तो ऐसी स्वीकृति प्रदान की गई मानी जाएगी।

- (घ) यह पक्षकारों का आशय है कि यदि जेवीसी की विकास संबंधी वित्तीय आवश्यकताओं के कारण ऐसा करना आवश्यक हो, तो जेवीसी को किसी भी समय मुंबई और/या राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयरों को सूचीबद्ध कराने का अधिकार होगा। तथापि, प्रभावी तिथि से प्रथम सात वर्षों के दौरान जेवीसी में शेयरों की ऐसी कोई सार्वजनिक पेशकश, जिसके परिणामस्वरूप प्रमुख सदस्यों की शेयरधारिता के प्रतिशत में कमी आती हो, ऐसे शेयरों की संख्या की नहीं होगी जिससे प्रमुख सदस्यों की शेयरधारिता जेवीसी की जारी और चुकता शेयर पूँजी के 10 प्रतिशत से कम हो जाए तथा प्रमुख सदस्यों की सामूहिक शेयरधारिता जेवीसी की जारी और चुकता शेयर पूँजी के 26 प्रतिशत से कम हो जाए।

इसके अतिरिक्त, जिस प्रमुख सदस्य की संगत मूल्यांकित इकाई है, वह जेवीसी में उक्त मूल्यांकित इकाई के लाभकारी स्वामित्व को 10 प्रतिशत से कम नहीं करेगा तथा जेवीसी में सभी मूल्यांकित इकाइयों के लाभकारी स्वामित्व और उन प्रमुख सदस्यों की प्रत्यक्ष शेयरधारिता, जिनकी कोई संगत मूल्यांकित इकाई नहीं है और जिनकी अपनी योग्यताओं को जेवीसी के कंसोर्टियम सदस्यों के चयन के लिए भाविप्रा द्वारा की गई प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया में मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ ध्यान में रखा गया था, के योग को जेवीसी की जारी और चुकता शेयर पूँजी के 26 प्रतिशत से कम नहीं करेगा। ऐसी कोई भी सूचीबद्धता, जेवीसी के शेयरधारकों के इस दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना की जाएगी कि वे इस अनुच्छेद 2.5 में परिकल्पित रीति से जेवीसी में अपनी शेयरधारिता बनाए रखें।

- (ङ) यह भी पक्षकारों का आशय है कि प्रभावी तिथि से पाँच (5) वर्ष की अवधि तक मूल्यांकित इकाइयाँ—

- (1) अपने-अपने प्रमुख सदस्यों में उनके द्वारा धारित किसी भी शेयर का अंतरण नहीं करेंगी, उस पर कोई भार सृजित नहीं करेंगी अथवा उसके संबंध में कोई डील नहीं करेंगी।

तथापि, जहाँ कोई मूल्यांकित इकाई अपने संबंधित प्रमुख सदस्य में शेयर एक या अधिक सहायक कंपनियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से धारण करती है, वहाँ मूल्यांकित इकाई अपने संबंधित प्रमुख सदस्य में वही लाभकारी स्वामित्व बनाए रखेगी तथा उस पर कोई भार सृजित नहीं करेगी, जो विमानपत्तन के लिए कंसोर्टियम सदस्यों द्वारा भाविप्रा द्वारा जेवीसी के लिए कंसोर्टियम सदस्यों के चयन के प्रयोजनार्थ की गई प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के दौरान बोली प्रस्तुत किए जाने के समय उसके पास था।

- (2) अपने संबंधित प्रमुख सदस्य पर उतना ही नियंत्रण बनाए रखेगी, जितना नियंत्रण जेवीसी के लिए कंसोर्टियम सदस्यों के चयन के प्रयोजनार्थ भाविप्रा द्वारा की गई प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के दौरान कंसोर्टियम सदस्यों द्वारा विमानपत्तन के लिए बोली प्रस्तुत किए जाने के समय उसके पास था।

- (च) प्रभावी तिथि से छठे वर्ष के प्रारंभ से सातवें वर्ष की समाप्ति तक की अवधि के दौरान, मूल्यांकित इकाइयाँ अपने संबंधित प्रमुख सदस्य में धारित शेयरों का अंतरण कर सकती हैं, उन पर कोई भार सृजित कर सकती हैं अथवा उनके संबंध में डील कर सकती हैं (या, यथास्थिति, अपने संबंधित प्रमुख सदस्य में अपने लाभकारी स्वामित्व में परिवर्तन कर सकती हैं), बशर्ते कि ऐसे किसी अंतरण, ऐसे किसी भार के सृजन अथवा ऐसे किसी डील के बावजूद—

- (1) संबंधित मूल्यांकित इकाई जेवीसी की जारी और चुकता शेयर पूँजी में कम-से-कम 10 प्रतिशत का लाभकारी स्वामित्व बनाए रखेगी;

- (2) जेवीसी में सभी मूल्यांकित इकाइयों के लाभकारी स्वामित्व तथा उन प्रमुख सदस्यों की प्रत्यक्ष शेयरधारिता का योग, जिनकी कोई संगत मूल्यांकित इकाई नहीं है और जिनकी अपनी योग्यताओं को जेवीसी के कंसोर्टियम सदस्यों के चयन के प्रयोजनार्थ भाविप्रा द्वारा की गई प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया में मूल्यांकन के लिए ध्यान में रखा गया था, सामूहिक रूप से जेवीसी की जारी और चुकता शेयर पूँजी के कम-से-कम 26 प्रतिशत के बराबर रहेगा; तथा

- (3) संबंधित मूल्यांकित इकाई अपने संबंधित प्रमुख सदस्य पर नियंत्रण बनाए रखेगी।

- (छ) पूर्वोक्त के होते हुए भी, प्रभावी तिथि से प्रथम सात वर्षों के दौरान कोई मूल्यांकित इकाई जेवीसी में अपना लाभकारी स्वामित्व किसी वित्तीय निवेशक को अंतरित कर सकती है; तथापि, वित्तीय निवेशक को ऐसा अंतरण इतने शेयरों का नहीं होगा जिससे जेवीसी में मूल्यांकित इकाई का लाभकारी स्वामित्व 10 प्रतिशत से कम हो जाए अथवा जेवीसी में सभी मूल्यांकित इकाइयों के लाभकारी स्वामित्व तथा उन प्रमुख सदस्यों की प्रत्यक्ष शेयरधारिता का योग, जिनकी कोई संगत मूल्यांकित इकाई नहीं है और जिनकी अपनी योग्यताओं को जेवीसी के कंसोर्टियम सदस्यों के चयन के प्रयोजनार्थ भाविप्रा द्वारा की गई प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया में मूल्यांकन के लिए ध्यान में रखा गया था, सामूहिक रूप से जेवीसी की जारी और चुकता शेयर पूँजी के 26 प्रतिशत से कम हो जाए। इसके अतिरिक्त, मूल्यांकित इकाई अपने संबंधित प्रमुख सदस्य पर वही नियंत्रण बनाए रखेगी, जो नियंत्रण जेवीसी के लिए कंसोर्टियम सदस्यों के चयन के उद्देश्य से भाविप्रा द्वारा की गई प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के अंतर्गत विमानपत्तन के लिए कंसोर्टियम सदस्यों द्वारा बोली प्रस्तुत किए जाने के समय उसके पास था।
- (ज) (एच) प्रभावी तारीख से **सात (7) वर्ष** की अवधि समाप्त होने के पश्चात संबंधित प्रमुख सदस्यों में मूल्यांकित इकाइयों का लाभकारी स्वामित्व और नियंत्रण परिवर्तित नहीं किया जाएगा, सिवाय भाविप्रा की पूर्व लिखित अनुमति के। भाविप्रा ऐसी अनुमति तब तक नहीं रोकेगा, जब तक उसे युक्तियुक्त रूप से यह विश्वास न हो कि शेयरों के ऐसे हस्तांतरण और उसके परिणामस्वरूप संबंधित मूल्यांकित इकाई अथवा उसके हस्तांतरणीय शेयरधारक अथवा उनके पश्चातवर्ती हस्तांतरणीय शेयरधारक के बाहर निकलने के कारण जेवीसी की तकनीकी, वित्तीय अथवा प्रचालनात्मक क्षमता ऐसी स्थिति से कमतर हो जाएगी जो ऐसे हस्तांतरण से पूर्व थी। यदि 30 दिनों के भीतर स्वीकृति अथवा अस्वीकृति नहीं दी जाती है, तो ऐसी स्वीकृति प्रदान की गई मानी जाएगी।
- (झ) इस अनुच्छेद 2.5 के प्रयोजनों के लिए—

- (i) किसी मूल्यांकित इकाई का **“संबंधित प्रमुख सदस्य”** वह प्रमुख सदस्य है, जिसके लिए भाविप्रा द्वारा जेवीसी में निजी प्रतिभागियों के चयन के प्रयोजन से आयोजित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया में ऐसी मूल्यांकित इकाई की योग्यता को मूल्यांकन के लिए आधार बनाया गया था।
- (ii) किसी मूल्यांकित इकाई का जेवीसी में **“लाभकारी स्वामित्व”** से अभिप्रेत उसके संबंधित प्रमुख सदस्य में मूल्यांकित इकाई की शेयरधारिता को जेवीसी में प्रमुख सदस्य की शेयरधारिता से गुणा करके प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया स्वामित्व है।

जहाँ मूल्यांकित इकाई अपने संबंधित प्रमुख सदस्य में एक या अधिक सहायक कंपनियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से शेयर धारण करती है, वहाँ लाभकारी स्वामित्व का अर्थ मूल्यांकित इकाई की अपनी सहायक कंपनी में शेयरधारिता को उस सहायक कंपनी की अपनी सहायक कंपनी अथवा प्रमुख सदस्य में शेयरधारिता से तथा इसी प्रकार आगे गुणा करते हुए, अंततः जेवीसी में प्रमुख सदस्य की शेयरधारिता से गुणा करके प्राप्त प्रतिशत होगा।

उदाहरण:

यदि किसी मूल्यांकित इकाई के पास किसी प्रमुख सदस्य के 60% शेयर हैं और उस प्रमुख सदस्य के पास जेवीसी के 30% शेयर हैं, तो जेवीसी में ऐसी मूल्यांकित इकाई का लाभकारी स्वामित्व होगा—

$$0.60 \times 0.30 = 0.18 \times 100 = 18\%$$

यदि किसी मूल्यांकित इकाई के पास B के 60% शेयर हैं, B के पास प्रमुख सदस्य के 80% शेयर हैं और उस प्रमुख सदस्य के पास जेवीसी के 30% शेयर हैं, तो जेवीसी में ऐसी मूल्यांकित इकाई का लाभकारी स्वामित्व होगा—

$$0.60 \times 0.80 \times 0.30 = 0.144 \times 100 = 14.4\%$$

तथापि, यदि किसी मूल्यांकित इकाई का “संबंधित प्रमुख सदस्य” कोई कंपनी नहीं है, तो जेवीसी में ऐसी मूल्यांकित इकाई के लाभकारी स्वामित्व की गणना ऐसी विधि से की जाएगी जिससे उस आशय की पूर्ति हो और वही प्रभाव उत्पन्न हो, जो उस स्थिति में लाभकारी स्वामित्व की गणना के लिए प्रयुक्त विधि से उत्पन्न होता, जब ऐसी मूल्यांकित इकाई का संबंधित प्रमुख सदस्य कोई कंपनी होता।

- (iii) किसी इकाई का “नियंत्रण” से अभिप्रेत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस इकाई के प्रबंधन और नीतियों को निर्देशित करने अथवा निर्देशित करवाने की शक्ति का धारण करना है, चाहे यह शक्ति मतदान प्रतिभूतियों के स्वामित्व, करार अथवा अन्यथा के माध्यम से हो, अथवा उस इकाई के कम-से-कम 50% निदेशकों, प्रबंधकों, भागीदारों अथवा ऐसी ही प्राधिकारिता का प्रयोग करने वाले अन्य व्यक्तियों का निर्वाचन या नियुक्ति करने की शक्ति के माध्यम से हो।

- (ज) पक्षकार एतद्वारा सहमत हैं और जेवीसी तदनुसार यह सुनिश्चित करेगी कि इस करार की अवधि के दौरान विमानपत्तन के संबंध में **प्रचालक** विमानपत्तन का प्रचालक बना रहे। तथापि, प्रभावी तारीख से **सात (7) वर्ष** की अवधि समाप्त होने के पश्चात भाविप्रा की पूर्व सहमति से प्रचालक को बदला जा सकता है। ऐसी सहमति तब नहीं रोकी जाएगी, जब वैकल्पिक प्रचालक नीचे खंड (के) के अनुसार स्वीकार्य हो। यह समझा और सहमत किया जाता है कि वैकल्पिक प्रचालक का चयन भारत सरकार की राजनीतिक संवेदनशीलता के अधीन होगा और भारत सरकार की स्वीकृति एक अतिरिक्त शर्त होगी। इस अनुच्छेद की कोई बात विमानपत्तन प्रचालक के दायित्वों के उल्लंघन के कारण विमानपत्तन प्रचालक करार को उसमें उपबंधित रीति से समाप्त करने से नहीं रोकेगी। उपर्युक्त के बावजूद, प्रभावी तारीख से सात वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात, भाविप्रा की पूर्व सहमति से जेवीसी स्वयं विमानपत्तन का प्रचालक बन सकती है, बशर्ते कि वह नीचे निर्धारित वैकल्पिक प्रचालक की आवश्यकताओं को पूरा करती हो।
- (ट) प्रचालक के स्थान पर प्रस्तावित कोई भी वैकल्पिक प्रचालक, प्रचालक के समान या उससे उच्चतर तकनीकी एवं वित्तीय क्षमता तथा विशेषज्ञता वाला होना चाहिए।

जेवीसी को किसी वैकल्पिक प्रचालक का चयन करने और भाविप्रा की स्वीकृति के लिए उसे प्रस्तावित करने का अधिकार होगा (जिसे आगे “**प्रस्ताव**” कहा गया है)।

इस उप-खंड (के) के अधीन जेवीसी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में वैकल्पिक प्रचालक से संबंधित विवरण और सूचना शामिल होगी, जिसमें विमानपत्तन के समान किसी तुलनीय विमानपत्तन में उसके अनुभव के वर्षों की संख्या, नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र, प्रबंधन संबंधी विवरण तथा शेयरधारिता संरचना शामिल होगी।

पूर्वोक्त के प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जेवीसी इस करार के अधीन प्रस्तुत किसी आँकड़े, विवरण या सूचना के संबंध में भाविप्रा द्वारा युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित ऐसी अतिरिक्त अथवा अन्य सूचना तथा ऐसे स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने के लिए सहमत होती है और उनका वचन देती है। भाविप्रा अपने विवेकाधिकार से, प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर अथवा प्रस्ताव में सम्मिलित आँकड़ों, विवरणों या सूचनाओं के संबंध में भाविप्रा द्वारा माँगी गई अतिरिक्त या अन्य सूचना तथा स्पष्टीकरण में से अंतिम सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त होने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर—इनमें से जो भी बाद में हो—ऐसे प्रस्ताव की स्वीकृति या अस्वीकृति से जेवीसी को अवगत कराएगी। तथापि, भाविप्रा द्वारा किसी वैकल्पिक प्रचालक की अस्वीकृति कारणयुक्त होगी। यह स्पष्ट रूप से सहमत है कि प्रस्ताव के साथ वैकल्पिक प्रचालक का एक बिना शर्त वचनबंध संलग्न होगा, जिसमें वह यह वचन देगा कि भाविप्रा द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात् वह विमानपत्तन प्रचालक करार के उन निबंधनों, शर्तों और प्रसंविदाओं का पालन, अनुपालन, निष्पादन और पूर्ति करेगा, जिन्हें उक्त करार के अनुसार प्रचालक द्वारा पालन, अनुपालन, निष्पादित और पूरा किया जाना अपेक्षित है। भाविप्रा द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात्, भारत सरकार की स्वीकृति के अधीन, ऐसा वैकल्पिक प्रचालक विमानपत्तन प्रचालक करार के अधीन प्रचालक बन जाएगा। तथापि, यदि भाविप्रा प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं देती है, तो जेवीसी किसी अन्य इकाई को वैकल्पिक प्रचालक के रूप में प्रस्तावित करेगी और इस उप-खंड (के) में उल्लिखित प्रक्रिया तब तक दोहराई जाएगी, जब तक किसी प्रस्ताव को भाविप्रा द्वारा स्वीकृति प्रदान नहीं कर दी जाती। यह स्पष्ट किया जाता है कि जब तक जेवीसी को भाविप्रा द्वारा अनुमोदित कोई वैकल्पिक प्रचालक प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक जेवीसी यह सुनिश्चित करेगी कि प्रचालक विमानपत्तन प्रचालक करार के अधीन प्रचालक के रूप में कार्य करता रहे।

- (ठ) इसके विपरीत किसी बात के होते हुए भी, जेवीसी एतद्वारा यह वचन देती है और सहमत होती है कि इस करार की अवधि के दौरान किसी भी समय—

- (i) कुल विदेशी शेयरधारिता जेवीसी की कुल जारी और चुकता पूँजी के 49 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

इस खंड के प्रयोजनों के लिए “विदेशी शेयरधारिता” से निम्नलिखित का कुल योग अभिप्रेत होगा—

- (क) सभी विदेशी इकाइयों की प्रत्यक्ष शेयरधारिता का कुल योग; तथा
- (ख) भारतीय इकाइयों का जेवीसी में “**लाभकारी विदेशी स्वामित्व**” का कुल योग ऐसे लाभकारी विदेशी स्वामित्व से आशय किसी विदेशी इकाई की किसी भारतीय इकाई में शेयरधारिता को जेवीसी में उक्त भारतीय इकाई की शेयरधारिता से गुणा करके प्राप्त प्रतिशत से होगा। जहाँ कोई विदेशी इकाई जेवीसी में शेयर धारण करने वाली किसी भारतीय इकाई में एक या अधिक इकाइयों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से शेयर धारण करती है, वहाँ लाभकारी स्वामित्व से आशय विदेशी इकाई की उस इकाई में शेयरधारिता को जेवीसी में शेयर धारण करने वाली भारतीय इकाई में उस इकाई की शेयरधारिता से (और इसी प्रकार आगे) गुणा करने तथा अंततः जेवीसी में शेयर धारण करने वाली भारतीय इकाई की जेवीसी में शेयरधारिता से गुणा करके प्राप्त प्रतिशत से होगा। तथापि, यदि भारतीय इकाई सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी है, तो ऐसी भारतीय इकाई के ऐसे शेयर, जो विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा धारित हों, ऊपर निर्धारित लाभकारी विदेशी स्वामित्व के निर्धारण के प्रयोजनार्थ शामिल नहीं किए जाएंगे।

उदाहरण के रूप में:

यदि कोई विदेशी इकाई किसी भारतीय इकाई में 60% शेयर धारण करती है और उक्त भारतीय इकाई जेवीसी में 30% शेयर धारण करती है, तो जेवीसी में ऐसी विदेशी इकाई का लाभकारी स्वामित्व होगा—

$$0.60 \times 0.30 = 0.18 \times 100 = 18\%$$

यदि कोई विदेशी इकाई B नामक भारतीय इकाई में 60% शेयर धारण करती है, B किसी अन्य भारतीय इकाई में 80% शेयर धारण करती है और उक्त अन्य भारतीय इकाई जेवीसी में 30% शेयर धारण करती है, तो जेवीसी में ऐसी विदेशी इकाई का लाभकारी स्वामित्व होगा—

$$0.60 \times 0.80 \times 0.30 = 0.144 \times 100 = 14.4\%$$

तथापि, किसी भी विदेशी विमानन कंपनी को करार की अवधि के दौरान किसी भी समय जेवीसी में कोई इक्विटी शेयर धारण करने की अनुमति नहीं होगी।

- (ii) अनुसूचित विमानन कंपनियों तथा उनकी संबंधित समूह इकाइयों की कुल शेयरधारिता जेवीसी की कुल जारी और चुकता पूँजी के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। तथापि, ऐसी समूह इकाइयाँ, जो भाविप्रा द्वारा निजी प्रतिभागियों के चयन के प्रयोजनार्थ की गई प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के दौरान भाविप्रा द्वारा जारी रुचि की अभिव्यक्ति दर्ज करने का आमंत्रण तथा प्रस्ताव हेतु अनुरोध दस्तावेज जारी किए जाने की तारीख को विमानपत्तन प्रचालक थीं, इस गणना से अपवर्जित होंगी।
- (ग) यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अनुच्छेद 2.5 में निहित कोई बात भाविप्रा द्वारा जेवीसी में अपनी शेयरधारिता को किसी भी प्रकार से परिवर्तित करने के अधिकार पर कोई सीमा लगाने के लिए आशयित नहीं है और न ही उसका ऐसा निर्वचन किया जाएगा। इसमें शेयरधारक करार के अधीन **प्रथम अस्वीकार के अधिकार** के अधीन किसी भी इकाई को, जिसमें किसी प्रमुख सदस्य और/या विमानपत्तन प्रचालक के प्रतिस्पर्धी को भी सम्मिलित किया जा सकता है, शेयरों का हस्तांतरण करना भी सम्मिलित है।
- (घ) उपर्युक्त के होते हुए भी, जेवीसी में किसी भी समय शेयरों के सभी हस्तांतरण, जेवीसी में निजी प्रतिभागियों के चयन के प्रयोजन से भाविप्रा द्वारा आयोजित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के दौरान निर्धारित संबंधित **सुरक्षा एवं सत्यनिष्ठा संबंधी अनुमति** की आवश्यकताओं के अधीन होंगे।

2.6 पट्टाधिकार तथा अतिरिक्त भूमि प्रदान करने संबंधी करार

- 2.6.1 पट्टा किराए, इस करार तथा इसमें जेवीसी द्वारा किए गए वचनों और आश्वासनों के प्रतिफलस्वरूप भाविप्रा, भाविप्रा अधिनियम तथा इस करार में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार, एतद्वारा प्रभावी तारीख से जेवीसी को पट्टा

विलेख के अधीन अनुसूची 25 में वर्णित, सीमांकित और दर्शाई गई समस्त भूमि—जिस पर कोई भवन, निर्माण अथवा अचल परिसंपत्ति, यदि कोई हो, स्थित हो—पट्टे पर देने के लिए सहमत है। तथापि, इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं होंगे— (i) ऐसी कोई भूमि, उस पर स्थित भवनों, निर्माणों अथवा अचल परिसंपत्तियों, यदि कोई हों, सहित, जो इस करार की तारीख को विमानपत्तन का गठन करने वाले किसी विद्यमान पट्टे के अधीन किसी तृतीय पक्ष को प्रदान की गई हो; तथा (ii) पृथक की गई सभी परिसंपत्तियाँ तथा उनके अधीन स्थित भूमि, उस पर स्थित भवनों, निर्माणों अथवा अचल परिसंपत्तियों सहित, “जहाँ है, जैसी है” के आधार पर तथा उनसे संबंधित सभी भारों सहित। उपर्युक्त परिसर को आगे “पट्टे पर दिया गया परिसर” कहा जाएगा। जेवीसी उक्त पट्टे पर दिए गए परिसर को, उससे संबंधित सभी और प्रत्येक अधिकार, स्वतंत्रता, विशेषाधिकार, सुविधा अधिकार (ईजमेंट) तथा आनुषंगिक अधिकारों सहित, जो उक्त परिसर अथवा उसके किसी भाग से संबंधित हों, उससे संलग्न हों अथवा उसके साथ उपभोग किए जाते हों, इस करार की अवधि तक इस करार के अधीन अनुमत प्रयोजनों के लिए धारण करेगी।

- 2.6.2 यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ प्रदान किए जाने के लिए सहमत पट्टाधिकार इस करार की अवधि समाप्त होने अथवा किसी भी कारण से इसके समयपूर्व समाप्त किए जाने पर तत्काल समाप्त हो जाएँगे।
- 2.6.3 पृथक की गई परिसंपत्तियों के अधीन स्थित भूमि के संबंध में पक्षकार आगे इस बात पर सहमत हैं कि यदि अवधि के दौरान किसी भी समय जेवीसी को किसी वैमानिकी सेवा के प्रावधान अथवा किसी वैमानिकी परिसंपत्ति के विकास और/या निर्माण के लिए उक्त भूमि की आवश्यकता होती है, तो पक्षकार सद्भावपूर्वक उन नियमों और शर्तों पर बातचीत करने के लिए साथ बैठेंगे, जिनके आधार पर भाविप्रा जेवीसी को उक्त भूमि पट्टे पर देगा और जेवीसी भाविप्रा से उक्त भूमि पट्टे पर लेगी।

अध्याय III

पूर्वापेक्षित शर्तें

3.1 पूर्वापेक्षित शर्तें

3.1.1 भाविप्रा द्वारा पूरी की जाने वाली पूर्वापेक्षित शर्तें

इस करार के अधीन जेवीसी के दायित्व, भाविप्रा द्वारा निम्नलिखित पूर्वापेक्षित शर्तों को पूरा किए जाने के अधीन होंगे (जिन्हें आगे “**भाविप्रा की पूर्वापेक्षित शर्तें**” कहा गया है), जब तक कि नीचे दिए गए प्रावधानों के अनुसार जेवीसी द्वारा ऐसी किसी शर्त से छूट न दे दी गई हो:

- (i) भाविप्रा ने शेयरधारक करार की एक प्रति पर हस्ताक्षर करके उसे जेवीसी को विधिवत् सुपुर्द कर दिया हो;
- (ii) भाविप्रा ने सीएनएस-एटीएम करार की एक प्रति पर हस्ताक्षर करके उसे जेवीसी को विधिवत् सुपुर्द कर दिया हो;
- (iii) भाविप्रा ने एस्को करार की एक प्रति पर हस्ताक्षर करके उसे जेवीसी को विधिवत् सुपुर्द कर दिया हो;
- (iv) भाविप्रा ने सभी साधारण कर्मचारियों की एक सूची, उनके पदनाम, वेतन तथा रोजगार से संबंधित अन्य लागतों के विवरण सहित, भाविप्रा को देय प्रचालन सहायता लागत की अनुसूची के रूप में जेवीसी को उपलब्ध करा दी हो;
- (v) भाविप्रा अथवा किसी संबंधित प्राधिकरण और किसी तृतीय पक्ष के बीच विमानपत्तन से संबंधित सभी विद्यमान संविदाओं और करारों की सूची भाविप्रा ने उपलब्ध करा दी हो, जिन्हें इस करार के अनुच्छेद 5.1 के अनुसार जेवीसी को अंतरित/नवीनकृत किया जाना प्रस्तावित है;
- (vi) भाविप्रा ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 12A(2) के अधीन भारत सरकार की वह स्वीकृति प्राप्त कर ली हो और उसकी एक प्रति जेवीसी को उपलब्ध करा दी हो, जिसके द्वारा भाविप्रा को विमानपत्तन को पट्टे पर देने के लिए प्राधिकृत किया गया हो;
- (vii) भाविप्रा ने नीचे दिए गए अनुच्छेद 3.1.2(v) के अनुसार विमानपत्तन प्रचालक करार की समीक्षा कर उस पर अपनी टिप्पणियाँ दे दी हों। परंतु यह कि भाविप्रा विमानपत्तन प्रचालक करार पर तभी टिप्पणियाँ दे सकेगा, जब उसमें नीचे दी गई अनुसूची 8 में निर्धारित सिद्धांतों का समावेश न हो और/या वह उन सिद्धांतों के अनुरूप न हो, और किसी अन्य कारण से नहीं; तथा
- (viii) भाविप्रा ने पट्टा विलेख की एक प्रति पर हस्ताक्षर करके उसे जेवीसी को विधिवत् सुपुर्द कर दिया हो। परंतु यह कि पक्षकार सहमत हैं कि भाविप्रा पट्टा विलेख पर तभी हस्ताक्षर करेगा, जब इस अध्याय 3 में उल्लिखित अन्य सभी पूर्वापेक्षित शर्तें पूरी हो चुकी हों।

3.1.2 जेवीसी द्वारा पूरी की जाने वाली पूर्वापेक्षित शर्तें

इस करार के अधीन भाविप्रा के दायित्व, जेवीसी द्वारा निम्नलिखित पूर्वापेक्षित शर्तों को पूरा किए जाने के अधीन होंगे (जिन्हें आगे “**जेवीसी की पूर्वापेक्षित शर्तें**” कहा गया है), जब तक कि नीचे दिए गए प्रावधानों के अनुसार भाविप्रा द्वारा ऐसी किसी शर्त से छूट न दे दी गई हो:

- (i) जेवीसी ने निष्पादन बंधपत्र (अनुच्छेद 8.6 के अनुसार) की मूल प्रति भाविप्रा को सौंप दी हो;
- (ii) जेवीसी ने सीएनएस-एटीएम करार की एक प्रति पर हस्ताक्षर करके उसे भाविप्रा को विधिवत् सुपुर्द कर दिया हो;

(iii) जेवीसी ने एस्करो करार की एक प्रति पर हस्ताक्षर करके उसे भाविप्रा को विधिवत् सुपुर्द कर दिया हो;

(iv) कंसोर्टियम सदस्यों ने शेयरधारक करार पर हस्ताक्षर करके उसे भाविप्रा को विधिवत् सुपुर्द कर दिया हो तथा जेवीसी का प्रारंभिक पूंजीकरण कर दिया हो, ताकि जेवीसी को भाविप्रा और कंसोर्टियम सदस्यों के बीच एक संयुक्त उद्यम में परिवर्तित किया जा सके;

(v) जेवीसी ने विमानपत्तन प्रचालक करार पर हस्ताक्षर करके उसे भाविप्रा को विधिवत् सुपुर्द कर दिया हो, जो नीचे दी गई अनुसूची 8 में निर्धारित सभी सिद्धांतों के अनुरूप हो तथा उनमें निहित सभी सिद्धांतों को समाहित करता हो।

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि विमानपत्तन प्रचालक करार, जैसा कि तैयार किया गया है, नीचे दी गई अनुसूची 8 में निर्धारित सभी सिद्धांतों को समाहित करेगा तथा भाविप्रा द्वारा उस पर टिप्पणियाँ की गई होंगी और उसकी समीक्षा की गई होगी। विमानपत्तन प्रचालक करार के मसौदे पर भाविप्रा की समीक्षा/टिप्पणियाँ प्राप्त करने की प्रक्रिया निम्नलिखित होगी:

(क) इस करार की तारीख से 14 दिनों के भीतर विमानपत्तन प्रचालक करार का मसौदा भाविप्रा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(ख) भाविप्रा, विमानपत्तन प्रचालक करार का मसौदा प्राप्त होने की तारीख से 14 दिनों के भीतर उस पर अपनी टिप्पणियाँ उपलब्ध कराएगा।

(ग) भाविप्रा अपनी टिप्पणियों के कारण जेवीसी को बताएगा और जेवीसी उन कारणों का समाधान विमानपत्तन प्रचालक करार के संशोधित मसौदे में करेगा तथा भाविप्रा के कारण प्राप्त होने की तारीख से 14 दिनों के भीतर संशोधित मसौदा भाविप्रा के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(घ) इसके पश्चात्, खंड (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित प्रक्रिया को एक बार पुनः दोहराया जाएगा;

(vi) जेवीसी ने भाविप्रा को संपूर्ण अग्रिम शुल्क का भुगतान कर दिया हो;

(vii) अनुच्छेद 3.2(iv) में निर्धारित पूर्वापेक्षित शर्त पूरी हो जाने पर, जेवीसी और कंसोर्टियम सदस्यों ने इस करार के साथ संलग्न **अनुसूची 20** में दिए गए प्रारूप में अस्वीकरण प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करके उसे भाविप्रा को विधिवत् सुपुर्द कर दिया हो;

(viii) कंसोर्टियम सदस्यों ने भारत में किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से, जेवीसी के पक्ष में, **“इक्विटी बैंक गारंटी”** के रूप में, अनुसूची 22 में संलग्न प्रारूप में बैंक गारंटी/बैंक गारंटियाँ भाविप्रा को उपलब्ध करा दी हों, जो जेवीसी में कंसोर्टियम सदस्यों की अधिकतम 500 करोड़ रुपये तक की इक्विटी प्रतिबद्धता की गारंटी देती हों। उक्त इक्विटी बैंक गारंटी तब तक बनाए रखी जाएगी, जब तक कि कंसोर्टियम सदस्यों द्वारा जेवीसी में उनकी इक्विटी अंशदान के रूप में 500 करोड़ रुपये की संपूर्ण राशि निवेशित नहीं कर दी जाती। परंतु यह कि इक्विटी बैंक गारंटी का मूल्य उसी अनुपात में क्रमशः कम किया जा सकेगा, जिस अनुपात में कंसोर्टियम सदस्यों द्वारा जेवीसी में इक्विटी के रूप में वास्तविक रूप से राशियाँ निवेशित की जाती हैं। इक्विटी बैंक गारंटी प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर भाविप्रा, कंसोर्टियम सदस्यों की अंतिम होल्डिंग कंपनी द्वारा दिए गए प्रतिबद्धता-पत्रों को विधिवत् वापस कर देगा तथा कंसोर्टियम सदस्यों की इक्विटी प्रतिबद्धता के संबंध में कंसोर्टियम सदस्यों द्वारा दी गई संयुक्त एवं पृथक् वचनबद्धता को भी वापस कर देगा, जो भाविप्रा द्वारा जेवीसी में निजी प्रतिभागियों के चयन के लिए आयोजित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के दौरान भाविप्रा को प्राप्त हुई थी। यदि भाविप्रा द्वारा इक्विटी बैंक गारंटी का आह्वान किया जाता है, तो उससे प्राप्त होने वाली राशि एस्करो खाते में जमा की जाएगी; तथा

(ix) जेवीसी ने पट्टा विलेख की एक प्रति पर हस्ताक्षर करके उसे भाविप्रा को विधिवत् सुपुर्द कर दिया हो।

3.1.3 दोनों पक्षकारों द्वारा संयुक्त रूप से पूरी की जाने वाली पूर्वापेक्षित शर्तें

पक्षकारों के दायित्व निम्नलिखित पूर्वापेक्षित शर्तों के पूरा किए जाने के अधीन होंगे (जिन्हें आगे **“सामान्य पूर्वापेक्षित शर्तें”** कहा गया है):

- (i) जेवीसीने महाराष्ट्र सरकार के साथ राज्य सरकार सहायता करार कर लिया हो;
 - (ii) जेवीसी ने भारत सरकार के साथ राज्य सहायता करार कर लिया हो तथा भारत सरकार ने उसके अधीन गारंटी प्रदान कर दी हो; तथा
 - (iii) जेवीसी ने इस करार की अनुसूची 24 में यथानिर्धारित, जेवीसी द्वारा विमानपत्तन के प्रचालन और प्रबंधन के लिए उस समय अपेक्षित सभी स्वीकृतियाँ प्राप्त कर ली हों। भाविप्रा ऐसी स्वीकृतियाँ प्रदान करने के लिए अपने अधिकार-क्षेत्र में आने वाले मामलों में, यथाशीघ्र ऐसी स्वीकृतियाँ प्रदान करने के लिए सभी युक्तियुक्त प्रयास करेगा, बशर्ते कि संबंधित आवेदन विधिवत् पूर्ण रूप से तथा लागू विधि के पूर्ण अनुपालन में प्रस्तुत किया गया हो।
- 3.2 जेवीसी और भाविप्रा क्रमशः जेवीसी की पूर्वापेक्षित शर्तों तथा भाविप्रा की पूर्वापेक्षित शर्तों को शीघ्रता से पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए युक्तियुक्त कदम उठाएंगे तथा दोनों पक्षकार सामान्य पूर्वापेक्षित शर्तों को शीघ्रता से पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त रूप से युक्तियुक्त कदम उठाएंगे।

3.3 पूर्वापेक्षित शर्तों का पूरा न होना

यदि अनुच्छेद 3.1.1, 3.1.2 अथवा 3.1.3 में निर्धारित कोई भी शर्त इस करार की तारीख से 3 माह के भीतर, अथवा पक्षकारों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत ऐसी बाद की तारीख तक, पूरी नहीं की जाती है, तो भाविप्रा की पूर्वापेक्षित शर्तों में से किसी के पूरा न होने की स्थिति में जेवीसी; जेवीसी की पूर्वापेक्षित शर्तों में से किसी के पूरा न होने की स्थिति में भाविप्रा; तथा सामान्य पूर्वापेक्षित शर्तों के पूरा न होने की स्थिति में किसी भी पक्षकार को, इस करार को समाप्त करने का अधिकार होगा।

परंतु यह कि यदि जेवीसी की पूर्वापेक्षित शर्तों के पूरा न होने के कारण भाविप्रा द्वारा यह करार समाप्त किया जाता है, तो भाविप्रा बोली बंधपत्र/निष्पादन बंधपत्र, जैसा भी मामला हो, भुना लेने का हकदार होगा।

यह भी प्रावधानित है कि ऐसी किसी समाप्ति पर प्रत्येक पक्षकार दूसरे पक्षकार को उस पक्षकार से ऐसी समाप्ति से पूर्व प्राप्त कोई भी धनराशि (ऊपर उल्लिखित समाप्ति भुगतानों को छोड़कर) वापस कर देगा।

किसी भी पक्षकार को, यथास्थिति, जेवीसी की पूर्वापेक्षित शर्तों, भाविप्रा की पूर्वापेक्षित शर्तों अथवा सामान्य पूर्वापेक्षित शर्तों के पूरा न होने के आधार पर इस करार को समाप्त करने का अधिकार नहीं होगा, यदि ऐसी शर्तों का पूरा न होना किसी अप्रत्याशित घटना (Force Majeure) का परिणाम और/या उसका प्रत्यक्ष परिणाम हो।

- 3.4 इस करार में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पक्षकार स्पष्ट रूप से इस बात पर सहमत हैं कि प्रभावी तिथि से पूर्व, भाविप्रा, जेवीसी को विमानपत्तन तक युक्तियुक्त और तत्काल पहुँच प्रदान करेगा, ताकि जेवीसी मास्टर प्लान तथा चरण 1 में अपेक्षित किसी भी प्रमुख विकास योजना को तैयार कर सके।

अध्याय IV

अभ्यावेदन एवं वारंटियाँ

4.1 जेवीसी द्वारा अभ्यावेदन एवं वारंटियाँ

जेवीसी एतद्वारा भाविप्रा के समक्ष यह अभ्यावेदन करता है तथा वारंटी देता है कि इस करार की तारीख को तथा प्रभावी तिथि को:

- (क) जेवीसी भारत के विधियों के अधीन निगमित शेयरों द्वारा सीमित एक निजी कंपनी है तथा विधिवत् गठित की गई है और अपने निगमन की तारीख से निरंतर अस्तित्व में है;
- (ख) जेवीसी के पास इस करार को विधिवत् निष्पादित करने और सुपुर्द करने तथा इसके अधीन अपने अधिकारों का प्रयोग करने और अपने दायित्वों का विधिवत् पालन करने के लिए आवश्यक निगमित शक्ति और प्राधिकार है तथा उसने इस प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक निगमित कार्रवाई कर ली है;
- (ग) इस करार के अधीन जेवीसी के दायित्व विधिक रूप से वैध, बाध्यकारी और प्रवर्तनीय दायित्व होंगे तथा इस करार की शर्तों के अनुसार जेवीसी के विरुद्ध प्रवर्तनीय होंगे;
- (घ) जेवीसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही लंबित नहीं है और न ही ऐसी किसी कार्यवाही की धमकी दी गई है तथा ऐसा कोई तथ्य या परिस्थिति विद्यमान नहीं है, जिससे ऐसी कार्यवाही उत्पन्न हो सकती हो और जो इस करार के अधीन उसके दायित्वों के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हो;
- (ङ) जेवीसी एक विशेष प्रयोजन कंपनी है, जिसका निगमन केवल विमानपत्तन के प्रचालन, अनुरक्षण, विकास, अभिकल्पन, निर्माण, उन्नयन, आधुनिकीकरण, वित्तपोषण और प्रबंधन के प्रयोजन से किया गया है;
- (च) जेवीसी की शेयरधारिता का स्वरूप निम्नानुसार है:

इस करार की तारीख को:

क्र. सं. शेयरधारक प्रतिशत शेयरधारिता

1.	भाविप्रा	100%
----	----------	------

प्रभावी तिथि को:

क्र. सं.	शेयरधारक	प्रतिशत शेयरधारिता
1.	एसीएसए ग्लोबल लिमिटेड	10%
2.	जीवीके एयरपोर्ट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	37%
3.	बिड सर्विसेस डिविजन (मॉरीशस) लिमिटेड	27%
4.	भाविप्रा	26%

(जी) संबंधित प्रमुख सदस्यों में मूल्यांकित इकाइयों की शेयरधारिता का स्वरूप निम्नानुसार है:

क्र. सं.	प्रमुख सदस्य	मूल्यांकित इकाई	प्रमुख सदस्य में मूल्यांकित इकाई की शेयरधारिता
1.	जीवीके एयरपोर्ट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	जीवीके इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड	28%
2.	एसीएसए ग्लोबल लिमिटेड	एयरपोर्ट्स कंपनी साउथ अफ्रीका लिमिटेड	100%
3.	बिड सर्विसेस डिविजन (मॉरीशस) लिमिटेड	द बिडवेस्ट ग्रुप लिमिटेड	100%*

* द बिडवेस्ट ग्रुप लिमिटेड के पास बिड सर्विसेस डिविजन (पीटीवाई) लिमिटेड के लगभग 100% शेयर हैं, जिसके पास आगे बिड सर्विसेस डिविजन (मॉरीशस) लिमिटेड के 100% शेयर हैं।

- (छ) भाविप्रा को इस करार में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करने अथवा इस करार को प्रवर्तन में बनाए रखने के लिए किसी व्यक्ति को, या किसी व्यक्ति द्वारा, अथवा उसकी ओर से, शुल्क, कमीशन या अन्यथा के रूप में नकद या वस्तु के रूप में कोई राशि न तो दी गई है, न देने का वचन दिया गया है और न स्वीकार की गई है, और न ही दी जाएगी अथवा स्वीकार की जाएगी, सिवाय इसके कि इस करार में अन्यथा प्रावधान किया गया हो; तथा
- (ज) न तो जेवीसी ने और न ही किसी कंसोर्टियम सदस्य ने जानबूझकर भाविप्रा से ऐसी कोई महत्वपूर्ण सूचना या महत्वपूर्ण दस्तावेज छिपाया है, जिसका प्रकटीकरण न किए जाने से कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ता अथवा मूल्यांकित इकाइयों/प्रमुख सदस्यों के मूल्यांकन या स्वीकृति अथवा कंसोर्टियम सदस्यों द्वारा प्रस्तुत बोली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता।

4.2 भाविप्रा द्वारा अभ्यावेदन एवं वारंटियाँ

भाविप्रा एतद्वारा जेवीसी के समक्ष यह अभ्यावेदन करता है तथा वारंटी देता है कि इस करार की तारीख को तथा प्रभावी तिथि को:

- (क) भाविप्रा के पास इस करार को निष्पादित करने, इसके अधीन अपने अधिकारों का प्रयोग करने तथा अपने दायित्वों का पालन करने के लिए आवश्यक अधिकार, शक्ति और प्राधिकार है तथा उसने इस प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई कर ली है;
- (ख) भाविप्रा के पास विद्यमान परिसंपत्तियों का स्वामित्व रखने तथा प्रभावी तिथि तक विमानपत्तन का प्रचालन करने का अधिकार, शक्ति और प्राधिकार है;
- (ग) भाविप्रा ने कंसोर्टियम सदस्यों से ऐसी कोई महत्वपूर्ण सूचना या महत्वपूर्ण दस्तावेज जानबूझकर नहीं छिपाया है, जिसका प्रकटीकरण न किए जाने से कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ता;
- (घ) इस करार के अधीन भाविप्रा के दायित्व विधिक रूप से वैध, बाध्यकारी और प्रवर्तनीय दायित्व होंगे तथा इस करार की शर्तों के अनुसार भाविप्रा के विरुद्ध प्रवर्तनीय होंगे;
- (ङ) भाविप्रा के पास पट्टे पर दिए गए परिसर का वैध एवं निर्विवाद हक है तथा उसके संबंध में जेवीसी को पट्टाधिकार प्रदान करने की शक्ति और प्राधिकार है; तथा
- (च) जेवीसी द्वारा पट्टा किराया का भुगतान किए जाने और इस करार में निहित प्रसंविदाओं का पालन किए जाने पर, भाविप्रा इस करार की अवधि के दौरान किसी भी समय, इस करार के अनुसार जेवीसी द्वारा पट्टे पर दिए गए परिसर के शांतिपूर्ण उपभोग में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

4.3 प्रकटीकरण

यदि इस करार की तारीख के पश्चात् किसी भी समय किसी पक्षकार के संज्ञान में ऐसी कोई घटना या परिस्थिति आती है, जिसके कारण उसके उपर्युक्त किसी अभ्यावेदन या वारंटी का असत्य अथवा गलत होना सिद्ध होता है, तो ऐसा पक्षकार तत्काल दूसरे पक्षकार को इसकी सूचना देगा।

ऐसी सूचना का प्रभाव न तो ऐसे अभ्यावेदन अथवा वारंटी के किसी ऐसे उल्लंघन का निवारण करना होगा, जिसे असत्य अथवा गलत पाया गया है, और न ही इससे इस करार के अधीन किसी भी पक्षकार के किसी दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा अथवा ऐसा दायित्व समाप्त होगा।

अध्याय V

प्रभावी तिथि को विमानपत्तन से संबंधित अधिकारों का हस्तांतरण एवं संक्रमण चरण

- 5.1 पूर्वपेक्षित शर्तों के पूरा हो जाने अथवा, यथास्थिति, उनसे छूट दिए जाने पर, प्रभावी तिथि को और उससे, विमानपत्तन के प्रचालन और प्रबंधन से संबंधित अधिकार एवं दायित्व जेवीसी को हस्तांतरित हो जाएंगे, जो सभी वैमानिकी सेवाओं, आवश्यक सेवाओं तथा विमानपत्तन पर वर्तमान में की जा रही अन्य सभी गतिविधियों और सेवाओं (आरक्षित गतिविधियों को छोड़कर) के निष्पादन के लिए पूर्णतः उत्तरदायी और जिम्मेदार होगा। जेवीसी, प्रभावी तिथि से, भाविप्रा अथवा किसी संबंधित प्राधिकरण और किसी तृतीय पक्ष के बीच विमानपत्तन से संबंधित सभी विद्यमान करारों और समझौतों के अधीन इस प्रकार कार्य करेगा, मानो भाविप्रा के स्थान पर जेवीसी उन करारों और समझौतों का मूल पक्षकार हो, और इस प्रयोजनार्थ जेवीसी, अपने जोखिम और लागत पर, भाविप्रा के सभी उत्तरदायित्वों, देयताओं और दायित्वों (प्रतिपक्षकारों को किए जाने वाले भुगतान संबंधी दायित्वों सहित) का निष्पादन करेगा। परंतु यह कि विमानपत्तन का भाविप्रा से जेवीसी को सुचारु अंतरण सुनिश्चित करने के लिए, भाविप्रा संक्रमण चरण के दौरान नीचे दिए गए प्रावधानों के अनुसार जेवीसी को (सर्वोत्तम संभव प्रयास के आधार पर) सहायता प्रदान करेगा।

5.2 संक्रमण चरण

- (क) प्रभावी तिथि से प्रारंभ होकर उसके तीन (3) माह पश्चात् समाप्त होने वाली अवधि “संक्रमण चरण” होगी। परंतु यह कि यदि संक्रमण चरण के दौरान प्रस्तावित गतिविधियाँ उपर्युक्त तीन (3) माह की अवधि के भीतर पूरी नहीं हुई हैं, तो संक्रमण चरण को अतिरिक्त तीन (3) माह की अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा और ऐसी स्थिति में प्रभावी तिथि से प्रारंभ होकर उसके छह (6) माह पश्चात् समाप्त होने वाली अवधि “संक्रमण चरण” होगी।

- (ख) संक्रमण चरण के दौरान निम्नलिखित गतिविधियाँ की जाएँगी:

- (i) **विद्यमान करार:** जेवीसी सभी विद्यमान करारों और समझौतों के संबंध में भाविप्रा के स्थान पर जेवीसी को भाविप्रा के अधिकारों और दायित्वों के अंतरण/नवसृजन के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेगा तथा भाविप्रा सभी युक्तियुक्त सहायता प्रदान करेगा। ये विद्यमान करार और समझौते भाविप्रा और किसी तृतीय पक्ष के बीच हैं तथा विमानपत्तन से संबंधित हैं। यह अंतरण/नवसृजन इस सिद्धांत पर किया जाएगा कि ऐसा अंतरण/नवसृजन प्रभावी तिथि से और उसके पश्चात् उत्पन्न होने वाली इन करारों या समझौतों के अधीन भाविप्रा की सभी देयताओं और दायित्वों से भाविप्रा को मुक्त कर देगा (पूर्ववर्ती (लेगेसी) मामलों से संबंधित दायित्वों को छोड़कर)। पक्षकार, संबंधित तृतीय पक्षों के साथ मिलकर, उपर्युक्त अंतरण/नवसृजन के लिए आवश्यक दस्तावेज निष्पादित करेंगे अथवा आवश्यक व्यवस्थाएँ स्थापित करेंगे। पक्षकार स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि विमानपत्तन पर भूमि और/या भवन के उपयोग के संबंध में इंडियन एयरलाइन्स लिमिटेड और एयर इंडिया लिमिटेड की विद्यमान व्यवस्थाओं तथा विमानपत्तन पर वायुयान में ईंधन भरने के लिए सामान्य हाइड्रेंट अवसंरचना के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों की विद्यमान व्यवस्थाओं के लिए, जिनके संबंध में कोई स्पष्ट लिखित करार निष्पादित नहीं किया गया है अथवा वर्तमान में विद्यमान नहीं है, ऐसी विद्यमान व्यवस्थाएँ प्रभावी तिथि से छह (6) माह की अवधि तक जारी रहेंगी और जेवीसी उक्त अवधि के दौरान इंडियन एयरलाइन्स लिमिटेड, एयर इंडिया लिमिटेड तथा सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के साथ भविष्य में ऐसी व्यवस्थाओं के संबंध में पारस्परिक रूप से सहमत होगा। परंतु यह कि किसी भी कारण से किसी तृतीय पक्ष के किसी करार का जेवीसी के पक्ष में विशिष्ट रूप से नवसृजन नहीं किया जा सकता हो, तो जेवीसी ऐसे करारों का भाविप्रा की ओर से, अपने स्वयं के जोखिम और लागत पर, निष्पादन करेगा, मानो भाविप्रा के स्थान पर जेवीसी उन करारों का मूल पक्षकार हो। यह भी प्रावधानित है कि जेवीसी ऐसे करारों के अधीन उत्पन्न होने वाली किसी भी देयता या लागत के संबंध में भाविप्रा को क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति करता रहेगा, जिसमें, किसी संदेह से बचने के लिए, अनिवार्य पूंजीगत परियोजनाओं की सूची में सम्मिलित प्रगतिरत पूंजीगत कार्यों से संबंधित करार भी शामिल हैं। इसमें विशेष रूप से ऐसे करारों के प्रतिपक्षकारों अथवा ऐसे करारों के अनुसरण में किसी अन्य इकाई को किए जाने वाले भुगतान भी सम्मिलित होंगे। ऐसे करारों से उत्पन्न होने वाले सभी लाभ भी जेवीसी में निहित होंगे। इस अनुच्छेद 5.2(बी)(i) में निहित कोई भी बात, अनुच्छेद 5.2(बी)(ii) में निहित प्रगतिरत पूंजीगत कार्यों से

संबंधित करारों के अधीन 30 अगस्त, 2005 से देय भुगतानों के संबंध में जेवीसी के भुगतान दायित्व को प्रभावित नहीं करेगी।

- (ii) **प्रगतिरत कार्य :** पक्षकार स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि प्रभावी तिथि से जेवीसी, प्रभावी तिथि को विद्यमान भाविप्रा और किसी तृतीय पक्ष के बीच सभी करारों और समझौतों के अधीन भाविप्रा के सभी दायित्वों (भुगतान संबंधी दायित्वों सहित) के निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा। उपर्युक्त की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रभावी तिथि से जेवीसी विमानपत्तन पर सभी प्रगतिरत कार्यों के निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा। परंतु, उपर्युक्त तथा इस करार के अनुच्छेद 3 में निहित किसी बात के होते हुए भी, जेवीसी 30 अगस्त, 2005 से विमानपत्तन पर प्रगतिरत सभी पूंजीगत कार्यों के संबंध में सभी भुगतानों को करने के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसे भुगतान जेवीसी द्वारा प्रभावी तिथि से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर भाविप्रा को किए जाएंगे, जो इस संबंध में भाविप्रा द्वारा रखे गए विस्तृत पृथक लेखों के आधार पर होंगे और प्रभावी तिथि को जेवीसी को उपलब्ध कराए जाएंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि ये प्रगतिरत पूंजीगत कार्य जेवीसी द्वारा किए जाने वाले अनिवार्य पूंजीगत परियोजनाओं का भाग हैं। इसके अतिरिक्त, भाविप्रा एतद्वारा वचन देता है कि वह प्रभावी तिथि तक समय-समय पर जेवीसी को उपर्युक्त प्रगतिरत पूंजीगत कार्यों के संबंध में अंतरिम लेखे उपलब्ध कराएगा। प्रगतिरत पूंजीगत कार्यों के लेखांकन उपचार के संबंध में, प्रभावी तिथि से जेवीसी द्वारा किए गए व्यय को जेवीसी अपनी लेखा-पुस्तकों में तब तक प्रगतिरत पूंजीगत कार्य के रूप में दर्शाता रहेगा, जब तक जेवीसी संबंधित प्रगतिरत पूंजीगत कार्य को पूरा नहीं कर लेता। जेवीसी की लेखा-पुस्तकों में दर्शाई गई राशि उस कार्य के पूरा होने तक जेवीसी द्वारा उस पर किए गए व्यय तक सीमित होगी। प्रगतिरत पूंजीगत कार्य के पूरा हो जाने पर जेवीसी उसे संबंधित पूर्ण कार्य परिसंपत्तियों में अंतरित करेगा। इसके अतिरिक्त, जेवीसी ऐसी पूर्ण परिसंपत्तियों के उन हिस्सों पर भी मूल्यहास प्रदान करेगा।
- (iii) यह स्पष्ट रूप से सहमत है कि इस अनुच्छेद 5 में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, इस अनुच्छेद 5 में निहित कोई भी प्रावधान भाविप्रा द्वारा किसी तृतीय इकाई के साथ किए गए ऐसे किसी करार पर लागू नहीं होगा और न ही उससे संबंधित होगा, जो सीएनएस-एटीएम करार के प्रावधानों के अधीन भाविप्रा द्वारा प्रदान की जाने वाली सीएनएस-एटीएम सेवाओं के प्रावधान से संबंधित हो।
- (iv) **संयुक्त समिति :** इस करार की तारीख के तुरंत पश्चात्, पक्षकार संक्रमण चरण की अवधि के लिए एक संयुक्त समिति गठित करेंगे, जिसमें भाविप्रा और जेवीसी के तीन-तीन प्रतिनिधि होंगे। यह संयुक्त समिति विमानपत्तन के प्रचालन के समग्र पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगी। परंतु यह कि जेवीसी संक्रमण योजना को कार्यान्वित करने तथा विमानपत्तन के प्रचालन, अनुरक्षण, विकास, अभिकल्पन, निर्माण, उन्नयन, आधुनिकीकरण, वित्तपोषण और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगा।
- (v) **विद्यमान परिसंपत्तियों की सूची :** जेवीसी विमानपत्तन पर विद्यमान सभी परिसंपत्तियों की एक सूची तैयार करेगा तथा भाविप्रा और जेवीसी उस सूची पर पारस्परिक रूप से सहमत होंगे।

- (ग) यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अनुच्छेद 5.2 के अनुसरण में संक्रमण चरण के दौरान भाविप्रा द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई भाविप्रा द्वारा अपनी व्यक्तिगत हैसियत में नहीं की जाएगी। इस अनुच्छेद 5.2 के अनुसरण में भाविप्रा द्वारा की गई कार्रवाइयों से संबंधित सभी लाभ और दायित्व भाविप्रा के खाते में नहीं, बल्कि जेवीसी के खाते में होंगे।

इस प्रयोजनार्थ, जेवीसी, संक्रमण चरण के दौरान विमानपत्तन से संबंधित, किसी भी कारण से उत्पन्न होने वाली किसी भी देयता अथवा लागत के संबंध में भाविप्रा को क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति करता रहेगा, सिवाय ऐसी किसी देयता अथवा लागत के, जो भाविप्रा की घोर लापरवाही अथवा जानबूझकर किए गए चूकपूर्ण आचरण के कारण उत्पन्न हुई हो। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि संक्रमण चरण के दौरान भाविप्रा द्वारा वसूल किए जाने वाले प्रभारों (वैमानिकी प्रभार तथा गैर-वैमानिकी सेवाओं के प्रभार) का कोई भी भाग भाविप्रा द्वारा जेवीसी के लिए और उसकी ओर से वसूल किया जाएगा तथा भाविप्रा द्वारा उसे एस्करो खाते में जमा किया जाएगा।

5.3 संक्रमण चरण की समाप्ति पर जेवीसी विमानपत्तन का स्वतंत्र रूप से प्रचालन और अनुरक्षण करेगा।

5.4 इस करार में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, जेवीसी उपर्युक्त प्रगतिरत पूंजीगत कार्यों के अतिरिक्त, 30 अगस्त, 2005 से विमानपत्तन पर भाविप्रा द्वारा किए गए अन्य पूंजीगत कार्यों के संबंध में सभी भुगतानों को करने

के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसे भुगतान जेवीसी द्वारा प्रभावी तिथि से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर भाविप्रा को किए जाएँगे, जो इस संबंध में भाविप्रा द्वारा रखे गए विस्तृत पृथक लेखों के आधार पर होंगे और प्रभावी तिथि को जेवीसी को उपलब्ध कराए जाएँगे। परंतु यह कि इस अनुच्छेद 5.4 में उल्लिखित उक्त राशि किसी भी स्थिति में, प्रभावी तिथि तक किए गए ऐसे सभी पूंजीगत कार्यों के संबंध में कुल मिलाकर ₹50,00,00,000/- (पचास करोड़ रुपये) से अधिक नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, भाविप्रा एतद्वारा वचन देता है कि वह प्रभावी तिथि तक समय-समय पर जेवीसी को उपर्युक्त पूंजीगत कार्यों के संबंध में अंतरिम लेखे उपलब्ध कराएगा।

अध्याय VI

प्रचालन सहायता

6.1 प्रचालन सहायता

6.1.1 प्रभावी तिथि से 3 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रचालन सहायता अवधि" कहा गया है), भाविप्रा साधारण कर्मचारियों (General Employees) के माध्यम से इसमें उपबंधित रीति से तथा इसके निबंधनों के अधीन रहते हुए संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) को प्रचालन सहायता प्रदान करेगा (ऐसी सहायता को इसमें इसके पश्चात् "प्रचालन सहायता" कहा गया है)। अनुसूची 23 में दिए गए विवरण के अनुसार अनुमानित वार्षिक प्रचालन सहायता लागत ₹95 करोड़ (पंचानवे करोड़ रुपये) है।

6.1.2 (i) प्रचालन सहायता अवधि के दौरान साधारण कर्मचारियों को भाविप्रा द्वारा विमानपत्तन पर बनाए रखा जाएगा तथा उनके साथ इसमें दिए गए उपबंधों के अनुसार व्यवहार किया जाएगा। प्रचालन सहायता प्रदान करने के प्रयोजनार्थ, भाविप्रा यह सुनिश्चित करेगा कि साधारण कर्मचारी ऐसे कार्य एवं दायित्व संपादित करें तथा ऐसी क्षमताओं में कार्य करें, जैसी जेवीसी द्वारा अपेक्षा की जाए, जो कि लागू विधि और ऐसे कर्मचारियों के नियोजन के मौजूदा निबंधनों के अनुपालन के अधीन होगा। प्रचालन सहायता प्रदान करने के सीमित प्रयोजनों के लिए, भाविप्रा जेवीसी की ओर से एवं उसके निमित्त कार्य करेगा तथा साधारण कर्मचारियों को ऐसे कार्यों एवं दायित्वों को निष्पादित करने का निदेश देगा जो जेवीसी द्वारा युक्तियुक्त रूप से निर्दिष्ट किए जाएं।

(ii) जेवीसी, भाविप्रा से किसी भी ऐसे साधारण कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने / उसे विमानपत्तन से हटाने (या हटवाने) की अपेक्षा कर सकता है जो:

- (क) अनुदेशों के अनुसार अपने दायित्वों एवं कार्यों का निष्पादन करने में निरंतर विफल रहता है;
- (ख) किसी कदाचार या सावधानी के अभाव पर अड़ा रहता है या अक्षमता अथवा उपेक्षापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करता है; अथवा
- (ग) किसी ऐसे आचरण पर अड़ा रहता है जो इस करार के अधीन जेवीसी के दायित्वों (जिसमें उदाहरण स्वरूप केवल इस करार में निर्धारित मानकों को प्राप्त करने हेतु विमानपत्तन के प्रचालन के दायित्व शामिल हैं) के अनुपालन को प्रभावित करता है या जिसके द्वारा प्रभावित किए जाने की युक्तियुक्त प्रत्याशा है;

परंतु यह तब जब प्रत्येक मामले में, उक्त व्यक्ति के कार्य या लोप भाविप्रा के साथ उसके नियोजन के निबंधनों के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई को औचित्यपूर्ण ठहराते हों। ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर, भाविप्रा ऐसे साधारण कर्मचारी के विरुद्ध अपने नियमों एवं विनियमों के अनुसार कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

6.1.3 प्रचालन सहायता अवधि के दौरान या जब तक कि संबंधित साधारण कर्मचारी जेवीसी में कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेते, जेवीसी ऐसे साधारण कर्मचारियों के संबंध में भाविप्रा को मासिक प्रचालन सहायता लागत का संदाय करेगा ((i) उन साधारण कर्मचारियों को छोड़कर जो जेवीसी में शामिल हो चुके हैं; तथा (ii) जो अब विमानपत्तन पर कार्यरत नहीं हैं)। जेवीसी समय-समय पर एस्क्रो बैंक को यह निदेश देगा कि वह प्रत्येक माह की 7वीं तारीख को या उससे पूर्व अग्रिम रूप से भाविप्रा के पक्ष में आहरित चेक द्वारा भाविप्रा को मासिक प्रचालन सहायता लागत का संदाय करे। इसमें अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जेवीसी प्रचालन सहायता अवधि के दौरान प्रत्येक माह की 7वीं तारीख को या उससे पूर्व भाविप्रा को अग्रिम रूप से मासिक प्रचालन सहायता लागत का संदाय करने के लिए उत्तरदायी होगा। जेवीसी द्वारा भाविप्रा को ऐसा संदाय किए जाने पर, उसे संबंधित साधारण कर्मचारियों को भाविप्रा द्वारा परिलब्धियों का संदाय न किए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।

- 6.1.4** प्रचालन सहायता अवधि के दौरान किसी भी समय, किंतु प्रचालन सहायता अवधि की समाप्ति से न्यूनतम तीन (3) माह पूर्व, जेवीसी उन साधारण कर्मचारियों को (ऐसे निबंधनों पर जो ऐसे कर्मचारियों के वर्तमान नियोजन निबंधनों की तुलना में वेतन, पद आदि के दृष्टिकोण से कम आकर्षक न हों) नियोजन के प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा जिन्हें वह नियोजित करना चाहता है। परंतु शर्त यह है कि जेवीसी के लिए न्यूनतम 60.00% साधारण कर्मचारियों को प्रस्ताव देना अनिवार्य होगा (सेवानिवृत्ति, स्थानांतरण, मृत्यु के कारण हुई कमी को घटाकर तथा किसी भी भिन्न/अंश को निकटतम पूर्ण संख्या में पूर्णांकित करके)। प्रचालन सहायता अवधि के दौरान पूर्व में दिए गए तथा स्वीकृत किए गए प्रस्तावों को न्यूनतम प्रस्तावों की इस संख्या की गणना हेतु सम्मिलित किया जाएगा। साधारण कर्मचारियों के पास एक माह के भीतर प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प होगा। जेवीसी के नियोजन प्रस्तावों को स्वीकार करने वाले साधारण कर्मचारी, भाविप्रा से त्यागपत्र देने पर, प्रस्ताव स्वीकृति की तिथि से या प्रचालन सहायता अवधि की समाप्ति से (जो भी लागू हो) भाविप्रा के कर्मचारी नहीं रहेंगे। जेवीसी और ऐसे कर्मचारियों के बीच परस्पर सहमति से तय निबंधनों एवं शर्तों के आधार पर जेवीसी इन कर्मचारियों का नया नियोक्ता होगा। परंतु शर्त यह भी है कि यदि 60.00% से कम साधारण कर्मचारी (सेवानिवृत्ति, स्थानांतरण, त्यागपत्र तथा मृत्यु के कारण हुई कमी को घटाकर एवं किसी भी भिन्न को निकटतम पूर्ण संख्या में पूर्णांकित करके) जेवीसी द्वारा दिए गए नियोजन प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं, तो जेवीसी ऐसे साधारण कर्मचारियों की संख्या के लिए भाविप्रा को सेवानिवृत्ति क्षतिपूर्ति का संदाय करेगा, जो 60.00% साधारण कर्मचारियों (सेवानिवृत्ति, स्थानांतरण, मृत्यु के कारण हुई कमी को घटाकर एवं किसी भिन्न को निकटतम पूर्ण संख्या में पूर्णांकित करके) और जेवीसी द्वारा दिए गए नियोजन प्रस्तावों को स्वीकार करने वाले साधारण कर्मचारियों की संख्या (जिसमें प्रचालन सहायता अवधि के दौरान संचयी रूप से दिए गए एवं स्वीकृत प्रस्ताव शामिल हैं) के अंतर को दर्शाती है।
- 6.1.5** अनुच्छेद 6.1.4 के निबंधनों के अधीन साधारण कर्मचारियों को प्रस्तावित निबंधन एवं शर्तें वर्तमान नियोजन शर्तों की तुलना में वेतन, पद आदि के मामले में कम आकर्षक हैं या नहीं, इसका परीक्षण करते समय कंपनी लागत आधार की तुलना की जाएगी।
- 6.1.6** प्रचालन सहायता अवधि के दौरान किसी भी समय, यदि किसी साधारण कर्मचारी का स्थानांतरण विमानपत्तन से बाहर कर दिया जाता है, तो पूर्वोक्त किसी भी बात के होते हुए भी, स्थानांतरण की तिथि से, जेवीसी उक्त साधारण कर्मचारी के संबंध में मासिक प्रचालन सहायता लागत का संदाय करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- 6.1.7** प्रचालन सहायता अवधि के अंत में, भाविप्रा के साथ नियोजन जारी रखने का विकल्प चुनने वाले या जेवीसी से प्रस्ताव प्राप्त न करने वाले साधारण कर्मचारी, भाविप्रा के साथ अपना नियोजन जारी रखेंगे तथा उन्हें विमानपत्तन के अतिरिक्त अन्य प्रतिष्ठानों में तैनात किया जाएगा।
- 6.1.8** पक्षकारों द्वारा स्पष्ट रूप से यह सहमति व्यक्त की जाती है कि प्रचालन सहायता अवधि के दौरान भाविप्रा किसी साधारण कर्मचारी द्वारा किए गए या किए जाने से छोड़े गए किसी कार्य, कृत्य या बात के परिणामस्वरूप, अथवा किसी साधारण कर्मचारी द्वारा अपने किसी दायित्व का निष्पादन करने में विफलता या उपेक्षा के कारण, या उसके नियोजन अनुबंध के किसी निबंधन एवं शर्त का उल्लंघन करने के कारण, अथवा साधारण कर्मचारी द्वारा अपने किसी सांविधिक कर्तव्य का निष्पादन करने में विफलता या किसी सांविधिक उपबंध का अनुपालन करने में विफलता या उपेक्षा के परिणामस्वरूप जेवीसी या किसी तृतीय निकाय को हुई किसी भी हानि, लागत, प्रभार, व्यय एवं क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। परंतु यह तब जब भाविप्रा द्वारा किसी साधारण कर्मचारी को दिए गए अनुदेश या उकसावे के परिणामस्वरूप हुई हानि, लागत, प्रभार, व्यय या क्षति के मामले में इसमें अंतर्विष्ट कुछ भी लागू नहीं होगा।

6.2 कार्मिक

संक्रमण चरण के दौरान, जेवीसी विमानपत्तन प्रचालक के साथ मिलकर, विमानपत्तन पर भाविप्रा के मौजूदा वरिष्ठ प्रबंधन (इस तिथि को भाविप्रा के उप महाप्रबंधक या उसके समतुल्य स्तर से ऊपर के कर्मचारी) के साथ संयुक्त रूप से विमानपत्तन का प्रबंध करने हेतु चरणबद्ध तरीके से उत्तरोत्तर बढ़ती संख्या में वरिष्ठ प्रबंधन को तैनात करेगा। संक्रमण चरण के दौरान, भाविप्रा का वरिष्ठ प्रबंधन जेवीसी के कार्मिकों के साथ मिलकर विमानपत्तन का प्रबंधन

जारी रखेगा। जेवीसी को विमानपत्तन पर अपने वरिष्ठ प्रबंधन को नियुक्त करने का अधिकार होगा। जेवीसी द्वारा ऐसी नियुक्तियों के परिणामस्वरूप, भाविप्रा (जेवीसी के लिए बिना किसी लागत के) विमानपत्तन पर स्थित अपने वरिष्ठ प्रबंधन (इस तिथि को भाविप्रा के उप महाप्रबंधक या उसके समतुल्य स्तर से ऊपर के कर्मचारी) की संख्या में इस प्रकार कमी करेगा कि संक्रमण चरण की समाप्ति पर भाविप्रा का ऐसा कोई भी वरिष्ठ प्रबंधन विमानपत्तन पर शेष न रहे। पक्षकारों द्वारा यह स्पष्ट रूप से समझा जाता है कि संक्रमण चरण के दौरान विमानपत्तन पर तैनाती की अवधि हेतु भाविप्रा के वरिष्ठ प्रबंधन को देय वेतन, लाभ, सांविधिक संदाय, अनुलाभ तथा सेवांत लाभों में अंशदान का संदाय जेवीसी द्वारा भाविप्रा को किया जाएगा।

पूर्वोक्त की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जेवीसी अनुसूची 15 में सूचीबद्ध विशेषज्ञों को उसमें उल्लिखित अवधि के लिए विमानपत्तन पर नियोजित करेगा।

अध्याय VII साइट की स्वीकृति/अस्वीकरण

7.1 साइट की स्वीकृति

- 7.1.1 (i) इस समझौते के उद्देश्यों के लिए, यह माना जाएगा कि संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) ने निम्नलिखित कार्य किया है :
- (क) हवाई अड्डे और हवाई अड्डे की साइट का निरीक्षण किया है, जिसमें वहाँ मौजूद टर्मिनल और सभी इमारतें तथा इसके आसपास के क्षेत्र शामिल हैं;
 - (ख) हवाई अड्डे की जलवायु, जलविज्ञान और सामान्य भौतिक स्थितियों, भूमि और उप-मृदा की प्रकृति, हवाई अड्डे के रूप और प्रकृति तथा इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन के लिए आवश्यक डिज़ाइन, कार्य और सामग्रियों की प्रकृति के संबंध में स्वयं को संतुष्ट कर लिया है;
 - (ग) हवाई अड्डे पर संचार के साधनों, पहुँच और आवास/स्थान के साधनों के संबंध में स्वयं को संतुष्ट कर लिया है, जिसकी उसे आवश्यकता हो सकती है या जो इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन के लिए अन्यथा आवश्यक हो;
 - (घ) उन सभी जोखिमों, आकस्मिकताओं और अन्य सभी परिस्थितियों के बारे में स्वयं के लिए सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर ली है जो जेवीसी को और इसके तहत उसके अधिकारों और दायित्वों तथा इस समझौते के तहत या इसके अनुसार उसके अन्य अधिकारों और दायित्वों को प्रभावित कर सकती हैं।
- (ii) अनुच्छेद 7.1.1 (i) के पूर्वगामी प्रावधानों के संबंध में जेवीसी द्वारा की गई किसी गलती या उसके द्वारा पाली गई किसी गलतफहमी की स्थिति में, जेवीसी स्पष्ट रूप से स्वीकार करती है कि उसके पास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) के खिलाफ कोई वसूली अधिकार नहीं होगा और भाविप्रा इसके संबंध में किसी भी दायित्व को स्पष्ट रूप से खारिज करता है।
- 7.1.2 जेवीसी स्वीकार करती है कि इस समझौते के निष्पादन से पहले, उसने संपूर्ण और सावधानीपूर्वक जांच के बाद, पूरे हवाई अड्डे और इसकी प्रत्येक सुविधा, भवनों, परिसंपत्तियों, मशीनरी, उपकरणों, कर्मियों और जानकारी का एक स्वतंत्र मूल्यांकन किया है। उसने इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन के दौरान उत्पन्न होने वाली या सामना की जाने वाली कठिनाइयों, उन्नयन, इनपुट, लागत, समय, संसाधनों, जोखिमों और खतरों की प्रकृति और सीमा तथा आवश्यक आधुनिकीकरण की सीमा और तरीके का निर्धारण किया है। जेवीसी आगे स्वीकार करती है कि यदि बाद की तारीख में यह पाया जाता है कि दी गई भूमि/परिसर या उस पर कोई भवन या संरचना किसी भी तरह से त्रुटिपूर्ण है, तो उसके पास भाविप्रा के खिलाफ कोई वसूली अधिकार नहीं होगा। यदि कोई कमी पाई जाती है, तो जेवीसी स्वीकार करती है और सहमत है कि वह अपने स्वयं के खर्च पर और भाविप्रा को बिना किसी लागत के, उसे ठीक करने के लिए सभी उपयुक्त उपाय करेगी।
- 7.1.3 जेवीसी इसके तहत अपने दायित्वों के निष्पादन से जुड़ी कठिनाइयों, उन्नयन, इनपुट, लागत, समय, संसाधनों, जोखिमों और खतरों को स्वीकार करती है और एतद्वारा सहमत होती है कि भाविप्रा इस समझौते में स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए के अलावा जेवीसी के प्रति किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा।
- 7.1.4 जेवीसी भाविप्रा या किसी भी सरकारी प्राधिकरण के नियोजित (या गैर-नियोजित) किसी भी इकाई द्वारा उसे दी गई गलत या अपर्याप्त जानकारी के आधार पर गलतफहमी या गलत धारणा के आधार पर भाविप्रा या किसी सरकारी प्राधिकरण के खिलाफ किसी भी दावे का हकदार नहीं होगी और न ही, जब तक इस समझौते में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान न किया गया हो, जेवीसी को कार्यों के संबंध में उस पर लगाए गए या उसके द्वारा उठाए गए किसी भी दायित्व या जोखिम से इस आधार पर राहत दी जाएगी कि वह किसी ऐसे मामले का पूर्वानुमान नहीं लगा सकी जो वास्तव में इसके तहत उसके दायित्वों के निष्पादन को प्रभावित कर सकता है।

- 7.1.5 यह स्पष्ट किया जाता है कि हवाई अड्डे की साइट पर या किसी भी कार्य को करने के दौरान खोजे गए पुरातात्विक या विशेष भूगर्भीय हित के सभी जीवाश्म, कलाकृतियां, संरचनाएं और/या अन्य अवशेष या चीजें जेवीसी की संपत्ति नहीं होंगी और जेवीसी का ऐसे जीवाश्मों, कलाकृतियों और संरचनाओं में कोई अधिकार या हित नहीं होगा।

7.2 मानी गई जानकारी और अस्वीकरण

- 7.2.1 इस समझौते के प्रावधानों के अधीन, जेवीसी हवाई अड्डे के डिज़ाइन, वित्तपोषण, आधुनिकीकरण, निर्माण, समापन, कमीशनिंग, रखरखाव, प्रचालन, प्रबंधन और विकास तथा इस समझौते के तहत अपने अन्य सभी अधिकारों और दायित्वों के संबंध में वित्तीय, तकनीकी, व्यावसायिक, कानूनी और अन्य जोखिमों के लिए पूरी तरह और विशेष रूप से जिम्मेदार होगी और उनका वहन करेगी। चाहे कोई भी जोखिम, आकस्मिकताएं, परिस्थितियां और/या खतरे सामने आएँ (पूर्वानुमानित या अपूर्वानुमानित), जेवीसी में से किसी को भी भाविप्रा, भारत सरकार और/या उनकी किसी भी एजेंसी के खिलाफ कोई दावा करने या कोई मुआवजा या अन्य राशि वसूलने का कोई अधिकार नहीं होगा, सिवाय उन मामलों के जिनके संबंध में इस समझौते में स्पष्ट प्रावधान किया गया है।

अध्याय VIII
निर्माण/विकास, प्रचालन एवं प्रबंधन

8.1 सामान्य दायित्व:

- (i) जेवीसी हवाई अड्डे के प्रचालन, रखरखाव, विकास, डिज़ाइन, निर्माण, उन्नयन, आधुनिकीकरण, वित्तपोषण और प्रबंधन में हर समय लागू कानून का अनुपालन करेगी। जेवीसी यह सुनिश्चित करने के लिए कि हवाई अड्डा हर समय एक अंतरराष्ट्रीय विश्व स्तरीय हवाई अड्डे की आवश्यकताओं को पूरा करता है, हवाई अड्डे का प्रचालन, रखरखाव, विकास, डिज़ाइन, निर्माण, उन्नयन, आधुनिकीकरण और प्रबंधन करेगी और इसे अच्छी प्रचालन स्थिति में रखेगी। जेवीसी आगे अच्छी उद्योग प्रथाओं और विकास मानकों और आवश्यकताओं तथा प्रचालन और रखरखाव मानकों और आवश्यकताओं के अनुसार हवाई अड्डे का प्रचालन, रखरखाव, विकास, डिज़ाइन, निर्माण, उन्नयन, आधुनिकीकरण और प्रबंधन करेगी और उचित सीमा तक नवीनीकरण, प्रतिस्थापन और अपग्रेड करेगी। सभी रखरखाव, मरम्मत और अन्य कार्य इस तरह से किए जाएंगे जिससे हवाई अड्डे के उपयोगकर्ताओं को कम से कम असुविधा हो।
- (ii) जेवीसी हर समय लागू कानून द्वारा आवश्यक सभी स्वीकृतियाँ, जिनमें पंजीकरण, लाइसेंस और परमिट (इमिग्रेशन, अस्थायी निवास, कार्य और निकास परमिट सहित) शामिल हैं, प्राप्त करेगी और बनाए रखेगी।
- (iii) जेवीसी संरक्षा उपायों, अग्नि सुरक्षा, सुरक्षा, परिवहन, माल, सामग्री, संयंत्र और उपकरणों की डिलीवरी, प्रदूषण नियंत्रण, सक्षम कर्मियों और श्रमिक व औद्योगिक संबंधों के रखरखाव और सामान्य हवाई अड्डा सेवाओं के संबंध में अवधि के दौरान हवाई अड्डे का प्रचालन, रखरखाव, विकास, डिज़ाइन, निर्माण, उन्नयन, आधुनिकीकरण और प्रबंधन करेगी। इसमें बिना किसी सीमा के, हवाई अड्डे तक और उस पर पहुँच, ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों के कार्यालयों के लिए स्थान का आवंटन और केवल अधिकृत इकाइयों तक ही हवाई अड्डे की पहुँच को सीमित करना शामिल है, जिससे हर समय हवाई अड्डे का सुचारू प्रचालन और दैनिक कामकाज में न्यूनतम हस्तक्षेप सुनिश्चित हो सके। जेवीसी हवाई अड्डे से संबंधित नियमों और विनियमों की एक नियमावली तैयार और जारी करेगी जिसका पालन हवाई अड्डे पर व्यवसाय करने वाली सभी इकाइयों द्वारा किया जाएगा और यह बिना किसी भेद भाव के ऐसी सभी इकाइयों पर लागू होगा। जेवीसी यह नियमावली भाविप्रा को प्रदान करेगी जो जेवीसी को उक्त नियमावली में उचित संशोधन करने के लिए कह सकता है।
- (iv) जेवीसी यह सुनिश्चित करेगी कि हवाई अड्डे पर स्थापित और/या हवाई अड्डे के निर्माण अथवा मरम्मत सहित उपयोग की जाने वाली सभी सामग्री, उपकरण, मशीनरी आदि मजबूत और गुणवत्ता वाली होंगी। सभी कारीगरी स्थापना, निर्माण या मरम्मत के समय लागू अच्छी उद्योग प्रथाओं के अनुसार होगी और निर्माण का प्रत्येक भाग उस उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा जिसके लिए इसकी आवश्यकता है जैसा कि मास्टर प्लान और प्रमुख विकास योजना में कहा गया है या अनुमान लगाया गया है।
- (v) इस समझौते के किसी प्रावधान के तहत या इसके अनुसरण में या किसी अन्य प्रकार से, किसी भी ड्राइंग या दस्तावेज़ का प्रस्तुत किया जाना, अथवा उसका अनुमोदन या अननुमोदन किया जाना अथवा भाविप्रा द्वारा उस पर प्रश्न उठाना, आपत्तियाँ दर्ज करना, या टिप्पणियाँ, सुझाव या सिफ़ारिशें देना- इनमें से कोई भी बात डिज़ाइन और निर्माण से संबंधित जेवीसी के किसी भी दायित्व या जिम्मेदारी को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगी और उसमें किसी भी तरह से कोई छूट, राहत या बदलाव नहीं किया जाएगा।
- (vi) जेवीसी पट्टे पर दी गई भूमि या उस पर निर्मित की जाने वाली संरचनाओं के संबंध में अथवा उसमें संग्रहित सामग्रियों के संबंध में देय सभी करों, लेवी, आयात शुल्कों, शुल्कों (जिसमें कोई भी लाइसेंस शुल्क शामिल है) और अन्य प्रभारों, देयताओं, आकलनों या व्ययों का भुगतान करेगी, जो किसी भी सरकारी प्राधिकरण या किसी अन्य सरकारी, अर्ध-सरकारी, प्रशासनिक, न्यायिक, सार्वजनिक या वैधानिक निकाय, मंत्रालय, विभाग, साधन, एजेंसी, प्राधिकरण, बोर्ड, ब्यूरो, निगम, जिन्हें किसी वैधानिक कार्य का दायित्व सौंपा गया है और वे उसका निष्पादन कर रहे हैं या आयोग द्वारा लगाए जा सकते हैं।

8.2 अनिवार्य पूंजीगत परियोजनाएं

- 8.2.1 जेवीसी अधिकतम 31 मार्च 2010 तक नवीनतम रूप से अनुसूची 7 के तहत निर्धारित अनिवार्य पूंजीगत परियोजनाओं को उसमें निर्धारित समय और नियमों और शर्तों के अनुसार शुरू करेगी, प्रचालित करेगी और पूरा करेगी।
- 8.2.2 यदि जेवीसी अनुसूची 7 में निर्धारित समय पर किसी अनिवार्य पूंजीगत परियोजना के निर्माण की शुरुआत में देरी करती है और जेवीसी द्वारा देरी का कोई न्यायसंगत स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है, जो कि भाविप्रा के लिए संतोषजनक हो (पूरी तरह से अपने विवेक पर), तो भाविप्रा को ऐसी अनिवार्य पूंजीगत परियोजना के निर्माण को शुरू करने में देरी के प्रत्येक सप्ताह (अथवा उसके अंश) के लिए, अनिवार्य पूंजीगत परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत के 0.5% (शून्य दशमलव पांच प्रतिशत) के बराबर, परिनिर्धारित हर्जाना लगाने का अधिकार होगा।
- 8.2.3 यदि किसी अनिवार्य पूंजीगत परियोजना के पूरा होने की अवधि अनुसूची 7 में निर्धारित समय से अधिक हो जाती है तो भाविप्रा के पास जेवीसी पर उसी दर से परिनिर्धारित हर्जाना लगाने का अधिकार होगा। बशर्ते कि यह देरी काम शुरू करने में हुई देरी के कारण न हो, जिसके संबंध में जेवीसी द्वारा भाविप्रा को पहले ही परिनिर्धारित हर्जाने का भुगतान किया जा चुका है।

परंतु शर्त यह है कि किसी विशेष अनिवार्य पूंजीगत परियोजना में हुई देरी के लिए इस अनुच्छेद 8.2 के तहत जेवीसी की कुल देनदारी, संबंधित अनिवार्य पूंजीगत परियोजना की पूंजीगत लागत के 10% (दस प्रतिशत) से अधिक नहीं होगी।

- 8.2.4 पूर्वोक्त के बावजूद, यदि किसी विशेष अनिवार्य पूंजीगत परियोजना के निर्माण की शुरुआत में देरी हुई है और उस देरी के लिए ऊपर दिए गए अनुच्छेद 8.2.2 के अनुसार परिनिर्धारित हर्जाना लगाया और चुकाया जा चुका है तथा निर्माण कार्य शुरू होने में हुई देरी के बावजूद वह अनिवार्य पूंजीगत परियोजना उस समय तक पूरी कर ली जाती है, जिस समय तक वह अनुसूची 7 में उल्लिखित समयानुसार समय पर निर्माण शुरू होने की स्थिति में पूरी होती, तो निर्माण शुरू करने में हुई देरी के लिए भुगतान किया गया परिनिर्धारित हर्जाना भाविप्रा द्वारा जेवीसी को बिना किसी ब्याज के वापस कर दिया जाएगा।

8.3 मास्टर प्लान

- 8.3.1 जेवीसी हवाई अड्डे के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करेगी, जिसमें 20 वर्षों की समय-सीमा के दौरान पूरे हवाई अड्डे के लिए प्रस्तावित विकास की रूपरेखा दी जाएगी। इस मास्टर प्लान में उक्त अवधि के लिए यातायात के पूर्वानुमान शामिल होंगे और सभी योजनाबद्ध प्रमुख विकास कार्यों को इन पूर्वानुमानों से जोड़ा जाएगा। मास्टर प्लान निम्नलिखित के अनुसार तैयार किया जाएगा और इसमें निम्नलिखित बातें शामिल होंगी:

- (क) समग्र विकास रणनीति और दर्शन का विवरण।
- (ख) इसमें इस समझौते की अनुसूची। में निर्धारित 'विकास नियोजन सिद्धांत' शामिल होंगे।
- (ग) प्रत्येक व्यापक क्षेत्र के लिए योजनाबद्ध विकास का अलग-अलग विवरण, जैसे कि व्यावसायिक विकास, सतह परिवहन, टर्मिनल क्षेत्र, रनवे प्रणाली और पर्यावरण प्रबंधन (विमान के शोर प्रबंधन सहित)।
- (घ) यातायात पूर्वानुमानों का विवरण और यातायात की वृद्धि से जुड़े सभी विकास कार्यों के लिए 'ट्रैफिक ट्रिगर पॉइंट्स' प्रदान करना, जिसमें यह दर्शाया जाएगा कि किस यातायात स्तर पर परियोजना शुरू की जाएगी और समाप्त की जाएगी।
- (ङ) यह दृष्टिकोण कि 20 वर्षों के अंत में तथा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती चरणों में हवाई अड्डा और उसका प्रत्येक परिसर कैसा दिखेगा एवं उस अवधि के अंत में जब हवाई अड्डा अपनी पूर्ण क्षमता पर पहुँच जाएगा, तब हवाई अड्डे का अंतिम स्वरूप क्या होगा:
- (च) उपयोगकर्ताओं, समुदाय, व्यवसायों और सरकार के साथ किए गए परामर्श/सलाह-मशविरे के परिणामों पर रिपोर्ट।

- (छ) हवाई अड्डे तथा विमान के पहुँचने और उड़ान भरने वाले क्षेत्रों के लिए बाधा सीमा सतहें ।
- (ज) 20 वर्षीय मास्टर प्लान अवधि के लिए पूर्वानुमानित यातायात स्तर हेतु हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्रों के लिए शोर जोखिम रूपरेखाएँ ।
- (झ) ऐसे अन्य मामले जो भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

इस समझौते में इसके विपरीत किसी भी बात के होते हुए भी, पक्षकार इसके द्वारा यह स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं कि इस अनुच्छेद 8.3 की किसी भी बात को जेवीसी द्वारा उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत किए गए किसी भी मास्टर प्लान (या उसके किसी भी हिस्से) के लिए, जिसमें कोई भी न्यूनतम अनुमानित यातायात शामिल है लेकिन वह इसी तक सीमित नहीं है, भाविप्रा द्वारा दिया गया अनुमोदन नहीं माना जाएगा। यह स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की जाती है कि यह सुनिश्चित करना पूरी तरह से जेवीसी की एकमात्र जिम्मेदारी और दायित्व होगा कि अंतिम मास्टर प्लान इस समझौते की आवश्यकताओं के पूर्ण अनुपालन में हो और इसके अतिरिक्त, राज्य सहायता समझौते में निर्धारित मापदंडों के अनुसार हो; और इस समझौते की कोई भी बात किसी भी तरह से जेवीसी को यह सुनिश्चित करने के उसके दायित्व से मुक्त नहीं करेगी कि अंतिम मास्टर प्लान ओएमडीए, राज्य सहायता समझौते या किसी भी अन्य परियोजना समझौतों के तहत उसके दायित्वों या प्रावधानों के अनुसार है।

8.3.2 हवाई अड्डे के लिए पहला मास्टर प्लान प्रारंभिक विकास योजना के अनुरूप होना चाहिए और इसमें अनिवार्य पूंजीगत परियोजनाओं को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए। प्रारंभिक विकास योजना से किसी भी महत्वपूर्ण विचलन को पूरी तरह से स्पष्ट और कारण सहित समझाया जाना चाहिए। मास्टर प्लान सभी प्रमुख हितधारकों, जिनमें एयरलाइंस, यात्री समूह और भारत सरकार शामिल हैं परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, के साथ पूर्ण परामर्श और विचार-विमर्श के पश्चात तैयार किया जाएगा।

8.3.3 मास्टर प्लान को यह सिद्ध करना होगा कि यह इस समझौते में निर्धारित गुणवत्ता और सेवा प्रदर्शन मानकों के अनुरूप है। मास्टर प्लान को आगे यह भी सिद्ध करना होगा कि हवाई अड्डे का विकास इस प्रकार होगा कि हवाई अड्डा स्थल का विकास हस्तांतरणीय परिसंपत्तियों के विकास एवं वृद्धि के उद्देश्यों के लिए किया जाए (और हस्तांतरणीय परिसंपत्तियों के भीतर, वैमानिक परिसंपत्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी) तथा हवाई अड्डा स्थल का उपयोग केवल गैर-हस्तांतरणीय परिसंपत्तियों के विशुद्ध व्यावसायिक शोषण के लिए न किया जाए। मास्टर प्लान हर समय हस्तांतरणीय परिसंपत्तियों के विकास एवं वृद्धि के लिए भूमि और स्थान की उपलब्धता की परिकल्पना करेगा और उसे सुनिश्चित करेगा (और हस्तांतरणीय परिसंपत्तियों के भीतर, वैमानिक परिसंपत्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी)। गैर-हस्तांतरणीय परिसंपत्तियों के लिए भूमि और स्थान का उपयोग हर समय हस्तांतरणीय परिसंपत्तियों के विकास और वृद्धि के अधीन (शर्त पर) होगा। इस संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि जेवीसी यह सुनिश्चित करेगी कि भविष्य की यातायात वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, हस्तांतरणीय परिसंपत्तियों के विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक हवाई अड्डा स्थल की भूमि के पर्याप्त हिस्से को हस्तांतरणीय परिसंपत्तियों के लिए आरक्षित रखा जाएगा और केवल हवाई अड्डा स्थल की शेष भूमि का उपयोग ही गैर-हस्तांतरणीय परिसंपत्तियों के लिए किया जाएगा। जेवीसी यह सुनिश्चित करेगी कि मास्टर प्लान हवाई अड्डा स्थल के उन हिस्सों को स्पष्ट रूप से सीमांकित करे जिनका उपयोग वैमानिक परिसंपत्तियों, गैर-वैमानिक परिसंपत्तियों, हस्तांतरणीय परिसंपत्तियों और गैर-हस्तांतरणीय परिसंपत्तियों के विकास के लिए किया जा रहा है और किए जाने का प्रस्ताव है। जेवीसी यह सुनिश्चित करेगी कि हवाई अड्डे पर होने वाले सभी विकास मास्टर प्लान के अनुसार ही हों।

8.3.4 मास्टर प्लान अन्य बातों के साथ-साथ विशिष्ट पूंजीगत व्यय परियोजनाओं को शुरू करने के लिए पहचान योग्य यातायात ट्रिगर प्रदान करेगा और यातायात से जुड़ी क्षमता के विस्तार का प्रावधान करेगा।

8.3.5 ऊपर दिए गए अनुच्छेद 3 के प्रावधानों के होते हुए भी और सफल बोलीदाता को हवाई अड्डे तक तत्काल पहुँच प्रदान किए जाने की शर्त के अधीन, जेवीसी इसके द्वारा इस समझौते के निष्पादन की तारीख से छह महीने समाप्त होने से पहले भाविप्रा को उसकी जानकारी के लिए और नागर विमानन मंत्रालय को उसकी समीक्षा एवं टिप्पणियों के लिए प्रारंभिक मास्टर प्लान प्रस्तुत करने का वचन देती है; जिसे इसके बाद अपडेट किया जाना चाहिए और समय-समय पर, प्रत्येक 10 वर्षों में, भाविप्रा को उसकी जानकारी के लिए तथा नागर विमानन मंत्रालय को उसकी समीक्षा और टिप्पणियों के लिए पुनः प्रस्तुत किया जाना चाहिए। परंतु शर्त यह है कि यदि जेवीसी यह पाती है कि

यातायात में वृद्धि इस प्रकार की है कि अधिक लगातार अपडेट की आवश्यकता है अथवा किसी अन्य उचित कारण से या फिर इस स्थिति में कि हवाई अड्डा यात्री क्षमता, कार्गो क्षमता और अन्य क्षमता संबंधी सीमाओं तक पहुँच जाता है और भाविप्रा या नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जाता है, तो मास्टर प्लान को कम समयांतरालों पर अपडेट किया जाएगा।

- 8.3.6 यदि जेवीसी प्रारंभिक मास्टर प्लान को प्रस्तुत करने की नियत तिथि तक भाविप्रा की जानकारी और नागर विमानन मंत्रालय की टिप्पणियों के लिए जमा करने में विफल रहती है, तो भाविप्रा के पास देरी के प्रत्येक दिन के लिए जेवीसी पर ₹25,00,000/- (रुपये पच्चीस लाख) की दर से परिनिर्धारित हर्जाना लगाने का अधिकार होगा; परंतु शर्त यह है कि इस अनुच्छेद 8.3.6 के तहत जेवीसी का कुल दायित्व ₹25,00,00,000/- (रुपये पच्चीस करोड़) से अधिक नहीं होगा। आगे यह भी प्रावधान है और स्पष्ट किया जाता है कि यह अनुच्छेद 8.3.6 प्रभावी तिथि के बाद ही प्रभावी और लागू होगा, इस प्रकार कि भले ही परिनिर्धारित हर्जाना की गणना इस समझौते के निष्पादन की तिथि से छह (6) महीने की समाप्ति के बाद की किसी भी देरी की अवधि के लिए की जाएगी, लेकिन ऐसे परिनिर्धारित हर्जाने का भुगतान करने का दायित्व केवल प्रभावी तिथि के बाद ही उत्पन्न होगा।
- 8.3.7 जेवीसी हवाई अड्डे का विकास तत्कालीन लागू मास्टर प्लान के अनुसार करेगी। जहाँ कोई मौजूदा मास्टर प्लान लागू है, वहाँ जेवीसी तब तक उसी योजना के अनुसार हवाई अड्डे का विकास करेगी जब तक कि एक नया मास्टर प्लान अनुमोदित न हो जाए। यह स्पष्ट किया जाता है कि :
- (क) हवाई अड्डे पर सभी विकास कार्य (वैमानिक परिसंपत्तियाँ, गैर-वैमानिक परिसंपत्तियाँ, हस्तांतरणीय परिसंपत्तियाँ और गैर-हस्तांतरणीय परिसंपत्तियाँ) तत्कालीन लागू मास्टर प्लान के अनुसार ही होंगे,
 - (ख) ऐसा कोई भी विकास कार्य (वैमानिक परिसंपत्तियाँ, गैर-वैमानिक परिसंपत्तियाँ, हस्तांतरणीय परिसंपत्तियाँ या गैर-हस्तांतरणीय परिसंपत्तियाँ) करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसकी परिकल्पना मास्टर प्लान में न की गई हो, और
 - (ग) हवाई अड्डा, वैमानिक और गैर-वैमानिक विकास कार्यों, वैमानिक परिसंपत्तियों, गैर-वैमानिक परिसंपत्तियों, हस्तांतरणीय परिसंपत्तियों और गैर-हस्तांतरणीय परिसंपत्तियों सहित, हर समय तत्कालीन लागू मास्टर प्लान के अनुरूप रहेगा।
- 8.3.8 मास्टर प्लान में ट्रैफिक ट्रिगर पॉइंट या अन्य माध्यमों से जुड़ी अलग-अलग सुविधाओं (लक्ष्य) के निर्माण के लिए लक्ष्य तिथियों को शामिल किया जाएगा। जेवीसी यह सुनिश्चित करेगी कि इनमें से प्रत्येक लक्ष्य को पूरी तरह से और समय पर पूरा किया जाए। अनुच्छेद 8.2.2 के तहत पहले से कवर न किए गए मामलों की सीमा तक, यदि स्वीकृत मास्टर प्लान में निर्धारित कोई परियोजना निर्दिष्ट ट्रैफिक ट्रिगर या किसी अन्य ट्रिगर पर शुरू नहीं होती है और जेवीसी द्वारा भाविप्रा को कोई ऐसा स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है जो भाविप्रा को (उसके अपने विवेक पर) संतोषजनक लगे, तो भाविप्रा के पास जेवीसी पर परियोजना की देरी के प्रत्येक सप्ताह के लिए उसकी अनुमानित पूंजीगत लागत के 0.5% के बराबर परिनिर्धारित हर्जाना लगाने का अधिकार होगा। भाविप्रा के पास जेवीसी पर उसी दर से परिनिर्धारित हर्जाना लगाने का भी अधिकार होगा यदि परियोजना को पूरा करने की समय अवधि मास्टर प्लान में निर्धारित निर्माण अवधि से अधिक हो जाती है—बशर्ते कि यह देरी परियोजना शुरू होने में हुई देरी के कारण न हो, जिसके लिए जेवीसी द्वारा भाविप्रा को पहले ही हर्जाने का भुगतान किया जा चुका है। हालाँकि शर्त यह है कि यदि किसी परियोजना के शुरू होने में देरी होती है और उस देरी के संबंध में हर्जाने का भुगतान कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद वह संबंधित परियोजना मास्टर प्लान में निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी हो जाती है, तो शुरू होने में हुई देरी के लिए प्राप्त किया गया हर्जाना भाविप्रा द्वारा जेवीसी को बिना किसी ब्याज के वापस कर दिया जाएगा। आगे शर्त यह भी है कि किसी विशेष परियोजना में देरी के लिए इस अनुच्छेद 8.3.8 के तहत जेवीसी की कुल देनदारी उस संबंधित परियोजना की पूंजीगत लागत के 10% से अधिक नहीं होगी।

8.4 प्रमुख विकास योजना

- 8.4.1 जेवीसी, मास्टर प्लान के अनुसार ही हवाई अड्डे का विकास करेगी। जेवीसी को प्रत्येक बड़े विकास या ऐसे किसी भी विकास कार्य के लिए एक प्रमुख विकास योजना तैयार करनी होगी, जिसकी अनुमानित पूंजीगत लागत ₹100,00,00,000/- (रुपये एक सौ करोड़ मात्र) से अधिक होने की उम्मीद है और जेवीसी यह सुनिश्चित करेगी कि

ऐसा प्रत्येक बड़ा विकास कार्य प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए ठेकेदारों द्वारा ही कराया जाए। प्रमुख विकास योजना का अंतिम रूप से स्वीकृत मास्टर प्लान के अनुसार होना आवश्यक है और वैमानिक विकास के मामलों में, हवाई अड्डे के उपयोगकर्ताओं के साथ पूर्ण परामर्श किया जाना चाहिए।

- 8.4.2 जेवीसी, इसके द्वारा प्रत्येक प्रमुख विकास योजना को भाविप्रा को उसकी जानकारी के लिए और नागर विमानन मंत्रालय को उसकी समीक्षा और टिप्पणियों के लिए प्रस्तुत करने पर सहमति व्यक्त करती है। प्रमुख विकास योजना तैयार होते ही समीक्षा और टिप्पणियों के लिए नागर विमानन मंत्रालय को सौंपा जाना अनिवार्य है।

हालाँकि शर्त यह है कि, इस अनुबंध के अनुच्छेद 3 में दी गई किसी भी बात के बावजूद, जेवीसी हवाई अड्डे पर (i) टर्मिनल भवनों और (ii) समानांतर रनवे (यदि संभव हो) के डिज़ाइन, विकास और निर्माण से संबंधित प्रमुख विकास योजना (योजनाओं) को इसकी तिथि से छह (6) महीने के भीतर प्रस्तुत करेगा।

8.5 हवाई अड्डे पर सुविधाओं और सेवाओं का प्रावधान

8.5.1 आवश्यक सेवाएं और वैमानिकी सेवाएं

जेवीसी पूरी अवधि के दौरान हवाई अड्डे पर हर समय वैमानिकी सेवाएं, गैर-वैमानिकी सेवाएं और आवश्यक सेवाएं प्रदान करेगी।

8.5.2 वीआईपी लाउंज

जेवीसी, हवाई अड्डे पर हर समय भारत सरकार/ भाविप्रा द्वारा समय-समय पर प्रदान की गई सूची के अनुसार भारत सरकार और भाविप्रा के निर्दिष्ट अतिथियों एवं कर्मियों के उपयोग और आराम के लिए एक सरकारी वीआईपी लाउंज (निःशुल्क) उपलब्ध कराएगी और उसका रखरखाव करेगी। इसके अलावा, जेवीसी शिष्टाचार और प्रोटोकॉल के मौजूदा सिद्धांतों का पालन करते हुए हवाई अड्डे पर एक सेरेमोनियल लाउंज भी (निःशुल्क) उपलब्ध कराएगी और उसका रखरखाव करेगी।

8.5.3 भारतीय रक्षा बल और सैन्य गतिविधियां

जेवीसी इसके द्वारा यह वचन देती है और सहमति व्यक्त करती है कि भारतीय रक्षा बलों को हर समय हवाई अड्डे और उसकी सभी सुविधाओं का उपयोग करने का अधिकार होगा, जो पूरी तरह से निःशुल्क होगा और उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध या बाधा नहीं होगी। पूर्वाग्रह के बिना, आपातकाल के समय हवाई क्षेत्र के आवंटन और बंद करने तथा रनवे के उपयोग के संबंध में भारतीय रक्षा बलों के प्रति जेवीसी के दायित्व वही होंगे जो भारत सरकार द्वारा समय-समय पर तय किए जाएंगे, वहीं आपातकाल के अलावा अन्य समय में हवाई क्षेत्र के आवंटन, बंद करने और रनवे के उपयोग के संबंध में जेवीसी के दायित्व जेवीसी और भारत सरकार के बीच आपसी परामर्श (यदि कोई हो) के अधीन होंगे तथा भारत सरकार के मौजूदा सिद्धांतों और प्रचालन प्रक्रियाओं के अनुसार होंगे और इसके लिए जेवीसी को कोई संबंधित मुआवजा नहीं दिया जाएगा। हालाँकि शर्त यह है कि हवाई क्षेत्र आवंटन और रनवे उपयोग के भारतीय रक्षा बलों के अधिकार को भारत सरकार द्वारा अधिसूचना या परामर्श की कमी या देरी के आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। आगे शर्त यह भी है कि जेवीसी को नागरिक विमानों को वैमानिकी सेवाएं प्रदान करने के अपने दायित्वों और उससे संबंधित अन्य दायित्वों से उस सीमा तक छूट मिलेगी, जिस सीमा तक ऐसे दायित्व भारतीय रक्षा बलों द्वारा हवाई अड्डे के आपातकालीन, असाधारण या असामान्य उपयोग से प्रभावित होते हैं।

8.5.4 स्लॉट

जेवीसी, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, दोनों प्रकार के यातायात के लिए हवाई अड्डे पर विमानों की लैंडिंग और समय सारणी स्लॉट के प्रबंधन और आवंटन के लिए ज़िम्मेदार है। जेवीसी एयरलाइंस के परामर्श से, समय-समय पर जारी और अपडेट की गई आईएटीए स्लॉट आवंटन दिशानिर्देशों के अनुसार निष्पक्ष, उचित और न्यायसंगत तरीके से हवाई अड्डे पर स्लॉट आवंटित करेगी।

8.5.5 पहुँच

इस समझौते के प्रावधानों और बीसीएस के दिशानिर्देशों के अधीन, जेवीसी को हवाई अड्डे के स्थल के सभी हिस्सों में ऐसी संस्थाओं को प्रवेश का अधिकार देने का हक होगा जैसा वह निर्धारित करेगी।

8.5.6 बीमा

(i) अवधि के दौरान बीमा

अवधि के दौरान, जेवीसी अपने खर्च पर हर समय अनुसूची 11 में निर्धारित बीमा, वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत आवश्यक बीमा और ऐसे अतिरिक्त बीमा, जो उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुसार उचित या विवेकपूर्ण समझे जाएं, करवाएंगी और उन्हें बनाए रखेगी। इस प्रकार प्राप्त की गई बीमा पॉलिसियों में भाविप्रा का सह-बीमाधारक के रूप में उल्लेख किया जाएगा।

(ii) पॉलिसी

अनुच्छेद 8.5.6(i) के तहत प्राप्त और बनाए रखी जाने वाली आवश्यक बीमा पॉलिसियों के संबंध में, कोई भी बीमा पॉलिसी प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पंद्रह (15) दिनों के भीतर, जेवीसी ऐसे पॉलिसी प्रमाणपत्रों की प्रतियां, बीमा पॉलिसियों की प्रतियां और इस बात का प्रमाण कि ऐसे बीमा के प्रीमियम का भुगतान कर दिया गया है, भाविप्रा को प्रस्तुत करेगी। जेवीसी द्वारा भाविप्रा को रद्द करने, संशोधन या गैर-नवीनीकरण का कम से कम पैंतालीस (45) दिनों का नोटिस प्रदान किए जाने तक किसी भी बीमा को रद्द, संशोधित या समाप्त/लैप्स नहीं होने दिया जाएगा।

(iii) बीमा कराने में विफलता का उपाय

यदि जेवीसी इसके अनुसार अपनी ज़िम्मेदारी वाले सभी बीमों को कराने और उन्हें लागू रखने में विफल रहती है, तो भाविप्रा के पास ऐसे किसी भी बीमा को जारी रखने, उसका प्रीमियम भरने और उसकी लागत जेवीसी से वसूलने का विकल्प होगा।

(iv) बीमा राशि प्राप्तियों का उपयोग

एस्क्रो समझौते के अधीन, जेवीसी द्वारा प्राप्त सभी बीमा दावों का उपयोग हवाई अड्डे के पुनर्निर्माण के लिए किया जाएगा; सिवाय (i) भौतिक क्षति से असंबंधित बीमा राशि; और (ii) व्यावसायिक रुकावट, लाभ के नुकसान या शुरुआत में देरी से संबंधित बीमा राशि के।

बीमा राशि के उपयोग पर लगे प्रतिबंधों के अधीन, ऋणदाता ऐसी सभी बीमा पॉलिसियों के तहत हानि प्राप्तकर्ता हो सकते हैं।

8.5.7. संविदाएं, पट्टे और लाइसेंस

(i) उप-संविदा, उप-पट्टा और लाइसेंसिंग

(क) जेवीसी द्वारा किसी भी गतिविधि की उप-संविदा की जा सकती है, बशर्ते उप-संविदा के बावजूद, जेवीसी उप-संविदा की गई हवाई अड्डा सेवा के संबंध में समग्र प्रबंधन, जिम्मेदारी, दायित्व और देनदारी अपने पास बनाए रखेगी। ऐसी किसी भी उप-संविदा से जेवीसी इस समझौते के तहत ऐसी हवाई अड्डा सेवाएं प्रदान करने से संबंधित अपने किसी भी दायित्व से मुक्त नहीं होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि जेवीसी किसी भी उप-संविदाकार के किसी भी कार्य, चूक या डिफ़ॉल्ट के लिए उत्तरदायी और जिम्मेदार रहेगी और इसके संबंध में भाविप्रा की क्षतिपूर्ति करेगी। बशर्ते कि विदेशी जनशक्ति या सामग्री शामिल करने वाली किसी भी उप-संविदा को भारत सरकार की राजनीतिक संवेदनशीलता के अधीन होना होगा।

- (ख) भाविप्रा एतद्वारा इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन के उद्देश्य से हवाई अड्डा स्थल के किसी भी हिस्से (लेकिन संपूर्ण नहीं) को तीसरे पक्षों को उप-पट्टे पर देने और लाइसेंस देने के जेवीसी के अधिकार को मान्यता देता है।
- (ग) संविदाएं करने या कोई उप-पट्टा या लाइसेंस देने से पहले, जेवीसी:
- (कक) लागू कानूनों का पालन करेगी, जिसमें बिना किसी सीमा के (जहां लागू हो) सार्वजनिक कार्यों की रियायतों के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी बोली की प्रक्रियाएं शामिल हैं; और किसी भी मामले में ऐसी हर संविदा जिसका मूल्य 50,00,00,000/- रुपये (केवल पचास करोड़ रुपये) से अधिक है, जेवीसी यह सुनिश्चित करेगी कि दूसरे पक्ष का चयन एक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से ही किया जाए; और
- (खख) प्रत्येक संविदा के दूसरे पक्ष या पक्षों, उप-पट्टेदार या लाइसेंसधारी (जैसा भी मामला हो) और उनके शेयरहोल्डिंग पैटर्न के बारे में भाविप्रा को सूचित करेगी।
- (घ) पूर्वगामी प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जेवीसी द्वारा की गई प्रत्येक संविदा स्वतंत्र और निष्पक्ष आधार पर होगी (और अनुसूची 12 में निर्धारित संविदा प्रक्रियाओं का पालन करेगी), और इसमें एक स्पष्ट प्रावधान शामिल होगा जो इस समझौते की समाप्ति या समाप्ति की अवधि पूर्ण होने की स्थिति में ऐसी संविदा के तहत जेवीसी के अधिकारों और दायित्वों को भाविप्रा को स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। जेवीसी द्वारा की गई प्रत्येक संविदा (किसी भी उप-पट्टा या लाइसेंस व्यवस्था सहित) में एक स्पष्ट प्रावधान शामिल होगा जो भाविप्रा के हस्तांतरणीय परिसंपत्तियों और गैर-हस्तांतरणीय परिसंपत्तियों (अंतर्निहित भूमि के पुनरावर्तन सहित) को यहाँ दिए गए तरीके से अधिग्रहित करने के अधिकार को मान्यता देता है और इसमें दूसरे पक्ष/पक्षों, लाइसेंसधारी/उप-पट्टेदारों या संबंधित परिसंपत्ति के मालिकों (जैसा भी मामला हो) द्वारा एक वचनबद्धता शामिल होगी कि भाविप्रा द्वारा ऐसे अधिकार का प्रयोग किए जाने पर संबंधित हस्तांतरणीय परिसंपत्ति और/या गैर-हस्तांतरणीय परिसंपत्ति (अंतर्निहित भूमि के पुनरावर्तन सहित) को स्थानांतरित किया जाएगा। जेवीसी आगे यह भी सुनिश्चित करेगी कि किसी भी दूसरे पक्ष/पक्षों, लाइसेंसधारियों/उप-पट्टेदारों द्वारा की गई और किसी हस्तांतरणीय परिसंपत्ति और/या गैर-हस्तांतरणीय परिसंपत्ति से संबंधित कोई भी संविदा यहाँ दिए गए तरीके से हस्तांतरणीय परिसंपत्तियों और गैर-हस्तांतरणीय परिसंपत्तियों को अधिग्रहित करने के भाविप्रा के अधिकार को मान्यता देगी और इसमें दूसरे पक्ष/पक्षों, उप-लाइसेंसधारी, उप-उप-पट्टेदारों (जैसा भी मामला हो) द्वारा भाविप्रा द्वारा ऐसे अधिकार का प्रयोग किए जाने पर संबंधित हस्तांतरणीय परिसंपत्ति और/या गैर-हस्तांतरणीय परिसंपत्ति को स्थानांतरित करने की वचनबद्धता शामिल होगी।
- (ङ) जेवीसी यह सुनिश्चित करेगी कि हवाई अड्डे के संबंध में दी गई कोई भी उप-संविदा, लाइसेंस या उप-पट्टा प्रभावी तिथि की तीसवीं (30वीं) वर्षगांठ पर समाप्त हो जाए। जेवीसी आगे यह भी सुनिश्चित करेगी कि किसी भी दूसरे पक्ष/पक्षों, लाइसेंसधारियों/उप-पट्टेदारों द्वारा की गई और हवाई अड्डे से संबंधित कोई भी संविदा भी प्रभावी तिथि की तीसवीं (30वीं) वर्षगांठ पर ही समाप्त हो।
- (च) जेवीसी अपनी किसी समूह संस्था या अपने किसी शेयरधारक (भाविप्रा को छोड़कर) के साथ कोई संविदा करने या उसमें संशोधन करने से पहले, भाविप्रा को ऐसी संविदा की मुख्य शर्तों के बारे में सूचित करेगी और भाविप्रा के समक्ष प्रारूप संविदा को प्रकट करेगी। ऐसी संविदाओं के संबंध में, भाविप्रा को ऐसी किसी भी मुख्य शर्त पर आपत्ति जताने का अधिकार होगा जिसके बारे में वह तर्कसंगत रूप से यह साबित कर सकती है कि वह न्यायसंगत नहीं है, इस समझौते के की भावना के असंगत या प्रतिकूल है, या स्वतंत्र और निष्पक्ष आधार पर नहीं है; और जेवीसी ऐसी संविदाओं के निष्पादन से पहले भाविप्रा की तर्कसंगत चिंताओं का समाधान करेगी। जेवीसी आगे यह सुनिश्चित करेगी कि जेवीसी की किसी समूह संस्था या उसके किसी शेयरधारक (भाविप्रा को छोड़कर) के साथ कोई भी संविदा केवल तभी की जाएगी जब जेवीसी का निदेशक मंडल ("बोर्ड") स्वयं ऐसी संविदा को विधिवत मंजूरी दे दे और इसे बोर्ड की किसी उप-समिति द्वारा या किसी भी व्यक्ति को सौंपकर मंजूर न किया गया हो। बोर्ड के पास ऐसी संविदाओं के नियमों और शर्तों पर विचार करने और टिप्पणी करने तथा उसमें संशोधनों का सुझाव देने का अधिकार होगा। बोर्ड स्वतंत्र अभियंता से संविदा की शर्तों पर एक रिपोर्ट मांगने का हकदार होगा। बोर्ड ऐसी किसी भी संविदा को केवल तभी मंजूरी देगा जब वह संतुष्ट हो कि उसकी शर्तें जेवीसी के लिए उससे कम

अनुकूल नहीं हैं जो स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यावसायिक आधार पर वास्तविक गैर-समूह संस्थाओं/गैर-शेयरधारकों से प्राप्त की जा सकती थीं। इस धारा के तहत बोर्ड के अधिकारों और दायित्वों को प्रभावी तिथि से पहले जेवीसी के आंतरिक नियमावली में शामिल किया जाएगा।

(ii) प्रबंधन और नियंत्रण

(क) ऊपर अनुच्छेद 8.5.7 (i) में किसी भी बात के होते हुए भी, किसी भी परिस्थिति में जेवीसी हवाई अड्डे के समग्र प्रचालन और प्रबंधन का उप-अनुबंध नहीं करेगी और गतिविधियों और/या सेवाओं के किसी भी उप-अनुबंध के बावजूद, जेवीसी हर समय अपने वरिष्ठ प्रबंधन कर्मचारियों के माध्यम से हवाई अड्डे के समग्र प्रबंधन नियंत्रण और पर्यवेक्षण का प्रयोग करेगी और इसके लिए जिम्मेदार होगी।

जेवीसी आगे किसी भी परिस्थिति में संपूर्ण हवाई अड्डा स्थल को उप-पट्टे या लाइसेंस पर नहीं देगी।

(ख) जेवीसी उप-संविदाएं देने के लिए निष्पक्ष, तर्कसंगत और वस्तुनिष्ठ मानदंड स्थापित करेगी। किसी भी संस्था को कोई भी उप-संविदा देने और यह निर्धारित करने में कि वह उप-संविदा दी जाए या नहीं तथा ऐसे किसी भी अधिकार में संशोधन करने, छूट देने, समाप्त करने या विस्तारित करने का निर्णय लेने में, जेवीसी लगातार ऐसे मानदंडों का पालन करेगी और उन्हें लागू करेगी।

(ग) (i) इसके अन्य प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जेवीसी यह सुनिश्चित करेगी कि प्रभावी तिथि से छह (6) महीनों के भीतर, हवाई अड्डे पर कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए कम से कम दो असंबंधित (गैर समूह) संस्थाएं (जिनमें से एक जेवीसी हो सकती है) जिम्मेदार हों, ताकि एकाधिकार या एकाधिकारवादी व्यवस्था का निर्माण न हो, और एक उप-संविदाकार के साथ किसी अन्य उप-संविदाकार की तुलना में अनुचित भेदभाव न किया जाए। जब तक कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए यह व्यवस्था लागू नहीं हो जाती, तब तक जेवीसी यह सुनिश्चित करेगी कि भाविप्रा द्वारा लागू किए जाने वाले तत्कालीन कार्गो शुल्क ही हवाई अड्डे पर वसूले जाएं।

(ii) जेवीसी लागू कानून के अनुसार ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगी।

(घ) न तो जेवीसी और न ही कोई उप-संविदाकार :

(i) हवाई अड्डे पर अपने द्वारा संचालित किसी भी गतिविधि के संबंध में, ऐसी कोई व्यापारिक प्रथा या मूल्य निर्धारण नीति अपनाएगा, जो हवाई अड्डे के उपयोगकर्ताओं के किसी भी वर्ग या किसी विशेष उपयोगकर्ता के साथ अनुचित रूप से भेदभाव करती हो, या जो आमतौर पर हवाई अड्डे के उपयोगकर्ताओं के संबंध में अपनी सौदेबाजी की स्थिति का अनुचित लाभ उठाती हो या जो सीधे किसी अन्य संस्था द्वारा ऐसी प्रथा अपनाए जाने का कारण बनती हो जिसका समान प्रभाव पड़ता हो।

(ii) कोई भी उप-संविदा देने के संबंध में, ऐसी कोई प्रथा अपनाएगा जो:

(कक) ऐसे किसी भी वर्ग के अधिकार प्राप्त करने वाली संस्थाओं, या किसी अधिकार के विशेष प्राप्तकर्ता के साथ अनुचित रूप से भेदभाव करती हो, या सामान्य रूप से ऐसे अधिकारों के प्राप्तकर्ताओं के संबंध में अपनी सौदेबाजी की स्थिति का अनुचित लाभ उठाती हो; या

(खख) ऐसे अधिकारों के लिए आवेदन करने वाली संस्थाओं के किसी भी वर्ग या किसी विशेष आवेदक के साथ अनुचित रूप से भेदभाव करती हो, या किसी विशेष

सेवाओं या सुविधाओं के मामले में दिए जाने वाले ऐसे अधिकारों की संख्या को अनुचित रूप से सीमित करती हो।
या जो सीधे किसी अन्य संस्था द्वारा ऐसी प्रथा अपनाए जाने का कारण बनती हो, जिसका समान प्रभाव पड़ता हो।

एतद्वारा यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जाता है और सहमति व्यक्त की जाती है कि इस उप-खंड (घ) के प्रावधानों का उपयोग या अर्थ किसी भी तरह से उच्च-मात्रा वाले उपयोगकर्ताओं और अन्य मूल्यवान ग्राहकों के लिए छूट या अनुकूलित पैकेज या अन्य प्रोत्साहन पैकेज पेश करने की जेवीसी की क्षमता को सीमित करने या प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के लिए नहीं किया जाएगा, जैसा कि यहाँ हवाई अड्डे और अन्य हवाई अड्डा सेवाओं के रखरखाव, प्रबंधन और प्रचालन के सामान्य व्यावसायिक क्रम में सामान्य और प्रथागत है।

8.5.8. स्वतंत्र अभियंता

(i) स्वतंत्र अभियंता की नियुक्ति

- (क) हवाई अड्डा विकास के संबंध में नियोजन स्वीकृतियों और मानकों के अनुपालन को निर्धारित और सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तथा इसमें दी गई अनुसूची 21 में उल्लिखित कर्तव्यों का पालन करने के लिए स्वतंत्र अभियंता की एक प्रतिष्ठित संस्था को नियुक्त किया जाएगा।
- (ख) स्वतंत्र अभियंता की नियुक्ति की प्रक्रिया इस प्रकार होगी:

भाविप्रा इस कार्य की आवश्यकताओं से सीधे, संबंधित हवाई अड्डा विकास पर्यवेक्षण में विशेषज्ञता रखने वाले छह (6) अभियंताओं के एक पैनल को नामित करेगा, जिनका जेवीसी के साथ कोई हित-संघर्ष न हो। जेवीसी को ऐसे नामांकित व्यक्तियों में से एक या अधिक पर आपत्ति जताने का अधिकार होगा लेकिन किसी भी परिस्थिति में तीन (3) से अधिक नामांकित व्यक्तियों पर आपत्ति नहीं जताई जा सकेगी। भाविप्रा ऐसे नामांकित व्यक्तियों में से किसी एक को, जिस पर जेवीसी ने आपत्ति नहीं जताई है, स्वतंत्र अभियंता के रूप में नियुक्त करेगा।

- (ग) भाविप्रा और जेवीसी, स्वतंत्र अभियंता की नियुक्ति से जुड़ी लागतों सहित, उसके सभी खर्चों को समान रूप से वहन करेंगे।

- (ii) इसमें अंतर्निहित विवाद निवारण तंत्र के अधीन, जहाँ कोई तकनीकी मुद्दा उठता है जिस पर दोनों पक्षों की राय अलग है, तो कोई भी पक्ष प्रक्रिया की समीक्षा के लिए उपयुक्त तकनीकी विशेषज्ञों को उसी प्रकार नामित कर सकता है जैसे स्वतंत्र अभियंता की नियुक्ति की जाती है और दूसरा पक्ष इनमें से एक विशेषज्ञ का चयन करता है। प्रत्येक पक्ष संबंधित मुद्दे पर विशेषज्ञ को लिखित रूप में विवरण प्रस्तुत करेगा और उस विवरण की एक प्रति दूसरे पक्ष को भी प्रदान करेगा। दोनों पक्ष मामले की समीक्षा करने और उस पर रिपोर्ट देने की समय सीमा के संबंध में विशेषज्ञ के साथ सहमति बनाएंगे। समीक्षा की लागत दोनों पक्षों द्वारा समान रूप से वहन की जाएगी।

8.5.9. ओएमडीए कार्यान्वयन निरीक्षण समिति

अनुच्छेद 3 में किसी भी बात के होते हुए भी, इस समझौते के तहत अपने दायित्वों का पालन करने के उद्देश्य से, भाविप्रा इसके निष्पादन के तीस (30) दिनों के भीतर नागर विमानन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में और नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्धारित अन्य सदस्यों को मिलाकर एक अलग समर्पित इकाई ("ओएमडीए कार्यान्वयन निरीक्षण समिति" या "ओआईओसी") का गठन करेगा। ओआईओसी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी कि इस समझौते के तहत परिकल्पित पूर्व-शर्तें विधिवत पूरी/संपन्न हों और यह समझौता अनुच्छेद 3 के तहत

दिए गए प्रावधानों के अनुसार तीन (3) महीनों के भीतर पूरी तरह से प्रभावी हो जाए। इसके अलावा, ओआईओसी इस समझौते से संबंधित सभी मामलों के लिए जेवीसी के लिए 'एकल संपर्क बिंदु' होगी। ओआईओसी जेवीसी के प्रतिनिधियों के साथ आवश्यकतानुसार अक्सर बैठकें करेगी और उभरते मुद्दों एवं चिंताओं की संयुक्त समीक्षा करेगी तथा हवाई अड्डे के विकास पर नज़र बनाए रखेगी।

8.5.10. पर्यावरण लेखापरीक्षा और रिपोर्ट

- (i) जेवीसी, प्रभावी तिथि के छह महीने के भीतर यह सुनिश्चित करेगी कि एक स्वतंत्र विशेषज्ञ, हवाई अड्डे की पूर्ण पर्यावरण लेखापरीक्षा (पर्यावरण ऑडिट) करे और ऐसी लेखापरीक्षा की एक प्रति भाविप्रा को प्रदान करे।
- (ii) पर्यावरण लेखापरीक्षा से प्राप्त जानकारी के आधार पर, जेवीसी अगले छह महीने के भीतर हवाई अड्डे के लिए एक पर्यावरण प्रबंधन रणनीति तैयार करेगी, जो हवाई अड्डे की पर्यावरणीय स्थिति को प्रबंधित करने के लिए रणनीतियों व कार्रवाइयों को निर्धारित करेगी और एक पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम तैयार करेगी जो समय के साथ हवाई अड्डे की पर्यावरणीय स्थिति का आकलन करेगा।
- (iii) जेवीसी पर्यावरण प्रबंधन रणनीति के तहत प्रगति की वार्षिक समीक्षा करेगी और समय-समय पर उक्त पर्यावरण प्रबंधन रणनीति को अद्यतन करेगी। जेवीसी पर्यावरण प्रबंधन रणनीति के तहत प्रगति के संबंध में भाविप्रा को वार्षिक रिपोर्ट प्रदान करेगी।
- (iv) इस समझौते की समाप्ति से पहले, जेवीसी यह सुनिश्चित करेगी कि एक स्वतंत्र विशेषज्ञ, हवाई अड्डे की एक और पर्यावरण लेखापरीक्षा करे। जेवीसी यह सुनिश्चित करेगी कि समाप्ति के समय हवाई अड्डे की पर्यावरणीय स्थिति सभी वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं को पूरा करती हो।
- (v) ऊपर उप-पैराग्राफ (i) और (iv) में उल्लिखित हवाई अड्डे की पर्यावरण लेखापरीक्षा करने वाले स्वतंत्र विशेषज्ञ की नियुक्ति निम्नलिखित तरीके से की जाएगी:
 - (ए) जेवीसी, पर्यावरण लेखापरीक्षा करने के लिए उचित अनुभव और योग्यता रखने वाली एक या अधिक संस्थाओं को नामित करेगी और भाविप्रा के अनुमोदन के लिए उक्त विशेषज्ञ के विचारार्थ विषयों के साथ प्रस्तावित स्वतंत्र विशेषज्ञ के बारे में भाविप्रा को अधिसूचित करेगी। पक्ष एतद्वारा स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त करते हैं कि पर्यावरण लेखापरीक्षा शुरू करने से पहले, स्वतंत्र विशेषज्ञ और लेखापरीक्षा के विचारार्थ विषयों को भाविप्रा द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
- (vi) जेवीसी और भाविप्रा स्वतंत्र विशेषज्ञ की नियुक्ति से जुड़ी लागतों सहित उसके सभी खर्चों को संयुक्त रूप से वहन करेंगे।

8.5.11. शिकायत रजिस्टर

- (i) जेवीसी हवाई अड्डे पर एक जनसंपर्क कार्यालय बनाए रखेगी, जहाँ वह एक रजिस्टर ("शिकायत रजिस्टर") रखेगी, जिसमें किसी भी व्यक्ति ("शिकायतकर्ता") द्वारा शिकायत दर्ज करने के लिए हर समय पहुँच उपलब्ध होगी। शिकायत दर्ज होने के तुरंत बाद, जेवीसी शिकायतकर्ता को तारीख और शिकायत संख्या का उल्लेख करते हुए एक रसीद देगी। शिकायत दर्ज होने के 30 दिनों के बाद भी अनसुलझी रहने वाली किसी भी शिकायत का विवरण तुरंत जेवीसी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा (शिकायतकर्ता के नाम या व्यक्तिगत विवरण को उजागर किए बिना)।
- (ii) शिकायत रजिस्टर या तो हार्ड कॉपी रूप में हो सकता है या इलेक्ट्रॉनिक रूप में। इसमें उचित कॉलम होंगे जिनमें शिकायत संख्या, तारीख, शिकायतकर्ता का नाम और पता, शिकायत का सार और जेवीसी द्वारा की

गई कार्रवाई शामिल होगी। शिकायत रजिस्टर की उपलब्धता और उस तक पहुँच से संबंधित जानकारी जेवीसी द्वारा हवाई अड्डे पर प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी।

- (iii) जेवीसी प्रतिदिन शिकायत रजिस्टर का निरीक्षण करेगी और प्रत्येक शिकायत के निवारण के लिए त्वरित और तर्कसंगत कार्रवाई करेगी। की गई कार्रवाई को संक्षेप में शिकायत रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और उसका विवरण देते हुए एक उत्तर, जेवीसी द्वारा शिकायतकर्ता को सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग के तहत या फैक्स के माध्यम से, ट्रांसमिशन की पुष्टि के साथ, भेजा जाएगा।
- (iv) जहाँ तक किसी शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायतें आरक्षित गतिविधियों, किसी एयरलाइन या किसी अन्य संस्था के प्रदर्शन या प्रचालन से संबंधित हैं, जेवीसी तुरंत संबंधित प्राधिकरण, एयरलाइन या ऐसी संस्था को इसके बारे में सूचित करेगी।
- (v) इस अनुच्छेद 8.5.11 द्वारा परिकल्पित नोटिस, रिकॉर्ड-कीपिंग या पंजीकरण का कोई भी माध्यम, तुलनीय या बेहतर सटीकता और विश्वसनीयता की किसी भी अधिक-कुशल या प्रभावी स्वचालित या आधुनिक प्रणालियों, प्रौद्योगिकियों या विधियों द्वारा पूरा या कार्यान्वित किया जा सकता है।

8.6 निष्पादन बंधपत्र (बॉन्ड)

- (क) जेवीसी प्रभावी तिथि के बाद के पहले पाँच (5) वर्षों के लिए भारत के किसी प्रतिष्ठित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से बैंक गारंटी के रूप में रु. 500,00,00,000/- (रुपये पाँच सौ करोड़) की एक बार में न्यूनतम 12 महीने की वैधता वाला निष्पादन बंधपत्र प्रस्तुत करेगी (यह राशि प्रभावी तिथि की पहली वर्षगांठ के बाद वार्षिक रूप से मुद्रास्फीति की दर से बढ़ेगी)।
- (ख) निष्पादन बंधपत्र प्रस्तुत करने पर, भाविप्रा बोली बंध पत्र (बीड बॉन्ड) वापस/मुक्त कर देगा। निष्पादन बंधपत्र को समय-समय पर नवीनीकृत किया जाएगा और इसकी समाप्ति से तीन (3) महीने पहले प्रभावी तिथि के पाँच (5) वर्ष पूरे होने तक की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाएगा।
- (ग) निष्पादन बंधपत्र को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित स्थितियों में भुनाया जा सकेगा:
 - (i) तय समय सीमा के भीतर अनिवार्य पूंजीगत परियोजनाओं को पूरा न करना।
 - (ii) इसकी शर्तों के अनुसार रोज़गार के प्रस्ताव देने में विफल रहना,
 - (iii) इसकी शर्तों के अनुसार विकास मानकों और आवश्यकताओं, वस्तुनिष्ठ सेवा गुणवत्ता आवश्यकताओं तथा व्यक्तिपरक सेवा गुणवत्ता आवश्यकताओं का पालन न करना,
 - (iv) इस समझौते में निर्धारित शर्तों के अनुसार पर्याप्त बीमा प्रदान करने में विफल रहना (उन मामलों को छोड़कर जहाँ ऐसा बीमा भाविप्रा द्वारा प्राप्त किया गया हो और जिसकी लागत की भरपाई भाविप्रा को कर दी गई हो),
 - (v) इसके तहत देय और भुगतान योग्य होने की तिथि के बाद एक (1) महीने तक किसी भी परिनिर्धारित हज़ाने का भुगतान करने में विफल रहना; और
 - (vi) इस समझौते के तहत कोई अन्य गंभीर उल्लंघन या कार्य का निष्पादन न करना।
- (घ) इस अनुच्छेद 8.6 के उप-खंड (ग) के अनुसार यदि निष्पादन बंधपत्र के किसी भी हिस्से को भुनाया जाता है, तो ऐसे भुनाए जाने के तुरंत बाद, जेवीसी निष्पादन बंधपत्र की पुनः भरपाई करेगी। यदि निष्पादन बंधपत्र को भुनाए जाने के तीन (3) महीनों के भीतर उसकी पुनः भरपाई नहीं की जाती है, तो भाविप्रा के पास संपूर्ण निष्पादन बंधपत्र को भुनाने का अधिकार होगा। परंतु शर्त यह है कि भाविप्रा उसी चूक के लिए पुनः भरे गए निष्पादन बंधपत्र को दोबारा नहीं भुनाएगा, जिसके लिए निष्पादन बंधपत्र को पहले भुनाया जा चुका था।
- (ङ) निष्पादन बंधपत्र को भुनाने के आवाह में किसी भी देरी या आवाह न करने को उल्लंघन या चूक की अनदेखी/माफ़ी के रूप में, अथवा भविष्य में निष्पादन बंधपत्र का आवाह करने या भुनाने के अधिकार के परित्याग के रूप में नहीं माना जाएगा।

8.7 प्रमाणन

मास्टर प्लान के तहत निर्मित की जाने वाली अनिवार्य पूंजीगत परियोजनाओं और/या सुविधाओं के निर्माण प्रारंभ होने या उनके पूर्ण होने का कोई भी प्रमाणन, जो इस समझौते के तहत जेवीसी द्वारा अपने दायित्वों के अनुपालन का निर्धारण करने के लिए आवश्यक हो, स्वतंत्र अभियंता द्वारा किया जाएगा।

जेवीसी और/या भाविप्रा द्वारा ऐसा अनुरोध किए जाने के बाद, स्वतंत्र अभियंता जितना शीघ्र व्यावहारिक रूप से संभव हो, अपना प्रमाणन कार्य पूरा करने के लिए बाध्य होगा।

अध्याय IX
सेवा गुणवत्ता आवश्यकताएं और विकास मानक

- 9.1 पक्षकारों का यह आशय है कि जेवीसी, सुविधाओं की गुणवत्ता, हवाई अड्डा प्रबंधन और सभी हवाई अड्डा उपयोगकर्ताओं को प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के संदर्भ में, इस हवाई अड्डे को प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के विश्वस्तरीय मानक तक लाने और उस पर बनाए रखने के लिए इसका प्रचालन, रखरखाव, विकास, डिज़ाइन, निर्माण, उन्नयन, आधुनिकीकरण, वित्तपोषण और प्रबंधन करेगी। उपर्युक्त की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जेवीसी सेवा वितरण और प्रबंधन प्रणालियों के संबंध में प्रदर्शन की समीक्षा और मूल्यांकन हेतु तंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित कार्य करेगी।

9.1.1 आईएसओ 9001:2000 प्रमाणन:

- (क) अपेक्षा:
जेवीसी, प्रभावी तिथि से दो (2) वर्षों के भीतर हवाई अड्डे की वैमानिकी सेवाओं से संबंधित सभी सुविधाओं के लिए आईएसओ 9001:2000 प्रमाणन (या आईएसओ 9001:2000 प्रमाणन बंद होने की स्थिति में उपयुक्त वैकल्पिक प्रमाणन) प्राप्त करेगी और तत्पश्चात संपूर्ण अवधि के दौरान इसे बनाए रखेगी।
- (ख) रिपोर्ट:
जेवीसी, भाविप्रा को समयबद्ध तरीके से (समय पर) आईएसओ 9001:2000 प्रमाणन की एक प्रति प्रदान करेगी।
- (ग) चूक :
प्रभावी तिथि के दो (2) वर्ष समाप्त होने के बाद किसी भी समय, यदि हवाई अड्डे को आईएसओ 9001:2000 प्रमाणन प्राप्त नहीं होता है, तो जेवीसी 30 दिनों के भीतर एक कार्य योजना प्रस्तुत करेगी, जिसमें यह स्पष्ट किया जाएगा कि वह कमियों को कैसे दूर करेगी और इन पहलों को तत्काल लागू किया जाएगा।
- यदि जेवीसी 30 दिनों के भीतर ऐसी कार्य योजना प्रस्तुत करने में विफल रहती है या कार्य योजना प्रस्तुत करने की तिथि से अगले 6 महीनों तक हवाई अड्डा (या उसका कोई भाग) आईएसओ 9001:2000 प्रमाणन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है, अथवा प्रमाणन प्राप्त करने के बाद अवधि के दौरान किसी भी समय इसे बनाए रखने में विफल रहती है, तो जेवीसी इसके बाद प्रत्येक ऐसे महीने के लिए, जिसमें हवाई अड्डा स्थिति के अनुसार आईएसओ 9001:2000 प्रमाणन प्राप्त या बनाए नहीं रखती है, भाविप्रा को परिनिर्धारित हर्जाने के रूप में मासिक राजस्व (चूक से पूर्व) का 2.5% भुगतान करेगी; परंतु शर्त यह है कि इसके तहत देय कुल परिनिर्धारित हर्जाना मासिक राजस्व (चूक से पूर्व) के 15% से अधिक नहीं होगा।

9.1.2 वस्तुनिष्ठ सेवा गुणवत्ता आवश्यकताएं

- (क) आवश्यकता:
जेवीसी उसमें उल्लिखित समय सीमा के भीतर अनुसूची 3 में निर्धारित वस्तुनिष्ठ सेवा गुणवत्ता आवश्यकताओं को प्राप्त करेगी।
- (ख) रिपोर्ट:
जेवीसी त्रैमासिक आधार पर, अनुसूची 3 के अनुसार वस्तुनिष्ठ सेवा गुणवत्ता आवश्यकताओं के अनुपालन का मापन करेगी और भाविप्रा को समयबद्ध तरीके से अनुपालन रिपोर्ट प्रदान करेगी।
- (ग) चूक:
जिस समय से जेवीसी किसी विशिष्ट वस्तुनिष्ठ सेवा गुणवत्ता आवश्यकता को प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए बाध्य है, उसके बाद किसी भी समय, यदि ठीक अगली तिमाही रिपोर्ट यह दर्शाती है कि हवाई अड्डे (या उसके किसी भाग) का स्तर/रेटिंग संबंधित वस्तुनिष्ठ सेवा गुणवत्ता आवश्यकता से नीचे है, तो जेवीसी

अंतिम प्रस्तुत तिमाही रिपोर्ट के 30 दिनों के भीतर उस विशिष्ट वस्तुनिष्ठ सेवा गुणवत्ता आवश्यकता को प्राप्त करेगी।

यदि जेवीसी उपर्युक्त को प्राप्त करने में विफल रहती है, या यदि हवाई अड्डा (या उसका कोई भाग) अनुसूची 3 में उल्लिखित लक्ष्यों से नीचे प्रदर्शन करना जारी रखता है, तो जेवीसी ऐसे प्रत्येक प्रदर्शन क्षेत्र के लिए, जिसके मानक किसी भी वस्तुनिष्ठ सेवा गुणवत्ता आवश्यकता से नीचे रहते हैं, प्रत्येक महीने के लिए भाविप्रा को परिनिर्धारित हर्जाने के रूप में मासिक राजस्व (चूक से पूर्व) का 0.5% भुगतान करेगी; परंतु शर्त यह है कि इसके तहत देय कुल परिनिर्धारित हर्जाना मासिक राजस्व (चूक से पूर्व) के 1.5% से अधिक नहीं होगा।

9.1.3 विषयनिष्ठ सेवा गुणवत्ता आवश्यकताएं

(क) आवश्यकता:

- (i) जेवीसी, प्रभावी तिथि की पहली वर्षगांठ से शुरू करते हुए और उसके बाद प्रत्येक तिमाही में, आईएटीए/एसीआई आईटीआरए यात्री सर्वेक्षण में भाग लेगी।
- (ii) प्रारंभिक विकास योजना के चरण 1 और चरण 2 के कार्यान्वयन के दौरान, जैसा कि बाद में मास्टर प्लान में दर्शाया गया है, जेवीसी समय के साथ प्रदर्शन में निरंतर सुधार प्राप्त करने का प्रयास करेगी। यदि इस अवधि के दौरान किन्हीं दो लगातार सर्वेक्षणों के बीच प्रदर्शन में गिरावट आती है, तो जेवीसी इस गिरावट को सुधारने/उलटने के प्रयास हेतु एक पूरा स्पष्टीकरण और एक कार्य योजना प्रदान करेगी तथा इन पहलों को तत्काल लागू किया जाएगा।
- (iii) जेवीसी यह सुनिश्चित करेगी कि ऊपर संदर्भित चरण 2 के कार्यान्वयन के पूरा होने पर, जेवीसी आईएटीए/एसीआई आईटीआरए यात्री सर्वेक्षण में 3.75 या उससे अधिक की रेटिंग प्राप्त करे और संपूर्ण अवधि के दौरान इसे बनाए रखे।

(ख) रिपोर्ट:

प्रत्येक तिमाही आईएटीए/एसीआई आईटीआरए यात्री सर्वेक्षण के बाद, जेवीसी प्रत्येक सर्वेक्षण के परिणाम, उन परिणामों का अपना विश्लेषण तथा अनुसूची 4 में निर्धारित उपायों के संबंध में सुधार प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाने वाली किसी भी प्रस्तावित कार्रवाई का विवरण, भाविप्रा को समयबद्ध तरीके से प्रदान करेगी।

(ग) चूक

जेवीसी इसकी अवधि के दौरान हर समय आईएटीए/एसीआई आईटीआरए यात्री सर्वेक्षणों में हवाई अड्डे के प्रदर्शन में सुधार सुनिश्चित करने हेतु सर्वोत्तम प्रयास करेगा। चरण 1 के पूरा होने के बाद, हवाई अड्डे की लक्ष्य रेटिंग 3.5 होगी; परंतु शर्त यह है कि चरण 2 के पूरा होने के बाद, हवाई अड्डे की लक्ष्य रेटिंग 3.75 होगी। जैसा कि ऊपर उप-खंड (बी) के अनुसार रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है, चरण 1 के पूरा होने के बाद आईएटीए/एसीआई आईटीआरए यात्री सर्वेक्षणों में 3.5 की लक्ष्य रेटिंग और चरण 2 के पूरा होने के बाद 3.75 की लक्ष्य रेटिंग को इसके बाद "**लक्ष्य रेटिंग**" कहा गया है।

चरण 1 या चरण 2 के पूरा होने के बाद किसी भी समय, यदि दो लगातार तिमाही आईएटीए/एसीआई आईटीआरए यात्री सर्वेक्षण यह दर्शाते हैं कि हवाई अड्डे की रेटिंग लागू लक्ष्य रेटिंग से कम है, तो जेवीसी ऐसे प्रत्येक महीने के लिए, जिसमें मानक लक्ष्य रेटिंग से 0.1 अंक से अधिक नीचे रहते हैं, भाविप्रा को परिनिर्धारित हर्जाने के रूप में मासिक राजस्व (चूक से पूर्व) का 2.5% भुगतान करेगी और उन महीनों में, जिनमें मानक लक्ष्य रेटिंग से 0.1 अंक से कम नीचे रहते हैं, प्रत्येक महीने के लिए मासिक राजस्व (चूक से पूर्व) का 1.25% भुगतान करेगी; परंतु शर्त यह है कि इसके तहत निर्धारित हर्जाने के भुगतान की अधिकतम अवधि छह (6) महीनों से अधिक नहीं होगी।

9.1.4 विकास मानक और आवश्यकताएं

(क) आवश्यकता

पक्षकारों का आशय विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त एक विश्वस्तरीय हवाई अड्डा प्राप्त करना है। हवाई अड्डे का डिज़ाइन, निर्माण, आधुनिकीकरण, उन्नयन और प्रचालन (सभी अंतरण परिसंपत्तियों सहित) अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय मानकों तथा कानूनों में निर्धारित सभी उपयुक्त तकनीकी आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा और विशेष रूप से अनुसूची 1 में निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा।

(ख) रिपोर्ट

जेवीसी, किसी भी विकास योजना के अनुसार पूर्ण किए गए प्रत्येक विकास कार्य पर पूरी जानकारी और रिपोर्ट, तथा संपूर्ण हवाई अड्डे के लिए पूर्ण हो चुके या प्रगतिशील विकास कार्यों के संबंध में एवं विकास मानकों तथा आवश्यकताओं के प्रत्येक मापदंड के लिए पूर्ण किए गए प्रत्येक विकास कार्य हेतु प्राप्त परिणामों पर एक तिमाही रिपोर्ट भाविप्रा को समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराएगी।

(ग) चूक

- (i) यदि जेवीसी द्वारा प्रस्तुत ऐसी रिपोर्टों की समीक्षा और स्वतंत्र अभियंता द्वारा किए गए स्वतंत्र सत्यापन के बाद, स्वतंत्र अभियंता यह प्रमाणित करता है कि हवाई अड्डे (या उसके किसी भाग) पर प्रगतिशील कोई विशिष्ट विकास कार्य संबंधित विकास मानकों और आवश्यकताओं से नीचे है तथा भाविप्रा द्वारा जेवीसी को दी गई सूचना के पश्चात उस विकास कार्य के पूरा होने से पहले उसका निवारण/सुधार नहीं किया जाता है; या
- (ii) जेवीसी द्वारा प्रस्तुत किसी विकास कार्य की पूर्णता रिपोर्ट यह दर्शाती है कि हवाई अड्डे (या उसके किसी भाग) पर किया गया विकास कार्य संबंधित विकास मानक और आवश्यकता से नीचे है; या
- (iii) प्रगतिशील विभिन्न विकास कार्यों की लगातार दो तिमाही रिपोर्ट यह दर्शाती हैं कि हवाई अड्डे (या उसके किसी भाग) का स्तर संबंधित विकास मानक और आवश्यकता से नीचे है।

उपर्युक्त किसी भी चूक के संबंध में, जेवीसी ऐसे प्रत्येक महीने के लिए, जिसमें मानक, विकास मानकों और आवश्यकताओं में से किसी से भी नीचे रहते हैं, परिनिर्धारित हर्ज़ाने के रूप में भाविप्रा को मासिक राजस्व (चूक से पूर्व) का 2.5% भुगतान करेगी; परंतु शर्त यह है कि इसके तहत देय कुल परिनिर्धारित हर्ज़ाना मासिक राजस्व (चूक से पूर्व) के 15% से अधिक नहीं होगा।

- 9.1.5 यदि जेवीसी का यह मानना है कि अनुसूची 1, 2 या 3 में से किसी में भी उल्लिखित कुछ मापदंडों या लक्ष्यों को (प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों या व्यावसायिक पद्धतियों में परिवर्तनों के परिणामस्वरूप, जिससे मौजूदा मापदंड या लक्ष्य निष्प्रयोज्य हो जाते हैं) संशोधित या परिवर्तित किया जाना चाहिए, तो वह अपने प्रस्तावों का एक पूर्ण लिखित स्पष्टीकरण भाविप्रा को प्रदान करेगी, जो इसका मूल्यांकन करेगा और अंततः व्यक्तिगत रूप से यह निर्णय लेगा कि क्या कोई परिवर्तन किया जाना चाहिए।
- 9.1.6 यदि भाविप्रा का यह मानना है कि अनुसूची 1, 2 या 3 में से किसी में भी उल्लिखित कुछ मापदंडों या लक्ष्यों को किसी भी कारण से संशोधित या परिवर्तित किया जाना चाहिए, तो वह जेवीसी को अपने प्रस्तावों का एक पूर्ण लिखित स्पष्टीकरण प्रदान करेगा और पक्षकार यह निर्धारित करने के लिए परस्पर एक-दूसरे से परामर्श करेंगे कि क्या उक्त मापदंडों या लक्ष्यों में कोई परिवर्तन किया जाना चाहिए।

अध्याय X नगरानी एवं जानकारी

10.1 जेवीसी, भाविप्रा को नियमित आधार पर निम्नलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी:

- (क) मासिक गतिविधि रिपोर्ट (यात्री यातायात, विमान प्रचालन, कार्गो आदि)।
- (ख) एमओसीए, भाविप्रा, इकाओ, आईएटीए तथा संबंधित प्राधिकरणों द्वारा अपेक्षित अन्य प्रचालन संबंधी आँकड़े।
- (ग) इस समझौते में निर्दिष्ट कार्य-निष्पादन के मापन के विभिन्न संकेतकों से संबंधित रिपोर्ट।
- (घ) त्रैमासिक वित्तीय लेखे।
- (ङ) वार्षिक बजट।
- (च) अद्यतित व्यापार योजना।
- (छ) वार्षिक रखरखाव कार्यक्रम।
- (ज) यदि भाविप्रा द्वारा अपेक्षित हो, तो जेवीसी भाविप्रा को दैनिक यातायात अभिलेख उपलब्ध कराएगी।
- (झ) हवाई अड्डे के प्रचालन से संबंधित ऐसी अन्य रिपोर्ट/सूचना (या उसका विश्लेषण), जिसकी भाविप्रा समय-समय पर मांग कर सकता है।

10.2 अभिलेखों का रखरखाव

- (क) जेवीसी, लागू कानूनों और इस समझौते की अपेक्षाओं के अनुसार सटीक, अद्यतन एवं पूर्ण वित्तीय अभिलेखों का रखरखाव करेगी।
- (ख) जेवीसी, अपने स्वामित्व वाली अथवा अपने द्वारा संचालित परिसंपत्तियों के प्रचालन एवं रखरखाव तथा हवाई अड्डे के प्रचालन प्रदर्शन से संबंधित सटीक, अद्यतन एवं पूर्ण अभिलेखों का रखरखाव करेगी। ऐसी अपेक्षाओं में परिस्थितियों में हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए भाविप्रा द्वारा समय-समय पर युक्तिसंगत रूप से (किन्तु पूर्वव्यापी प्रभाव से नहीं) संशोधन किया जा सकता है।
- (ग) जेवीसी, भाविप्रा द्वारा उचित पूर्व सूचना दिए जाने पर तथा उचित समय पर, आर्टिकल 10 में उल्लिखित अभिलेखों को निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराएगी और यदि भाविप्रा द्वारा युक्तिसंगत रूप से अनुरोध किया जाए, तो उनकी प्रतियां भी उपलब्ध कराएगी। भाविप्रा ऐसे अभिलेखों की जाँच करने तथा उनकी प्रतियां लेने के लिए एक या अधिक अधिकृत प्रतिनिधियों की नियुक्ति करने का अधिकारी होगा। जेवीसी, भाविप्रा अथवा उसके किसी अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ऐसे अभिलेखों की जाँच के प्रयोजन से यथोचित रूप से अपेक्षित अतिरिक्त जानकारी, स्पष्टीकरण तथा अन्य सहायता भाविप्रा को उपलब्ध कराएगी।
- (घ) इस आर्टिकल के अनुसार रखे जाने वाले सभी अभिलेख संबंधित अभिलेख के सृजन की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि तक अथवा इस अवधि की समाप्ति या इस समझौते की अवधि की समाप्ति/पूर्व समाप्ति के चौबीस माह बाद तक, इनमें से जो भी बाद में हो, सुरक्षित रखे जाएंगे। बशर्ते कि जेवीसी ऐसे किसी अभिलेख के निस्तारण से पूर्व भाविप्रा को सूचित करेगी तथा भाविप्रा को ऐसे अभिलेखों की सुपुर्दगी प्राप्त करने का उचित अवसर प्रदान करेगी। ऐसे सभी अभिलेख इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे जा सकते हैं, बशर्ते कि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक रूप विधिवत प्रमाणित हो तथा साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हो। पक्षकार, इस तथ्य से यह स्पष्ट रूप से सहमत है कि यह आर्टिकल इस समझौते की समाप्ति अथवा अवधि पूरी होने के बाद भी प्रभावी रहेगा।

10.3 लेखे उपलब्ध कराना

जेवीसी, प्रत्येक लेखा संदर्भ अवधि की समाप्ति पर, उपलब्ध होते ही यथाशीघ्र, किन्तु उस अवधि की समाप्ति के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षित लेखों को अंतिम रूप देने की समय-सीमा के बाद नहीं, भाविप्रा को — उस प्रथम लेखा संदर्भ अवधि से प्रारंभ करते हुए जो इस अवधि के दौरान समाप्त होती है — जेवीसी

की वार्षिक रिपोर्ट, लेखापरीक्षित लाभ एवं हानि लेखा, बैलेंस शीट तथा नकदी प्रवाह विवरण की प्रतियां उपलब्ध कराएंगी। यदि लागू हो, तो जेवीसी की किसी सहायक कंपनी के संबंध में भी उक्त लेखा संदर्भ अवधि के अंत में तथा उस अवधि के लिए ऐसे दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ संबंधित सभी निदेशक रिपोर्टें तथा लेखापरीक्षक रिपोर्टों की प्रतियां भी दी जाएंगी।

यहां प्रस्तुत प्रत्येक लेखा, उसमें दिए गए नोट्स में उल्लिखित बातों को छोड़कर, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों तथा लेखापरीक्षण मानकों और प्रथाओं के अनुसार, निरंतर रूप से लागू किए जाने वाले आधार पर तथा सभी लागू कानूनों के अनुसार तैयार एवं लेखापरीक्षित किया जाएगा। ऐसे लेखे, संबंधित नोट्स के साथ तथा संबंधित लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में निहित किसी भी टिप्पणी के अधीन, संबंधित लेखा अवधि के लिए जेवीसी की वित्तीय स्थिति तथा लाभ या हानि का स्पष्ट और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करेंगे। प्रत्येक लेखा जेवीसी की सामान्य लेखांकन नीतियों के अनुरूप निरंतर रूप से तैयार किया जाएगा, इन नीतियों का विवरण भाविप्रा के अनुरोध पर उपलब्ध कराया जाएगा तथा इनमें किए गए किसी भी परिवर्तन की सूचना ऐसे लेखे प्रस्तुत करते समय भाविप्रा को दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त, जेवीसी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अनऑडिटेड लाभ एवं हानि लेखा, बैलेंस शीट तथा नकदी प्रवाह विवरण और प्रत्येक माह के लिए प्रबंधन लेखे, उपलब्ध होते ही यथाशीघ्र भाविप्रा को उपलब्ध कराएंगी। प्रत्येक लेखा जेवीसी की सामान्य लेखांकन नीतियों के अनुरूप निरंतर रूप से तैयार किया जाएगा। इन नीतियों का विवरण भाविप्रा के अनुरोध पर उपलब्ध कराया जाएगा तथा इनमें किए गए किसी भी परिवर्तन की सूचना लेखे प्रस्तुत करते समय भाविप्रा को दी जाएगी। जेवीसी की लेखा संदर्भ अवधि बारह माह की अवधि होगी। सभी लेखे इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी रखे जा सकते हैं।

10.4 व्यवसाय में परिवर्तन

जेवीसी, हवाई अड्डा व्यवसाय के प्रचालन या स्थिति में किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन अथवा प्रस्तावित महत्वपूर्ण परिवर्तन के संबंध में भाविप्रा को यथाशीघ्र व्यावहारिक रूप से सूचित करेगी। यह सूचना ऐसे परिवर्तन के होने से पूर्व दी जाएगी और यदि पूर्व सूचना देना व्यावहारिक रूप से संभव न हो, तो ऐसे परिवर्तन के घटित होने के बाद यथाशीघ्र दी जाएगी (इसमें, किसी प्रमुख अनुबंध की समाप्ति, कोई मुकदमा या अन्य विवाद, जिसका हवाई अड्डा व्यवसाय पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, तथा जेवीसी के पूंजीकरण या वित्तपोषण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन अथवा पुनर्गठन शामिल होगा)।

10.5 निरीक्षण के अधिकार

भाविप्रा तथा उसके प्रतिनिधियों को, उचित पूर्व सूचना के साथ, किसी भी समय हवाई अड्डा स्थल के किसी भी भाग अथवा हवाई अड्डे पर स्थित किसी भी परिसंपत्ति का निरीक्षण करने तथा इस समझौते के अंतर्गत जेवीसी के दायित्वों के अनुपालन की निगरानी करने, जेवीसी अथवा किसी संबंधित प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता एवं कार्य-निष्पादन की जाँच करने अथवा किसी अन्य कारण से कोई सर्वेक्षण या अन्य जाँच करने की अनुमति होगी। इस प्रयोजन हेतु जेवीसी, अपेक्षानुसार, ऐसे व्यक्तियों को आवश्यक पहुँच प्रदान करेगी अथवा तीसरे पक्ष सहित आवश्यक पहुँच उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति संबंधित कार्यों के निष्पादन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, न ही उनके संबंध में कोई निर्देश देंगे अथवा हवाई अड्डा सेवाओं के प्रचालन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करेंगे। यदि ऐसी किसी जाँच से यह पता चलता है कि जेवीसी ने इस समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों का महत्वपूर्ण रूप से पालन नहीं किया है, तो ऐसी जाँच की लागत जेवीसी द्वारा वहन की जाएगी।

10.6 प्रबंधन तक पहुँच

भाविप्रा को समय-समय पर तथा जेवीसी को पर्याप्त सूचना दिए जाने के पश्चात, हवाई अड्डा व्यवसाय के वरिष्ठ प्रबंधन कर्मचारियों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों तक युक्तिसंगत पहुँच प्राप्त करने का अधिकार होगा।

10.7 विवादों की सूचना

जेवीसी, किसी ऐसे विवाद के उत्पन्न होने अथवा उसके विरुद्ध ऐसे विवाद की आशंका होने पर भाविप्रा को सूचित करेगी, जिसका प्रतिकूल परिणाम जेवीसी अथवा हवाई अड्डे या किसी हवाई अड्डा सेवा पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

10.8 सूचना संबंधी वारंटी

10.8.1 जेवीसी, भाविप्रा को निम्नलिखित आश्वासन देता है:

- (क) इस समझौते के अंतर्गत जेवीसी द्वारा प्रदान किए गए अथवा प्रदान किए जाने वाले प्रत्येक लेखापरीक्षित लेखे, जिस अवधि से संबंधित हैं, उस अवधि के लिए जेवीसी के वित्तीय मामलों एवं वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करते हैं और करेंगे।
- (ख) प्रत्येक मास्टर प्लान, प्रमुख विकास योजना तथा व्यवसाय योजना सद्धावना से, उचित सावधानी एवं परिश्रम के साथ तैयार की गई है और की जाएगी तथा उसमें निष्पक्ष, युक्तिसंगत एवं पूर्ण जानकारी, अनुमान तथा पूर्वानुमान प्रस्तुत किए गए हैं और किए जाएंगे तथा उसमें कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूटी हुई नहीं है और न ही होगी।
- (ग) इस समझौते के अंतर्गत भाविप्रा को प्रदान की गई अन्य सभी सूचनाएँ सभी महत्वपूर्ण दृष्टियों से सत्य, सटीक एवं पूर्ण हैं।

अध्याय XI

शुल्क

11.1 उपर्युक्त अनुदान के विचारार्थ, जेवीसी एतद्वारा भाविप्रा को निम्नलिखित भुगतान नीचे उल्लिखित तरीके तथा समय पर करने के लिए सहमत है।

11.1.1 अग्रिम शुल्क

जेवीसी, भाविप्रा को 150 करोड़ रुपये (रुपये एक सौ पचास करोड़ मात्र) का अग्रिम शुल्क प्रभावी तिथि को या उससे पूर्व भुगतान करेगी। यह परस्पर सहमत है कि यह अग्रिम शुल्क अप्रतिदेय होगा (सिवाय इसके कि इस अनुबंध के अनुच्छेद 3.3 के अनुसार इस अनुबंध की समाप्ति हो) और इस अनुबंध की अवधि के दौरान केवल एक बार देय होगा।

11.1.2 वार्षिक शुल्क

11.1.2.1 जेवीसी, इस अनुबंध की अवधि के दौरान प्रति वर्ष भाविप्रा को नीचे उल्लिखित राशि का वार्षिक शुल्क ("एएफ़") भी अदा करेगी:

एएफ़ = उक्त वर्ष के अनुमानित राजस्व का 38.7%

जहाँ प्रत्येक वर्ष के लिए अनुमानित राजस्व, व्यवसाय योजना में निर्धारित राजस्व के अनुसार होगा।

11.1.2.2 एएफ़ का भुगतान बारह समान मासिक किश्तों में किया जाएगा, प्रत्येक किश्त (जिसे आगे "मासिक एएफ़" या "एमएएफ़" कहा जाएगा) प्रत्येक कैलेंडर माह के प्रथम दिन देय होगी। जेवीसी समय-समय पर एस्क्रो बैंक को निर्देश देगी कि वह प्रत्येक माह की 7 तिथि को या उससे पहले एमएएफ़ का भुगतान भाविप्रा को अग्रिम रूप से, भाविप्रा के पक्ष में आहरित चेक द्वारा करे। यदि भाविप्रा को इस अनुबंध के अंतर्गत देय एमएएफ़ का भुगतान निर्धारित देय तिथि तक प्राप्त नहीं होता है, तो बकाया राशि पर भुगतान की देय तिथि से, उस तिथि को सम्मिलित करते हुए, भुगतान किए जाने की तिथि को छोड़कर, उस अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक की प्राइम लेंडिंग रेट + 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय होगा। इसमें निहित किसी भी अन्य प्रावधान के बावजूद, जेवीसी प्रत्येक माह की 7 तिथि को या उससे पहले एमएएफ़ का अग्रिम भुगतान करने के लिए हर समय उत्तरदायी होगा।

- 11.1.2.3
- (i) यदि किसी तिमाही में वास्तविक राजस्व, अनुमानित राजस्व से अधिक हो जाता है, तो जेवीसी वास्तविक तिमाही राजस्व और अनुमानित तिमाही राजस्व के बीच के अंतर से संबंधित अतिरिक्त एएफ़ का भुगतान अगली तिमाही के प्रारंभ होने के 15 दिनों के भीतर भाविप्रा को करेगी; और
 - (ii) यदि किसी तिमाही में अनुमानित राजस्व, वास्तविक राजस्व से अधिक हो जाता है, तो भाविप्रा, प्राप्त एएफ़ के उस हिस्से का भुगतान जेवीसी को करेगा जो अनुमानित राजस्व और वास्तविक राजस्व के बीच के अंतर से संबंधित है। यह भुगतान वर्तमान तिमाही में जेवीसी द्वारा भाविप्रा को देय एएफ़ के सापेक्ष समायोजन के रूप में किया जाएगा। बशर्ते कि, यदि किसी तिमाही में वास्तविक राजस्व उस तिमाही के अनुमानित राजस्व के 110% से अधिक हो जाता है, तो जेवीसी वास्तविक राजस्व और अनुमानित राजस्व के बीच के अंतर पर भारतीय स्टेट बैंक की प्राइम लेंडिंग रेट + 300 आधार अंक की दर से निम्नलिखित तरीके से ब्याज भाविप्रा को अदा करेगी:

- (i) अनुमानित राजस्व और वास्तविक राजस्व के बीच के अंतर के 1/3 भाग पर तीन (3) माह का ब्याज;
- (ii) अनुमानित राजस्व और वास्तविक राजस्व के बीच के अंतर के 1/3 भाग पर दो (2) माह का ब्याज;
- (iii) अनुमानित राजस्व और वास्तविक राजस्व के बीच के अंतर के 1/3 भाग पर एक (1) माह का ब्याज।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि अनुमानित तिमाही राजस्व, वास्तविक तिमाही राजस्व के 110% के बराबर या उससे कम है, तो कोई ब्याज देय नहीं होगा। ब्याज केवल उस स्थिति में वास्तविक तिमाही राजस्व और अनुमानित तिमाही राजस्व के बीच के अंतर पर देय होगा, जब वास्तविक तिमाही राजस्व, अनुमानित तिमाही राजस्व के 110% से अधिक हो।

11.1.2.4 एएफ़ के अंतिम सत्यापन/समायोजन के लिए लागू राजस्व, प्रत्येक तिमाही में स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित जेवीसी का राजस्व होगा।

11.2 स्वतंत्र लेखा परीक्षक

- (i) स्वतंत्र लेखा परीक्षक की नियुक्ति

(क) यहाँ उल्लिखित उद्देश्यों के लिए एक स्वतंत्र लेखा परीक्षक नियुक्त किया जाएगा।

(ख) स्वतंत्र लेखा परीक्षक की नियुक्ति की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:

भाविप्रा, जेवीसी के समक्ष छह (6) चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्मों का एक पैनल नामित करेगा। जेवीसी को ऐसे नामित उम्मीदवारों में से एक या अधिक पर आपत्ति करने का अधिकार होगा, किंतु किसी भी परिस्थिति में तीन (3) से अधिक नामित उम्मीदवारों पर आपत्ति नहीं की जा सकेगी। भाविप्रा, उन नामित उम्मीदवारों में से किसी एक को, जिस पर जेवीसी ने आपत्ति नहीं की है, स्वतंत्र लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त करेगा।

(ग) जेवीसी और भाविप्रा, स्वतंत्र लेखा परीक्षक की नियुक्ति से संबंधित लागत सहित स्वतंत्र लेखा परीक्षक से संबंधित सभी लागतों को समान रूप से वहन करेंगे।

1.3 निरीक्षण का अधिकार

भाविप्रा और उसके प्रतिनिधियों को किसी भी उचित समय पर जेवीसी द्वारा या उसकी ओर से रखी गई पुस्तकों, अभिलेखों तथा अन्य सामग्रियों का निरीक्षण करने की अनुमति होगी, ताकि इस अनुबंध के अंतर्गत भाविप्रा को उपलब्ध कराई गई किसी भी जानकारी (जिसमें राजस्व की गणना भी शामिल है) की जाँच या लेखापरीक्षा की जा सके। जेवीसी, भाविप्रा और उसके प्रतिनिधियों को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगा तथा ऐसा अभिगम प्रदान करेगी या उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था करेगी (जिसमें तृतीय पक्षों तक या तृतीय पक्षों से अभिगम भी शामिल है), जिसकी उन्हें इस संबंध में उचित रूप से आवश्यकता हो। यदि ऐसी किसी जाँच या निरीक्षण से यह पता चलता है कि भाविप्रा को पहले उपलब्ध कराई गई जानकारी, उस समय जेवीसी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर, किसी महत्वपूर्ण दृष्टि से गलत थी, तो ऐसी जाँच या निरीक्षण से संबंधित सभी लागतें जेवीसी द्वारा वहन की जाएंगी।

अध्याय XII शुल्क और विनियमन

12.1 शुल्क

- 12.1.1 इस अनुबंध के प्रयोजन के लिए, जेवीसी द्वारा हवाई अड्डे पर वैमानिकी सेवाएँ प्रदान करने तथा वैमानिकी परिसंपत्तियों से संबंधित लागतों की वसूली के लिए लगाए जाने वाले शुल्क को वैमानिकी शुल्क कहा जाएगा।
- 12.1.2 जेवीसी हर समय यह सुनिश्चित करेगी कि हवाई अड्डे पर लगाए जाने वाले वैमानिकी शुल्क, राज्य सहायता अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किए जाएँ। यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाता है कि किसी भी परियोजना अनुबंध के अंतर्गत जेवीसी द्वारा देय कोई भी दंड या हर्जाना, वैमानिकी शुल्क का हिस्सा नहीं होगा और उसे हवाई अड्डे के उपयोगकर्ताओं से वसूल नहीं किया जाएगा।

12.2 गैर-वैमानिकी सेवाओं के लिए शुल्क

लागू कानून के अधीन, जेवीसी को गैर-वैमानिकी सेवाओं के लिए शुल्क निर्धारित करने की स्वतंत्रता होगी, बशर्ते कि मौजूदा संविदाओं तथा अन्य करारों के प्रावधानों का पालन किया जाए।

12.3 अनिवार्य सेवाओं के लिए शुल्क

- 12.3.1 उपरोक्त प्रावधानों के बावजूद, ऐसी वैमानिकी अथवा गैर-वैमानिकी सेवाएँ, जो अनिवार्य सेवाएँ भी हैं, यात्रियों को निःशुल्क प्रदान की जाएँगी।

12.4 यात्री सेवा शुल्क

- 12.4.1 यात्री सेवा शुल्क की वसूली और वितरण राज्य सहायता अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

अध्याय XIII

वित्तपोषण व्यवस्था एवं प्रतिभूति

13.1 वित्तपोषण व्यवस्था एवं प्रतिभूति

- (क) यह स्पष्ट रूप से समझा जाता है कि जेवीसी, इस अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन करने के लिए, जिसमें मास्टर प्लान तथा प्रमुख विकास योजनाओं के अनुसार हवाई अड्डे का विकास भी शामिल है, उपयुक्त ऋण और इक्विटी अंशदान के माध्यम से वित्तपोषण की व्यवस्था करेगी और/या सभी वित्तपोषण अपेक्षाओं को पूरा करेगी।
- (ख) प्रतिभूति
- (i) जेवीसी द्वारा इस अनुबंध का हस्तांतरण नहीं किया जाएगा। तथापि, प्रतिस्थापन अनुबंध के निष्पादन द्वारा ऋणदाताओं को प्रतिस्थापन का अधिकार दिया जा सकता है। यह भी प्रावधानित है कि किसी भी समय भाविप्रा, केवल एक (1) ऋणदाता एजेंट के साथ एक (1) प्रतिस्थापन अनुबंध करेगी; ऐसा ऋणदाता एजेंट ऋणदाताओं के एक संघ का एजेंट होगा। ऋणदाता, ऋणदाताओं के संघ की संरचना में परिवर्तन करने के लिए स्वतंत्र होंगे। यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाता है कि गैर-हस्तांतरणीय परिसंपत्तियों के लिए वित्तपोषण प्रदान करने वाले ऋणदाताओं को किसी भी प्रकार का स्टेप-इन अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- (ii) जेवीसी, इस अनुबंध या किसी परियोजना अनुबंध अथवा हस्तांतरणीय परिसंपत्तियों के अंतर्गत अपने सभी या किसी भी अधिकारों एवं लाभों पर कोई भार या स्वत्व-दोष न तो सृजित करेगी और न ही विद्यमान रहने देगी, और न ही ऐसे अधिकारों एवं लाभों को अन्यथा हस्तांतरित या निपटान करेगी। इस संबंध में, जेवीसी मास्टर प्लान में हस्तांतरणीय परिसंपत्तियों और गैर-हस्तांतरणीय परिसंपत्तियों को स्पष्ट रूप से अलग-अलग चिह्नित और परिभाषित करेगी। यह भी प्रावधानित है कि गैर-हस्तांतरणीय परिसंपत्तियों पर कोई भी भार मास्टर प्लान और इस अनुबंध में निर्धारित भूमि उपयोग संबंधी प्रतिबंधों के अधीन होगा। तथापि, उपर्युक्त प्रावधानों के बावजूद, जेवीसी प्रभावी तिथि से 60 दिनों के भीतर, इस अनुबंध के अंतर्गत जेवीसी द्वारा भाविप्रा को देय राशियों के भुगतान की प्रतिभूति के रूप में, सभी हस्तांतरणीय परिसंपत्तियों (वर्तमान एवं भविष्य की) पर भाविप्रा के पक्ष में प्रथम बंधक सृजित करेगी।
- (iii) ऋणदाता, प्रतिस्थापन अनुबंध में दिए गए प्रावधानों के अनुसार स्टेप-इन अथवा प्रतिस्थापन के अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते कि जेवीसी का स्थान लेने वाला व्यक्ति इस अनुबंध के अंतर्गत जेवीसी माना जाएगा तथा उसे इस अनुबंध के अंतर्गत सभी अधिकार प्राप्त होंगे और वह सभी दायित्वों के लिए उसी प्रकार उत्तरदायी होगा, मानो वह स्वयं जेवीसी हो।
- (iv) इस अनुबंध में इसके विपरीत किसी भी प्रावधान के बावजूद, भाविप्रा को इस अनुबंध के अंतर्गत अपने किसी भी अधिकार एवं लाभ और/या दायित्वों को जेवीसी को 30 दिन की पूर्व लिखित सूचना देकर हस्तांतरित करने का अधिकार होगा।
- (v) यह स्पष्ट किया जाता है कि हवाई अड्डे के प्रयोजन के लिए अपने ऋणों को सुरक्षित करने हेतु जेवीसी, उन सभी परिसंपत्तियों पर, जिन पर इस अनुच्छेद 13.1 के उपर्युक्त प्रावधानों के अंतर्गत भार डालने पर प्रतिबंध नहीं है, जिसमें गैर-हस्तांतरणीय परिसंपत्तियाँ भी शामिल हैं, भार सृजित कर सकता है। तथापि, जेवीसी को एस्क्रो अनुबंध की शर्तों के अंतर्गत नियुक्त एस्क्रो एजेंट के पक्ष में अपने राजस्व पर प्रभार सृजित करने का अधिकार होगा, जिसे उक्त एस्क्रो एजेंट द्वारा एस्क्रो अनुबंध के अनुसार वितरित किया जाएगा। भाविप्रा को यह अधिकार होगा कि वह जेवीसी से अपने राजस्व पर एस्क्रो एजेंट के पक्ष में प्रभार सृजित करने की अपेक्षा कर सके। ऐसा एस्क्रो एजेंट एस्क्रो अनुबंध की शर्तों के अंतर्गत नियुक्त होगा और उक्त राजस्व को ऋणदाताओं तथा भाविप्रा की ओर से अपने पास रखेगा तथा एस्क्रो अनुबंध के अनुसार उसका वितरण करेगा।

- (vi) जेवीसी , हवाई अड्डा स्थल की भूमि, हस्तांतरणीय परिसंपत्तियों तथा हस्तांतरणीय या गैर-हस्तांतरणीय परिसंपत्तियों से संबंधित किसी भी अंतर्निहित भूमि पर कोई भार या स्वत्व-दोष सृजित नहीं करेगी। तथापि, जेवीसी को गैर-हस्तांतरणीय परिसंपत्तियों पर, उनकी अंतर्निहित भूमि को छोड़कर, भार सृजित करने का अधिकार होगा।
- (vii) इस अनुबंध में इसके विपरीत किसी भी प्रावधान के बावजूद, जेवीसी का कोई भी शेयरधारक, जिसमें किसी भी संदेह को दूर करने के लिए कोई भी प्रमुख सदस्य भी शामिल है, वित्तपोषण दस्तावेजों के नियमों एवं शर्तों के अनुसार, ऋणदाताओं के पक्ष में जेवीसी के शेयरों पर भार सृजित कर सकता है। तथापि, उक्त भार को लागू किए जाने की स्थिति में, ऋणदाता अनिवार्य रूप से जेवीसी के उक्त शेयरों को ऐसे तृतीय पक्ष/पक्षों को हस्तांतरित करेंगे, जिन्हें ऋणदाता निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर चुनेंगे और जिन्हें भाविप्रा द्वारा अनुमोदित किया जाएगा:
- (क) इस अनुबंध के अंतर्गत तृतीय पक्ष जेवीसी द्वारा अपने कर्तव्यों, दायित्वों और देयताओं का निर्वहन सुनिश्चित करने में सक्षम होना चाहिए;
 - (ख) तृतीय पक्ष को जेवीसी द्वारा ऋणदाताओं की देय राशियों के पुनर्भुगतान के संबंध में ऋणदाताओं की संतुष्टि के अनुरूप प्रतिभूति/आश्वासन प्रदान करना चाहिए;
 - (ग) तृतीय पक्ष के पास इस अनुबंध के अंतर्गत और इसके अनुसार जेवीसी द्वारा भाविप्रा को देय राशियों के भुगतान एवं निर्वहन को सुनिश्चित करने की क्षमता होनी चाहिए और उसे अपनी ऐसी क्षमता प्रदर्शित करनी होगी;
 - (घ) तृतीय पक्ष के पास इस अनुबंध में निर्धारित अथवा जेवीसी में निजी भागीदार के चयन की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद किसी भी समय भाविप्रा द्वारा निर्धारित अनुभव एवं तकनीकी क्षमता के मानदंड होने चाहिए;
 - (ङ) तृतीय पक्ष और भाविप्रा के बीच हुए किसी भी अनुबंध का उल्लंघन तृतीय पक्ष द्वारा नहीं किया गया होना चाहिए; और
 - (च) ऐसी कोई अन्य उपयुक्त परिस्थिति होनी चाहिए, जिसके माध्यम से इस अनुबंध के अंतर्गत जेवीसी के दायित्वों के निष्पादन की निरंतरता बनी रहे तथा वित्तपोषण दस्तावेजों के अंतर्गत ऋणदाताओं के पक्ष में उपलब्ध प्रतिभूति सुरक्षित रहे। यह भी प्रावधानित है कि उपर्युक्त कोई भी हस्तांतरण, भाविप्रा द्वारा जेवीसी में निजी प्रतिभागियों के चयन के उद्देश्य से की गई प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के दौरान निर्धारित संबंधित सुरक्षा और सत्यनिष्ठा/उचित आचरण संबंधी स्वीकृति अपेक्षाओं के अधीन होगा।
- जेवीसी यह सुनिश्चित करेगी कि उपर्युक्त शर्तों को ऋणदाताओं के पक्ष में अपने शेयरों पर भार सृजित करने वाले दस्तावेज में शामिल किया गया हो।

भाविप्रा, उक्त तृतीय पक्ष/पक्षों के चयन में उपर्युक्त मानदंड लागू करेगी और भाविप्रा को ऐसे तृतीय पक्ष/पक्षों की स्वीकृति देने से इनकार करने या उसकी स्वीकृति में विलंब करने का अधिकार केवल उस स्थिति में होगा, जब भाविप्रा, युक्तिसंगत रूप से कार्य करते हुए, इस बात से संतुष्ट न हो कि उपर्युक्त मानदंड तृतीय पक्ष/पक्षों द्वारा पूरे किए जाएंगे।

अध्याय XIV भाविप्रा के हस्तक्षेप करने के अधिकार

14.1 आपातकाल में हवाई अड्डे का अधिग्रहण

- (क) किसी आपातकालीन स्थिति में (जैसा कि भारत सरकार द्वारा, लिखित रूप में भाविप्रा के माध्यम से या अन्यथा, अपने पूर्ण विवेक से सूचित किया गया हो), भाविप्रा को यह अधिकार होगा कि वह 'राज्य सहायता समझौते' में वर्णित तरीके से संयुक्त उद्यम कंपनी के स्थान पर हवाई अड्डे का नियंत्रण अस्थायी रूप से अपने हाथ में ले। उस अवधि के दौरान जब हवाई अड्डे का नियंत्रण भाविप्रा के पास है, तब उस सीमित अवधि के लिए इस समझौते के तहत जेवीसी जेवीसी के दायित्वों को निभाने की ज़िम्मेदारी भाविप्रा की होगी। ऐसी अवधि के दौरान जेवीसी के कर्तव्य और दायित्व निलंबित रहेंगे और इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार, भाविप्रा हवाई अड्डे का प्रचालन और रखरखाव करेगी। बशर्ते, उपर्युक्त आपातकाल और उसके किसी भी प्रभाव के समाप्त होने के सात (7) दिनों के भीतर, या आपातकाल की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए जो भी उचित समयावधि हो, भाविप्रा हवाई अड्डे को (यथास्थिति में) जेवीसी को वापस सौंप देगी ताकि निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार इसका प्रचालन और प्रबंधन किया जा सके।
- (ख) ऐसी अवधि के दौरान भाविप्रा द्वारा वैमानिक सेवाओं या गैर-वैमानिक सेवाओं के प्रावधान के संबंध में लगाए गए और एकत्र किए गए कोई भी शुल्क, भाविप्रा द्वारा जेवीसी जेवीसी के लिए और उसकी ओर से रखे जाएंगे और इस आर्टिकल 14.1 के आगामी उप-पैराग्राफ (ग) के अधीन जेवीसी जेवीसी को सौंपे जाएंगे।
- (ग) जेवीसी, भाविप्रा द्वारा हस्तक्षेप की अवधि के दौरान हवाई अड्डे के प्रचालन और रखरखाव से संबंधित भाविप्रा द्वारा किए गए किसी भी और सभी लागतों और खर्चों के लिए भाविप्रा की प्रतिपूर्ति और क्षतिपूर्ति करेगी (भाविप्रा की गंभीर लापरवाही या जानबूझकर की गई चूक के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली लागतों, खर्चों या देनदारियों को छोड़कर)। इन लागतों और खर्चों को भाविप्रा द्वारा उपर्युक्त पैराग्राफ (ख) के तहत भाविप्रा द्वारा जेवीसी को देय राशियों से समायोजित किया जा सकता है।
- (घ) यदि हस्तक्षेप की अवधि तीन माह से अधिक हो जाती है, तो इसे अनुच्छेद 16.1 के तहत 'अपरिहार्य घटना/दैवीय आपदा' माना जाएगा और तदनुसार निपटाया जाएगा।

14.2 प्रचालन में व्यवधान

- (क) यदि प्रभावी तिथि के बाद और 'फोर्स मैजूर' की घटना के परिणाम के अतिरिक्त या अनुच्छेद 14.1 (ए) के अनुसरण के इतर, जेवीसी 12 घंटे से अधिक समय के लिए हवाई अड्डे का प्रचालन बंद कर देती है या काफी हद तक बंद कर देती है, तो किसी भी पक्ष के अनुरोध पर, भाविप्रा एक योजना पर चर्चा करने और सहमत होने के लिए तथा एक संयुक्त प्रचालन और प्रबंधन समिति (और वे नियम और शर्तें जिन पर ऐसी समिति की नियुक्ति की जानी है) की नियुक्ति के लिए जेवीसी के साथ बैठक करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हवाई अड्डे का प्रचालन व्यावहारिक रूप से यथाशीघ्र पुनः शुरू किया जा सके। यदि भाविप्रा और जेवीसी उपर्युक्त उल्लिखित अवधि की समाप्ति के छह (6) घंटों के भीतर बैठक करने या किसी योजना पर सहमत होने और एक संयुक्त प्रचालन और प्रबंधन समिति नियुक्त करने में असमर्थ रहते हैं, तो भाविप्रा जेवीसी के जोखिम और लागत पर, स्वयं या किसी नामित के माध्यम से हवाई अड्डे का प्रचालन करने का हकदार होगा। यह स्पष्ट रूप से सहमति है कि भाविप्रा इस तरह के समय के दौरान लागू होने वाले सभी वैमानिक शुल्कों - जो जेवीसी द्वारा अपने खाते में प्राप्त करने योग्य हैं) को एकत्र करने और उन्हें भाविप्रा द्वारा किए गए प्रचालन लागतों और खर्चों के विरुद्ध समायोजित करने की हकदार होगी। इसके अतिरिक्त यह स्पष्ट किया जाता है कि जेवीसी उस समय के दौरान भाविप्रा द्वारा किए गए सभी लागतों, खर्चों और देनदारियों के लिए भी भाविप्रा की क्षतिपूर्ति करेगी जब भाविप्रा या उसके द्वारा नामित हवाई अड्डे का प्रचालन कर रहा हो (भाविप्रा की गंभीर लापरवाही या जानबूझकर की गई चूक के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली लागतों, खर्चों या देनदारियों को छोड़कर)। यदि जेवीसी द्वारा प्राप्त राजस्व, भाविप्रा की प्रचालन लागतों, खर्चों और क्षतिपूर्ति राशियों (यदि जेवीसी द्वारा भाविप्रा को कोई देय हो) से कम है, तो जेवीसी तत्काल ऐसी शेष राशि का भुगतान भाविप्रा को करेगी।

- (ख) इस अनुच्छेद 14.2 के तहत भाविप्रा या उसके नामित द्वारा हवाई अड्डे का नियंत्रण संभालने के समय से 48 घंटे की समाप्ति से पहले, जेवीसी उस व्यवधान के कारणों को ठीक करने के लिए एक कार्य योजना प्रस्तुत करेगी जिसके कारण भाविप्रा या उसके नामित को हवाई अड्डे का अधिग्रहण करना पड़ा। भाविप्रा को स्वीकार्य कार्य योजना प्रस्तुत करने पर, जेवीसी को हवाई अड्डे का नियंत्रण और प्रचालन फिर से शुरू करने का अधिकार होगा, जिसके बाद भाविप्रा, हवाई अड्डे का नियंत्रण और प्रचालन जेवीसी को वापस सौंपने के लिए बाध्य होगी।
- (ग) यदि किसी भी समय, हवाई अड्डे का नियंत्रण भाविप्रा या उसके नामित द्वारा अपने हाथ में लेने वाले किसी व्यवधान के छह (6) माह के भीतर, जेवीसी एक बार फिर 12 घंटे से अधिक समय के लिए हवाई अड्डे का प्रचालन बंद या काफी हद तक बंद कर देती है, और भाविप्रा इसके अनुच्छेद 14.2 में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए हवाई अड्डे का नियंत्रण अपने हाथ में लेता है, तो भाविप्रा उस समय के दौरान लागू सभी वैमानिक शुल्कों (जो जेवीसी द्वारा अपने खाते में प्राप्त करने योग्य हैं) को एकत्र करने और अपने पास रखने की हकदार होगा, और इसके अतिरिक्त उस समय के दौरान भाविप्रा द्वारा किए गए सभी लागतों, खर्चों और देनदारियों को प्राप्त करने का हकदार होगा जब भाविप्रा या उसका नामित हवाई अड्डे का प्रचालन कर रहा हो (भाविप्रा की गंभीर लापरवाही या जानबूझकर की गई चूक के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली लागतों, खर्चों या देनदारियों को छोड़कर)। जेवीसी इस संबंध में उस समय के दौरान भाविप्रा द्वारा किए गए सभी लागतों, खर्चों और देनदारियों के लिए भाविप्रा की क्षतिपूर्ति करेगी जब भाविप्रा या उसका नामित हवाई अड्डे का प्रचालन कर रहा हो (भाविप्रा की गंभीर लापरवाही या जानबूझकर की गई चूक के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली लागतों, खर्चों या देनदारियों को छोड़कर)। भाविप्रा की लागत और खर्च और क्षतिपूर्ति की राशि (यदि कोई हो, जो जेवीसी द्वारा भाविप्रा को देय हो) जेवीसी द्वारा तत्काल भाविप्रा को भुगतान की जाएगी।

अध्याय XV विवाद

15.1 विवाद

15.1.1 सौहार्दपूर्ण समाधान

पक्षकार किसी भी विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए उचित प्रयास करेंगे। यदि एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को विवाद की लिखित सूचना दिए जाने के साथ (60) दिनों के भीतर विवाद का समाधान नहीं होता है, तो अनुच्छेद

15.2 मध्यस्थता के प्रावधान लागू होंगे।

15.2.1 इस समझौते के तहत उत्पन्न होने वाले सभी विवाद, जो इस अनुच्छेद 15 के अनुसरण में अनसुलझे रह जाते हैं, उन्हें (भारतीय) मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत तीन (3) मध्यस्थों वाले एक न्यायाधिकरण के पास भेजा जाएगा। मध्यस्थता करने वाले प्रत्येक पक्षकार एक-एक मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और इस प्रकार नियुक्त दोनों मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ का चयन करेंगे जो न्यायाधिकरण के पीठासीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करेंगे (ये सब मिलकर "मध्यस्थ न्यायाधिकरण" का गठन करेंगे)।

15.2.2 मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्णय पक्षकारों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होंगे।

15.2.3 मध्यस्थता का स्थान नई दिल्ली होगा।

15.2.4 यह अनुच्छेद 15.2 इस समझौते की समाप्ति या अवधि बीत जाने के बाद भी प्रभावी रहेगा।

15.2.5 मध्यस्थता का प्रचालन करने वाला कानून भारत के मूल कानून होंगे।

15.3 निरंतर प्रदर्शन/पालन

इस समझौते के तहत किसी भी विवाद के लंबित रहने के दौरान, जिसमें मध्यस्थता के लिए संदर्भित किसी भी विवाद की शुरुआत और लंबित अवधि शामिल है, पक्षकार इस अनुच्छेद 15 के प्रावधानों के अनुसार अंतिम निर्णय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस समझौते के तहत अपने सभी संबंधित दायित्वों का पालन करना जारी रखेंगे।

अध्याय XVI
फोर्स मैज्यूर (अपरिहार्य घटना/दैवीय आपदा)

16.1 फोर्स मैज्यूर

16.1.1 जेवीसी या भाविप्रा, जैसा भी मामला हो, इस समझौते के तहत अपने संबंधित दायित्वों के पालन को उस सीमा तक निलंबित करने या उससे छूट पाने के हकदार होंगे, जिस सीमा तक भाविप्रा या जेवीसी, जैसी भी स्थिति हो, फोर्स मैज्यूर की किसी घटना ("फोर्स मैज्यूर") के कारण ऐसा पालन करने में असमर्थ हैं।

16.1.2 इस अनुबंध में, "फोर्स मैज्यूर" का अर्थ किसी भी ऐसी घटना या परिस्थिति या घटनाओं और परिस्थितियों के संयोजन से है, जो निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करती है:

- (क) किसी दायित्व के पालन को भौतिक और प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हो;
- (ख) प्रभावित पक्षकार के उचित नियंत्रण से परे हो;
- (ग) ऐसा पक्षकार उत्कृष्ट उद्योग अभ्यास या उचित कौशल और देखभाल के प्रयोग से इसे रोक नहीं सकता था या इस पर उचित रूप से काबू नहीं पा सकता था;
- (घ) ऐसे पक्षकार की लापरवाही या दुराचार का परिणाम न हो, या इस समझौते के तहत अपने दायित्वों का पालन करने में ऐसे पक्षकार की विफलता के कारण न हो; तथा
- (ङ) (या जिसका कोई भी परिणाम), अनुच्छेद 16.1.1 में वर्णित प्रभाव रखता हो।

16.1.3 "फोर्स मैज्यूर" में निम्नलिखित घटनाएँ और/या परिस्थितियाँ शामिल हैं, बशर्ते कि वे या उनके परिणाम अनुच्छेद

16.1.1 और अनुच्छेद 16.1.2 में निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करते हों:

- (i) युद्ध (चाहे घोषित हो या अघोषित), आक्रमण, सशस्त्र संघर्ष या विदेशी दुश्मन का कृत्य, जिसमें प्रत्येक मामले में भारत शामिल हो या जो प्रत्यक्ष रूप से भारत को प्रभावित करता हो;
- (ii) क्रांति, दंगा, विद्रोह या अन्य नागरिक अशांति, आतंकवाद का कृत्य या तोड़फोड़, जो प्रत्येक मामले में भारत के भीतर हो;
- (iii) परमाणु विस्फोट, रेडियोधर्मी या रासायनिक संदूषण या आयनकारी विकिरण जो हवाई अड्डे को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता हो; बशर्ते कि विस्फोट, संदूषण, विकिरण या खतरनाक वस्तु का स्रोत या कारण जेवीसी जेवीसी, जेवीसी के किसी सहयोगी, जेवीसी के किसी ठेकेदार या उप-ठेकेदार या ऐसे किसी सहयोगी या उनके संबंधित कर्मचारियों, सेवकों या एजेंटों द्वारा हवाई अड्डे पर या उसके पास न लाया गया हो;
- (iv) हड़तालें, नियमानुसार कार्य, गो-स्लो और/या तालाबंदी जो प्रत्येक मामले में व्यापक, राष्ट्रव्यापी या राजनीतिक प्रकृति की हों;
- (v) प्राकृतिक तत्वों का कोई भी प्रभाव, जिसमें भारत के भीतर आकाशीय बिजली, आग, भूकंप, अभूतपूर्व बारिश, ज्वारीय तरंग, बाढ़, तूफान, चक्रवात, टाइफून या बवंडर शामिल हैं;
- (vi) भारत के भीतर विस्फोट (परमाणु विस्फोट या युद्ध के कृत्य के परिणामस्वरूप होने वाले विस्फोट को छोड़कर);
- (vii) भारत के भीतर महामारी या प्लेग;
- (viii) विमान दुर्घटना या खराबी;
- (ix) अनुच्छेद 14.1(डी) के तहत भाविप्रा द्वारा हस्तक्षेप की कोई भी अवधि जो तीन माह से अधिक हो; या
- (x) उपर्युक्त उल्लिखित इस अनुच्छेद 16.1.3 के पैराग्राफ (i) से (viii) में निर्धारित समान या समरूप प्रकृति की भारत में कोई भी घटना या परिस्थिति।

16.1.4 इसमें शामिल किसी भी बात के बावजूद, हवाई अड्डे पर सामान्य कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल को 'फोर्स मैज्यूर' की घटना माना जाएगा।

16.1.5 फोर्स मैज्यूर की प्रक्रिया

- (क) यदि कोई पक्षकार फोर्स मैज्यूर की घटना के कारण राहत का दावा करता है, तो फोर्स मैज्यूर की घटना से प्रभावित होने का दावा करने वाला पक्षकार, फोर्स मैज्यूर की घटना के विषय में पता चलते ही तत्काल विस्तृत विवरण सहित इसकी सूचना देगा: (i) घटित होने वाली फोर्स मैज्यूर घटना (घटनाएँ), (ii) अनुच्छेद 16.1 में वर्णित प्रभावित दायित्व (दायित्वों), (iii) फोर्स मैज्यूर की ऐसी घटना के शुरू होने और समाप्त होने की अनुमानित तिथियाँ तथा (iv) वह तरीका जिससे फोर्स मैज्यूर घटना (घटनाएँ) इस समझौते के तहत पक्षकार के दायित्व (दायित्वों) को प्रभावित करती हैं। कोई भी पक्षकार इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के गैर-अनुपालन को तब तक निलंबित करने या उससे छूट पाने के योग्य नहीं होगा, जब तक कि उस पक्षकार ने उपर्युक्त निर्दिष्ट सूचना न दे दी हो।
- (ख) प्रभावित पक्षकार को उपर्युक्त उल्लिखित उप-खंड (क) के अनुसार फोर्स मैज्यूर की घटना के घटित होने की सूचना देने पर, अनुच्छेद 16.1 में वर्णित प्रभावित दायित्व (दायित्वों) के पालन को निलंबित करने का अधिकार होगा।
- (ग) प्रभावित पक्षकार द्वारा किसी दायित्व के पालन या फोर्स मैज्यूर से प्रभावित किसी समय-सीमा के अनुपालन का समय तथा उसके द्वारा प्रभावित किसी अधिकार के प्रयोग का समय उस अवधि तक बढ़ाया जाएगा जिसके दौरान ऐसी फोर्स मैज्यूर की स्थिति बनी रहती है और उसके बाद की ऐसी अतिरिक्त अवधि तक बढ़ाया जाएगा जो प्रभावित पक्षकार को फोर्स मैज्यूर की घटना से पहले की गतिविधि के स्तर को प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो।
- (घ) फोर्स मैज्यूर के तहत राहत के दावे को प्राप्त करने वाला पक्षकार, यदि उस दावे पर विवाद करना चाहता है, तो दावा प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर दावा करने वाले पक्षकार को विवाद की एक लिखित सूचना देगा। यदि ऊपर बताए अनुसार 15 दिनों के भीतर दावे की सूचना का विरोध नहीं किया जाता है, तो इस समझौते के सभी पक्षकारों द्वारा दावे की वैधता को स्वीकार कर लिया गया माना जाएगा। यदि कोई पक्षकार किसी दावे पर विवाद करता है, तो पक्षकार अनुच्छेद 15 में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करेंगे।

16.1.6 शमन/प्रभाव को कम करना

फोर्स मैज्यूर की घटना से प्रभावित होने का दावा करने वाला पक्षकार ऐसी फोर्स मैज्यूर घटना के प्रभाव को रोकने, न्यूनतम करने और कम करने के लिए सभी उचित कदम उठाएगा।

16.1.7 फोर्स मैज्यूर के कारण समाप्ति

- (ए) यदि फोर्स मैज्यूर की घटना 365 दिनों से अधिक समय तक जारी रहती है, तो दोनों में से किसी भी पक्षकार को इस संबंध में समाप्ति की सूचना देकर इस समझौते को समाप्त करने का अधिकार होगा।
- (बी) ऐसी किसी समाप्ति की स्थिति में, भाविप्रा—
- (i) अनुच्छेद 19 में निर्धारित तरीके से 'हस्तांतरण संपत्तियों' में जेवीसी के सभी अधिकारों, स्वामित्व और हितों का अधिग्रहण करेगी, जिसके लिए हस्तांतरण तिथि के 6 माह के भीतर, जेवीसी के बही-खातों में दर्ज हस्तांतरण संपत्तियों के संबंध में कर्ज का 100% भुगतान किया जाएगा, जैसा कि अनुच्छेद 19.6 के अनुसार निर्धारित किया गया हो।
- (ii) अनुच्छेद 19 में निर्धारित तरीके से 'गैर-हस्तांतरण संपत्तियों' के सभी या किसी भी हिस्से में जेवीसी के सभी अधिकारों, स्वामित्व और हितों का अधिग्रहण करने का अधिकार (लेकिन बाध्यता नहीं) रखेगी, जिसके लिए हस्तांतरण तिथि के 6 (छह) माह के भीतर ऐसी गैर-हस्तांतरण संपत्तियों के 'डिस्काउंटेड फेयर वैल्यू' (जैसा कि जेवीसी के बही-खातों में दर्ज है और नेट प्रेजेंट वैल्यू में से जो भी कम हो) का भुगतान किया जाएगा, जैसा कि अनुच्छेद 19.6 के अनुसार निर्धारित किया गया हो।

अध्याय XVII

चूक

17.1 भाविप्रा की चूक की घटनाएँ

निम्नलिखित घटनाओं या परिस्थितियों में से प्रत्येक को, उस सीमा तक जब तक वे जेवीसी की चूक या फोर्स मैज्यूर (अपरिहार्य घटना) के कारण न हुई हों, इस समझौते के प्रयोजनों के लिए भाविप्रा की चूक की घटना ("भाविप्रा की चूक की घटना") माना जाएगा, जो अनुमति प्राप्त समायावधि के भीतर ठीक न होने पर, जेवीसी को अनुच्छेद 17.3 के अनुसार इस समझौते को समाप्त करने का अधिकार प्रदान करेगी:

- (क) इस समझौते के तहत अपने दायित्वों का कोई भी ऐसा उल्लंघन जिसका कोई 'गंभीर प्रतिकूल प्रभाव' पड़ता हो और ऐसे उल्लंघन को जेवीसी से लिखित सूचना (जिसमें ऐसे उल्लंघन का उल्लेख हो और भाविप्रा से उसे ठीक करने की अपेक्षा की गई हो) प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर सुधारा न गया हो; बशर्ते कि यदि ऐसा उल्लंघन उचित तत्परता बरतने के बावजूद ऐसी सूचना के बाद 60 दिनों की अवधि के भीतर ठीक नहीं किया जा सकता है, तो इस 60 दिनों की अवधि को अतिरिक्त 30 दिनों की अवधि के लिए तब तक बढ़ा दिया जाएगा जब तक भाविप्रा ऐसे उल्लंघन को ठीक करने के लिए उचित तत्परता बरत रही हो;
- (ख) भाविप्रा द्वारा किसी अभ्यावेदन या वारंटी का ऐसा उल्लंघन जो इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने की जेवीसी की क्षमता को गंभीर रूप से प्रतिकूल प्रभावित करता हो, और ऐसा उल्लंघन, यदि सुधारे जाने योग्य हो, जेवीसी से लिखित सूचना, जिसमें ऐसे उल्लंघन का उल्लेख हो और भाविप्रा से उसे ठीक करने की अपेक्षा की गई हो, प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर सुधारा न गया हो; तथा
- (ग) भाविप्रा लगातार 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अपने दायित्वों के पालन को निलंबित कर देती है।

17.2 जेवीसी की चूक की घटना

निम्नलिखित घटनाओं या परिस्थितियों में से प्रत्येक को, उस सीमा तक जब तक वे भाविप्रा की चूक या फोर्स मैज्यूर के कारण न हुई हों, इस समझौते के प्रयोजनों के लिए जेवीसी की चूक की घटना ("जेवीसी की चूक की घटना") माना जाएगा, जो अनुमति प्राप्त समायावधि के भीतर ठीक न होने पर, भाविप्रा को अनुच्छेद 17.3 के अनुसार इस समझौते को समाप्त करने का अधिकार प्रदान करेगी:

- (क) जेवीसी द्वारा इस समझौते के तहत अपने दायित्वों का कोई भी महत्वपूर्ण उल्लंघन और ऐसा उल्लंघन भाविप्रा से लिखित सूचना (जिसमें ऐसे उल्लंघन का उल्लेख हो और जेवीसी से उसे ठीक करने की अपेक्षा की गई हो) प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर सुधारा न गया हो; बशर्ते कि यदि ऐसा उल्लंघन उचित तत्परता बरतने के बावजूद ऐसी सूचना के बाद 60 दिनों की अवधि के भीतर ठीक नहीं किया जा सकता है, तो इस 60 दिनों की अवधि को अतिरिक्त 30 दिनों की अवधि के लिए तब तक बढ़ा दिया जाएगा जब तक जेवीसी ऐसे उल्लंघन को ठीक करने के लिए उचित तत्परता बरत रही हो;
- (ख) जेवीसी द्वारा किसी अभ्यावेदन या वारंटी का ऐसा उल्लंघन जो इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने की भाविप्रा की क्षमता को गंभीर रूप से प्रतिकूल प्रभावित करता हो, और ऐसा उल्लंघन, यदि सुधारे जाने योग्य हो, भाविप्रा से लिखित सूचना (जिसमें ऐसे उल्लंघन का उल्लेख हो और जेवीसी से उसे ठीक करने की अपेक्षा की गई हो) प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर सुधारा न गया हो;
- (ग) जेवीसी द्वारा लगातार 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए इस समझौते के तहत दायित्वों के पालन का निलंबन (फोर्स मैज्यूर की घटना के बने रहने की अवधि को छोड़कर);
- (घ) लागू कानूनों के अनुसार हवाई अड्डे का प्रचालन और रखरखाव करने में जेवीसी की विफलता, और ऐसा उल्लंघन भाविप्रा से लिखित सूचना (जिसमें ऐसे उल्लंघन का उल्लेख हो और जेवीसी से उसे ठीक करने की अपेक्षा की गई हो) प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर सुधारा न गया हो;
- (ङ) अनुच्छेद 9.1.1 के उल्लंघन में किसी भी ISO9001:2000 प्रमाणन को प्राप्त करने या उसे बनाए रखने में विफलता, जो उस तिथि के बाद 6 माह की अवधि के लिए हो जब जेवीसी पहली बार अनुच्छेद 9.1.1(सी) के

प्रावधानों के तहत इसके संबंध में परिनिर्धारित हर्जाना देने के लिए उत्तरदायी बनता है। बशर्ते, तथापि, यहाँ शामिल किसी भी बात के बावजूद (जिसमें बिना किसी सीमा के इसका अनुच्छेद 17.3 शामिल है), 'समाप्ति के इरादे की सूचना' (जैसा कि इसके बाद परिभाषित है) जारी होने के बाद, यदि ऐसा जारी किया गया हो, जेवीसी के पास आवश्यक प्रमाणन प्राप्त करने के लिए 2 माह की अतिरिक्त अवधि होगी और यदि उक्त 2 माह की अवधि के भीतर इसे प्राप्त कर लिया जाता है, और देरी के प्रत्येक माह के लिए उक्त 2 माह की अवधि हेतु मासिक राजस्व (चूक से पहले का) के 2.5% का अतिरिक्त हर्जाना भी भुगतान कर दिया गया है, तो भाविप्रा समाप्ति के इरादे की संबंधित सूचना को वापस ले लेगी और जेवीसी की इस चूक की घटना को ठीक कर दिया गया माना जाएगा;

- (च) वस्तुनिष्ठ सेवा गुणवत्ता अपेक्षाओं के तहत दायित्वों का निरंतर उल्लंघन, जो उस तिथि के बाद 3 माह की अवधि के लिए हो जब जेवीसी पहली बार अनुच्छेद 9.1.2 के प्रावधानों के तहत इसके संबंध में परिनिर्धारित हर्जाना देने के लिए उत्तरदायी बनता है। बशर्ते, तथापि, यहाँ शामिल किसी भी बात के बावजूद (जिसमें बिना किसी सीमा के इसका अनुच्छेद 17.3 शामिल है), 'समाप्ति के इरादे की सूचना' (जैसा कि इसके बाद परिभाषित है) जारी होने के बाद, यदि ऐसा जारी किया गया हो, जेवीसी के पास संबंधित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 2 माह की अतिरिक्त अवधि होगी और यदि उक्त 2 माह की अवधि के भीतर इसे प्राप्त कर लिया जाता है, और लक्ष्य प्राप्त न होने के प्रत्येक माह के लिए उक्त 2 माह की अवधि हेतु मासिक राजस्व (चूक से पहले का) के 0.5% का अतिरिक्त हर्जाना भी भुगतान कर दिया गया है, तो भाविप्रा समाप्ति के इरादे की संबंधित सूचना को वापस ले लेगा और जेवीसी की इस चूक की घटना को ठीक कर दिया गया माना जाएगा;
- (छ) विषयनिष्ठ सेवा गुणवत्ता अपेक्षाओं के तहत दायित्वों का निरंतर उल्लंघन, जो उस तिथि के बाद 6 माह की अवधि के लिए हो जब जेवीसी पहली बार अनुच्छेद 9.1.3 के प्रावधानों के तहत इसके संबंध में परिनिर्धारित हर्जाना देने के लिए उत्तरदायी बनता है। बशर्ते, तथापि, यहाँ शामिल किसी भी बात के बावजूद (जिसमें बिना किसी सीमा के इसका अनुच्छेद 17.3 शामिल है), 'समाप्ति के इरादे की सूचना' (जैसा कि इसके बाद परिभाषित है) जारी होने के बाद, यदि ऐसा जारी किया गया हो, जेवीसी के पास 'लक्ष्य रेटिंग' प्राप्त करने के लिए 2 माह की अतिरिक्त अवधि होगी, और यदि उक्त 2 माह की अवधि के भीतर इसे प्राप्त कर लिया जाता है, और अनुच्छेद 9.1.3 में प्रावधानित अतिरिक्त परिनिर्धारित हर्जाने का भी उक्त 2 माह की अवधि के लिए भुगतान कर दिया गया है, तो भाविप्रा समाप्ति के इरादे की संबंधित सूचना को वापस ले लेगी और जेवीसी की इस चूक की घटना को ठीक कर दिया गया माना जाएगा;
- (ज) विकास मानकों और अपेक्षाओं के तहत दायित्वों का निरंतर उल्लंघन, जो उस तिथि के बाद 6 माह की अवधि के लिए हो जब जेवीसी पहली बार अनुच्छेद 9.1.4 के प्रावधानों के तहत इसके संबंध में परिनिर्धारित हर्जाना देने के लिए उत्तरदायी बनता है। बशर्ते, तथापि, यहाँ शामिल किसी भी बात के बावजूद (जिसमें बिना किसी सीमा के इसका अनुच्छेद 17.3 शामिल है), 'समाप्ति के इरादे की सूचना' (जैसा कि इसके बाद परिभाषित है) जारी होने के बाद, यदि ऐसा जारी किया गया हो, जेवीसी के पास संबंधित विकास मानक प्राप्त करने के लिए 2 माह की अतिरिक्त अवधि होगी, और यदि उक्त 2 माह की अवधि के भीतर इसे प्राप्त कर लिया जाता है, और उक्त 2 माह की अवधि के लिए मासिक राजस्व (चूक से पहले का) के 2.5% का अतिरिक्त हर्जाना भी भुगतान कर दिया गया है, तो भाविप्रा समाप्ति के इरादे की संबंधित सूचना को वापस ले लेगा और जेवीसी की इस चूक की घटना को ठीक कर दिया गया माना जाएगा;
- (झ) जेवीसी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, स्वयं या रियायत, उप-रियायत, एजेंसी, पट्टे, लाइसेंस या अन्यथा माध्यम से, इस समझौते के तहत परिकल्पित गतिविधियों के अतिरिक्त कोई अन्य गतिविधि करता है या निष्पादित करता है और भाविप्रा से लिखित सूचना (जिसमें ऐसे उल्लंघन का उल्लेख हो और जेवीसी से उसे ठीक करने की अपेक्षा की गई हो) प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर ऐसे उल्लंघन को सुधारा नहीं जाता है;
- (ञ) हवाई अड्डे से संबंधित भाविप्रा के मौजूदा अनुबंधों के प्रतिपक्षों से संपर्क करने में जेवीसी द्वारा उचित सर्वोत्तम प्रयास करने में विफलता, ताकि यहाँ अनुच्छेद 5.2 में वर्णित तरीके से उन अनुबंधों को स्वयं के नाम पर नवीकृत या स्थानांतरित कराया जा सके, और भाविप्रा से लिखित सूचना (जिसमें ऐसे उल्लंघन का उल्लेख हो और जेवीसी से उसे ठीक करने की अपेक्षा की गई हो) प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर ऐसे उल्लंघन को सुधारा नहीं जाता है;
- (ट) वित्तीय दस्तावेजों के किसी भी प्रावधान के तहत जेवीसी द्वारा महत्वपूर्ण चूक, सिवाय उस सीमा के जहाँ ऋणदाता: (ए) भाविप्रा को लिखित सूचना द्वारा प्रमाणित करके ऐसी चूक को माफ करने के लिए तैयार हों; या (बी) जेवीसी को इसे ठीक करने का अवसर दें;

- (ठ) अनुच्छेद 8.5.6 के अनुसार हवाई अड्डे के संबंध में बीमा (बीमाओं) को बनाए रखने में जेवीसी की विफलता, और ऐसी विफलता की तिथि से 60 दिनों की अवधि के भीतर इस विफलता को सुधारा नहीं जाता है;
- (ड) इस समझौते के तहत देय किसी भी भुगतान को उसकी नियत तिथि के 30 दिनों के भीतर करने में जेवीसी की विफलता;
- (ढ) यहाँ अनुच्छेद 8.5.7 की शर्तों का कोई भी उल्लंघन और ऐसे उल्लंघन की तिथि से 60 दिनों की अवधि के भीतर इसे सुधारा नहीं जाता है;
- (ण) 24 माह की किसी भी अवधि में दो (2) से अधिक बार ऐसी रुकावटें/व्यवधान होना, जिसके कारण यहाँ अनुच्छेद 14.2 के अनुसार भाविप्रा द्वारा हवाई अड्डे का नियंत्रण अपने हाथ में लिया गया हो;
- (त) मास्टर प्लान या किसी प्रमुख विकास योजना का पालन न करना, उल्लंघन, गैर-अनुपालन, या अवहेलना करना, और ऐसे उल्लंघन की तिथि से 60 दिनों की अवधि के भीतर इसे सुधारा नहीं जाता है;
- (थ) हवाई अड्डे पर यहाँ की अनुसूची 15 में सूचीबद्ध विशेषज्ञों को नियुक्त करने में विफलता, और ऐसी विफलता की तिथि से 60 दिनों की अवधि के भीतर इसे सुधारा नहीं जाता है;
- (द) अनुच्छेद 2.5 के उल्लंघन में किसी भी इकाई में शेयरों या वोटिंग अधिकारों का कोई भी हस्तांतरण या प्रचालक में बदलाव;
- (ध) किसी सक्षम क्षेत्राधिकार वाली अदालत द्वारा जेवीसी जेवीसी को बंद करने का आदेश दिया जाता है, जेवीसी स्वेच्छा से बंद होने के लिए याचिका दायर करता है, या जेवीसी की संपत्तियों पर कोई कुर्की या रोक लगाई जाती है; या अदालत द्वारा जेवीसी के पूरे या काफी हद तक पूरे उपक्रम के लिए एक अनंतिम परिसमापक, प्रशासक, रिसीवर के ट्रस्टी की नियुक्ति की जाती है;
- (न) यहाँ अनुच्छेद 8.2 में निर्धारित किसी भी अनिवार्य पूंजीगत परियोजना की शुरुआत या समापन में देरी के लिए देय 10% के परिनिर्धारित हर्जाने की अधिकतम देनदारी सीमा तक पहुँच जाना और उक्त चूक का अनसुलझा रहना। बशर्ते, तथापि, यहाँ शामिल किसी भी बात के बावजूद (जिसमें बिना किसी सीमा के इसका अनुच्छेद 17.3 शामिल है), 'समाप्ति के इरादे की सूचना' (जैसा कि इसके बाद परिभाषित है) जारी होने के बाद, यदि ऐसा जारी किया गया हो, जेवीसी के पास संबंधित अनिवार्य पूंजीगत परियोजना को शुरू करने या पूरा करने (जैसी भी स्थिति हो) के लिए 2 माह की अतिरिक्त अवधि होगी। यदि उक्त 2 माह की अवधि के भीतर इसे शुरू या पूरा कर लिया जाता है, और परिनिर्धारित हर्जाने की अधिकतम देनदारी सीमा के बावजूद, देरी के प्रत्येक सप्ताह (या उसके भाग) के लिए ऐसी अनिवार्य पूंजीगत परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत के 0.5% का अतिरिक्त हर्जाना भी भुगतान कर दिया गया है, तो भाविप्रा समाप्ति के इरादे की संबंधित सूचना को वापस ले लेगा और जेवीसी की इस चूक की घटना को ठीक कर दिया गया माना जाएगा;
- (न) यहाँ अनुच्छेद 8.3.6 में निर्धारित मास्टर प्लान प्रस्तुत करने में देरी के लिए देय 25 करोड़ रुपये के परिनिर्धारित हर्जाने की अधिकतम देनदारी सीमा तक पहुँच जाना और उक्त चूक का अनसुलझा रहना। बशर्ते, तथापि, यहाँ शामिल किसी भी बात के बावजूद (जिसमें बिना किसी सीमा के इसका अनुच्छेद 17.3 शामिल है), 'समाप्ति के इरादे की सूचना' (जैसा कि इसके बाद परिभाषित है) जारी होने के बाद, यदि ऐसा जारी किया गया हो, जेवीसी के पास मास्टर प्लान प्रस्तुत करने के लिए 2 माह की अतिरिक्त अवधि होगी। यदि उक्त 2 माह की अवधि के भीतर इसे प्रस्तुत कर दिया जाता है, और परिनिर्धारित हर्जाने की अधिकतम देनदारी सीमा के बावजूद, देरी के प्रत्येक दिन के लिए 25,00,000/- रुपये (पच्चीस लाख रुपये) का अतिरिक्त हर्जाना भी भुगतान कर दिया गया है, तो भाविप्रा समाप्ति के इरादे की संबंधित सूचना को वापस ले लेगा और जेवीसी की इस चूक की घटना को ठीक कर दिया गया माना जाएगा;
- (प) यहाँ अनुच्छेद 8.3.8 में निर्धारित मास्टर प्लान में उल्लिखित किसी भी सुविधा के निर्माण या शुरुआत में देरी के लिए देय 10% के परिनिर्धारित हर्जाने की अधिकतम देनदारी सीमा तक पहुँच जाना और उक्त चूक का अनसुलझा रहना। बशर्ते, तथापि, यहाँ शामिल किसी भी बात के बावजूद (जिसमें बिना किसी सीमा के इसका अनुच्छेद 17.3 शामिल है), 'समाप्ति के इरादे की सूचना' (जैसा कि इसके बाद परिभाषित है) जारी होने के बाद, यदि ऐसा जारी किया गया हो, जेवीसी के पास संबंधित पूंजीगत परियोजना को शुरू करने या पूरा करने (जैसी भी स्थिति हो) के लिए 2 माह की अतिरिक्त अवधि होगी।
- (फ) यदि उक्त 2 माह की अवधि के भीतर इसे शुरू या पूरा कर लिया जाता है, और परिनिर्धारित हर्जाने की अधिकतम देनदारी सीमा के बावजूद, देरी के प्रत्येक सप्ताह (या उसके भाग) के लिए ऐसी पूंजीगत परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत के 0.5% का अतिरिक्त हर्जाना भी भुगतान कर दिया गया है, तो

भाविप्रा समाप्ति के इरादे की संबंधित सूचना को वापस ले लेगा और जेवीसी की इस चूक की घटना को ठीक कर दिया गया माना जाएगा; तथा

- (ब) यहाँ अनुच्छेद 8.6 (डी) के अनुसरण में संपूर्ण परफॉर्मेंस बॉन्ड के भुनाने के तीन (3) माह के भीतर परफॉर्मेंस बॉन्ड को उसकी पूरी राशि तक फिर से भरने में विफलता।

17.3 डिफॉल्ट के परिणाम

17.3.1 समाप्ति नोटिस

- (क) यदि जेवीसी की ओर से कोई चूक (डिफॉल्ट) होती है, तो भाविप्रा को इस अनुबंध को खत्म करने के अपने आशय का नोटिस ("**समाप्ति के आशय का नोटिस**") देने का अधिकार होगा। भाविप्रा द्वारा समाप्ति के आशय का नोटिस जारी करते ही, लेंडर्स को जेवीसी का स्थान लेने और इस अनुबंध के तहत जेवीसी की ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए किसी एंटीटी प्रतिस्थापन इकाई ("**सब्सटिट्यूट एंटीटी**") को नामित करने का अधिकार होगा। जेवीसी यह सुनिश्चित करेगा कि लेंडर भाविप्रा को सूचित करें कि क्या वे 'समाप्ति के आशय के नोटिस' या 'लेंडर के डिफॉल्ट नोटिस' (जैसा कि 'प्रतिस्थापन अनुबंध' में परिभाषित है) की प्राप्ति के साठ (60) दिनों के भीतर अपने प्रतिस्थापन के अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। ऐसी किसी भी प्रतिस्थापन इकाई ("**सब्सटिट्यूट एंटीटी**") के पास इस अनुबंध की शर्तों के अनुसार जेवीसी की ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए ज़रूरी कानूनी, वित्तीय और तकनीकी क्षमता होनी चाहिए।
- (ख) ऐसी किसी भी वैकल्पिक इकाई को 'प्रतिस्थापन अनुबंध' (सब्सिट्यूशन एग्रीमेंट) में बताई गई प्रक्रिया के अनुसार नामित किया जाएगा।
- (ग) ऐसी स्थिति में जब:
- (i) लेंडर्स ने अपने प्रतिस्थापन (सब्सिट्यूशन) के अधिकार का उपयोग न करने का फैसला किया हो, या
 - (ii) प्रतिस्थापन अनुबंध में तय समय-सीमा के भीतर लेंडर्स ने किसी प्रतिस्थापन इकाई (सब्सिट्यूट एंटीटी) को नामित न किया हो; या
 - (iii) किसी नामित प्रतिस्थापन इकाई (सब्सटिट्यूट एंटीटी) / वैकल्पिक प्रतिस्थापन इकाई (आल्टर्नेट सब्सटिट्यूट एंटीटी) को भाविप्रा ने प्रतिस्थापन अनुबंध में तय समय के भीतर अनुमोदन नहीं दी है; या
 - (iv) चयनित प्रतिस्थापन इकाई (सब्सिट्यूट एंटीटी), प्रतिस्थापन अनुबंध में तय समय-सीमा के भीतर जेवीसी के उस उल्लंघन को ठीक नहीं कर पाई है, जिसके कारण खत्म करने के आशय का नोटिस (नोटिस ऑफ़ ईंटेंशन टू टर्मिनेट) दिया गया था।

तब भाविप्रा या उसके द्वारा नियुक्त किसी भी इकाई को जेवीसी को इस समझौते को समाप्त करने का नोटिस जारी करने का अधिकार होगा, लेकिन ऐसा करना उनके लिए अनिवार्य नहीं होगा। भाविप्रा द्वारा समाप्ति के ऐसे अधिकार का प्रयोग करने की स्थिति में, भाविप्रा

- (i) अनुच्छेद 19 में निर्धारित तरीके से, हस्तांतरण की तारीख से 6 महीने के भीतर, हस्तांतरण परिसंपत्तियों के संबंध में जेवीसी की पुस्तकों में दर्ज ऋण (Debt) की 90% राशि का भुगतान करने पर, तथा उक्त राशि का निर्धारण अनुच्छेद 19.6 के अनुसार किए जाने पर, हस्तांतरण परिसंपत्तियों में जेवीसी के सभी अधिकार, स्वामित्व और हित प्राप्त करना।
- (ii) आर्टिकल 19 में बताए गए तरीके से, सभी या किसी भी 'गैर हस्तांतरण परिसंपत्ति' में जेवीसी के सभी अधिकारों, मालिकाना हक और हितों को प्राप्त करने का अधिकार है,

लेकिन ऐसा करना बाध्य नहीं है। ऐसे 'गैर हस्तांतरण परिसंपत्ति की 'डिस्काउंटेड फेयर वैल्यू' (जेवीसी की बुक्स में दर्ज बुक मूल्य और शुद्ध वर्तमान मूल्य में से जो भी कम हो) का भुगतान हस्तांतरण की तिथि से 6 महीने के भीतर करने पर, जैसा कि आर्टिकल 19.6 के अनुसार तय किया गया है।

17.3.2 भाविप्रा डिफ़ॉल्ट घटना घटित होने की स्थिति में, जेवीसी के पास भाविप्रा को यह सूचित करने का अधिकार होगा कि ऐसी घटना घटी है और (यदि यह निवारण योग्य है) छह (6) महीने की उपचार अवधि के भीतर इसका निवारण करने की मांग कर सकेगा। जेवीसी के पास यह अधिकार होगा (लेकिन बाध्यता नहीं होगी) कि वह इस अनुबंध को खत्म करने के अपने आशय का नोटिस दे; इसके 30 दिनों के भीतर, जेवीसी (जेवीसी) के पास यह अधिकार होगा (लेकिन बाध्यता नहीं होगी) कि वह भाविप्रा को इस अनुबंध को समाप्त करने का नोटिस जारी करे। यदि जेवीसी (जेवीसी) अनुबंध को खत्म करने के इस अधिकार का उपयोग करती है, तो ऐसी स्थिति में भाविप्रा:

- (क) हस्तांतरण की तिथि के 6 महीने के अंदर पेमेंट करने पर, आर्टिकल 19 में बताए गए तरीके से हस्तांतरण एसेट्स में जेवीसी (जेवीसी) के सभी अधिकार, मालिकाना हक और हित प्राप्त करना,
 - (i) अनुच्छेद 19.6 के अनुसार निर्धारित, हस्तांतरण परिसंपत्तियों से संबंधित ऋण का 100%; और
 - (ii) अनुच्छेद 19.6 के अनुसार निर्धारित, हस्तांतरण परिसंपत्तियों से संबंधित जेवीसी की इक्विटी शेयर पूंजी के सब्सक्राइब्ड और प्रदत्त मूल्य का 120%।
- (ख) हस्तांतरण तिथि के 6 महीने के भीतर, अनुच्छेद 19.6 के अनुसार निर्धारित ऐसी गैर-हस्तांतरण परिसंपत्तियों के उचित बाजार मूल्य का भुगतान करने पर, अनुच्छेद 19 में निर्धारित तरीके से सभी या किसी भी गैर-हस्तांतरण परिसंपत्तियों में जेवीसी (जेवीसी) के सभी अधिकारों, स्वामित्व और हितों का अधिग्रहण करने का अधिकार रखेगा लेकिन बाध्यता नहीं होगी।

अध्याय XVIII
अवधि, समाप्ति और हस्तांतरण

18.1 अवधि और समाप्ति

- (क) जब तक कि आर्टिकल 17.3 या आर्टिकल 16.1.5 के अनुसार, या पार्टियों के बीच लिखित आपसी सहमति से इसे पहले खत्म न किया जाए यह अनुबंध प्रभावी तिथि के प्रारंभ से (अध्याय 1, 3, 7, 15, 17 और अनुच्छेद 4.3, 5.2(बी)(i), 5.4, 8.3.5, 8.4.2, 8.5.9, 11.1.1, 13.1(बी), 20.3.7 को छोड़कर, जो निष्पादन की तिथि से ही पक्षों पर बाध्यकारी होंगे) प्रभावी तिथि की 30वीं वर्षगांठ तक पूर्ण प्रभाव में बना रहेगा।
- (ख) प्रभावी तारीख से 30 साल पूरे होने से पहले, जेवीसी को लिखित सूचना देकर इस अवधि को अतिरिक्त 30 साल के लिए बढ़ाने का अधिकार होगा। यह विस्तार उन्हीं शर्तों और नियमों के आधार पर होगा जो इसमें दिए गए हैं, बशर्ते कि:
- (i) प्रभावी तिथि से 25वें वर्ष के पूर्ववर्ती पाँच (5) वर्षों के दौरान कोई जेवीसी डिफॉल्ट घटना घटित न हुई हो, और
 - (ii) विस्तार के ऐसे अधिकार का प्रयोग प्रभावी तिथि से 25वीं वर्षगांठ से पहले किया जा रहा है, लेकिन प्रभावी तिथि से 25वीं वर्षगांठ से छह (6) महीने से पहले नहीं।

हालाँकि, यदि जेवीसी द्वारा विस्तार के अधिकार का प्रयोग करने के समय से लेकर प्रभावी तिथि की 30वीं वर्षगांठ तक किसी भी समय जेवीसी डिफॉल्ट घटना या परिसमाप्त नुकसान (liquidated damages) लगाने वाली जेवीसी द्वारा कोई अन्य चूक होती है, तो जेवीसी का 30 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के विस्तार का अधिकार समाप्त (lapse) हो जाएगा, जब तक कि भाविप्रा द्वारा अन्यथा सहमति न दी गई हो।

- (ग) यदि इस अनुबंध को उपर्युक्त तरीके से 30 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए विस्तारित नहीं किया जाता है, तो यह अनुबंध प्रभावी तिथि की 30वीं वर्षगांठ पर समाप्त हो जाएगा और भाविप्रा या उसके द्वारा नामिति हस्तांतरण तिथि के 6 (छह) महीनों के भीतर जेवीसी को भुगतान करके अनुच्छेद 19 में निर्धारित तरीके से हस्तांतरण परिसंपत्तियों में जेवीसी के सभी अधिकारों, स्वामित्व और हितों का अधिग्रहण करेगा:
- (i) अनुच्छेद 19.6 के अनुसार निर्धारित, हस्तांतरण परिसंपत्तियों से संबंधित जेवीसी की इक्विटी शेयर पूंजी के सब्सक्राइब्ड और प्रदत्त मूल्य का 120%; और
 - (ii) अनुच्छेद 19.6 के अनुसार निर्धारित, हस्तांतरण परिसंपत्तियों से संबंधित ऋण का 100%।

इसके अतिरिक्त, भाविप्रा के पास हस्तांतरण तिथि के 6 (छह) महीनों के भीतर अनुच्छेद 19.6 के अनुसार निर्धारित ऐसी गैर-हस्तांतरण परिसंपत्तियों के शुद्ध वर्तमान मूल्य (Net Present Value) का भुगतान करके, अनुच्छेद 19 में निर्धारित तरीके से सभी या किसी भी गैर-हस्तांतरण परिसंपत्तियों में जेवीसी के सभी अधिकारों, स्वामित्व और हितों को प्राप्त करने का अधिकार होगा, लेकिन बाध्यता नहीं होगी।

- (घ) यदि इस अनुबंध को उपर्युक्त तरीके से 30 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए विस्तारित किया जाता है, और यह अनुबंध उससे पहले समाप्त नहीं होता है, तो अनुबंध प्रभावी तिथि की 60वीं वर्षगांठ पर समाप्त हो जाएगा और भाविप्रा या उसके द्वारा नामिति हस्तांतरण तिथि के 6 (छह) महीनों के भीतर जेवीसी को अनुच्छेद 19.6 के अनुसार निर्धारित हस्तांतरण परिसंपत्तियों से संबंधित ऋण का 100% भुगतान करके अनुच्छेद 19 में निर्धारित तरीके से हस्तांतरण परिसंपत्तियों में जेवीसी के सभी अधिकारों, स्वामित्व और हितों का अधिग्रहण करेगा।
- (ङ) इस अनुबंध की वैधता की कुल अवधि, प्रभावी तिथि से शुरू होकर शुरूआती 30 वर्षों की होगी; और यदि इसे अतिरिक्त 30 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता है, तो यह कुल 60 वर्षों की अवधि होगी, जब तक कि इस अनुबंध की शर्तों के अनुसार इसे पहले ही समाप्त न कर दिया जाए।

अध्याय XIX हस्तांतरण प्रावधान

19.1 हस्तांतरण परिसंपत्तियों का हस्तांतरण

19.1.1 इस अनुबंध की समाप्ति और इसके अनुच्छेद 17.3 एवं 16.1.5 के तहत हस्तांतरण परिसंपत्तियों को अधिग्रहित करने के भाविप्रा के परिणामस्वरूप दायित्व पर, या अवधि की समाप्ति पर, जेवीसी यह सुनिश्चित करेगा कि हस्तांतरण तिथि पर जेवीसी का हित:

- (i) हस्तांतरण परिसंपत्तियों से संबंधित सभी चल संपत्ति, स्टॉक, सामग्री, वाहन और स्पेयर पार्ट्स को किसी भी भारग्रस्तता से मुक्त और स्पष्ट स्वामित्व के साथ भाविप्रा या उसके द्वारा नामिति को हस्तांतरित किया जाएगा;
- (ii) हस्तांतरण परिसंपत्तियों से संबंधित सभी अचल संपत्ति, परिसंपत्तियों, संरचनाओं, भवनों, प्रांगणों, रास्तों, दीवारों, अहातों को किसी भी भारग्रस्तता से मुक्त और स्पष्ट स्वामित्व के साथ भाविप्रा या उसके द्वारा नामिति को हस्तांतरित किया जाएगा (उन अतिक्रमणों को छोड़कर जो इस अनुबंध की तारीख को मौजूद हैं, सिवाय उस सीमा के जहां ऐसे अतिक्रमण प्रभावी तिथि के बाद हटा दिए गए हैं)
- (iii) जेवीसी और किसी तीसरे पक्ष के बीच इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार हस्तांतरित परिसंपत्तियों से संबंधित सभी अनुबंधों और अन्य व्यवस्थाओं के तहत अधिकार और दायित्व (संविदा और अन्य व्यवस्थाओं के तहत दायित्वों के भाविप्रा द्वारा ग्रहण किए जाने के प्रतिफल में) भाविप्रा या उसके द्वारा नामिति में किसी भी भारग्रस्तता से मुक्त और स्पष्ट स्वामित्व के साथ निहित होंगे; और
- (iv) हस्तांतरण परिसंपत्तियों से संबंधित अन्य सभी संविदाएँ और व्यवस्थाओं, परिसंपत्तियों, संपत्ति और अधिकारों के तहत अधिकार और दायित्व (संविदाओं, व्यवस्थाओं, परिसंपत्तियों, संपत्ति और अधिकारों के तहत दायित्वों के भाविप्रा द्वारा ग्रहण किए जाने के प्रतिफल में) भाविप्रा या उसके द्वारा नामिति में किसी भी भारग्रस्तता से मुक्त और स्पष्ट स्वामित्व के साथ निहित होंगे।
- (v) अनुच्छेद 19.1.1 (ii) और (iii) में निहित किसी भी बात के बावजूद, हवाई अड्डे के किसी भी हस्तांतरण से पहले, भाविप्रा को उन संविदा और अनुबंधों का सम्यक तत्परता (due diligence) करने का अधिकार होगा, जिनके अधिकारों और दायित्वों को वह ग्रहण कर रहा है और वह ऐसे अनुबंधों के अधिकारों और दायित्वों को ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं होगा, जो भाविप्रा की एकमात्र राय में अनुचित रूप से दुर्भर (onerous) हैं, और अनुबंधों के किए जाने के समय दुर्भर माने जाते हैं। ऐसे सभी संविदा के मामले में जिन्हें भाविप्रा को हस्तांतरण नहीं किया गया है, किसी भी तीसरे पक्ष (जिसमें संविदा की दूसरी पार्टी भी शामिल है) का किसी भी हस्तांतरण परिसंपत्ति पर कोई अधिकार, लाइसेंस, मालिकाना हक, हित, लाभ, दावा या मांग नहीं होगी। साथ ही, ऐसे हस्तांतरण परिसंपत्ति को भाविप्रा या उसके नामिति को बिना किसी भारग्रस्तता के और स्पष्ट स्वामित्व साथ हस्तांतरित किया जाएगा।

19.1.2 इसके अतिरिक्त, इस अनुच्छेद 19.1 में निहित किसी भी बात के बावजूद, हस्तांतरण तिथि से पहले के कार्यों या निष्क्रियताओं के कारण जेवीसी का या हवाई अड्डे से संबंधित कोई भी दायित्व (संचित या आकस्मिक) भाविप्रा या उसके नामितों द्वारा ग्रहण या हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। भाविप्रा या उसके द्वारा नामिति केवल हस्तांतरण तिथि के बाद उत्पन्न होने वाले हवाई अड्डे के संबंध में दायित्वों के लिए उत्तरदायी होंगे। ऐसे किसी भी दायित्व को भाविप्रा या उसके नामिति द्वारा ग्रहण किए जाने या हस्तांतरित किए जाने या हस्तांतरण परिसंपत्तियों में से किसी पर कोई भारग्रस्तता मौजूद होने की स्थिति में, ऐसे दायित्व की मात्रा और/या ऐसे भारग्रस्तता के अनुरूप राशि, हस्तांतरण परिसंपत्तियों के हस्तांतरण के संबंध में भाविप्रा द्वारा जेवीसी को देय राशि से कम कर दी जाएगी।

19.1.3 पूर्वगामी के प्रतिकूल प्रभाव के बिना, जेवीसी इस बात के लिए सहमत है कि वह भाविप्रा को उन सभी तरह की कार्रवाइयों, कानूनी प्रक्रियाओं, नुकसान, हर्जाने, देनदारियों, दावों और खर्चों से बचाएगा और उनकी भरपाई करेगा, जो हस्तांतरण परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से पूर्व जेवीसी के किसी कार्य या किसी चूक की वजह से भाविप्रा को वहन करना पड़ सकता है। पक्षों द्वारा यह स्पष्ट रूप से समझा गया है कि यह अनुच्छेद इस अनुबंध के खत्म होने या इसकी अवधि पूरी होने के बाद भी लागू रहेगा।

19.2 गैर-हस्तांतरण परिसंपत्तियों का हस्तांतरण

19.2.1 इसके अनुच्छेद 17.3 और 16.1.5 के तहत किसी भी या सभी गैर-हस्तांतरण परिसंपत्तियों को अधिग्रहित करने के भाविप्रा के अधिकार (सिर्फ अपने विवेकाधिकार) के प्रयोग पर या अवधि समाप्त होने पर, जेवीसी यह सुनिश्चित करेगा कि हस्तांतरण तिथि पर या उससे पहले जेवीसी (जेवीसी) का हित:

- (i) भाविप्रा द्वारा चयनित ऐसी गैर-हस्तांतरण परिसंपत्तियों से संबंधित सभी चल संपत्ति, स्टॉक, सामग्री, वाहन और स्पेयर पार्ट्स को भाविप्रा या उसके द्वारा नामिति को किसी भी भारग्रस्तता से मुक्त और स्पष्ट स्वामित्व के साथ हस्तांतरित किया जाएगा
- (ii) भाविप्रा द्वारा चयनित ऐसी गैर-हस्तांतरण परिसंपत्तियों से संबंधित सभी अचल संपत्ति, परिसंपत्तियों, संरचनाओं, भवनों, प्रांगणों, रास्तों, दीवारों, अहातों को भाविप्रा या उसके द्वारा नामिति को किसी भी भारग्रस्तता से मुक्त और स्पष्ट स्वामित्व के साथ हस्तांतरित किया जाएगा (इस तिथि पर मौजूद किसी भी अतिक्रमण को छोड़कर, सिवाय उस सीमा तक जहाँ ऐसे अतिक्रमणों को प्रभावी तिथि के बाद हटा दिया गया है);
- (iii) भाविप्रा द्वारा चयनित ऐसी गैर-हस्तांतरण परिसंपत्तियों से संबंधित सभी संविदाओं और जेवीसी तथा किसी तीसरे पक्ष के बीच इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार की गई अन्य व्यवस्थाओं के तहत अधिकार और दायित्व (संविदाओं और अन्य व्यवस्थाओं के तहत दायित्वों को भाविप्रा द्वारा ग्रहण करने के प्रतिफल में) भाविप्रा या उसके द्वारा नामिति में किसी भी भारग्रस्तता से मुक्त और स्पष्ट स्वामित्व के साथ निहित होंगे; और
- (iv) भाविप्रा द्वारा चुनी गई ऐसी गैर-हस्तांतरण परिसंपत्तियों से संबंधित अन्य सभी संविदाओं और व्यवस्थाओं, परिसंपत्तियों, संपत्ति और अधिकारों के तहत अधिकार और दायित्व (संविदाओं व्यवस्थाओं, परिसंपत्तियों, संपत्ति और अधिकारों के तहत दायित्वों को भाविप्रा द्वारा ग्रहण करने के प्रतिफल में) भाविप्रा या उसके नामित व्यक्ति में किसी भी भारग्रस्तता से मुक्त और स्पष्ट स्वामित्व के साथ निहित होंगे।
- (v) अनुच्छेद 19.2.1 (ii) और (iii) में निहित किसी भी बात के बावजूद, हवाई अड्डे के किसी भी हस्तांतरण से पहले, भाविप्रा को उन संविदाओं और अनुबंधों का सम्यक तत्परता करने का अधिकार होगा, जिनके अधिकारों और दायित्वों को वह ग्रहण कर रहा है और वह ऐसे अनुबंधों के अधिकारों और दायित्वों को ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं होगा, जो एएआई की एकमात्र राय में अनुचित रूप से दुर्भर हैं, और संविदाओं के किए जाने के समय दुर्भर माने जाते हैं। ऐसे सभी संविदा जो भाविप्रा को स्थानांतरित नहीं किए जाते हैं, उनके संबंध में संविदा के प्रतिपक्ष सहित किसी भी तीसरी इकाई का किसी भी गैर-हस्तांतरण परिसंपत्ति पर या उसके विरुद्ध कोई अधिकार, लाइसेंस, स्वामित्व, हित, लाभ, दावा या मांग नहीं होगी।

19.2.2 इसके अतिरिक्त, इस अनुच्छेद में निहित किसी भी बात के बावजूद, हस्तांतरण तिथि से पहले के कार्यों या निष्क्रियताओं के कारण जेवीसी का या हवाई अड्डे से संबंधित कोई भी दायित्व (संचित या आकस्मिक) भाविप्रा या उसके नामितों द्वारा ग्रहण या स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। भाविप्रा या उसके द्वारा नामिति केवल हस्तांतरण तिथि के बाद उत्पन्न होने वाले हवाई अड्डे के संबंध में दायित्वों के लिए उत्तरदायी होंगे। ऐसे किसी भी दायित्व को भाविप्रा या उसके द्वारा नामिति द्वारा ग्रहण किए जाने या हस्तांतरित किए जाने या किसी गैर-हस्तांतरण परिसंपत्ति पर कोई प्रभार मौजूद होने की स्थिति में, ऐसे दायित्व की मात्रा और/या ऐसे भारग्रस्तता के अनुरूप राशि, किसी भी गैर-हस्तांतरण परिसंपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में भाविप्रा द्वारा जेवीसी को देय राशि से कम कर दी जाएगी।

19.2.3 पूर्वगामी के प्रतिकूल प्रभाव के बिना, जेवीसी किसी भी गैर-हस्तांतरण परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से पहले जेवीसी के किसी भी कार्य या चूक के परिणामस्वरूप एएआई द्वारा सहन किए गए या उठाए गए सभी कार्यों, कार्यवाहियों, नुकसानों, क्षतियों, दायित्वों, दावों, लागतों और खर्चों से एएआई को क्षतिपूर्ति करने और सुरक्षित रखने के लिए सहमत है। पक्षों द्वारा यह स्पष्ट रूप से समझा गया है कि यह अनुच्छेद इस अनुबंध की समाप्ति या अवधि पूरी होने के बाद भी लागू रहेगा।

- 19.2.4 यह स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि यदि भाविप्रा, जेवीसी से किसी भी और/या सभी गैर-हस्तांतरण परिसंपत्तियों को न खरीदने का विकल्प चुनता है, तो पक्ष ऐसी गैर-हस्तांतरण परिसंपत्तियों और अंतर्निहित भूमि के संबंध में सभी परिसंपत्तियों, भवनों, फिक्स्चर, सभी या किसी भी एकल अधिकार, स्वतंत्रता, विशेषाधिकार, सुखाधिकार और संबंधित वस्तुओं के साथ ऐसी व्यावसायिक शर्तों पर एक पट्टा विलेख ("लीज एग्रीमेंट") में प्रवेश करेंगे, जो परस्पर सहमत हों। बशर्ते, लीज एग्रीमेंट के नियम और शर्तें तुलनीय अचल संपत्ति के लिए किए गए पट्टों के नियमों और शर्तों से कमतर नहीं होंगी। लीज एग्रीमेंट और उसके निष्पादन से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क या अन्य शुल्क, कर या शुल्क जेवीसी द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अलावा, यदि पक्ष किसी भी कारण से इस समझौते की समाप्ति या समयपूर्व समाप्ति के छह (6) महीनों के भीतर ऐसे लीज एग्रीमेंट के नियमों और शर्तों पर सहमत नहीं होते हैं, तो जेवीसी के पास प्रासंगिक गैर-हस्तांतरण परिसंपत्तियों को हटाने का अधिकार होगा और वह इसके द्वारा उस अंतर्निहित भूमि को खाली करने का वचन देता है जिस पर प्रासंगिक गैर-हस्तांतरण परिसंपत्तियाँ बनाई गई हैं और ऐसी गैर-हस्तांतरण परिसंपत्तियाँ (जैसा कि हटाई न गई हों) उसके बाद भाविप्रा को मिलने वाले सभी अधिकारों या लाभों के साथ अंतर्निहित भूमि में अर्जित होंगी।

19.3

- 19.3.1 जेवीसी अच्छे उद्योग अभ्यास के अनुसार यह सुनिश्चित करेगा कि सभी संपत्ति, परिसंपत्तियाँ, अधिकार और अन्य वस्तुएँ (जैसा भी मामला हो हस्तांतरण परिसंपत्तियों और भाविप्रा द्वारा चुनी गई ऐसी गैर-हस्तांतरण परिसंपत्तियों का गठन करने वाली) जो भाविप्रा में निहित या स्थानांतरित की जाती हैं, अच्छी कार्य स्थिति और मरम्मत की अच्छी स्थिति में होंगी और हवाई अड्डा अच्छे प्रचालन स्थिति में एक चालू व्यवसाय के रूप में भाविप्रा को स्थानांतरित किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए, पक्ष स्थानांतरित की जा रही परिसंपत्तियों का लेखा-परीक्षण करने के लिए एक स्वतंत्र इंजीनियर नियुक्त करेंगे। यदि भाविप्रा में निहित या स्थानांतरित की जाने वाली परिसंपत्तियों में से कोई भी उद्देश्य के लिए उपयुक्त/ मरम्मत की अच्छी स्थिति में नहीं है जैसा कि इस समझौते में निर्धारित प्रस्तावित लक्षित रेटिंग वाले अंतरराष्ट्रीय विश्व स्तरीय हवाई अड्डे से आशा की जाती है (जैसा कि ऐसे स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा प्रमाणित किया गया हो), तो ऐसी सभी परिसंपत्तियों को मरम्मत की अच्छी स्थिति में लाने के लिए आवश्यक लागत या पूंजीगत व्यय जेवीसी द्वारा भाविप्रा को देय होगा, और इसे भाविप्रा द्वारा जेवीसी को देय किसी भी हस्तांतरण भुगतान से काटा जा सकता है।
- 19.3.2 पूर्वगामी को प्राप्त करने के लिए, इसके अनुच्छेद 8.5.7 के प्रावधानों का पालन करने के अतिरिक्त, जेवीसी यह सुनिश्चित करेगा कि यदि किसी तीसरी इकाई का किसी हस्तांतरण परिसंपत्ति और/या गैर-हस्तांतरण परिसंपत्ति में कोई स्वामित्व हित है ("स्वामित्व इकाई"), तो जेवीसी या किसी अन्य तीसरी इकाई द्वारा ऐसी स्वामित्व इकाई के साथ किए गए अनुबंध/व्यवस्थाएं स्पष्ट रूप से यहाँ की शर्तों के अनुसार उक्त हस्तांतरण परिसंपत्ति और/या गैर-हस्तांतरण परिसंपत्ति को अधिग्रहित करने के भाविप्रा के अधिकार को मान्यता देते हैं, और इसमें ऐसी स्वामित्व इकाई से प्रासंगिक हस्तांतरण परिसंपत्ति और/या गैर-हस्तांतरण परिसंपत्ति को यहाँ की शर्तों के अनुसार भाविप्रा को हस्तांतरण करने का एक वचन सम्मिलित है।

इसके बावजूद, यदि भाविप्रा यहाँ की शर्तों के अनुसार किसी कार्यशील पूंजी परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करता है, और उसका मूल्य अधिग्रहित की जा रही ऐसी कार्यशील पूंजी परिसंपत्ति से संबंधित प्रासंगिक परिसंपत्ति के हस्तांतरण भुगतान में शामिल नहीं है, तो भाविप्रा अनुच्छेद 19.6 के अनुसार नियुक्त स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा मूल्यांकन के आधार पर ऐसी कार्यशील पूंजी परिसंपत्ति का भुगतान करेगा।

19.4 पूर्व-समाप्ति दायित्व

इस अनुबंध की समाप्ति भाविप्रा और/या जेवीसी के लिए तब तक अर्जित सभी अधिकारों और दायित्वों के प्रतिकूल प्रभाव के बिना होगी (या जो ऐसी समाप्ति या समाप्ति से पहले किसी कार्य या चूक के संबंध में तत्पश्चात अर्जित हो सकते हैं) और उन प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी जो स्पष्ट रूप से निरंतर दायित्वों का प्रावधान करते हैं या जो ऐसी समाप्ति या समाप्ति के परिणामों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हैं।

19.5 समाप्ति के अन्य अधिकार

इस अनुबंध को समाप्त करने के पक्षों के अधिकार इस समझौते में स्पष्ट रूप से निर्धारित अधिकारों तक सीमित होंगे।

19.6 हस्तांतरण राशियों का भुगतान

- (क) हस्तांतरण तिथि से शुरू होकर, यहाँ प्रदान किए गए तरीके से किसी भी कारण से हस्तांतरण परिसंपत्तियों और/या गैर-हस्तांतरण परिसंपत्तियों को अधिग्रहित करने के भाविप्रा के अधिकार के किसी भी प्रयोग के बाद, भाविप्रा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित पांच चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्मों के एक पैनल में से पक्षों द्वारा परस्पर चुने गए एक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा जेवीसी की पुस्तकों का ऑडिट कराएगा, ताकि हस्तांतरित की जा रही प्रासंगिक परिसंपत्तियों का ऋण, जेवीसी की सब्सक्राइब और चुकता इक्विटी पूंजी, शुद्ध वर्तमान मूल्य, रियायती उचित मूल्य (जैसा भी मामला हो) निर्धारित किया जा सके। नॉन-ट्रांसफर एसेट्स (जो एसेट ट्रांसफर नहीं किए जा रहे हैं) की उचित बाज़ार कीमत (फेयर मार्केट वैल्यू) दो वैल्यूअर तय करेंगे। इन वैल्यूअर को इस एग्रीमेंट के शेड्यूल 30 में बताए गए नियमों के आधार पर चुने गए वैल्यूअर के पैनल में से एएआई और जेवीसी एक-एक करके नियुक्त करेंगे। वैल्यूएशन का तरीका यह होगा कि पूरी संपत्ति की मार्केट वैल्यू में से ट्रांसफर की तारीख पर ज़मीन की वैल्यू को घटा दिया जाए; और इस तरह जो नेट रकम निकलेगी, उसे ही नॉन-ट्रांसफर एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू माना जाएगा। बशर्ते, हस्तांतरण राशियों की गणना करते समय जेवीसी द्वारा देय नुकसान और/या डिफॉल्ट मुआवजा (यदि कोई हो) जेवीसी की पुस्तकों में पूंजीकरण के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
- (ख) हस्तांतरित की जा रही प्रासंगिक परिसंपत्तियों का उचित बाज़ार मूल्य, शुद्ध वर्तमान मूल्य (जैसा भी मामला हो) निर्धारित करते समय, स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि मौजूदा परिसंपत्तियों के अवशिष्ट मूल्य का प्रावधान करने के लिए उचित कटौती की जाए। यह स्पष्ट किया जाता है कि जेवीसी द्वारा किसी भी मौजूदा परिसंपत्ति में किया गया कोई भी उन्नयन और/या आधुनिकीकरण जेवीसी की पुस्तकों में परिलक्षित ऐसे उन्नयन और/या आधुनिकीकरण की सीमा तक इस अनुच्छेद 19.6 के तहत नहीं काटा जाएगा।
- (ग) ऐसे ऑडिट और स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता(ओं) द्वारा प्रासंगिक हस्तांतरण भुगतान के निर्धारण के बाद, भाविप्रा जेवीसी को प्रासंगिक हस्तांतरण भुगतान ("हस्तांतरण भुगतान") करेगा। हस्तांतरण भुगतान ऑडिट के बाद शीघ्रातिशीघ्र किए जाएंगे, लेकिन किसी भी स्थिति में, हस्तांतरण तिथि से 6 (छह) महीनों के भीतर किए जाएंगे।
- 19.7 इस अनुबंध की समाप्ति के परिणामस्वरूप हवाई अड्डे के हस्तांतरण के लिए हस्तांतरण लागत और कर (यदि लागू हो) निम्नलिखित द्वारा वहन किए जाएंगे:
- (क) जेवीसी डिफॉल्ट घटना या अप्रत्याशित घटना के कारण समाप्ति की स्थिति में जेवीसी द्वारा, और
- (ख) भाविप्रा डिफॉल्ट घटना के कारण या इसके समाप्त होने पर भाविप्रा द्वारा
- 19.8 यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अनुबंध के तहत भाविप्रा द्वारा हस्तांतरण परिसंपत्तियों और/या गैर-हस्तांतरण परिसंपत्तियों के हस्तांतरण के लिए किए जाने वाले किसी भी भुगतान को निम्नलिखित के लिए कम और समायोजित किया जाएगा:*(i)* जेवीसी द्वारा भाविप्रा को देय और भुगतान योग्य कोई भी राशि;*(ii)* भाविप्रा डिफॉल्ट घटना/जेवीसी डिफॉल्ट घटना/ अप्रत्याशित घटना (जो भी इस समझौते की समाप्ति का कारण बनी हो) के घटित होने के बाद से किए गए और प्राप्त या प्राप्य दावों (हस्तांतरित की जा रही प्रासंगिक हस्तांतरण परिसंपत्तियों/ गैर-हस्तांतरण परिसंपत्तियों के लिए) के संबंध में जेवीसी द्वारा प्राप्त या जेवीसी को देय कोई भी बीमा राशि; और*(iii)* उन दावों के संबंध में बीमा प्राप्तियों के रूप में प्राप्त होने वाली कोई भी राशि जो भाविप्रा डिफॉल्ट घटना/ जेवीसी डिफॉल्ट घटना/ अप्रत्याशित घटना के घटित होने के बाद से की जा सकती थी (स्थानान्तरित की जा रही प्रासंगिक हस्तांतरण परिसंपत्तियों/ गैर-हस्तांतरण परिसंपत्तियों के लिए), यदि जेवीसी ने इसके अनुच्छेद 8.5.6 के तहत आवश्यक बीमा प्राप्त किया होता। बशर्ते, एस्करो अनुबंध के अधीन, राजनीतिक जोखिम बीमा के तहत कोई भी प्राप्य राशि (यदि ली गई हो) सबसे पहले उधारदाताओं के बकाए को चुकाने के लिए लागू की जाएगी।

ध्याय XIX
सामान्य

20.1 क्षतिपूर्ति

20.1.1 जेवीसी इसके द्वारा सहमत होता है और वचन देता है कि प्रभावी तिथि से और अवधि के दौरान और उसके पश्चात, वह भाविप्रा, उसके एजेंटों और कार्मिकों को उन सभी दावों, मांगों और/या हुए नुकसान और/या सहन की गई क्षति और/या हुई लागत, प्रभार/खर्च या लगाई गई पेनल्टी और/या किसी व्यक्ति की चोट या मृत्यु के कारण किसी भी दावे और/या भाविप्रा, उसके एजेंटों और कार्मिकों या तीसरे पक्ष के स्वामित्व वाली या उनसे संबंधित संपत्ति को पहुंचे नुकसान या क्षति से क्षतिपूर्ति करेगा और सुरक्षित रखेगा, जो जेवीसी द्वारा किए गए या किए जाने से छूटे किसी कार्य के परिणामस्वरूप या इस समझौते के तहत अपने किसी भी दायित्व का पालन करने में जेवीसी की विफलता के परिणामस्वरूप या जेवीसी द्वारा इस अनुबंध के किसी भी नियम और शर्त का उल्लंघन करने पर या जेवीसी द्वारा अपने किसी भी वैधानिक कर्तव्य और/या दायित्वों का पालन करने में विफलता पर या किसी भी वैधानिक प्रावधानों का पालन करने में जेवीसी की ओर से विफलता या लापरवाही के कारण या किसी तीसरे पक्ष या सरकारी प्राधिकरण द्वारा दिए गए, शुरू किए गए, दायर किए गए किसी नोटिस, कारण बताओ नोटिस, कार्रवाई, मुकदमे या कार्यवाही के परिणाम के रूप में या जेवीसी या उसके ठेकेदार(ओं) और/या उप-ठेकेदारों और/या आमंत्रितों (जैसा भी मामला हो) की किसी भी विफलता या लापरवाही या डिफॉल्ट के परिणामस्वरूप, इस समझौते के संबंध में या इससे उत्पन्न होने वाले और/या जेवीसी के हवाई अड्डा स्थल और/या हवाई अड्डे के उपयोग और अधिग्रहण और/या हवाई अड्डा सेवाओं के प्रावधान से उत्पन्न होने वाले मामले में हो।

20.1.2 पक्षों द्वारा यह स्पष्ट रूप से समझा गया है कि यह अनुच्छेद इस समाप्ति के बाद भी लागू रहेगा।

20.1.3 भाविप्रा इसके ज़रिए सहमत है और यह ज़िम्मेदारी लेती है कि इस अवधि के दौरान, वह जेवीसी, उसके एजेंटों और कार्मिकों को प्रभावी तिथि से पहले के 'लिगेसी मैटर्स' (पुराने मामलों) के संबंध में भाविप्रा के किसी काम या काम न करने की वजह से होने वाले सभी दावों, मांगों, नुकसान, हर्जाने, लागत/खर्चों या जुर्माने से बचाएगी और सुरक्षित रखेगी, इसमें एनवायरनमेंट ऑडिट और रिपोर्ट में बताई गई ट्रांसफर से पहले की एनवायरनमेंट से जुड़ी स्थितियां शामिल हैं, साथ ही वे देनदारियां भी शामिल हैं जिनकी पहचान बाद में हो सकती है। बशर्ते कि भाविप्रा ऐसे किसी भी दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो ₹ 10 मिलियन से कम है और सहमत या निर्धारित सभी वैध दावों के लिए उनका कुल दायित्व (संबंधित ब्याज और प्रवर्तन लागतों को छोड़कर) ₹ 100 मिलियन के बराबर या उससे अधिक होगा, जिस स्थिति में भाविप्रा पूरी राशि के लिए उत्तरदायी होगा।

20.1.4 इसके द्वारा स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की जाती है कि भाविप्रा प्रभावी तिथि के बाद हवाई अड्डे के संबंध में भाविप्रा, उसके कार्मिकों, एजेंटों और उप-ठेकेदारों द्वारा घोर लापरवाही और जानबूझकर डिफॉल्ट के अलावा भाविप्रा के किसी भी कार्य या चूक के कारण जेवीसेए, उसके एजेंटों या कार्मिकों को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

20.2 तृतीय पक्ष दावों के मामले में प्रक्रिया

20.2.1 इसके किसी पक्ष के खिलाफ किसी तीसरी इकाई द्वारा किसी भी मांग या दावे की स्थिति में, जो दावा या मांग प्रथम दृष्टया एक पक्ष ("प्राप्तकर्ता") द्वारा देय होगी, लेकिन उपर्युक्त अनुच्छेद 20.1 के अनुसार दूसरे पक्ष ("क्षतिपूर्तिदाता") से दावा की जानी होगी, तो प्राप्तकर्ता मामले से अवगत होने के बाद अनुचित देरी के बिना क्षतिपूर्तिदाता को लिखित रूप में ऐसे मामले की सूचना देगा, जिसमें संभावित दावे का उचित विवरण होगा और जहाँ तक संभव हो, ऐसे दावे की अनुमानित राशि बताई जाएगी।

20.2.2 इसके अतिरिक्त, प्राप्तकर्ता क्षतिपूर्तिदाता को तीसरे पक्ष के दावे या मांग की एक प्रति उपलब्ध कराएगा और क्षतिपूर्तिदाता को अपनी एकमात्र लागत, खर्च और जोखिम पर अपने वकील को नियुक्त करके ऐसे दावे के खिलाफ प्राप्तकर्ता का बचाव करने का अवसर देगा। क्षतिपूर्तिदाता को अपनी लागत पर, सभी उचित कार्यवाहियों द्वारा दावे का बचाव करने का अधिकार होगा और ऐसे बचाव को निर्देशित करने और नियंत्रित करने का एकमात्र अधिकार होगा। विशेष रूप से, बिना किसी सीमा के, क्षतिपूर्तिदाता (i) तीसरे पक्ष के साथ सभी वार्ताओं और पत्राचार में भाग ले सकता है और निर्देशित कर सकता है, (ii) यदि आवश्यक हो तो प्राप्तकर्ता के नाम पर कार्य करने वाले वकील को नियुक्त और निर्देशित कर सकता है (सभी लागतों और खर्चों को क्षतिपूर्तिदाता द्वारा वहन किया जाएगा), और

(iii) यह अपेक्षा रख सकता है कि दावे पर मुकदमेबाजी की जाए या क्षतिपूर्तिदाता के निर्देशों के अनुसार निपटारा किया जाए। क्षतिपूर्तिदाता ऐसी कार्यवाहियों को सद्भावपूर्वक संचालित करेगा और प्राप्तकर्ता के हितों को ध्यान में रखेगा। जब तक क्षतिपूर्तिदाता किसी दावे का बचाव कर रहा है, प्राप्तकर्ता क्षतिपूर्तिदाता या उसके प्रतिनिधियों को ऐसे दावे से संबंधित उसके द्वारा तर्कसंगत रूप से मांगी गई कोई भी जानकारी प्रदान करेगा या करवाएगा, और प्राप्तकर्ता अन्यथा ऐसे दावे का प्रभावी ढंग से विरोध करने के लिए क्षतिपूर्तिदाता और उसके प्रतिनिधियों के साथ सद्भावपूर्वक सहयोग करेगा। क्षतिपूर्तिदाता ऐसे दावे से संबंधित सभी विकासों और घटनाओं के बारे में बिना किसी अनुचित देरी के प्राप्तकर्ता को लिखित रूप में सूचित करेगा, और प्राप्तकर्ता अपने खर्च पर अपना वकील नियुक्त करने और ऐसे दावे से संबंधित सभी सम्मेलनों, बैठकों और कार्यवाहियों में भाग लेने का हकदार होगा।

20.2.3 यदि क्षतिपूर्तिदाता किसी विशिष्ट दावे के बचाव का नियंत्रण नहीं संभालता है, तो प्राप्तकर्ता ऐसे बचाव और ऐसी कार्यवाहियों का पूर्ण नियंत्रण संभाल सकता है। यदि प्राप्तकर्ता द्वारा अनुरोध किया जाता है, तो क्षतिपूर्तिदाता ऐसे दावे का प्रभावी ढंग से विरोध करने के लिए प्राप्तकर्ता के साथ सद्भावपूर्वक सहयोग करेगा। क्षतिपूर्तिदाता अपने खर्च पर अपने वकील को नियुक्त करने और ऐसे दावे से संबंधित सभी सम्मेलनों, बैठकों और कार्यवाहियों में भाग लेने का हकदार होगा।

20.2.4 किसी भी स्थिति में प्राप्तकर्ता क्षतिपूर्तिदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी दावे को स्वीकार करने या उसका निपटारा करने या ऐसी किसी स्वीकृति या निपटारे की अनुमति देने का हकदार नहीं होगा, जहाँ तक क्षतिपूर्तिदाता से ऐसे दावे के संबंध में क्षतिपूर्ति की मांग की गई है।

20.3 विविध

20.3.1 संशोधन

इस अनुबंध के किसी भी प्रावधान में कोई संशोधन या छूट, और न ही पक्षों द्वारा इससे किसी विचलन की सहमति, किसी भी स्थिति में तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि वह लिखित रूप में न हो और इस समझौते के पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित न हो, और फिर ऐसी छूट या सहमति केवल विशिष्ट उदाहरण के लिए और उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रभावी होगी जिसके लिए यह दी गई है।

20.3.2 अन्य अनुबंधों को उल्लंघन करने का अनुबंध; विवाद

(क) यह अनुबंध पक्षों के बीच पिछले सभी अनुबंधों या व्यवस्थाओं का स्थान लेता है, जिसमें इसकी सामग्री के संबंध में किए गए किसी भी सहमति पत्र (एमओयू) सम्मिलित हैं, और इसके संबंध में पक्षों के बीच संपूर्ण समझ का प्रतिनिधित्व करता है।

(ख) इस अनुबंध की शर्तों और किसी अन्य परियोजना अनुबंध की शर्तों के बीच विवाद की स्थिति में, इस अनुबंध की शर्तें लागू होंगी।

20.3.3 कोई छूट नहीं, उपचार

किसी भी पक्ष द्वारा इसके तहत किसी भी अधिकार, शक्ति या विशेषाधिकार का प्रयोग करने में विफलता, और प्रयोग करने में कोई देरी, उसकी छूट या उसके प्रति सहमति के रूप में कार्य नहीं करेगी; न ही ऐसे किसी अधिकार, शक्ति या विशेषाधिकार का कोई एकल या आंशिक प्रयोग इसके किसी अन्य या आगे के प्रयोग या किसी अन्य अधिकार, शक्ति या विशेषाधिकार के प्रयोग को रोकेगा। यहाँ प्रदान किए गए उपचार संचयी हैं और लागू कानून द्वारा प्रदान किए गए किसी भी उपचार को बाहर नहीं करते हैं।

20.3.4 शर्तों का पृथक्करण

यदि इस अनुबंध के किसी भी प्रावधान को किसी सक्षम मध्यस्थता न्यायाधिकरण या न्यायालय द्वारा अमान्य, अप्रवर्तनीय या अवैध घोषित किया जाता है, तो ऐसी अमान्यता, अप्रवर्तनीयता या अवैधता इस अनुबंध के शेष प्रावधानों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगी जो पूर्ण प्रभाव में बने रहेंगे और ऐसी स्थिति में, पक्ष सद्भावपूर्वक

तत्काल एक कानूनी रूप से लागू करने योग्य प्रतिस्थापन प्रावधान पर सहमत होने का प्रयास करेंगे जो अप्रवर्तनीय प्रावधान की कानूनी और आर्थिक सामग्री के सबसे निकट हो।

20.3.5 भाषा

इस अनुबंध, किसी अन्य परियोजना अनुबंध या परियोजना के तहत या के संबंध में सभी नोटिस, प्रमाण पत्र, पत्राचार या अन्य संचार अंग्रेजी में होंगे।

20.3.6 नोटिस

इसके तहत दिया जाने वाला कोई भी नोटिस लिखित रूप में होगा और या तो व्यक्तिगत रूप से दिया जाएगा या पंजीकृत डाक, टेलीक्स, फैक्स, ईमेल या स्थायी लिखित रूप में दूरसंचार के अन्य माध्यमों से भेजा जाएगा। नोटिस देने के लिए पते और नंबर पक्षों को उनके नीचे दिए गए संबंधित पतों पर दिए जाएंगे:

जेवीसी के मामले में:

मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड,

सीएसआई हवाई अड्डा, मुंबई

ध्यानार्थ :

श्री जी.वी. संजय रेड्डी

फैक्स नंबर: [+91-40-2790 2665](tel:+91-40-27902665)

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मामले में :

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली 110 003

ध्यानार्थ:

अध्यक्ष

फैक्स नंबर: [+91-11-24641088](tel:+91-11-24641088)

या ऐसा अन्य पता, टेलीक्स नंबर, या फैक्स नंबर जो समय-समय पर उस पक्ष द्वारा किसी अन्य पक्ष को अधिसूचित किया जाए, और उसे बनाया या वितरित किया गया माना जाएगा: (i) पत्र द्वारा किए गए किसी भी संचार के मामले में, जब बाई हैन्ड, मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय कूरियर द्वारा या डाक द्वारा (पंजीकृत, पावती अनुरोधित) उस पते पर पहुंचाया गया हो, और (ii) टेलीक्स या फैक्स द्वारा किए गए किसी भी संचार के मामले में, जब ऐसे टेलीक्स नंबर या फैक्स नंबर (facsimile number) पर उचित रूप से संबोधित करके प्रसारित किया गया हो। यदि कोई पक्ष अपना पता, संचार नंबर, या ध्यान आकर्षित करने वाले व्यक्ति को बदलता है, तो वह इसे अपनाने से पहले अन्य पक्षों को लिखित रूप में सूचित करेगा।

20.3.7 शासी कानून

यह अनुबंध भारत के कानूनों द्वारा शासित होगा और उनके अनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

20.3.8 मूल दस्तावेज

यह अनुबंध दो (2) मूल प्रतियों में बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक की सामग्री समान है और पक्षों ने इसकी सामग्री को पढ़ा है और अच्छी तरह से समझा है और गवाहों के सामने अपने-अपने हस्ताक्षर और सील लगा दिए हैं।

20.3.9 गोपनीयता

न तो जेवीसी और न ही भाविप्रा, जब तक कि अन्यथा सहमति न हो, किसी भी तीसरे पक्ष (इसके निदेशकों, अधिकारियों, कार्मिकों सलाहकारों, उधारदाताओं, एजेंटों, या प्रतिस्थापन अनुबंध के तहत चयनित के अतिरिक्त ,

परियोजना अनुबंधों के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन के लिए आवश्यक या प्रासंगिक सीमा तक) को कोई भी ऐसी जानकारी प्रकट नहीं करेगा जो इस समझौते के दूसरे पक्ष की संपत्ति है या जो अन्यथा इसके व्यवसाय, रहस्यों, सौदों, लेनदेन या मामलों से संबंधित है, जब तक कि ऐसी प्रकटीकरण

- (क) इस अनुबंध के तहत अपने अधिकारों या दायित्वों के किसी भी पक्ष द्वारा प्रयोग या निष्पादन के लिए तर्कसंगत रूप से आवश्यक न हो; या
- (ख) किसी भी प्रासंगिक वैधानिक या नियामक आवश्यकताओं या कर्तव्यों या लागू कानूनों की किसी प्रासंगिक शर्तों के अनुसार या सार्वजनिक हित में आवश्यक न हो; या
- (ग) ऐसी जानकारी से संबंधित हो जो ऐसी प्रकटीकरण करने वाले पक्ष द्वारा इस अनुच्छेद के उल्लंघन के परिणामस्वरूप पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में हो:

बशर्ते कि, इसके अनुसार किसी भी प्रकटीकरण के मामले में, ऐसी जानकारी प्रकट करने वाला पक्ष, जहाँ तक व्यावहारिक रूप से संभव हो, ऐसी जानकारी प्राप्त करने वाले तीसरे पक्ष पर गोपनीयता बनाए रखने के लिए उचित दायित्व लागू करेगा।

पूर्वगामी के बावजूद, उचित प्रतिलिपि बनाने और संबंधित के खर्चों के बदले जेवीसी द्वारा इस अनुबंध की प्रतियां किसी भी तीसरी इकाई को उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

20.3.10 समनुदेशन

- (i) जेवीसी द्वारा

इस अनुबंध द्वारा अन्यथा अनुमति दिए जाने के अतिरिक्त, जेवीसी इस अनुबंध के तहत अपने सभी या किसी भी अधिकार, या अपने सभी या किसी भी दायित्व या देनदारियों को सौंपेगा, स्थानांतरित नहीं करेगा, बंधक नहीं रखेगा, प्रभारित नहीं करेगा, उप-किराए पर नहीं देगा, सौदा नहीं करेगा, उप-अनुबंध नहीं करेगा, उप-लाइसेंस नहीं देगा या अन्यथा अधिकार प्रदान नहीं करेगा।

- (ii) भाविप्रा द्वारा

भाविप्रा द्वारा इस अनुबंध के तहत अपने सभी या किसी भी अधिकार या दायित्वों में अधिकार सौंपने, हस्तांतरित करने, सौदा करने या प्रदान करने पर किसी भी प्रतिबंध का संकेत दिए बिना, यह स्पष्ट रूप से मान्यता प्राप्त है कि, जेवीसी की सहमति की आवश्यकता के बिना:

- (i) भाविप्रा इसके तहत अपने सभी या किसी भी अधिकार का लाभ सौंप सकता है या उस पर कोई अन्य प्रभार बना सकता है, और
- (ii) भाविप्रा इस अनुबंध के तहत अपने सभी या किसी भी अधिकार और दायित्वों को हस्तांतरित कर सकता है, बशर्ते कि भाविप्रा समनुदेशिनी द्वारा ऐसे सभी दायित्वों के पूर्ण पालन और निष्पादन को सुनिश्चित करने की गारंटी देता है (ऐसी गारंटी जेवीसी को तर्कसंगत रूप से स्वीकार्य रूप में होगी)।

20.3.11 उन्मुक्ति की छूट

भाविप्रा इसके द्वारा सहमति व्यक्त करता है कि उसके द्वारा इस अनुबंध का निष्पादन, वितरण और प्रदर्शन सार्वजनिक या सरकारी कृत्यों के बजाय निजी और वाणिज्यिक कृत्यों का गठन करते हैं और तदनुसार, इस अनुबंध के संबंध में इसके या इसकी परिसंपत्तियों के विरुद्ध लाई गई कार्यवाहियों से कोई उन्मुक्ति, इस आधार पर दावा

नहीं की जाएगी कि इसके द्वारा इस अनुबंध का निष्पादन, वितरण और प्रदर्शन सार्वजनिक या सरकारी कृत्यों का गठन करते हैं।

20.3.12 कानून में बदलाव

- (क) यह साफ़ तौर पर स्पष्ट किया जाता है कि बाइंडिंग ऑफ़र जमा करने की आखिरी तारीख के बाद होने वाली कोई भी घटना या स्थिति, जिसे 'कानून में बदलाव' या कथित 'कानून में बदलाव' माना जा सकता है, वह इस अनुबंध की किसी भी शर्त या इससे जुड़े किसी भी अधिकार और दायित्व में किसी भी बदलाव या संशोधन का आधार नहीं होगी। इसके तहत अधिकार और दायित्व किसी भी ऐसी घटना से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होंगे जो कानून में बदलाव या इसके समान परिस्थिति बना सकती है। पक्ष स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि 'कानून में बदलाव से राहत', यदि कोई हो, राज्य सहायता अनुबंध की शर्तों के तहत शामिल है और उसी के अनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी; इस अनुबंध के तहत इसके लिए कोई राहत नहीं मिलेगी।
- (ख) पूर्वागामी के बावजूद, पक्ष इसके द्वारा स्पष्ट रूप से पुष्टि करते हैं कि यह दस्तावेज इस आधार और धारणा पर दर्ज किया गया है कि हवाई अड्डा और जेवीसी भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23)(g) और धारा 80 IA के तहत उपलब्ध फ़ायदों का लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं हैं (भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23)(g) और धारा 80(IA) के तहत प्रत्येक लाभ को व्यक्तिगत रूप से "लाभ" और सामूहिक रूप से "लाभों" के रूप में संदर्भित किया जाता है), और वे फ़ायदे उन्हें उपलब्ध नहीं हैं। तदनुसार, यदि किसी भी समय एक या दोनों लाभ उपलब्ध हो जाते हैं, या उपलब्ध पाए जाते हैं, और जिसके परिणामस्वरूप जेवीसी को कर पश्चात शुद्ध रिटर्न या अन्य वित्तीय लाभ में वृद्धि होती है, तो जेवीसी, भाविप्रा को सूचित करेगा और भाविप्रा को एक ऐसी राशि का भुगतान करेगा जिससे जेवीसी को उसी वित्तीय स्थिति में आ जाए जिसमें वह तब होती जब उपर्युक्त फ़ायदे उपलब्ध नहीं होते।

20.3.13 समय का महत्व

इस अनुबंध में समय बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वह बताई गई तारीखें, समय-सीमा या दिन का समय हो, या फिर इस अनुबंध के अनुसार उनकी जगह तय की गई कोई तारीख, समय-सीमा या दिन का समय हो।

20.3.14 पक्ष इसके द्वारा स्वीकार करते हैं कि इसमें निर्धारित परिनिर्धारित हर्जाना, जेवीसी के उल्लंघन के परिणामस्वरूप भाविप्रा को होने वाले नुकसान के वास्तविक पूर्व-अनुमान को दर्शाता है, जिससे उक्त परिनिर्धारित हर्जाना संबंधित है।"

20.3.15 जेवीसी को इसके तहत अधिकार दिए जाने के बदले में, भाविप्रा को हर समय जेवीसी के बोर्ड में एक (1) निदेशक को नामित करने का अधिकार होगा, जो रोटेशन के आधार पर रिटायर नहीं होगा।

20.3.16 नाम

जेवीसी पूरे कार्यकाल के दौरान (लागू कानूनों के अनुसार) हवाईअड्डा का नाम 'छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट' ही बनाए रखेगी। हवाईअड्डा का नाम केवल भाविप्रा के निर्देशानुसार ही संशोधित और/या परिवर्तित किया जाएगा।

जेवीसी, भाविप्रा की सहमति से जिस सहमति को बिना उचित कारण के रोका नहीं जाएगा, उसके तहत एयरपोर्ट पर उपयुक्त स्थान पर अपना नाम और साइन प्रदर्शित कर सकता है।

20.3.17 कुल दायित्व

यहाँ निहित किसी भी बात के बावजूद, इस अनुबंध के तहत भाविप्रा का कुल दायित्व (पर्यावरणीय दायित्व या विरासत मामलों से उत्पन्न होने वाले भविष्य के मुकदमों के परिणामस्वरूप दायित्व सहित) ₹ 50 करोड़ (पचास

करोड़ रुपये) से अधिक नहीं होगा ("कुल दायित्व सीमा ")। बशर्ते, कुल दायित्व सीमा में निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे: (i) हस्तांतरण परिसंपत्तियों और/या गैर-हस्तांतरण परिसंपत्तियों के हस्तांतरण के लिए भुगतान, (ii) प्रभावी तिथि से पहले शुरू हुए विरासत मामलों से संबंधित किसी भी मुकदमेबाजी के संबंध में दायित्व; और/या (iii) विरासत मामलों के संबंध में भाविप्रा का कोई भी संविदात्मक दायित्व (वर्तमान या भविष्य)।

20.3.18 उत्तरजीविता

अनुच्छेद 1, 15, 19, 20.3 (उप-खंड 20.3.9, 20.3.12, 20.3.16, 20.3.19 को छोड़कर) इस अनुबंध की समाप्ति या समाप्ति के बावजूद पक्षों पर लागू रहेगा।

20.3.19 भाविप्रा इसके द्वारा सहमत होता है कि हवाई अड्डे के आसपास किसी भी निर्माण के लिए कोई भी "अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी करने से पहले, वह जेवीसी के साथ परामर्श करेगा कि क्या जेवीसी को ऐसे निर्माण पर कोई आपत्ति है। भाविप्रा इसके द्वारा हवाई अड्डे के आसपास किसी भी निर्माण के लिए कोई "अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी न करने पर सहमत होता है, जिस पर जेवीसी द्वारा आपत्ति जताई गई है। बशर्ते कि जेवीसी को किसी ऐसे निर्माण पर आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा जो जेवीसी के प्रचालन क्षमता या उसके मास्टर प्लान और हवाई अड्डे के अंतिम दृष्टिकोण का पालन करने की उसकी क्षमता को प्रभावित नहीं करता है और प्रासंगिक आईसीएओ मानकों का अनुपालन करता है।

20.3.20 इस अनुबंध के तहत जेवीसी द्वारा भाविप्रा को देय परिसमाप्त नुकसान मांग पर बिना किसी आपत्ति के दिए जाएंगे।

20.3.21 पक्ष यह स्वीकार करते हैं कि राज्य सहायता अनुबंध की शर्तों के तहत, भारत सरकार, जेवीसी (जेवीसी) को उसकी शर्तों के अनुसार कुछ हस्तांतरण भुगतानों की गारंटी देने के लिए सहमति व्यक्त की है। उक्त गारंटी के प्रारूप के लिए जेवीसी (जेवीसी) को मांग के साथ जेवीसी (जेवीसी) से एक प्रमाण पत्र और भाविप्रा (एएआई) द्वारा हस्ताक्षरित भारत सरकार को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है जिसमें यह सूचित किया गया हो कि दावा की गई राशि भाविप्रा(एएआई) से अवैतनिक रहती है, सही ढंग से गणना की गई है और निर्विवाद है। भाविप्रा इसके द्वारा ऐसे प्रमाण पत्र पर प्रति-हस्ताक्षर करने को अनुचित रूप से माना नहीं करने का वचन देता है।

जिसके साक्ष्य स्वरूप इस अनुबंध को ऊपर लिखे गए दिन और वर्ष को इसके पक्षों के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा निष्पादित किया गया है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के लिए और उनकी ओर से :

गवाह :

द्वारा हस्ताक्षरित

मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राइवेट लिमिटेड के लिए और उनकी ओर से: गवाह:

द्वारा हस्ताक्षरित

अनुसूची 1 विकास मानक और आवश्यकताएं

हवाईअड्डा की सभी सुविधाओं का अभिकल्पना, सभी आवश्यक तकनीकी ज़रूरतों के अनुसार होना चाहिए, जिनमें ये सम्मिलित हैं:

विकास योजना के सिद्धांत

सामान्य :

- सामान्य उपयोगकर्ता टर्मिनल पर जाएँ
- गेटों की संख्या में बचत के लिए स्विंग गेटों का उपयोग
- रेल लिंक के लिए आरक्षण शामिल करना
- हवाईअड्डा क्षेत्र के लिए अधिकतम वैमानिकी क्षमता
- सभी सुविधाएं 24 घंटे प्रचालन में सक्षम
- सभी योजनाओं में अनिवार्य पूंजीगत परियोजनाएं शामिल हैं

एयरफ़ील्ड:

- रनवे और टैक्सीवे को आईसीएओ कोड एफ मानकों के अनुसार डिज़ाइन किया जाना चाहिए
- टर्मिनल विकास को समायोजित करने के लिए क्रॉस रनवे को बंद करने की क्षमता
- रनवे 0927 के दक्षिण में एक करीब स्थित समानांतर रनवे का आकलन करें
- एग्रन सेवा के प्रकार और अनुमानित दीर्घकालिक महत्वपूर्ण विमान के आकार पर आधारित होने चाहिए

टर्मिनल :

- सामान्य उपयोगकर्ता टर्मिनल
- टर्मिनलों के भीतर कार्यालय आवास को कम से कम करना
- लिंकेज और आइलैंड कॉनकोर्स के साथ अंतरराष्ट्रीय और अंतर्देशीय टर्मिनल की प्रक्रियाओं को अलग-अलग रखें।
- रिटेल और अन्य यात्री सेवाओं की अंतरराष्ट्रीय स्तर की रेंज उपलब्ध कराएं।
- सुविधाओं को डिज़ाइन वर्ष के 30वें सबसे व्यस्त घंटे के लिए आईएटीए के सर्विस स्टैंडर्ड सी के स्तर पर डिज़ाइन किया जाएगा। डिज़ाइन वर्ष का मास्टर प्लान में विस्तार से विश्लेषण किया जाएगा और पहले मास्टर प्लान के लिए, यह अनिवार्य कैपिटल प्रोजेक्ट्स में बताए गए अनुसार होगा।
- टर्मिनल का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि मौजूदा कामकाज पर कम से कम असर पड़े और उसे धीरे-धीरे बढ़ाया जा सके।
- टर्मिनल की प्लानिंग के मानदंड आईएटीए एयरपोर्ट डेवलपमेंट रेफरेंस मैनुअल (9वां संस्करण, जनवरी 2004) और समय-समय पर किए गए संशोधनों में दी गई सिफारिशों के अनुसार होने चाहिए।

सतही पहुँच

- ट्रेफ़िक बढ़ने के कारण, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टर्मिनल तक जाने वाली मौजूदा सड़कों को बनाए रखा जाएगा और उनका विस्तार किया जाना
- प्रत्येक यात्री टर्मिनल और कार्गो/विमानन सहायता क्षेत्रों के लिए एक अलग पहुँच मार्ग प्रदान किया जाना
- भविष्य के पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिंक के लिए सुरक्षित रखना

विकास मानक

1. एरोड्रोम लाइसेंस जारी करने के लिए डीजीसीए दिशानिर्देश:

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) का वैमानिकी सूचना परिपत्र संख्या 22/1992 वे स्टैंडर्ड बताता है जिनका पालन करना ज़रूरी है ताकि किसी एरोड्रोम को एरोड्रोम लाइसेंस मिल सके।

- इकाओ (आईसीएओ), अनुलग्नक-14-एयरोड्रोम्स के तहत एयरोड्रोम का लेआउट और आवश्यक सुविधाओं के प्रावधान।

खंड 1 एयरोड्रोम डिज़ाइन और प्रचालन - चौथा संस्करण, 2004

अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) के अंतरराष्ट्रीय मानक और अनुशंसित अभ्यास, एयरोड्रोम, अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन कन्वेंशन का अनुलग्नक-14। खंड 1 एयरोड्रोम डिज़ाइन और प्रचालन चौथा संस्करण, 2004,

- इकाओ (आईसीएओ) एयरोड्रोम डिज़ाइन मैनुअल (Doc 9157)

- हवाई अड्डा सेवा मैनुअल (Doc 9137)

- अग्नि सुरक्षा

हवाई अड्डा टर्मिनल भवनों, फ़्यूलिंग रैंप जल निकासी और लोडिंग वॉकवे पर यूएस नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन (एनएफपीए) मानक का अनुपालन करें।

- आईएटीए (आईएटीए) एयरपोर्ट डेवलपमेंट रेफरेंस मैनुअल: हवाई अड्डा सुविधाओं का डिज़ाइन

इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आईएटीए) के 'एयरपोर्ट डेवलपमेंट रेफरेंस मैनुअल, 9वां संस्करण, जनवरी 2004' में बताए गए सर्वोत्तम तरीकों का पालन करें।

- राष्ट्रीय भवन संहिता (भारत)

राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी) का अनुपालन करें, जो भवन संरचना में शामिल किए जाने वाले सुरक्षा और स्थायित्व पहलुओं को निर्धारित करती है।

- भारतीय मानक कोड

विकास के विशिष्ट पहलू के लिए संबंधित कोड का पालन करना। भारतीय मानक कोड, भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार मानकों और प्रथाओं की एक व्यापक स्तर है, जिसे भारत में डिजाइन और निर्माण के सभी पहलुओं में अपनाया जाना है।

- वैधानिक एजेंसी की आवश्यकताएं

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए), नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, रक्षा मंत्रालय, सीमा शुल्क और आप्रवासन अधिकारियों, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित वैधानिक एजेंसियों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करें।

- लागू कानून:

स्थानीय उप-नियमों और अन्य लागू केंद्रीय, राज्य और स्थानीय सरकार के कानूनों द्वारा लगाए गए किसी भी प्रकार की सभी शर्तों, नियमों, उपायों और सभी आवश्यकताओं का पालन करें।

- हवाई अड्डा पर किसी भी सुविधा के लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के मामले में, बेंचमार्किंग उसी स्तर और आकार के एशियाई क्षेत्र के शीर्ष पांच अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों (आईटीआरए) या इसी तरह की रेटिंग के अनुसार रैंक किया गया) पर अपनाए जाने वाले मौजूदा क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के आधार पर की जाएगी।

अनुसूची 2 प्रचालन एवं रखरखाव मानक एवं आवश्यकताएँ

हवाई अड्डे का प्रचालन एवं रखरखाव सदैव निम्नलिखित के अनुरूप होगा:

- (i) यह सुनिश्चित करना कि रनवे, टैक्सीवे, एप्रन और अप्रोच का प्रचालन और रखरखाव संबंधित इकाओ (आईसीएओ) अनुलग्नकों और दस्तावेजों में निहित प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार किया जाए, जो हवाई अड्डे पर विमान प्रचालन के लिए उपयुक्त हों, और वे विमान प्रचालन के लिए उपलब्ध हों।
- (ii) यह सुनिश्चित करना कि रनवे के लिए स्ट्रिप्स, शोल्डर, स्टॉप वे और रनवे एंड सेफ्टी एरिया ("आरईएसए") तथा टैक्सीवे और आइसोलेशन बे आदि के लिए स्ट्रिप्स और शोल्डर का प्रचालन और रखरखाव संबंधित इकाओ (आईसीएओ) अनुलग्नकों और दस्तावेजों में निहित प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार किया जाए, जो विमान प्रचालन के लिए उपयुक्त हों।
- (iii) यह सुनिश्चित करना कि हवाई अड्डे और अप्रोच एवं टेक-ऑफ क्षेत्र की बाधा-सीमित सतहों को बाधाओं से मुक्त रखा जाए या संबंधित इकाओ (आईसीएओ) अनुलग्नकों और दस्तावेजों में निहित प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार बाधाओं को अनुमेय सीमा तक सीमित रखा जाए;
- (iv) यह सुनिश्चित करना कि संबंधित इकाओ (आईसीएओ) अनुलग्नकों और दस्तावेजों में निहित प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार उचित श्रेणी की बचाव और अग्निशमन सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं और उनका रखरखाव किया जाए;
- (v) यह सुनिश्चित करना कि प्रचालन क्षेत्र में और उसके आसपास पक्षियों/जानवरों के कारण होने वाली बाधाओं को रोकने के लिए हवाई अड्डे पर उचित व्यवस्थाएं मौजूद हों;
- (vi) यह सुनिश्चित करें कि निम्नलिखित घटनाओं से निपटने के लिए हवाई अड्डे पर उपयुक्त आकस्मिक व्यवस्थाएं मौजूद हों:
 - रनवे से खराब विमान को हटाना;
 - विमान या हवाई अड्डे को बम से उड़ाने की धमकी;
 - हवाई अड्डे के आसपास या हवाई अड्डे के भीतर विमान दुर्घटनाएं;
 - गैर-निर्धारित विमानों का हवाई अड्डे पर जबरन उतारना;
 - हवाई अड्डे पर आग लगना;
 - प्राकृतिक आपदाएं;
 - हवाई अड्डे पर हड़तालें;
 - नागरिक उड्डयन में गैरकानूनी हस्तक्षेप।
- (vii) यह सुनिश्चित करें कि आपातकालीन अलार्म घंटियाँ स्थापित की गई हों ताकि सुविधा को आपातकालीन सेवाओं (अग्निशमन, चिकित्सा और पुलिस) और हवाई अड्डा प्रबंधक से जोड़ा जा सके।
- (viii) भाविप्रा को अपने कार्मिकों, वाहनों और एजेंटों के लिए हवाई अड्डे तक ऐसी पहुँच प्रदान करना जिसकी भाविप्रा को अपनी सेवाओं के निष्पादन के लिए यथोचित रूप से आवश्यकता हो।
- (ix) भाविप्रा को अपनी सेवाओं के निष्पादन के लिए पर्याप्त मात्रा में निरंतर विद्युत और जल की आपूर्ति प्रदान करना और भाविप्रा द्वारा ऐसी सेवाओं के प्रापण में किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति जेवीसी द्वारा की जाएगी;
- (x) यदि भाविप्रा यह निर्धारित करता है कि हवाई अड्डे के विस्तार के परिणामस्वरूप हवाई अड्डे पर अतिरिक्त स्टैंडबाय विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता है, तो भाविप्रा अपनी अतिरिक्त आवश्यकताओं के बारे में जेवीसी को सूचित करेगा और पार्टी भाविप्रा द्वारा आवश्यक अतिरिक्त स्टैंडबाय आपूर्ति के संबंध में चर्चा करने और समझौते के लिए बैठक करेगा;
- (xi) भाविप्रा और/या उसके कर्मियों को भाविप्रा सेवाओं के निष्पादन के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करना;
- (xii) भारत सरकार की एजेंसियों पर लागू नियमों और शर्तों के अनुसार, भाविप्रा सेवाओं के प्रावधान में हवाई अड्डे पर तैनात भाविप्रा कर्मियों और एजेंटों को कार्यालय स्थान और सुविधा जहां और जब भी आवश्यकता हो, हर समय उपलब्ध कराना;
- (xiii) प्रासंगिक इकाओ (आईसीएओ) अनुलग्नकों और दस्तावेजों में निर्धारित संबंधित मानकों के अनुसार, हवाई अड्डे की प्रकाश व्यवस्था, मुख्य और स्टैंडबाय बिजली आपूर्ति प्रणालियों का अपने खर्च पर रखरखाव करना;

- (xiv) यह सुनिश्चित करना कि उसके कार्मिक और एजेंट, प्रचालन रिपोर्टिंग प्रक्रिया के अनुसार, हवाई अड्डे की प्रकाश व्यवस्था में किसी भी खराबी या दोष तथा भाविप्रा सेवाओं के प्रावधान में किसी भी जेवीसी उपकरण/सुविधा की अनुपलब्धता की जानकारी भाविप्रा को यथाशीघ्र दें;
- (xv) भाविप्रा सेवाओं के प्रावधान में, जेवीसी उपकरण का रखरखाव और उन्नयन हर समय इकाओ (आईसीएओ) अनुलग्नकों और दस्तावेजों के अनुसार ही करे।

अनुसूची 3
उद्देश्य सेवा गुणवत्ता आवश्यकताएँ

प्रदर्शन क्षेत्र	प्रदर्शन माप	लक्ष्य	ओएमडीए की प्रभावी तिथि से कितने वर्षों के भीतर लक्ष्य प्राप्त किया जाना है
स्थानांतरण प्रक्रिया	न्यूनतम कनेक्टिंग समय	अंतर्देशीय/अंतरराष्ट्रीय: 60 मिनट अंतरराष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय: 45 मिनट	3 वर्ष
टर्मिनल सेवाएं	शिकायतों का निपटान	100% शिकायतों का जवाब कार्यदिवसों के भीतर दिया गया	1 वर्ष
	फोन कॉल का जवाब	5% कॉल का जवाब 20 सेकंड के भीतर दिया गया	1 वर्ष
	उड़ान जानकारी की उपलब्धता	98% उपलब्ध	1.5 वर्ष
	स्वचालित सेवाएं	98% उपलब्ध	1.5 वर्ष
	लिफ्ट, एस्केलेटर आदि	98% उपलब्ध	2 वर्ष
	मरम्मत पूर्ण होने का समय	95% उच्च प्राथमिकता वाली शिकायतें 4 घंटे के भीतर अन्य 95% शिकायतें 24 घंटे के भीतर	1 वर्ष
	बैगेज ट्रॉली की सफाई	100% उपलब्धता सभी निरीक्षणों में संतोषजनक सफाई रेटिंग 95% प्राप्त करना	1 वर्ष 1 वर्ष
	व्हीलचेयर की उपलब्धता	5 मिनट के भीतर 100% प्रदान करना	0.5 वर्ष
	दिव्यांगों के लिए सहायता	5 मिनट के भीतर 100% प्रदान करना	1 वर्ष
चेक-इन	कतार में लगने वाला अधिकतम समय	बिजनेस क्लास के लिए 5 मिनट इकोनॉमी क्लास के लिए 20 मिनट	2 वर्ष
सुरक्षा जांच	कतार में लगने वाला प्रतीक्षा समय	95% यात्री 10 मिनट से कम प्रतीक्षा करते हैं	2 वर्ष
सीआईक्यू	कतार में लगने वाला चेक-इन समय	95% यात्री 20 मिनट से कम प्रतीक्षा करते हैं 95% यात्री 10 मिनट से कम प्रतीक्षा करते हैं	2 वर्ष 5 वर्ष
यात्री सामान वितरण	विमान आगमन से सामान वितरण तक लगने वाला समय	अंतर्देशीय उड़ानें -पहला बैग 10 मिनट में आखिरी बैग 30 मिनट में (ब्लॉक समय से-) अंतरराष्ट्रीय उड़ानें- पहला बैग 15 मिनट में आखिरी बैग 40 मिनट में (ब्लॉक समय से)	5 वर्ष 3 वर्ष

यात्री आगमन प्रक्रिया (अंतर्राष्ट्रीय)	विमान के आगमन से हवाईअड्डे तक पहुंचने में लगने वाला समय	95% यात्री 45 मिनट से कम समय लेते हैं	5 वर्ष
यात्री बोर्डिंग ब्रिज	बोर्डिंग ब्रिज द्वारा सेवा प्राप्त यात्रियों का प्रतिशत	अंतरराष्ट्रीय - वार्षिक यात्रियों का 90% घरेलू - बी737/ए320 या इससे बड़े विमान जब तक कि एयरलाइंस द्वारा आवश्यक न हो पर यात्रा करने वाले वार्षिक यात्रियों का 90%	5 वर्ष
रनवे प्रणाली	आगमन/प्रस्थान से विमानों में देरी	प्रति विमान औसत वार्षिक देरी: 4 मिनट या उससे कम, जो सीएनएस/एटीएम समझौते के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मानक एटीसी प्रक्रियाओं और उपकरणों के प्रावधानों पर आधारित है।	5 वर्ष
कार पार्किंग	पार्किंग स्थान ढूंढने में लगने वाला औसत समय	95% ड्राइवर 5 मिनट से कम समय लेते हैं	5 वर्ष
	पार्किंग स्थान से हवाईअड्डे से प्रस्थान करने का औसत समय	95% ड्राइवर 5 मिनट से कम समय लेते हैं	5 वर्ष
टैक्सी	अधिकतम प्रतीक्षा समय	95% यात्री 5 मिनट से कम प्रतीक्षा करते हैं	1 वर्ष
गेट लाउंज	सीटों की उपलब्धता	95% यात्री 3 मिनट से कम प्रतीक्षा करते हैं गेट लाउंज में 80% लोगों के लिए सीटें उपलब्ध	5 वर्ष
कार्गो सेवाएं	औसत ठहराव समय	आयात के लिए अधिकतम प्रक्रमण समय 24 घंटे निर्यात के लिए अधिकतम प्रक्रमण समय 24 घंटे	2 वर्ष 2 वर्ष

अनुसूची 4

व्यक्तिपरक सेवा गुणवत्ता आवश्यकताएँ

नीचे दिए गए मदों का मूल्यांकन जेवीसी के उचित नियंत्रण या प्रभाव के अंतर्गत किया जाता है और इनका उपयोग खण्ड 9.1.3 में निर्धारित रेटिंग की गणना के लिए किया जाएगा:

1. दिक्कालन संबंधी मद

- हवाई अड्डे/ संकेतों के माध्यम से रास्ता खोजने में सुगमता/
- उड़ान सूचना स्क्रीन
- पैदल दूरी

2. कनेक्टिविटी संबंधी मद

- अन्य उड़ानों से संपर्क स्थापित करने में सुगमता हवाई अड्डों से आने-जाने के लिए जमीनी परिवहन

3. सेवा सुविधाएं

- सामान ले जाने वाली गाड़ियों की उपलब्धता
- रेस्तरां/भोजन सुविधाएं
- खरीदारी सुविधाएं
- व्यावसायिक सुविधाएं
- शौचालय
- पार्किंग सुविधाएं

4. किफायती (वैल्यू फॉर मनी)

- रेस्तरां/भोजन सुविधाएं
- खरीदारी सुविधाएं
- पार्किंग सुविधाएं

5. सेवा वितरण

- हवाई अड्डे के कार्मिकों का शिष्ट व्यवहार और मददगार रवैया
- आरामदायक प्रतीक्षा/गेट क्षेत्र
- सामान वितरण सेवा में तेजी

6. पर्यावरणीय कारक

- टर्मिनल की स्वच्छता
- हवाई अड्डे का माहौल

7. एयरलाइन कारक

- चेक-इन पर प्रतीक्षा समय
 - चेक-इन की दक्षता
 - चेक-इन कार्मिकों का शिष्ट व्यवहार और मददगार रवैया - - व्यावसायिक/ एग्जीक्यूटिव लाउंज
- विषयपरक सेवा गुणवत्ता आवश्यकताओं के प्रयोजन के लिए आईएटीए/एसीआई/ईटीआरए यात्री सर्वेक्षण के अनुसार हवाई अड्डे की रेटिंग ऊपर उल्लिखित 7 कारकों के आधार पर एक (1) से पांच (5) के बीच निर्धारित की जाएगी।

अनुसूची 5 वैमानिक सेवाएं

"वैमानिक सेवाओं" से तात्पर्य निम्नलिखित सुविधाओं और सेवाओं के प्रावधान से है:

1. उड़ान प्रचालन सहायता और चालक दल सहायता प्रणालियों का प्रावधान;
2. राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के अलावा, हवाई अड्डे के सुरक्षित प्रचालन को सुनिश्चित करना;
3. विमानों की आवाजाही और पार्किंग तथा नियंत्रण सुविधाएं;
4. हवाई अड्डे का सामान्य रखरखाव;
5. रखरखाव सुविधाएं और उनका नियंत्रण तथा विमानों के लिए हैंगर;
6. उड़ान सूचना प्रदर्शन स्क्रीन;
7. बचाव और अग्निशमन सेवाएं
8. हवाई अड्डे पर कार्यरत कर्मियों का प्रबंधन एवं प्रशासन
9. हवाई अड्डे पर कर्मियों और यात्रियों की आवाजाही तथा परिवहन के सभी साधनों के बीच उनका आदान-प्रदान;
10. दूरस्थ बोर्डिंग करने वाले वाहनों सहित यात्री बोर्डिंग और डिस्म्बार्किंग प्रणालियों का प्रचालन एवं रखरखाव; और
11. हवाई अड्डे के सुरक्षित और कुशल प्रचालन के लिए आवश्यक समझी जाने वाली कोई अन्य सेवाएं।

उपरोक्त सुविधाओं और सेवाओं की विस्तृत सूची में निम्नलिखित शामिल होंगे:

12. हवाई अड्डा नियंत्रण सेवाएं
13. विमान क्षेत्र
14. विमान क्षेत्र की प्रकाश व्यवस्था
15. एयर टैक्सी सेवाएं
16. एयरसाइड और लैंडसाइड पहुंच मार्ग और फोरकोर्ट, जिनमें लेखन, यातायात संकेत, साइनेज और निगरानी शामिल हैं
17. अधिकृत प्रदाताओं द्वारा विमान ईंधन भरने की सेवाओं के लिए सामान्य हाइड्रेंट अवसंरचना
18. एप्रन और विमान पार्किंग क्षेत्र
19. एप्रन नियंत्रण और विमान स्टैंड का आवंटन
20. आगमन कॉन्कोर्स और मीटिंग क्षेत्र
21. सामान प्रणाली, जिसमें आउटबाउंड और रिक्लेम शामिल हैं
22. पक्षी भगाने की व्यवस्था
23. चेक-इन कॉन्कोर्स
24. सार्वजनिक क्षेत्रों की सफाई, हीटिंग, प्रकाश व्यवस्था और वातानुकूलित
25. सीमा शुल्क और आव्रजन हॉल
26. आपातकालीन सेवाएं
27. दिव्यांग और अन्य विशेष आवश्यकता वाले लोगों के लिए सुविधाएं
28. अग्निशमन सेवा
29. उड़ान सूचना और सार्वजनिक संबोधन प्रणाली
30. अपशिष्ट और सतही अपशिष्ट जल निकासी
31. मार्गदर्शन प्रणाली और मार्शलिंग
32. सूचना डेस्क
33. अंतर-टर्मिनल परिवहन प्रणाली
34. लिफ्ट, एस्केलेटर और यात्री कन्वेयर
35. लोडिंग ब्रिज
36. खोई हुई वस्तुएं

37. यात्रियों और हैंड बैगेज की तलाशी
38. खंभे और गेट रूम
39. पुलिसिंग और सामान्य सुरक्षा
40. प्रार्थना कक्ष
41. डाकघरों के लिए अवसंरचना/सुविधाएं
42. सार्वजनिक टेलीफोनों के लिए अवसंरचना/सुविधाएं
43. बैंकों के लिए अवसंरचना/सुविधाएं
44. मुद्रा विनिमय केंद्रों के लिए अवसंरचना/सुविधाएं
45. रनवे
46. साइनबोर्ड
47. कार्मिकों की तलाशी
48. टैक्सीवे
49. शौचालय और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए कमरे
50. अपशिष्ट और कचरे का उपचार और निपटान
51. हैंड बैगेज और चेक-इन किए गए सामान के लिए एक्स-रे सेवा
52. वीआईपी/विशेष लाउंज

अनुसूची 6
गैर-विमानन सेवाएं

"गैर-विमानन सेवाओं" से तात्पर्य निम्नलिखित सुविधाओं और सेवाओं (भाग I और भाग II सहित) से है:

भाग I

1. विमान सफाई सेवाएं
2. एयरलाइन लाउंज
3. कार्गो हैंडलिंग
4. कार्गो टर्मिनल
5. सामान्य विमानन सेवाएं (यात्रियों या कार्गो या दोनों को ले जाने वाली वाणिज्यिक हवाई परिवहन सेवाओं के लिए उपयोग की जाने वाली सेवाओं को छोड़कर)
6. ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं
7. हैंगर
8. विमानों के लिए गहन रखरखाव सेवाएं
9. अवलोकन मंच

भाग II

10. बैंक/एटीएम
11. मुद्रा विनिमय केंद्र*
12. व्यापार केंद्र
13. सम्मेलन केंद्र*
14. शुल्क मुक्त बिक्री
15. उड़ान खानपान सेवाएं
16. माल समेकनकर्ता/अग्रिम या एजेंट
17. सामान्य खुदरा दुकानें
18. होटल और मोटल
19. होटल आरक्षण सेवाएं
20. लाइन रखरखाव सेवाएं
21. लॉकर किराये पर देना
22. उपस्कर केंद्र
23. संदेशवाहक सेवाएं
24. कुली सेवा
25. रेस्तरां, बार और अन्य जलपान सुविधाएं
26. विशेष सहायता सेवाएं
27. पर्यटक सूचना सेवाएं
28. ट्रेवल एजेंसी
29. वाहन ईंधन सेवाएं
30. वाहन किराये पर देना
31. वाहन पार्किंग
32. वैंडिंग मशीनें
33. गोदाम
34. स्वागत सेवाएं
35. हवाई अड्डे पर यात्री सेवाओं से संबंधित अन्य गतिविधियां, यदि वे गैर-विमानन संपत्ति हैं।

- ये गतिविधियाँ/सेवाएँ तभी संचालित/प्रदान की जा सकती हैं, जब वे टर्मिनल परिसर/कार्गो परिसर के भीतर स्थित हों और मुख्य रूप से यात्रियों, हवाई यातायात सेवाओं और हवाई परिवहन सेवाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हों।

अनुसूची 7
अनिवार्य पूंजीगत परियोजनाएं
मुंबई हवाईअड्डा

अनिवार्य कैपिटल प्रोजेक्ट्स जिन्हें 2 साल के भीतर और 31/03/2010 तक पूरा किया जाना है।

क्रम संख्या	प्रोजेक्ट का नाम	शुरू होने की तारीख	पूरा होने की अवधि/तारीख
1.	रनवे 09/27 से नई हाई-स्पीड एग्जिट टैक्सीवे।	ओएमडीए पर हस्ताक्षर होने की तारीख से 15 महीने के भीतर।	24 महीने
2.	अंतरराष्ट्रीय कार्गो टर्मिनल।	-वही-	-वही-
3.	अंतरराष्ट्रीय कार्गो पार्क का विस्तार।	-वही-	24 महीने
4.	नया अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल एक्सेस रोड (मौजूदा रोड सिस्टम का विकास)	-वही-	-वही-
5.	डोमेस्टिक टर्मिनल एक्सेस रोड को री-अलाइन करना।	-वही-	24 महीने
6.	रनवे 09/27 से कोड एफ ऑफसेट डाइमेंशन के अनुसार टैक्सीवे B1 को री-अलाइन करना।	-वही-	-वही-
7.	अंतरराष्ट्रीय स्टैंड-ऑफ पोजीशन में बदलाव।	ओएमडीए पर हस्ताक्षर होने की तारीख से 15 महीने के भीतर।	24 महीने
8.	अंतर्देशीय एप्रन का विस्तार।	-वही-	-वही-
9.	अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल का विस्तार	-वही-	31 मार्च 2010
10.	नया अंतर्देशीय टर्मिनल।	-वही-	-वही-
11.	अंतरराष्ट्रीय एप्रन का विस्तार।	-वही-	-वही-
12.	नया डोमेस्टिक टर्मिनल कार्गो पार्क।	-वही-	-वही-

जेवीसी द्वारा पूरे किए जाने वाले प्रगतिशील/योजनाबद्ध कार्य

13.	04 अंतरराष्ट्रीय रिमोट पार्किंग बे अनुमानित लागत ₹17.11 करोड़	जून 2004	जनवरी 2006
14.	03 अंतरराष्ट्रीय रिमोट पार्किंग बे अनुमानित लागत ₹17.05 करोड़	जून 2005	सितंबर 2006
15.	नए हैंगर क्षेत्र के लिए लिंक टैक्सीवे। अनुमानित लागत ₹9.46 करोड़	जून 2004	फरवरी 2006
16.	रनवे 14/32 के समानांतर टैक्सीवे का आंशिक निर्माण। अनुमानित लागत: 17.26 करोड़ रुपये	अगस्त 2004	मार्च 2006
17.	टर्मिनल 1 बी का विस्तार और संशोधन। अनुमानित लागत: 85.66 करोड़ रुपये	दिसंबर 2004	सितंबर 2005
18.	सेकंडरी रनवे का पुनर्सतरीकरण	बोलीकर्ताओं द्वारा तिथि निर्धारित की जाएगी।	ओएमडीए के हस्ताक्षर की तिथि से 24 महीनों के भीतर।
19.	मौजूदा पुल में संशोधन।	-वही-	-वही-
20.	क्रैश फायर टैंडर।	-वही-	-वही-
21.	टैक्सीवे बी3 को रनवे 27 के अंत तक विस्तारित करना।	-वही-	-वही-
22.	रैपिड टैक्सीवे विकास	-वही-	-वही-

23.	इन-लाइन एक्स-रे बैगेज स्कैनिंग सिस्टम की व्यवस्था।	-वही-	-वही-
24.	प्रमुख टर्मिनल विकास कार्य पूरा होने से पहले व्यस्त समय में स्टैंड की मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त रिमोट डोमेस्टिक पार्किंग बे।	-वही-	-वही-
25.	टर्मिनल 2-बी का संशोधन और विस्तार, जिसमें टर्मिनल-॥ के फ्लाईओवर का चौड़ीकरण और कार पार्क का संशोधन, पैदल मार्ग, एस्केलेटर आदि की व्यवस्था शामिल है।	-वही-	-वही-
26.	सभी टर्मिनलों की सामान्य सौंदर्यता में सुधार।	-वही-	-वही-
27.	सभी टर्मिनलों के भीतर साइनेज में सुधार।	-वही-	-वही-
28.	उड़ान सूचना और पीए सिस्टम में सुधार।	-वही-	-वही-
29.	सभी टर्मिनलों के भीतर यात्री सुविधाओं और सेवाओं में सुधार।	-वही-	-वही-
30.	सभी टर्मिनलों के भीतर खुदरा पेशकश का उन्नयन	-वही-	-वही-
31.	सभी टर्मिनलों में सार्वजनिक सूचना प्रदर्शन।	-वही-	-वही-
32.	टी 1(ए/बी) और टी2 (ए/बी/सी) यातायात सुधार योजना।	-वही-	-वही-

अनुसूची 8 हवाई अड्डा प्रचालक अनुबंध (प्रचालन और प्रबंधन) सिद्धांत

हवाई अड्डा प्रचालक समझौते (एओए) का प्रारूप

संयुक्त उद्यम कंपनी को हवाई अड्डा प्रचालक (एओ) के साथ एक हवाई अड्डा प्रचालक अनुबंध (एओए) करना आवश्यक है, जो कंसोर्टियम का सदस्य है (यदि कंसोर्टियम में एक से अधिक एओ हैं तो नामित एओ) जो अनुबंध एओ और संयुक्त उद्यम कंपनी के बीच भूमिका, जिम्मेदारियों, जवाबदेही और वित्तीय व्यवस्थाओं को स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है।

भाविप्रा का उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच होने वाले समझौते के प्रारूप को अनावश्यक रूप से बाध्य करना या निर्देशित करना नहीं है। हालांकि, भाविप्रा कुछ मामलों को सुनिश्चित करना चाहता है कि दोनों पक्षों के बीच होने वाले एओए में उनका समाधान हो। ये व्यापक सिद्धांतों की एक श्रृंखला में विस्तृत रूप से (जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है) निर्धारित हैं, जिनका एओए को पालन करना आवश्यक है।

ए हवाई अड्डे के एओए के व्यापक सिद्धांत

हवाई अड्डा प्रचालक के लिए अन्य बातों के साथ एओए में अनिवार्य रूप से निम्नलिखित सेवाओं का दायरा शामिल होना चाहिए:

1. विमानन और गैर-विमानन संपत्तियों का प्रचालन और रखरखाव
2. यात्री सुविधाओं सहित टर्मिनलों का प्रचालन और प्रबंधन
3. हवाई अड्डे की उपयोगिताओं का रखरखाव और प्रचालन
4. संरक्षा अपेक्षाओं का अनुपालन

उपरोक्त व्यापक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, एओए यह सुनिश्चित करेगा कि हवाई अड्डा प्रचालक, प्रचालन, रखरखाव और प्रबंधन के लिए आवश्यक अपेक्षित मानकों को पूरा करे, ताकि संयुक्त हवाई अड्डा प्रबंधन (जेवीसी) अपने दायित्वों का निर्वाह कर सके (विशेष रूप से, ओएमडीए (ओएमडीए) के तहत वर्णित वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिपरक सेवा गुणवत्ता अपेक्षाओं को पूरा करना)। दूसरे शब्दों में, सेवाओं के लिए निष्पादन मानकों का स्तर और गुणवत्ता कम से कम उस स्तर और गुणवत्ता के बराबर होनी चाहिए, जो जेवीसी ओएमडीए (ओएमडीए) के तहत बनाए रखने के लिए बाध्य है। ऐसा करते हुए, हवाई अड्डा प्रबंधन हवाई अड्डे के समग्र प्रबंधन, प्रचालन और विकास के लिए उपयुक्त नीति निर्माण की सिफारिश भी करेगा। इसके अलावा, एओ प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अन्य उपयुक्त उपायों के माध्यम से जेवीसी को तकनीकी ज्ञान का हस्तांतरण भी सुनिश्चित करेगा।

बी अन्य सिद्धांत

एओए की अवधि

एओए की अवधि ओएमडीए की प्रभावी तिथि से कम से कम सात (7) वर्ष होनी चाहिए, हवाई अड्डा प्रचालक में कोई भी परिवर्तन भाविप्रा की स्वीकृति के अधीन होगा।

प्रदान की जाने वाली सेवाओं का दायरा

हवाईअड्डा प्रचालक अनुबंध में हवाईअड्डा प्रचालक (एओ) द्वारा जेवीसी को प्रचालन, प्रबंधन और विकास द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को स्पष्ट और पूर्ण रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए। हवाईअड्डा प्रचालक (एओ),द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में आवश्यक रूप से निम्नलिखित शामिल होना अनिवार्य है:

1. मास्टर प्लान तैयार करने के लिए अनुभवी और कुशल वरिष्ठ कार्मिकों के समूह (संख्या और पद सहित) की प्रतिबद्धता
2. मास्टर प्लान की समीक्षा करना और, जहां उपयुक्त हो, हवाई यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करने और हितधारकों के हितों और चिंताओं का ध्यान रखने के लिए वैकल्पिक सुझाव देना या परियोजनाओं के समय में बदलाव करना। हवाई अड्डों के वातावरण में बदलाव के जवाब में मास्टर प्लान में संशोधन और अद्यतन करने में जेवीसी का समर्थन करना और सभी नियामक एजेंसियों की अपेक्षाओं को पूरा करना।

3. अनुभवी और कुशल वरिष्ठ कार्मिकों के समूह (संख्या और पद सहित) की प्रतिबद्धता, जिन्हें बहु-रनवे विन्यास और एयरसाइड विकास, संयुक्त अंतरराष्ट्रीय और घरेलू टर्मिनल परिसरों सहित प्रमुख टर्मिनल विकास और समान ट्रेफिक एवं समान आकार के हवाई अड्डों की योजना बनाने का अनुभव हो।
4. हवाई अड्डा प्रचालन और प्रबंधन के लिए अनुभवी और कुशल वरिष्ठ कर्मचारियों के समूह की प्रतिबद्धता, जिसमें निम्नलिखित सहित विभिन्न महत्वपूर्ण हवाई अड्डा संबंधी कार्य शामिल हैं:
 - विमानन प्रचालन
 - टर्मिनल प्रचालन
 - कार्गो प्रचालन
 - टर्मिनल खुदरा बिक्री
 - कार पार्किंग
 - स्लॉट प्रबंधन
 - पर्यावरण प्रबंधन
 - हितधारक संबंध
 - यातायात और मार्ग विकास
5. टर्मिनलों और हवाई अड्डों दोनों में अस्थायी अतिरिक्त क्षमता प्रदान करने और सेवा स्तर में सुधार के लिए अंतरिम उपायों का कार्यान्वयन।
6. प्रबंधन और पूंजीगत व्यय दोनों प्रकार की पहलों के साथ तत्काल सुधार रणनीति का कार्यान्वयन, जो एयरलाइंस, यात्रियों और कार्गो प्रचालकों को विशेष रूप से सेवा गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार लाने के लिए किया गया है।
7. सीमित स्थान पर हवाई अड्डे और टर्मिनल की क्षमता को अधिकतम करने के लिए समाधानों का कार्यान्वयन।
8. हवाई अड्डे की संपत्तियों के जीवनकाल को बढ़ाने के लिए समाधानों का कार्यान्वयन।
9. हवाई अड्डे के दैनिक प्रचालन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव डाले बिना विकास योजना का कार्यान्वयन।
10. हवाई अड्डे के प्रचालन और प्रबंधन से संबंधित परिवर्तन योजना का कार्यान्वयन।
11. हितधारक प्रबंधन रणनीति का कार्यान्वयन, जिसमें प्रमुख हितधारकों की पहचान, उनके प्रासंगिक मुद्दे और उन मुद्दों का प्रबंधन शामिल होगा।
12. पर्यावरण प्रबंधन योजना का कार्यान्वयन।
13. यात्री और कार्गो प्रवाह और सेवा गुणवत्ता में सुधार के लिए व्यवसाय योजना का कार्यान्वयन और बाद में प्रमुख हवाई अड्डे के विकास कार्यों के कार्यान्वयन से इसका संबंध स्थापित करना।
14. मानव संसाधन योजना के कार्यान्वयन में सहायता, विशेष रूप से पहले तीन वर्षों में भावि कर्मचारियों को संयुक्त उद्यम व्यवसाय (जेवीसी) में एकीकृत करने के कार्य पर जोर देना। इस संबंध में, हवाई अड्डा प्रचालक, जेवीसी के लिए उचित वरिष्ठ प्रबंधन संरचना विकसित करने में सहायता करेगा, जिसमें ऐसे कर्मियों के लिए उपयुक्त कार्य विवरण शामिल होंगे। हवाई अड्डा प्रचालक आवश्यकतानुसार वरिष्ठ प्रबंधकों की भर्ती में भी सहायता करेगा और उपयुक्त प्रशिक्षण नीतियों/कार्यक्रमों की पहचान और कार्यान्वयन करेगा।
15. हवाई अड्डा प्रचालन के प्रत्येक प्रमुख पहलू की निरंतर समीक्षा के लिए एक प्रणाली स्थापित करें। हवाई अड्डा प्रचालक ऐसी समीक्षाओं के परिणामों की जांच करेगा, परिवर्तनों की अनुशंसा करेगा और जेवीसी को इसकी रिपोर्ट देगा।
16. उपरोक्त समीक्षा और अद्यतन के प्रमुख पहलुओं में निम्नलिखित शामिल होंगे:
 - डीजीसीए की अपेक्षाओं के अनुसार प्रचालन नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित करना और यह भी सुनिश्चित करना कि हवाई अड्डे का प्रचालन ओएमडीए के तहत निर्दिष्ट मानकों के अनुसार हो।

- हवाई अड्डा रखरखाव नियमावली।
 - सुरक्षा नियमावली, कार्यक्रमों के अद्यतन का कार्यान्वयन (दुर्घटना, अग्निशमन एवं बचाव सेवाएं, आपातकालीन संचार प्रणाली आदि)।
 - ग्राहक सेवा मानकों सहित प्रचालन प्रदर्शन और जहां उपयुक्त हो, हवाईअड्डा प्रचालक (एओ) द्वारा पहलों की अनुशंसा की जानी चाहिए एवं यात्री प्रक्रिया और हवाई अड्डे के एयरसाइड प्रचालन की दक्षता में सुधार के लिए जेवीसी को कार्यक्रम प्रदान करना।
17. जेवीसी और हवाई अड्डे के किरायेदारों, रखरखाव ठेकेदारों और अन्य सेवा प्रदाताओं के बीच समझौतों पर बातचीत में जेवीसी की आवश्यकतानुसार सहायता करना।
18. सुविधाओं और अवसंरचना परियोजनाओं के प्रभावी डिजाइन विकास, अनुबंध दस्तावेज़ तैयार करने और निविदा प्रक्रिया में सहायता करना।
19. महत्वपूर्ण विकास कार्यक्रमों के लिए प्रचालन प्रबंधन सहायता प्रदान करना ताकि सुविधा और अवसंरचना विकास कार्य के दौरान हवाई अड्डे का प्रचालन सुचारू रूप से और कुशलता से चलता रहे।

रिपोर्टिंग अपेक्षाएँ

हवाईअड्डा प्रचालक (एओ) और जेवीसी उपयुक्त रिपोर्टिंग व्यवस्था स्थापित करेंगे जिसके द्वारा हवाईअड्डा प्रचालक (एओ) नियमित रूप से सहमत निष्पादन मानकों के अनुसार एवं जिम्मेदारियों के निर्वहन पर रिपोर्ट कर सके। इस संदर्भ में, हवाईअड्डा प्रचालक (एओ) प्रचालन के प्रत्येक वर्ष के लिए जेवीसी को मूल्यांकन, निगरानी और प्रदत्त सेवाओं की एक सारांश रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। यह रिपोर्ट प्रचालन के प्रत्येक वर्ष के बाद 31 मार्च तक उपलब्ध होनी चाहिए। नियमित रिपोर्टिंग के अतिरिक्त, हवाईअड्डा प्रचालक (एओ) अपवाद स्वरूप किसी भी प्रासंगिक, हवाई अड्डे के लिए महत्वपूर्ण मामले की सूचना तुरंत देगा।

अतिरिक्त सलाहकार सेवाओं के प्रावधान पर अनुबंध

प्रत्येक वर्ष, जेवीसी और हवाईअड्डा प्रचालक (एओ) को अतिरिक्त परामर्श सेवाओं (उपरोक्त पैरा 2 में उल्लिखित सेवाओं के अतिरिक्त) पर सहमत होना होगा जो हवाईअड्डा प्रचालक (एओ) द्वारा प्रदान की जाएंगी। इस समझौते में सेवाओं की प्रकृति, कार्यरत कार्मिकों, अनुमानित लागत, अपेक्षित और लक्षित परिणाम निर्धारित होंगे। वर्ष के दौरान उपयुक्त समय पर और वर्ष के अंत में समझौते के अनुसार निष्पादन की समीक्षा की जाएगी।

वित्तीय पारिश्रमिक

मूल सिद्धांत यह है कि हवाईअड्डा प्रचालक (एओ) को मुख्य वित्तीय लाभ उसकी इक्विटी भागीदारी से प्राप्त हो सकता है। हालांकि, यह माना जाता है कि अपने कार्यों को कुशल और प्रभावी ढंग से करने के लिए, उसके पारिश्रमिक का कुछ हिस्सा हवाईअड्डा प्रचालन अनुबंध (एओए) से आएगा।

हवाईअड्डा प्रचालन अनुबंध (एओए) के माध्यम से हवाईअड्डा प्रचालक (एओ) को मिलने वाला वित्तीय लाभ दो आधारों पर और नीचे दिए गए दृष्टिकोण के अंतर्गत होना चाहिए:

- सेवाओं के प्रावधान के लिए प्रतिफल

प्रदान की गई कोई भी सेवा निश्चित शुल्क पर न होकर सेवा शुल्क-आधारित होनी चाहिए। इसके अलावा, पैराग्राफ 4 में उल्लिखित हवाईअड्डा प्रचालक (एओ) द्वारा प्रदान की गई कोई भी अतिरिक्त सेवाएं जेवीसी और

हवाईअड्डा प्रचालक (एओ) के बीच वार्षिक समझौते के अंतर्गत होगी, जिसमें ऐसी सेवाओं और शुल्कों का उल्लेख है। इन सेवाओं का पारिश्रमिक तय दर के आधार पर दिया जाना चाहिए।

○ निष्पादन आधारित शुल्क

इसके अतिरिक्त, निष्पादन आधारित शुल्क भी प्रदान किया जा सकता है, जो आकंने योग्य निष्पादन और प्राप्त परिणामों से जुड़ा होना चाहिए। यह शुल्क लाभ, ईबीआईटी, ईबीआईटीडीए या राजस्व जैसे किसी एक पैरामीटर के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसी स्थिति में हवाईअड्डा प्रचालक (एओ) को स्पष्ट मूल्यवर्धन उत्पन्न करने की आवश्यकता का पालन करना होगा। निष्पादन आधारित शुल्क और सेवा गुणवत्ता के लिए प्राप्त परिणामों के बीच स्पष्ट संबंध होना चाहिए।

डिफ़ॉल्ट और समाप्ति प्रावधान

एओए में यह स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि समझौते के तहत डिफ़ॉल्ट की स्थिति क्या है और समझौते की समाप्ति का आधार क्या है। यदि जेवीसी के उचित मत और आकलन के अनुसार कोई डिफ़ॉल्ट या समाप्ति की स्थिति उत्पन्न होती है या होने की संभावना है, तो इसकी सूचना भाविप्रा को बिना किसी देरी के पूरी तरह से दी जानी चाहिए। डिफ़ॉल्ट होने पर उचित वित्तीय दंड लगाया जाना चाहिए।

बौद्धिक संपदा

एओ हवाई अड्डों के प्रचालन, प्रबंधन और विकास से संबंधित अपनी सभी बौद्धिक संपदा को बिना किसी शुल्क के पूर्ण रूप से उपलब्ध कराता है।

हवाई अड्डे पर विकसित कोई भी बौद्धिक संपदा संयुक्त उद्यम (जेवीसी) की संपत्ति बन जाएगी, जो एओ को उस बौद्धिक संपदा के उपयोग के लिए एक गैर-अनन्य लाइसेंस प्रदान करेगा।

कार्यभार

एओ की भूमिका का कार्यभार केवल जेवीसी की स्पष्ट स्वीकृति से ही सौंपा जा सकता है, और ऐसी स्वीकृति भाविप्रा की सहमति के बिना नहीं दी जाएगी।

निष्पादन गारंटी

एओए में एक स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए जिसमें एओ को जेवीसी के पक्ष में (लेकिन भाविप्रा द्वारा भुनाया जा सकने वाला) 3,000,000,000 रुपये (तीन सौ करोड़ रुपये) की एक बिना शर्त और अपरिवर्तनीय निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो, जो नई दिल्ली में लागू और भुनाई जा सके और एओ की अवधि के लिए वैध हो।

अनुसूची- 9
प्रतिस्थापन समझौते का प्रारूप

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

एवं

(संयुक्त उद्यम कंपनी)

एवं

ऋणदाता एजेंट

के बीच

प्रतिस्थापन अनुबंध

प्रतिस्थापन अनुबंध

यह प्रतिस्थापन अनुबंध ("अनुबंध") मुंबई में वर्ष 2006 केदिन को किया गया है।
द्वारा और बीच में

1. प्रथम पक्ष के रूप में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, अपने अध्यक्ष के माध्यम से (जिसे इसके बाद "भाविप्रा" कहा जाएगा, जिसमें संदर्भ या अर्थ के विपरीत न होने पर इसके उत्तराधिकारी और अभिहस्तांकित भी शामिल होंगे); और
2. द्वितीय पक्ष के रूप में कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित (.....) एक कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय (.....) में है (जिसे इसके बाद "जेवीसी" कहा जाएगा, जिसमें संदर्भ या अर्थ के विपरीत न होने पर इसके उत्तराधिकारी और अभिहस्तांकित भी शामिल होंगे), और
3. तृतीय पक्ष के रूप में, जिसका पंजीकृत कार्यालय (.....) में स्थित है, अनुसूची 1 में सूचीबद्ध ऋणदाताओं और वित्तपोषण दस्तावेजों के अनुसार उनके उत्तराधिकारियों और अभिहस्तांकितों की ओर से ऋणदाता एजेंट के रूप में कार्य करते हुए (जिसे इसके बाद "ऋणदाता एजेंट" कहा जाएगा, जिसमें संदर्भ या अर्थ के विपरीत न होने पर, तत्कालीन न्यासी या न्यासियों को भी शामिल किया जाएगा) का ऋणदाता एजेंट है।

(भाविप्रा, जेवीसी और ऋणदाता एजेंट को इसके बाद सामूहिक रूप से "पक्ष" और व्यक्तिगत रूप से "पक्ष" कहा जाएगा)।

जबकि

- (क) भाविप्रा और जेवीसी ने दिनांक (.....) को एक प्रचालन, प्रबंधन और विकास अनुबंध ("ओएमडीए") किया है, जिसके अनुसार जेवीसी हवाई अड्डे का प्रचालन, रखरखाव, विकास, डिजाइन, निर्माण, उन्नयन, आधुनिकीकरण, वित्तपोषण और प्रबंधन करने के लिए बाध्य है, जो उसमें निर्धारित शर्तों और नियमों के अधीन है।
- (ख) हवाई अड्डे पर हस्तांतरित परिसंपत्तियों के विकास हेतु वित्तपोषण प्राप्त करने में जेवीसी की सहायता करने के उद्देश्य से, ताकि जेवीसी ओएमडीए के अनुसार हवाई अड्डे पर हस्तांतरित परिसंपत्तियों का प्रचालन, रखरखाव, विकास, डिजाइन, निर्माण, उन्नयन, आधुनिकीकरण, वित्तपोषण और प्रबंधन कर सके, पक्षकारों ने सहमति व्यक्त की है कि जेवीसी द्वारा कुछ चूक होने की स्थिति में, ऋणदाताओं को नीचे उल्लिखित शर्तों और अनुबंधों के अधीन, जेवीसी के स्थान पर एक चयनित व्यक्ति को नियुक्त करने का अधिकार होगा।

अतः, उपरोक्त और इस अनुबंध में निर्धारित संबंधित अनुबंधों और समझौतों के विचार में, पक्षकार निम्नलिखित पर सहमत हैं:

अनुच्छेद 1
परिभाषाएँ और व्याख्या

1.1 परिभाषाएँ

इस अनुबंध के प्रयोजन हेतु, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ क्रमशःनुसार होगा:

"वित्तपोषण दस्तावेज़" से तात्पर्य समय-समय पर जेवीसी द्वारा ऋण जुटाने के लिए निष्पादित दस्तावेजों से है।

"वित्तपोषण चूक की स्थिति" से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसी भी घटना के घटित होने से है:

- (i) जेवीसी द्वारा वित्तपोषण दस्तावेजों के अंतर्गत सभी या किसी भी ऋणदाता को मूलधन या ब्याज या दोनों की छह किस्तों (यदि किस्तें मासिक देय हैं) और दो किस्तों (यदि किस्तें त्रैमासिक देय हैं) का भुगतान करने में चूक, या वित्तपोषण दस्तावेजों के अनुसार देय किसी भी अन्य राशि का भुगतान न करना।
- (ii) वित्तपोषण दस्तावेजों की किसी भी शर्त के उल्लंघन या चूक की कोई भी घटना, जो ऋणदाता के एजेंट की राय में महत्वपूर्ण या गंभीर हो और जो वित्तपोषण दस्तावेजों के अंतर्गत ऋणदाताओं को भुगतान दायित्वों को पूरा करने की जेवीसी की क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती हो।

"जेवीसी द्वारा चूक की स्थिति" का वही अर्थ होगा जो ओएमडीए में दिया गया है।

"ऋणदाता" से तात्पर्य अनुसूची 1 में सूचीबद्ध ऋणदाताओं और वित्तपोषण दस्तावेजों के अनुसार ऐसे ऋणदाताओं के उत्तराधिकारियों और अभिहस्तांकितों से है।

"ऋणदाता प्रमाणपत्र" का वही अर्थ होगा जो अनुच्छेद 2.2(ख) में दिया गया है।

"ऋणदाता देय राशि" से तात्पर्य वित्तपोषण दस्तावेजों के अंतर्गत जेवीसी द्वारा ऋणदाताओं को देय सभी राशियों और अर्जित ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, निर्धारित क्षतिपूर्ति, प्रतिबद्धता शुल्क, कमीशन, पूर्व भुगतान प्रीमियम, लागत, शुल्क और अन्य राशियों के योग से है।

"ऋणदाता की चूक सूचना" का वही अर्थ होगा जो अनुच्छेद 2.2(क) में दिया गया है।

"नई इकाई" से तात्पर्य ऋणदाताओं द्वारा प्रस्ताव में प्रस्तावित इकाई से है।

"समाप्ति की मंशा की सूचना" का वही अर्थ होगा जो ओएमडीए में दिया गया है।

"प्रस्ताव" का वही अर्थ होगा जो अनुच्छेद 3.1(iii) में दिया गया है।

"चयनित इकाई" से तात्पर्य, अनुच्छेद 3.3 के अधीन रहते हुए, ऋणदाताओं द्वारा इस अनुबंध के अनुसार प्रस्तावित और भाविप्रा द्वारा इस अनुबंध के अनुसार ओएमडीए के अंतर्गत जेवीसी के स्थान पर अनुमोदित नई इकाई से है।

"प्रतिस्थापन" वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा चयनित भागीदार को संयुक्त व्यावसायिक उद्यम (जेवीसी) के स्थान पर निम्नलिखित गतिविधियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:

- (i) चयनित भागीदार को ओएमडीए में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार शेष अवधि के लिए हवाई अड्डे के प्रचालन, रखरखाव, विकास, अवसंरचना, निर्माण, उन्नयन, आधुनिकीकरण, वित्तपोषण और प्रबंधन का अधिकार प्रदान करना, ओएमडीए को चयनित भागीदार के पक्ष में नवीनीकृत करके;
- (ii) चयनित भागीदार को शेष अवधि के लिए हवाई अड्डे के स्थल पर सभी परिसंपत्तियों, भवनों, उपकरणों, रनवे, सभी या किसी भी एकल अधिकार, स्वतंत्रता, विशेषाधिकार, सुगमता और सहायक वस्तुओं सहित पट्टे का अधिकार प्रदान करना, पट्टा विलेख को चयनित भागीदार के पक्ष में नवीनीकृत करके;
- (iii) सीएनएस-एटीएम अनुबंध, राज्य सरकार सहायता अनुबंध, राज्य सहायता अनुबंध, अनुबंध और हवाई अड्डे के प्रचालन के उद्देश्य से नवीनीकृत किए जाने वाले किसी भी अन्य अनुबंध का चयनित व्यक्ति के पक्ष में नवीनीकरण; और
- (iv) शेष अवधि के लिए चयनित व्यक्ति के साथ समान शर्तों और नियमों पर एक नया प्रतिस्थापन अनुबंध निष्पादित करना;
- (v) जेवीसी द्वारा जेवीसी के स्वामित्व वाली सभी संपत्तियों का चयनित व्यक्ति को हस्तांतरण;

- (vi) भाविप्रा द्वारा चयनित व्यक्ति को भाविप्रा के अधिकार क्षेत्र में आने वाली और ओएमडीए के अनुसार हवाई अड्डे के प्रचालन हेतु आवश्यक सभी स्वीकृतियाँ, मंजूरी और अनुमतियाँ प्रदान करना, बशर्ते कि लागू कानून के अनुसार विधिवत भरा हुआ आवेदन भाविप्रा को प्रस्तुत किया गया हो।

"प्रतिस्थापन सूचना" से तात्पर्य इस अनुबंध के अनुच्छेद 2.2 (डी) के अनुसार ऋणदाता एजेंट द्वारा दी गई सूचना से है।

1.2 इस अनुबंध में प्रयुक्त वे शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो बड़े अक्षरों से प्रारंभ होती हैं या बड़े अक्षरों में हैं, जिनका यहाँ वर्णन नहीं किया गया है तथा जो ओएमडीए में परिभाषित हैं, उनका, संदर्भ के विपरीत न होने पर, वही अर्थ होगा जो उन्हें ओएमडीए में दिया गया है।

1.3 **व्याख्या**

इस अनुबंध में, जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो, ओएमडीए के अनुच्छेद 1.2 में उल्लिखित व्याख्या नियम लागू होंगे।

अनुच्छेद 2 चयनित व्यक्ति द्वारा जेवीसी का प्रतिस्थापन

2.1 इस अनुबंध की शर्तों और इसमें बताई गई घटनाओं के होने पर, भाविप्रा बिना किसी संशोधन के इस बात पर सहमत है कि वह जेवीसी की जगह किसी ऐसे चुने हुए पक्ष (जिसे ऋणदाताओं ने चुना हो और भाविप्रा ने इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार स्वीकृति दी हो) को ले आएगी, ताकि ऋणदाताओं की बकाया रकम का भुगतान सुरक्षित किया जा सके।

2.2 (क) ऋणदाताओं का अभिकर्ता जेवीसी को लिखित सूचना देकर तथा उसकी एक प्रति उसी समय भाविप्रा को देते हुए, वित्तपोषण संबंधी चूक की घटना होने के बारे में सूचित कर सकता है और जेवीसी से अपेक्षा कर सकता है कि वह ऐसी सूचना दिए जाने की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर ऐसी चूक का निवारण एवं उपचार करे ("ऋणदाताओं की चूक की सूचना")। इसके साथ ऋणदाताओं का प्रमाण-पत्र संलग्न होगा।

(ख) "ऋणदाताओं का प्रमाण-पत्र" से ऋणदाताओं के अभिकर्ता के किसी अधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित वह प्रमाण-पत्र अभिप्रेत है जिसमें

(i) वित्तपोषण संबंधी चूक की घटना का घटित होना और

(ii) ऋणदाताओं की देय राशि का मूल्य प्रमाणित किया गया हो।

यह प्रमाण-पत्र भाविप्रा के संबंध में वित्तपोषण संबंधी चूक की घटना के घटित होने का निर्णायक साक्ष्य होगा और इस प्रयोजन के लिए भाविप्रा पर अंतिम, निर्णायक और बाध्यकारी होगा, किंतु ऋणदाताओं की देय राशि अथवा ऋण की मात्रा के संबंध में नहीं।

(ग) जेवीसी द्वारा चूक की ऐसी घटना होने पर जिसके कारण ओएमडीए के अंतर्गत भाविप्रा द्वारा समाप्ति के आशय की सूचना जारी की जाती है, भाविप्रा ऐसी सूचना जारी करते ही उसकी एक प्रति ऋणदाताओं के अभिकर्ता को देगा।

(घ) ऋणदाता प्रतिस्थापन के प्रयोजनार्थ किसी तीसरे पक्ष को नामित करने के हकदार होंगे—

(i) ऋणदाताओं की चूक की सूचना दिए जाने की तारीख से साठ (60) दिनों बाद भी वित्तपोषण संबंधी चूक का वित्तपोषण दस्तावेजों के अनुसार निवारण, उपचार या निरसन न हुआ हो; या

(ii) भाविप्रा द्वारा जेवीसी को समाप्ति के आशय की सूचना जारी किए जाने के तुरंत बाद।

ऋणदाता समाप्ति के आशय की सूचना प्राप्त होने अथवा ऋणदाताओं की चूक की सूचना जारी होने, जैसी भी स्थिति हो, से साठ (60) दिनों के भीतर भाविप्रा को सूचित करेंगे कि वे प्रतिस्थापन के अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं या नहीं। ऋणदाताओं का अभिकर्ता, वित्तपोषण दस्तावेजों के अंतर्गत उपलब्ध अन्य अधिकारों या उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, भाविप्रा और जेवीसी को सूचित कर सकता है कि ऋणदाता प्रतिस्थापन के लिए तीसरे पक्षों से निजी बातचीत, सार्वजनिक नीलामी या निविदा प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित, परक्रामित और प्राप्त करेंगे, बशर्ते ऐसे तीसरे पक्ष को भाविप्रा की पूर्व लिखित स्वीकृति प्राप्त हो। भाविप्रा ऐसी स्वीकृति केवल अनुच्छेद 2.3 में दिए गए आधारों पर ही अस्वीकार या विलंबित कर सकता है ("प्रतिस्थापन सूचना")।

2.3 ऋणदाताओं का अभिकर्ता और भाविप्रा निम्नलिखित मानदंड लागू करेंगे और भाविप्रा अपनी स्वीकृति केवल तब अस्वीकार या विलंबित करेगा जब व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हुए वह संतुष्ट न हो कि प्रतिस्थापन के पश्चात तीसरा पक्ष इन्हें पूरा करेगा:

(i) तीसरा पक्ष ओएमडीए के अंतर्गत जेवीसी के कर्तव्यों, दायित्वों और देयताओं का निर्वहन करने में सक्षम तथा उपयुक्त वित्तीय और विधिक क्षमता वाला हो;

(ii) ऋणदाताओं की देय राशि की अदायगी के लिए ऋणदाताओं की संतुष्टि के अनुरूप प्रतिभूति/आश्वासन प्रदान करे;

- (iii) जेवीसी की भाविप्रा के प्रति देय राशियों के भुगतान और निर्वहन का दायित्व बिना शर्त स्वीकार करे;
- (iv) ओएमडीए में निर्धारित अथवा जेवीसी के चयन की प्रक्रिया के दौरान या बाद में भाविप्रा द्वारा निर्धारित अनुभव और तकनीकी क्षमता रखता हो;
- (v) भाविप्रा और तीसरे पक्ष के बीच किसी करार का महत्वपूर्ण उल्लंघन न किया हो;
- (vi) भाविप्रा की प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया में निर्धारित संबंधित सुरक्षा एवं सत्यनिष्ठा अनुमोदन आवश्यकताओं या लागू विधि की समान आवश्यकताओं को पूरा करता हो; और
- (vii) ऐसी अन्य उपयुक्त परिस्थितियां हों जिनसे ओएमडीए के अंतर्गत जेवीसी के दायित्वों के निष्पादन में निरंतरता और ऋणदाताओं के पक्ष में प्रतिभूति की सुरक्षा बनी रहे।
- (viii) राजनीतिक संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार तीसरे पक्ष को अनुमोदित करती हो।

अनुच्छेद 3 प्रतिस्थापन की कार्यप्रणाली

3.1 जेवीसी के स्थान पर चयनित पक्ष द्वारा किए जाने वाले प्रतिस्थापन पर निम्नलिखित कार्यप्रणाली लागू होगी:

- (i) ऋणदाताओं का अभिकर्ता निजी बातचीत, सार्वजनिक नीलामी, निविदा प्रक्रिया अथवा अन्यथा प्रस्ताव आमंत्रित, परक्रामित या प्राप्त कर सकता है;
- (ii) ऋणदाताओं का अभिकर्ता, ऋणदाताओं की ओर से, भाविप्रा के समक्ष किसी नई इकाई का नाम स्वीकृति हेतु प्रस्तावित करेगा और प्रतिस्थापन के लिए आवश्यक आवेदन करेगा;

- (iii) ऋणदाताओं की ओर से कार्य करने वाला ऋणदाता एजेंट, उपर्युक्त अनुच्छेद 2.2(डी) के अनुसार भाविप्रा को प्रतिस्थापन नोटिस दिए जाने की तारीख से एक सौ अस्सी दिनों की अवधि के भीतर, किसी नई इकाई का चयन कर, उसके अनुमोदन हेतु भाविप्रा के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करने का हकदार होगा (जिसे आगे **“प्रस्ताव”** कहा जाएगा)। इस उप-खंड (iii) के अंतर्गत ऋणदाता एजेंट द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में नई इकाई, ऋणदाताओं की देय राशि तथा अन्य संबंधित आँकड़ों और सूचनाओं के संबंध में वे सभी विवरण एवं जानकारीयों सम्मिलित होंगी, जो इस करार की अनुसूची 2 में निर्धारित हैं। उपर्युक्त के सामान्यतः प्रतिकूल प्रभाव के बिना, ऋणदाता एजेंट इस बात से सहमत है और वचन देता है कि भाविप्रा द्वारा यथोचित रूप से अपेक्षित किए जाने पर, ऋणदाता एजेंट द्वारा प्रस्तुत किसी भी आँकड़े, विवरण या सूचना के संबंध में ऐसी अतिरिक्त जानकारी एवं स्पष्टीकरण उपलब्ध कराएगा, जिन्हें आगे **“अतिरिक्त जानकारी”** कहा जाएगा; बशर्ते कि भाविप्रा द्वारा ऐसा अनुरोध प्रस्ताव अथवा अतिरिक्त जानकारी प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर किया गया हो। भाविप्रा, प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन अथवा अस्वीकृति, निम्नलिखित में से जो भी तारीख बाद में हो, उस तारीख से 30 दिनों के भीतर सूचित करेगा: (ए) भाविप्रा द्वारा प्रस्ताव प्राप्त किए जाने की तारीख; अथवा (बी) भाविप्रा द्वारा अतिरिक्त जानकारी में से अंतिम जानकारी प्राप्त किए जाने की तारीख। परंतु यह प्रावधान है कि, यदि प्रस्ताव अथवा, यथास्थिति, अतिरिक्त जानकारी प्राप्त होने की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर भाविप्रा द्वारा प्रस्ताव के संबंध में अपना अनुमोदन अथवा अस्वीकृति सूचित नहीं की जाती है और न ही अतिरिक्त जानकारी का अनुरोध किया जाता है, तो प्रस्ताव तथा नई इकाई को स्वतः अनुमोदित माना जाएगा। भाविप्रा किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने के कारण लिखित रूप में देने के लिए बाध्य होगा। परंतु यह प्रावधान है कि भाविप्रा प्रस्ताव का अनुमोदन केवल इस आधार पर रोक सकता है कि नई इकाई अनुच्छेद 2.3(i) से 2.3(vii) में विनिर्दिष्ट किसी मानदंड को पूरा नहीं करती है। यह स्पष्ट रूप से सहमत किया जाता है कि प्रस्ताव के साथ नई इकाई की एक बिना शर्त वचनबद्धता संलग्न होगी, जिसके अंतर्गत नई इकाई यह वचन देगी कि भाविप्रा द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किए जाने के पश्चात वह प्रतिस्थापन को प्रभावी करने के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज़ निष्पादित करेगी। नई इकाई ऋणदाताओं की देय राशियों के लिए उत्तरदायी होगी तथा उन्हें ग्रहण करने, निर्वहन करने और भुगतान करने का दायित्व स्वीकार करेगी, ऐसी रीति से जो ऋणदाताओं को स्वीकार्य हो। प्रस्ताव के अनुमोदन के पश्चात प्रस्तावित नई इकाई इस करार के अधीन **“चयनित इकाई”** बन जाएगी।

परंतु यह प्रावधान है कि, यदि भाविप्रा प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं करता है, तो नीचे दिए गए अनुच्छेद 3.3 और 3.4 के अधीन रहते हुए, ऋणदाता एजेंट भाविप्रा की अस्वीकृति प्राप्त होने की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर किसी अन्य नई इकाई के संबंध में एक अन्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए अपने यथोचित प्रयास करेगा। ऐसी स्थिति में, इस अनुच्छेद 3.1(iii) में निर्धारित प्रक्रिया को नीचे दिए गए अनुच्छेद 3.3 में उल्लिखित 120 दिनों की अवधि समाप्त होने तक दोहराया जाएगा।

- (iv) भाविप्रा, चयनित इकाई की पात्रता से संतुष्ट होने पर, ऋणदाता एजेंट के अनुरोध पर तथा इस करार के उपबंधों के अनुसार और नीचे दिए गए उप-खंड (v) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रतिस्थापन की प्रक्रिया को कार्यान्वित करेगा।
- (v) प्रतिस्थापन चयनित पक्ष द्वारा हवाईअड्डे के संचालन के लिए आवश्यक भारत सरकार की स्वीकृतियां, अनापत्तियां और अनुमतियां प्राप्त करने तथा अनुच्छेद 3.8 के अनुसार भाविप्रा को शेषरधारिता प्रदान करने के अधीन होगा।

- (vi) चयनित पक्ष के चयन में ऋणदाताओं और भाविप्रा का निर्णय जेवीसी पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। जेवीसी ऐसे चयन को चुनौती देने के अपने अधिकार का परित्याग करता है, बिना उसके परियोजना करारों और लागू विधि के अधिकारों को प्रभावित किए।
- (vii) ऋणदाताओं के अभिकर्ता की सभी कार्रवाइयां ऋणदाताओं की ओर से अधिकृत और उन पर बाध्यकारी होंगी। वह क्षतिपूर्ति, चूक-निवारण भुगतान तथा प्रतिस्थापन के लिए अंतरण संबंधी अन्य भुगतान/प्रतिफल प्राप्त करने और सभी ऋणदाताओं की ओर से वैध उन्मोचन देने के लिए अधिकृत है।
- 3.2 जेवीसी अपरिवर्तनीय रूप से ऋणदाता द्वारा भाविप्रा से प्रतिस्थापन हेतु आवेदन करने के निर्णय को चुनौती देने के अधिकार का परित्याग करता है। जेवीसी या भाविप्रा, ऋणदाताओं के अभिकर्ता को इस करार के अनुसार प्रतिस्थापन प्राप्त करने की कार्रवाई से नहीं रोकेंगे।
- 3.3 यदि प्रथम प्रस्ताव प्राप्त होने से 120 दिनों के भीतर भाविप्रा को स्वीकार्य कोई उपयुक्त नई इकाई नहीं मिलती, तो भाविप्रा प्रतिस्थापन के लिए अपने नामित व्यक्ति का प्रस्ताव कर सकता है।
- 3.4 (i) भाविप्रा द्वारा किसी अन्य व्यक्ति ("भाविप्रा नामिती") से जेवीसी का प्रतिस्थापन प्रस्तावित करने पर अनुच्छेद 2.3 के मानदंड और ऋणदाताओं की देय राशि को ध्यान में रखा जाएगा तथा ऋणदाताओं के अभिकर्ता द्वारा सहमत सीमा तक देय राशि के भुगतान/अधिग्रहण की उपयुक्त शर्त रखी जाएगी। भाविप्रा नामिती आवश्यक दस्तावेज निष्पादित करेगा।
- (ii) अनुच्छेद 3.3 तथा इस अनुच्छेद 3.4 में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से यह अपेक्षित नहीं होगा कि वह ओएमडीए की अवधि के दौरान अथवा किसी भी कारण से ओएमडीए की समाप्ति या अवधि-समाप्ति पर, किसी भी समय, ऋणदाता की देयताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली देयताओं को अपने ऊपर ले, सिवाय इसके कि ऐसी समाप्ति/अवधि-समाप्ति पर ओएमडीए के अधीन देय और संदेय अंतरण भुगतान की सीमा तक ऐसा करना अपेक्षित हो। ऐसी स्थिति में, एएआई का दायित्व केवल ऐसी देयताओं को अपने ऊपर लेने और ऐसी देय राशियों का भुगतान करने तक सीमित होगा, जिन्हें एएआई ने ओएमडीए के अधीन स्वीकार किया है।
- 3.5 इस करार में किसी बात का अर्थ भाविप्रा द्वारा किसी गारंटी या जमानत के प्रावधान के रूप में नहीं लगाया जाएगा। भाविप्रा ने ऋणदाताओं की देय राशि की वसूली के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई जमानत, गारंटी या प्रति-गारंटी प्रदान नहीं की है।
- 3.6 किसी प्रतिस्थापन की स्थिति में, चयनित पक्ष/भाविप्रा नामिती को ऐसे प्रतिस्थापन के दिन विद्यमान किसी उल्लंघन या चूक को दूर करने के लिए अतिरिक्त एक सौ अस्सी दिनों की उपचार अवधि प्रदान की जाएगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि चूक की प्रकृति ऐसी हो कि उसे दूर करने में अधिक समय लगे, तो चयनित पक्ष, भाविप्रा के साथ उपयुक्त समय-सारणी तथा उपचार कार्यक्रम पर सहमत होगा। तत्पश्चात, उपचार अवधि को उक्त समय-सारणी के अनुरूप बढ़ा दिया जाएगा।
- 3.7 यदि चयनित पक्ष ऐसी अवधि में चूक/उल्लंघन का निवारण या ऋणदाताओं की देय राशि का भुगतान नहीं करता, तो ऋणदाताओं का अभिकर्ता भाविप्रा से ओएमडीए समाप्त करने और ओएमडीए के अनुच्छेद 17.3.1(सी) के अंतर्गत समाप्ति मूल्य निर्धारित करने की अपेक्षा कर सकता है।
- 3.8 पक्षकार प्रतिस्थापन को प्रभावी करने के लिए आवश्यक करार निष्पादित करेंगे। चयनित पक्ष भाविप्रा की इच्छा होने पर प्रतिस्थापन की तारीख को जेवीसी में भाविप्रा की प्रतिशत शेयरधारिता के बराबर शेयरधारिता अर्जित/अंशदान करने का अधिकार भाविप्रा को देगा, शेयरधारक करार में निर्धारित शर्तों पर।

अनुच्छेद 4 भाविप्रा के अधिकार

- 4.1 ऋणदाताओं के अभिकर्ता और जेवीसी स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि ऋणदाताओं की चूक की सूचना अथवा समाप्त करने के आशय की सूचना जारी किए जाने तथा उसके लिए लागू उपचार अवधि समाप्त हो जाने पर, यदि उक्त सूचना/सूचनाएँ वापस नहीं ली गई हों अथवा संबंधित चूक का उपचार नहीं किया गया हो, तो, यहां तक कि इस करार के अनुच्छेद 2 में यथाप्रावधान प्रतिस्थापन की प्रक्रिया आरंभ किए जाने के बावजूद, भाविप्रा को हवाईअड्डे के प्रचालन एवं अनुरक्षण को अपने हाथ में लेने का अधिकार होगा, किंतु ऐसा करना उसके लिए बाध्यकारी नहीं होगा।
- ऐसी स्थिति में, एएआई को उद्योग में प्रचलित श्रेष्ठ पद्धतियों के अनुसार हवाईअड्डे का प्रचालन एवं अनुरक्षण करने का अधिकार होगा और वह ऐसा जेवीसी के जोखिम एवं लागत पर तब तक करेगा, जब तक कि इस करार के अधीन प्रतिस्थापन के पश्चात् प्रचालन आरंभ नहीं हो जाता अथवा ऐसी चूक की घटना का उपचार नहीं कर दिया जाता, इनमें से जो भी पहले हो।
- 4.2 ऋणदाताओं का अभिकर्ता स्वीकार करता है कि भाविप्रा को ओएमडीए के अनुसार समाप्ति के आशय की सूचना जारी करने का अधिकार है।
- 4.3 इस करार की कोई बात भाविप्रा को किसी परियोजना करार के अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करने से प्रतिबंधित नहीं करेगी।

अनुच्छेद 5
ऋणदाताओं का समाप्ति भुगतान प्राप्त करने का अधिकार

- 5.1 भाविप्रा और जेवीसी सहमत हैं कि भाविप्रा ओएमडीए के अंतर्गत सभी अंतरण भुगतानों को एस्क्रो खाते में जमा करेगा और ऋणदाता जेवीसी की किसी अतिरिक्त संदर्भ/सहमति के बिना ऋणदाताओं की देय राशि की संतुष्टि हेतु और उसकी सीमा तक उन्हें प्राप्त करने के हकदार होंगे। चयनित पक्ष से प्राप्त प्रतिस्थापन का प्रतिफल ऋणदाताओं और भाविप्रा के बीच क्रमशः उन्हें देय राशियों के अनुपात में विनियोजित किया जा सकेगा। शेष राशि जेवीसी को दी जाएगी।
- 5.2 जेवीसी एतद्वारा ऋणदाताओं के अभिकर्ता को अपना अधिकृत अटॉर्नी नामित, गठित एवं नियुक्त करता है, ताकि वह इसके अधीन चयनित पक्ष द्वारा जेवीसी के प्रतिस्थापन के लिए आवश्यक सभी कार्य, विलेख एवं अन्य कार्यवाहियाँ कर सके तथा उपर्युक्त अनुच्छेद 5.1 के अनुसार ऋणदाताओं की देय राशियों के निर्वहन के लिए प्राप्त होने वाली प्रतिफल राशि प्राप्त कर सके।
- 5.3 जेवीसी एतद्वारा स्पष्ट रूप से, किसी विवाद, आपत्ति अथवा दावे के लंबित रहने के बावजूद, जो जेवीसी का ऋणदाताओं और/या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के विरुद्ध हो सकता है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अंतरण भुगतानों के मद में एस्क्रो खाते में राशियों का भुगतान किए जाने तथा ऋणदाताओं के अभिकर्ता द्वारा ऋणदाताओं की ओर से उक्त एस्क्रो खाते से उन राशियों को आहरित किए जाने के लिए एतद्वारा स्पष्ट रूप से प्राधिकृत करती है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा इस करार के अनुसार एस्क्रो खाते में राशि जमा करना तथा ऋणदाताओं को प्रत्यक्ष रूप से अथवा ऋणदाताओं के अभिकर्ता के माध्यम से भुगतान करना, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया गया हो या कराया गया हो, जेवीसी को उक्त राशि के भुगतान के संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के दायित्व का वैध उन्मोचन माना जाएगा। ऐसे सभी भुगतान वित्तपोषण दस्तावेजों के अधीन ऋणदाताओं के पक्ष में भारित माने जाएंगे तथा ऋणदाताओं की ओर से एस्क्रो खाते से ऐसे भुगतानों की प्राप्ति का अधिकार ऋणदाताओं के अभिकर्ता को होगा, और यह अधिकार किसी नियुक्त रिसीवर अथवा परिसमापक के अधिकार को अपवर्जित करते हुए होगा।

अनुच्छेद 6 सामान्य

6.1 जानबूझकर छोड़ा गया।

- 6.2 पक्षकार अभ्यावेदन और वारंटी देते हैं कि वे इस करार पर हस्ताक्षर और इसे निष्पादित करने के लिए विधिवत सशक्त हैं तथा ऋणदाताओं का अभिकर्ता प्रत्येक ऋणदाता द्वारा उनकी ओर से इस करार में प्रवेश करने के लिए अधिकृत है।
- 6.3 सूचनाएं ऊपर उल्लिखित पतों पर भेजी जाएंगी। पते में परिवर्तन की सूचना दूसरे पक्षों को पावती सहित पंजीकृत डाक से दी जाएगी।
- 6.4 "भविष्य", "जेवीसी", "ऋणदाता" और "ऋणदाताओं का अभिकर्ता" में, जब तक विषय या संदर्भ के प्रतिकूल न हो, उनके उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि, प्रशासक और अनुमत हस्तांतरित भी शामिल होंगे।
- 6.5 किसी ऋणदाता, ऋणदाताओं के अभिकर्ता या भविष्य के पुनर्गठन से करार प्रभावित नहीं होगा और संबंधित उत्तराधिकारी इसका लाभ प्राप्त करेंगे।
- 6.6 कोई संशोधन, परिवर्तन या परिमार्जन तब तक वैध नहीं होगा जब तक वह लिखित रूप में न हो और सभी पक्षकारों के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा निष्पादित न किया गया हो।
- 6.7 इस करार पर लागू स्टाम्प शुल्क तथा अन्य कर, शुल्क और प्रभार तथा प्रतिस्थापन के प्रयोजनार्थ ओएमडीए में संशोधन/नया ओएमडीए निष्पादित करने के शुल्क चयनित पक्ष द्वारा वहन किए जाएंगे। ऋणदाताओं द्वारा किया गया ऐसा भुगतान ऋणदाताओं की देय राशि का भाग माना जाएगा।
- 6.8 ओएमडीए और इस करार को साथ-साथ पढ़ा और सामंजस्यपूर्ण रूप से व्याख्यायित किया जाएगा। असंगति की स्थिति में ओएमडीए की शर्तें प्रभावी होंगी।
- 6.9 ऋणदाताओं के अभिकर्ता का परामर्श, सिफारिश या अनुमोदन प्रत्येक संबंधित ऋणदाता का माना जाएगा और प्रत्येक ऋणदाता उससे बाध्य होगा।
- 6.10 जेवीसी और ऋणदाताओं के बीच यह करार वित्तपोषण दस्तावेजों की शर्तों के अतिरिक्त होगा और उनके प्रतिकूल नहीं होगा।
- 6.11 ऋणदाताओं या उनके अभिकर्ता के लिए इस करार को लागू करने से पहले किसी अन्य उपचार को लागू/समाप्त करना आवश्यक नहीं होगा।
- 6.12 यह करार भारतीय विधि द्वारा शासित और उसके अनुसार व्याख्यायित होगा। अनुच्छेद 6.13 के अधीन, इस करार से उत्पन्न या संबंधित मामलों पर नई दिल्ली के न्यायालयों को अधिकारिता होगी।

6.13 इस करार के अधीन उत्पन्न होने वाले सभी विवादों को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अधीन तीन (3) मध्यस्थों से गठित एक अधिकरण को संदर्भित किया जाएगा। प्रत्येक प्रतिवादी और दावाकर्ता एक-एक (1) मध्यस्थ नियुक्त करेगा तथा इस प्रकार नियुक्त दोनों मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ का चयन करेंगे, जो अधिकरण के पीठासीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा (ये तीनों मिलकर "मध्यस्थता अधिकरण" का गठन करेंगे)। मध्यस्थता अधिकरण का/के निर्णय पक्षकारों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता का स्थान नई दिल्ली होगा। यह अनुच्छेद 6.13 इस करार की समाप्ति या अवधि की समाप्ति के पश्चात भी प्रभावी बना रहेगा। मध्यस्थता के लिए लागू विधि भारत की मूल विधियाँ होंगी।

इसके साक्ष्यस्वरूप, इसमें उल्लिखित पक्षकारों ने ऊपर उल्लिखित दिन, माह और वर्ष को इस करार पर अपने हस्ताक्षर किए हैं:

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से हस्ताक्षरित एवं निष्पादित

नाम: _____ पदनाम: _____

_____ लिमिटेड की ओर से हस्ताक्षरित एवं निष्पादित

नाम: _____ पदनाम: _____

ऋणदाताओं के अभिकर्ता की ओर से हस्ताक्षरित एवं निष्पादित

नाम: _____ पदनाम: _____

अनुसूची 1

ऋणदाता

[हस्ताक्षरित वित्तपोषण दस्तावेजों के अनुसार सूची उपलब्ध कराई जानी है।]

अनुसूची 2
चयनित पक्ष के संबंध में सूचना और विवरण
[सम्मिलित करें]

अनुसूची 10
संक्रमण योजना

अनुसूची 11 बीमा सूची

1. प्रभावी तारीख से किया जाने वाला बीमा

- 1.1 लागू विधि के अधीन, जेवीसी अपने खर्च पर यह सुनिश्चित करेगा कि निर्दिष्ट बीमा प्रभावी तारीख से किए जाएं और शेष अवधि तक पूर्णतः प्रवृत्त रहें।
- (क) "सभी जोखिमों" के संबंध में ऐसा बीमा, जो ऐसे बीमा पॉलिसियों के अंतर्गत प्रचलित रूप से किया जाता है, हवाईअड्डे को भौतिक क्षति अथवा हानि के लिए किया जाएगा। इसमें हवाईअड्डे पर स्थित सभी परिसंपत्तियाँ, जिनमें एयरोनॉटिकल परिसंपत्तियाँ गैर-एयरोनॉटिकल परिसंपत्तियाँ और मौजूदा परिसंपत्तियाँ शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, तथा हवाईअड्डे पर स्थित सभी या कोई संरचनाएँ (अस्थायी संरचनाओं सहित), संयंत्र (किराए पर लिए गए संयंत्र सहित) और उपकरण, जिनमें कंप्यूटर उपकरण तथा वाहन भी शामिल हैं, सम्मिलित होंगे। उक्त बीमा उनकी पूर्ण पुनर्निर्माण अथवा प्रतिस्थापन लागत के बराबर राशि के लिए किया जाएगा, जिसमें व्यावसायिक शुल्क तथा मलबा हटाने की लागत के लिए प्रावधान भी शामिल होगा। पूर्ण पुनर्निर्माण अथवा प्रतिस्थापन लागत को बनाए रखने के लिए आवश्यकतानुसार समय-समय पर बीमा राशि में वृद्धि की जाएगी।
- (ख) व्यवसाय में व्यवधान संबंधी बीमा जिसके अंतर्गत यदि अनुच्छेद 1.1.1 के अधीन बीमित कोई संपत्ति अनुच्छेद 1.1.1 के अधीन बीमित किसी जोखिम के कारण नष्ट, क्षतिग्रस्त अथवा हानि-ग्रस्त हो जाती है और जिसके परिणामस्वरूप एयरोनॉटिकल सेवाओं अथवा गैर-एयरोनॉटिकल सेवाओं में व्यवधान अथवा बाधा उत्पन्न होती है, तो कम से कम छह माह की अवधि के लिए जेवीसी के राजस्व की क्षतिपूर्ति की जाएगी।
- (ग) जेवीसी तथा उसके किसी अभिकर्ता, सेवक, कर्मचारी और ठेकेदार, किसी तृतीय पक्ष, विमान प्रचालक, हवाईअड्डे के उपयोगकर्ता अथवा अन्य किसी व्यक्ति की किसी विधिक देयता के संबंध में बीमा किया जाएगा। इसमें हवाईअड्डे के निर्माण, अनुरक्षण, प्रचालन और/या प्रबंधन से उत्पन्न होने वाली हानि अथवा क्षति के संबंध में ऐसे व्यक्तियों की देयता भी शामिल होगी, जिसमें मृत्यु अथवा शारीरिक क्षति या बीमारी, संपत्ति की हानि अथवा क्षति, जिसमें उसके परिणामस्वरूप उपयोग से वंचित होने की हानि भी शामिल है, सम्मिलित होगी। बीमा की राशि उतनी होगी जितनी कि हवाईअड्डे के समान आकार और तुलनीय विशेषताओं वाले हवाईअड्डों का कोई विवेकशील प्रचालक वहन करता, और प्रत्येक मामले में ऐसा प्रचालक स्वयं-बीमा नहीं करता हो (प्रचलित कटौतियों को छोड़कर)।
- (घ) जेवीसी की उस विधिक देयता का बीमा जो उसके कर्मचारी या उसके लिए उत्तरदायी किसी व्यक्ति की मृत्यु/व्यक्तिगत चोट से उत्पन्न हो।
- 1.2 इस अनुसूची 11 के अनुसरण में की गई और प्रभावी रखी गई सभी बीमा पॉलिसियों में स्व-बीमा के लिए ऐसे कटौती योग्य राशि का प्रावधान होगा, जो समय-समय पर प्रचलित न्यूनतम कटौती योग्य राशि के समतुल्य होगी तथा ऐसी पॉलिसी के प्रकार और उसके अंतर्गत आच्छादित जोखिम के आकार के संबंध में समय-समय पर प्रचलित बहिष्करण अथवा अपवाद भी शामिल किए जा सकते हैं।"

2. अतिरिक्त बीमा

- 2.1 जेवीसी यह सुनिश्चित करेगा कि पैरा 1.1.1 से 1.1.4 के अनुसरण में ली गई प्रत्येक बीमा पॉलिसी को समय-समय पर ऐसी राशियों तक (और ऐसी कटौती योग्य राशियों के साथ) बढ़ाया या घटाया जाए, जो विमानपत्तन के आकार एवं उसकी तुलनीय विशेषताओं वाले विमानपत्तनों के किसी विवेकशील प्रचालक द्वारा प्रभावी की जातीं, और जो प्रत्येक मामले में स्व-बीमा न करता हो (सिवाय किसी प्रचलित कटौती योग्य राशि के), तथा बीमा के संबंध में अन्य ऐसी अपेक्षाओं या संशोधनों, बीमा के लिए व्यापकतर कवरेज अथवा अतिरिक्त बीमाओं को निर्धारित करता हो, जो समय-समय पर प्रचलित हो जाएँ।
- 2.2 इस अनुसूची के अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जेवीसी पूरी संविदा-अवधि के दौरान:
- 2.2.1 समय-समय पर ऐसा बीमा करवाएगा और पूर्णतः प्रवर्तित रखेगा, जिन्हें किसी लागू विधि अथवा विमानपत्तन के संबंध में उसके द्वारा की गई किसी संविदा की शर्तों के अधीन करवाना उसके लिए अपेक्षित है; और

- 2.2.2 ऐसा बीमा करवाने और पूर्णतः प्रवर्तित रखने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेगा, जिन्हें किसी अन्य ऐसी संविदा की शर्तों के अधीन करवाना उसके लिए अपेक्षित है, जिसका वह किसी भी समय पक्षकार है।
- 2.3 जेवीसी, इस अनुसूची में अन्यत्र उल्लिखित बीमा के अतिरिक्त या उनके पूरक के रूप में, किसी भी समय ऐसा अन्य बीमा करवा सकता है, जिन्हें वह उपयुक्त समझे। जेवीसी ऐसे किसी अतिरिक्त अथवा पूरक बीमा के संबंध में भाविप्रा को सूचित करेगा।

अनुसूची 12
संविदा संबंधी प्रक्रियाएं

- जेवीसी का कोई भी शेयरधारक (या उसकी कोई भी समूह इकाई), जिसका संविदा में कोई हित है, संविदा के प्रारूपण, संविदा-प्रक्रिया अथवा निर्णय लेने की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं होगा।
- जहाँ जेवीसी का कोई शेयरधारक (या उसकी कोई समूह इकाई) उक्त संविदा के लिए निविदा प्रस्तुत करने का आशय रखता हो, वहाँ पूर्णतः स्वतंत्र पारस्परिक आधार (आर्म्स लेंथ) पर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निविदा की समीक्षा और निगरानी हेतु एक स्वतंत्र सत्यनिष्ठा लेखापरीक्षक नियुक्त किया जाना अनिवार्य होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि स्वतंत्र सत्यनिष्ठा लेखापरीक्षक जेवीसी या उसके किसी भी शेयरधारक की समूह इकाई नहीं होगा। जेवीसी, भाविप्रा द्वारा निर्धारित स्वतंत्र सत्यनिष्ठा लेखापरीक्षक के कार्यदिश तथा चयन प्रक्रिया से सहमत होगा।

अनुसूची 13
एस्करो खाता करार

_____ कंपनी

एवं

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

एवं

_____ **एस्करो** बैंक के रूप में

एस्करो खाता करार

यह एस्करो खाता करार ("करार") नई दिल्ली में दिनांक _____ को निम्नलिखित पक्षकारों के बीच किया गया है:

1. [*], [कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन भारत में निगमित कंपनी/बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अधीन पंजीकृत बैंकिंग कंपनी], जिसका पंजीकृत कार्यालय [] में है (जिसे आगे **"एस्करो बैंक"** कहा गया है और इस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या विषय के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी और अनुमत हस्तांतरिती भी सम्मिलित होंगे), **प्रथम पक्ष**;
2. [*], कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय [+] में है (जिसे आगे **"कंपनी"** या **"जेवीसी"** कहा गया है और इस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या विषय के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी और अनुमत हस्तांतरिती भी सम्मिलित होंगे), **द्वितीय पक्ष**; और
3. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के अधीन गठित है और जिसका प्रधान कार्यालय _____ [*] में है, अपने अध्यक्ष के माध्यम से कार्य करते हुए (जिसे आगे **"भाविप्रा"** कहा गया है और इस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी और हस्तांतरिती भी सम्मिलित होंगे), **तृतीय पक्ष**।

एस्करो बैंक, कंपनी और एएआई को आगे सामूहिक रूप से **"पक्षकार"** तथा पृथक रूप से **"पक्षकार"** कहा गया है।

चूँकि:

- (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के अधीन स्थापित एक प्राधिकरण है, जो भारत में विमानपत्तनों के विकास, प्रबंधन, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है।
- (ख) कंपनी, भाविप्रा और कुछ निजी संस्थाओं के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जिसे अन्य बातों के साथ-साथ विमानपत्तन (जिसे इसमें आगे परिभाषित किया गया है) के संवर्धन, स्थापना, विकास, अभिकल्पन, प्रबंधन, वित्तपोषण, प्रचालन और अनुरक्षण के उद्देश्यों से स्थापित किया गया है।
- (ग) भाविप्रा और कंपनी ने दिनांक [] को एक प्रचालन, प्रबंधन और विकास करार किया है (जिसे आगे **"ओएमडीए (ओएमडीए)"** कहा गया है), जिसके द्वारा भाविप्रा ने कंपनी को परियोजना (जिसे इसमें आगे परिभाषित किया गया है) को कार्यान्वित करने का अधिकार प्रदान किया है और कंपनी ने उसमें निहित नियमों और शर्तों के अनुसार परियोजना को कार्यान्वित करने पर सहमति व्यक्त की है।
- (घ) ओएमडीए की शर्तों के अधीन यह निर्धारित किया गया है कि कंपनी की सभी प्राप्य राशि (जैसा कि इसमें आगे परिभाषित किया गया है) कंपनी द्वारा एक **एस्करो खाते** में जमा की जाएंगी और वहाँ से निर्धारित प्राथमिकता-क्रम के अनुसार वितरित की जाएंगी।
- (ङ) यह करार ऐसे एस्करो खाते के विस्तृत अधिदेश, नियम और शर्तें तथा परिचालन प्रक्रियाएं निर्धारित करता है। अतः, उपर्युक्त में निहित कथनों के प्रतिफलस्वरूप, इसमें उल्लिखित पक्षकार निम्नलिखित रूप से सहमत हैं:

1. परिभाषाएं

"भाविप्रा शुल्क" से किसी माह के लिए तात्पर्य ओएमडीए की शर्तों के अधीन जेवीसी द्वारा भाविप्रा को देय राशियों से होगा, जैसा कि भाविप्रा द्वारा प्रमाणित प्रमाण-पत्र में प्रमाणित किया गया हो और उक्त प्रमाण-पत्र भाविप्रा द्वारा पूर्ववर्ती माह की 01 तारीख तक एस्करो बैंक को प्रस्तुत किया जाना हो, तथा जिसे पूर्ववर्ती माह के दौरान भाविप्रा द्वारा संशोधित किया गया हो। **परंतु यह प्रावधान है कि प्रभावी तिथि के पश्चात प्रथम माह के लिए लागू भाविप्रा शुल्क, इस करार के निष्पादन के साथ-साथ भाविप्रा द्वारा एस्करो बैंक को उपलब्ध कराया जाएगा।**

“प्राधिकृत निवेश ” से आशय सीआरआइएसआइएल द्वारा कम से कम **एएए रेटिंग** प्राप्त प्रतिभूतियों अथवा सीएआरई /आईसीआरए द्वारा समतुल्य रेटिंग प्राप्त प्रतिभूतियों में निवेश, अथवा ऐसे बैंकों में सावधि जमाओं से है, जिन्हें सीआरआइएसआइएल द्वारा कम से कम एएए रेटिंग अथवा सीएआरई /आईसीआरए द्वारा समतुल्य रेटिंग प्राप्त हो।

“हिताधिकारी पक्षकार” से सामूहिक रूप से कंपनी और भाविप्रा अभिप्रेत हैं तथा **“हिताधिकारी पक्षकार ”** से इनमें से प्रत्येक अलग-अलग अभिप्रेत है।

“कारोबार दिवस” से सप्ताह का ऐसा कोई भी दिन अभिप्रेत है (शनिवार, रविवार और सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर), जिस दिन नई दिल्ली में बैंक सामान्यतः अपना कारोबार करने के लिए खुले रहते हैं।

“विवाद” से पक्षकारों के बीच इस करार से उत्पन्न होने वाला, इस करार के संबंध में अथवा इससे संबद्ध कोई भी विवाद, मतभेद, प्रश्न या विवादास्पद विषय अभिप्रेत है।

“चूक की घटना” से ओएमडीए के अधीन जेवीसी द्वारा की गई चूक की ऐसी घटना अभिप्रेत है, जिसे भाविप्रा द्वारा एस्करो बैंक को इस संबंध में दिए गए लिखित नोटिस में प्रमाणित किया गया हो।

“माह” से कैलेंडर माह अभिप्रेत है।

“प्राथमिकता नकदी-प्रवाह अनुप्रयोग” का वही अर्थ होगा जो नीचे धारा 3.5(बी)(ए) में इस पद को दिया गया है।

“परियोजना” से विमानपत्तन का प्रचालन, अनुरक्षण, विकास, अभिकल्पन, निर्माण, उन्नयन, आधुनिकीकरण, वित्तपोषण और प्रबंधन अभिप्रेत है।

“प्राप्य राशियाँ ” से जेवीसी की सभी नकदी प्रवाह राशियाँ और नकद प्राप्तियाँ अभिप्रेत हैं, जो किसी भी स्रोत से विमानपत्तन से उत्पन्न होती हैं या उसके संबंध में प्राप्त होती हैं, जिनमें इसके ऋण करारों के अधीन किसी आहरण से प्राप्त सभी आगम, जेवीसी द्वारा प्राप्त कोई भी इक्विटी वित्तपोषण, करों की वापसी, तथा किसी भी स्रोत से जेवीसी को देय या देय होने वाली सभी धनराशियाँ शामिल हैं, जिनमें किसी भी कार्य-निष्पादन बंधपत्र, साख-पत्र और समान प्रकृति के लिखतों के अधीन देय राशियाँ तथा किसी भी बीमा करार से प्राप्त आगम भी शामिल हैं।

“वैधानिक देयताएँ” से किसी माह के लिए जेवीसी की कर देयता अभिप्रेत होगी, जैसा कि किसी तृतीय पक्ष कर परामर्शदाता द्वारा प्रमाणित प्रमाण-पत्र में प्रमाणित किया गया हो और जिसे कंपनी द्वारा प्राप्त कर पूर्ववर्ती माह की 01 तारीख तक एस्करो बैंक को प्रस्तुत किया जाना हो तथा जिसे उक्त तृतीय पक्ष कर परामर्शदाता द्वारा पूर्ववर्ती माह के दौरान संशोधित किया गया हो।

“कर” से लागू विधि के अधीन देय कर, शुल्क, प्रभार, उपकर, अधिरोपण तथा इस प्रकार के अन्य समान भुगतानों का अभिप्राय है।

यहाँ प्रयुक्त अन्य बोल्ड **अक्षरों में लिखे गए परिभाषित पद**, जो यहाँ परिभाषित नहीं किए गए हैं, किंतु ओएमडीए में परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा जो ओएमडीए के अधीन उन पदों को दिया गया है।

1.2 ओएमडीए के अनुच्छेद 1.2 में दिए गए व्याख्या और निर्माण के नियम इस करार पर लागू होंगे।

2. एस्करो खाते खोलना और न्यास की घोषणा

2.1 खाते खोलना

कंपनी और एस्करो बैंक यह पुष्टि करते हैं कि एस्करो बैंक ने अपनी नई दिल्ली शाखा में कंपनी के नाम से **“एस्करो खाता)”** नामक एक खाता खोला किया है। इस एस्करो खाते में निम्नलिखित उप-खाते होंगे, जिन्हें इस करार के प्रयोजनों के लिए एस्करो बैंक द्वारा बनाए रखा, नियंत्रित और संचालित किया जाएगा, अर्थात्:

- (क) एस्क्रो बैंक द्वारा बनाए रखा, नियंत्रित और संचालित किया जाने वाला “**प्राप्य राशि खाता**)” नामक एक उप-खाता;
- (ख) एस्क्रो बैंक द्वारा बनाए रखा, नियंत्रित और संचालित किया जाने वाला “**आगम खाता**)” नामक एक उप-खाता, जिसमें निम्नलिखित उप-खाते होंगे:
 - (i) एस्क्रो बैंक द्वारा बनाए रखा, नियंत्रित और संचालित किया जाने वाला “**वैधानिक देयता खाता**)” नामक एक उप-खाता;
 - (ii) एस्क्रो बैंक द्वारा बनाए रखा, नियंत्रित और संचालित किया जाने वाला “**भाविप्रा शुल्क खाता** ” नामक एक उप-खाता; और
 - (iii) एस्क्रो बैंक द्वारा बनाए रखा, नियंत्रित और संचालित किया जाने वाला “**अधिशेष खाता**)” नामक एक उप-खाता।

2.2 न्यास की घोषणा

कंपनी, एतद्वारा, हिताधिकारी पक्षकारों के लाभ के लिए एस्क्रो बैंक के पास **100/- रुपये (एक सौ रुपये मात्र)** की राशि न्यास के रूप में स्थापित करती है। कंपनी आगे यह घोषित करती है कि उक्त न्यास, प्राप्य राशियों, एस्करो खाते, उसमें रखी धनराशियों तथा प्राधिकृत निवेशों में और उनसे संबंधित सभी **विधिक अधिकार, स्वत्व और हित**, जिसमें एस्करो खाते से किए गए ऐसे प्राधिकृत निवेशों के संबंध में कोई भी स्वत्व संबंधी दस्तावेज़ भी शामिल है, एस्करो बैंक में निहित होंगे और इस करार की शर्तों के अनुसार हिताधिकारी पक्षकारों के लाभ के लिए धारण किए जाएंगे तथा उनके संबंधित हितों का प्रावधान इसमें किया गया है। एस्करो बैंक, एतद्वारा, इस प्रकार घोषित न्यास में उपर्युक्त **100/- रुपये (एक सौ रुपये मात्र)** की राशि को इस करार में निर्धारित निबंधनों और शर्तों के अधीन स्वीकार करता है तथा यह अभिस्वीकृत करता है कि समय-समय पर एस्करो खाते में जमा की जाने वाली कोई भी राशि इस करार के निबंधनों और शर्तों के अनुसार हिताधिकारी पक्षकारों के लाभ के लिए न्यास के रूप में धारण की जाएगी।

हिताधिकारी पक्षकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य संस्था, इस करार के अधीन **हिताधिकारी के रूप में अथवा तृतीय-पक्ष हिताधिकारी के रूप में कोई अधिकार नहीं रखेगी।**

2.3 आहरण का सामान्य अधिकार

एस्करो बैंक, इस करार के अनुसार किए जाने वाले अंतरण या आहरण के अतिरिक्त, कोई अन्य अंतरण या आहरण नहीं करेगा, जब तक कि एस्करो बैंक को हिताधिकारी पक्षकारों से ऐसे उपयोग को प्राधिकृत करने वाले **पूर्व लिखित अनुदेश** प्राप्त न हो जाएँ।

3. एस्करो खाता

एस्करो खाते में निम्नलिखित उप-खाते होंगे:

3.1 प्राप्य राशि खाता

(ए) प्राप्य राशि खाते में जमा

कंपनी, एतद्वारा, यह वचन देती है कि उसे प्राप्त होने वाली अपनी सभी **प्राप्य राशियाँ** प्राप्त होते ही तत्काल प्राप्य राशि खाते में जमा करेगी।

(बी) प्राप्य राशि खाते से आहरण

प्राप्य राशि खाते में धनराशि प्राप्त होते ही, एस्करो बैंक ऐसी धनराशि का आहरण करेगा और उसे आगम खाते में जमा करेगा।

3.2 आगम खाता

आगम खाता एस्करो बैंक द्वारा अपनी नई दिल्ली शाखा में कंपनी के नाम से खोला जाएगा।

(क) आगम खाते में जमा

- (i) एस्क्रो बैंक, इस करार की धारा 3.1 के अनुसार, ऐसी जमा किए जाने पर तत्काल प्राप्य राशि खाते में जमा धनराशि को **आगम खाते** में अंतरित करेगा।

(ख) आगम खाते से आहरण

- (क) जब तक **चूक की कोई घटना** घटित नहीं होती है, किसी भी तारीख को एस्क्रो बैंक, आगम खाते में जमा राशियों का आहरण केवल निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए और निम्नलिखित **प्राथमिकता-क्रम** में करेगा (जिसे आगे **“प्राथमिकता नकदी-प्रवाह अनुप्रयोग”** कहा गया है):

- (i) **वैधानिक देयता खाते** में ऐसी राशियाँ जमा करने के लिए कि किसी भी माह के अंतिम दिन तक, उस माह में अंतरित की गई राशियाँ आगामी माह की **मासिक वैधानिक देयताओं** के बराबर हो जाएँ।
- (ii) **भाविप्रा शुल्क खाते** में ऐसी राशियाँ जमा करने के लिए कि किसी भी माह के अंतिम दिन तक, उस माह में अंतरित की गई राशियाँ आगामी माह के **मासिक भाविप्रा शुल्क** के बराबर हो जाएँ।
- (iii) ओएमडीए के अधीन जेवीसी द्वारा भाविप्रा को देय, भाविप्रा शुल्क से इतर, यदि कोई अन्य राशि देय हो, तो ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए, जैसा कि भाविप्रा द्वारा एस्क्रो बैंक को लिखित रूप में अधिसूचित किया गया हो।
- (iv) शेष बची सभी राशियाँ **अधिशेष खाते** में जमा करने के लिए।

- (ख) एतद्वारा यह पूर्णतः स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी माह में, धारा 3.2(बी)(ए) के अनुसार किसी उप-खाते में अंतरित किए जाने के लिए आगम खाते में उपलब्ध धनराशि, धारा 3.2(बी)(ए) के अनुसार प्रत्येक उप-खाते में जमा की जाने वाली अपेक्षित राशि के भुगतान के लिए अपर्याप्त हो, तो एस्क्रो बैंक **प्राथमिकता नकदी-प्रवाह अनुप्रयोग** के अनुसार संबंधित उप-खाते में धनराशि अंतरित करेगा।

3.3 वैधानिक देयता खाता

वैधानिक देयता खाता एस्क्रो बैंक द्वारा नई दिल्ली में कंपनी के नाम से खोला जाएगा किया जाएगा।

(क) **वैधानिक देयता खाते से आहरण**

धारा 3.2(बी)(ए)(i) के अनुसार वैधानिक देयता खाते में किसी भी राशि के जमा किए जाने पर, एस्क्रो बैंक, लागू विधि के अधीन अपेक्षित **वैधानिक देयताओं** का भुगतान करने के लिए कंपनी द्वारा अपेक्षित राशि का वैधानिक देयता खाते से आहरण करेगा।

3.4 भाविप्रा शुल्क खाता

भाविप्रा शुल्क खाता एस्क्रो बैंक द्वारा नई दिल्ली में कंपनी के नाम से खोला किया जाएगा।

(क) **भाविप्रा शुल्क खाते से आहरण**

धारा 3.2(बी)(ए)(ii) के अनुसार भाविप्रा शुल्क खाते में किसी भी राशि के जमा किए जाने पर, एस्क्रो बैंक, भाविप्रा द्वारा अपेक्षित राशियों का भाविप्रा शुल्क खाते से आहरण करेगा।

3.5 अधिशेष खाता

अधिशेष खाता एस्क्रो बैंक द्वारा कंपनी के नाम से खोला किया जाएगा।

(क) **अधिशेष खाते से निकासी**

एस्करो बैंक कंपनी से इस संबंध में निर्देश प्राप्त होने के तीन (3) दिनों के भीतर, समय-समय पर कंपनी को अधिशेष खाते से ऐसी राशियां अदा करेगा जैसा कि कंपनी निर्देश दे। बशर्ते कि, ऋणदाताओं या उनके एजेंट/ट्रस्टी से निर्देश प्राप्त होने की स्थिति में, एस्करो बैंक अधिशेष खाते और उसमें मौजूद राशियों के संबंध में ऋणदाताओं (या उनके एजेंटों/ट्रस्टी) के निर्देशों का पालन करेगा।

4. अधिकृत निवेश

4.1 निवेश की शक्ति

- (i) जब तक एस्करो बैंक को चूक की घटना के संबंध में अधिसूचित नहीं किया जाता है, एस्करो बैंक एस्करो खाते (और उसके अंतर्गत किसी भी उप-खाते) में जमा राशि से इस अनुबंध में दिए गए अधिकृत निवेशों ("अनुमत निवेश") में निवेश करेगा और प्रत्येक मामले में निकाले जाने या स्थानांतरित किए जाने के लिए अपेक्षित अगली राशियों के संबंध में, अनुमत निवेश की परिपक्वता इस अनुबंध के अनुसार उस खाते से अगली अपेक्षित नकद निकासी या अंतरण की तिथि से बाद की नहीं होगी।
- (ii) चूक की घटना होने और उसके जारी रहने के दौरान, ऐसी निधियों का निवेश और पुनर्निवेश भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा.वि.प्रा.) की सहमति से अधिकृत निवेशों में किया जाएगा।
- (iii) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 की धारा 20 एस्करो खाते की राशियों के अधिकृत निवेश में निवेश पर लागू नहीं होगी।

5. एस्करो बैंक प्रावधान

5.1 एस्करो बैंक और लाभकारी पक्ष

- (क) लाभकारी पक्ष इसके द्वारा लाभकारी पक्षों के लाभ के लिए एस्करो बैंक को नियुक्त करते हैं, और एस्करो बैंक को ऐसे अधिकारों, शक्तियों, प्राधिकरणों और विवेकाधिकारों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करते हैं जो इस दस्तावेज की शर्तों द्वारा एस्करो बैंक को विशेष रूप से सौंपे गए हैं, साथ ही ऐसे सभी अधिकार, शक्तियां और विवेकाधिकार जो इसके लिए उचित रूप से प्रासंगिक हैं, और एस्करो बैंक इस दस्तावेज की शर्तों के अनुसार इस नियुक्ति को स्वीकार करता है।
- (ख) जेवीसी (जेवीसी) एस्करो बैंक को एतद्वारा एस्करो बैंक के रूप में कार्य करने के प्रतिफल के रूप में रुपये [] प्रति [] का शुल्क देने के लिए सहमत है।

5.2 एस्करो बैंक के दायित्व

एस्करो बैंक:

- (क) केवल ऐसे कर्तव्यों का पालन करने का वचन देता है जो इस अनुबंध में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार विशेष रूप से निर्धारित किए गए हैं, और सद्भावपूर्वक तथा बिना किसी लापरवाही के कार्य करने का वचन देता है;
- (ख) अपनी ओर से दुर्भावना या घोर लापरवाही के अभाव में, तथ्य के किन्हीं भी ऐसे मामलों के संबंध में जो उचित रूप से कंपनी के ज्ञान में होने की अपेक्षा की जा सकती है, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र पर भरोसा कर सकता है;
- (ग) अपनी ओर से दुर्भावना या घोर लापरवाही के अभाव में, किसी भी संचार या दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर भरोसा कर सकता है जिसके प्रामाणिक होने का उसे विश्वास हो;
- (घ) एस्करो बैंक (एस्करो बैंक की क्षमता में) कंपनी या किसी अन्य संस्था से प्राप्त किसी भी नोटिस या दस्तावेज की एक प्रति, प्राप्ति के पांच (5) कार्य दिवसों के भीतर भा.वि.प्रा. को देगा ;
- (ङ) एस्करो बैंक (एस्करो बैंक की क्षमता में) भा.वि.प्रा. या इस संबंध में किसी इकाई से प्राप्त किसी भी नोटिस या दस्तावेज की एक प्रति, प्राप्ति के पांच (5) कार्य दिवसों के भीतर कंपनी को देगा ; और
- (च) इस अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार किसी भी लाभकारी पक्ष को भुगतान देय होने की तिथि से सात (7) कार्य दिवसों के भीतर, देय भुगतानों को करने के लिए एस्करो खाते (या उसके अंतर्गत किसी खाते) में किसी भी अनुमानित कमी की सूचना भा.वि.प्रा. को प्रदान करेगा।

6. अवधि और समाप्ति

- 6.1 यह अनुबंध, जब तक कि पक्षों की आपसी सहमति से या लाभकारी पक्षों द्वारा एस्क्रो बैंक को लिखित नोटिस देकर इस धारा के प्रावधानों के अनुसार पहले समाप्त न कर दिया जाए, ओएमडीए (ओएमडीए) की अवधि तक पूरी तरह से लागू और प्रभावी रहेगा।
- 6.2 भा.वि.प्रा., कंपनी के साथ परामर्श के बाद, किसी भी समय कारण सहित या कारण के बिना, एस्क्रो बैंक को हटा सकता है, और कंपनी, एस्क्रो बैंक और परवर्ती एस्क्रो बैंक को इस तरह की कार्रवाई का लिखित नोटिस देकर एक परवर्ती एस्क्रो बैंक नियुक्त कर सकता है।
बशर्ते कि भा.वि.प्रा. को कंपनी के साथ परामर्श करने की आवश्यकता नहीं होगी (जैसा कि ऊपर अपेक्षित है) यदि कोई चूक की घटना हुई है और विद्यमान है।
- 6.3 यदि किसी भी समय, एस्क्रो बैंक या उसका कोई सहयोगी लाभकारी पक्ष बन जाता है और उसके बाद कोई चूक की घटना होती है, तो एस्क्रो बैंक ऐसी चूक की घटना घटित होते ही एस्क्रो बैंक के रूप में त्यागपत्र दे देगा, यदि अन्य लाभकारी पक्षों (जिसमें इस उद्देश्य के लिए एस्क्रो बैंक शामिल नहीं होगा) के एकमात्र निर्णय में, इस अनुबंध के अंतर्गत एस्क्रो बैंक के प्रदर्शन में कोई टकराव या बाधा उत्पन्न होने की संभावना हो।
- 6.4 एस्क्रो बैंक इस अनुबंध के अंतर्गत अपनी सेवाएं समाप्त करने का हकदार होगा यदि कंपनी/भा.वि.प्रा. इस अनुबंध के अंतर्गत एस्क्रो बैंक के प्रति अपने किसी भी महत्वपूर्ण दायित्व का पालन करने में विफल रहता है और एस्क्रो बैंक से कंपनी को इसकी सूचना प्राप्त होने के साठ दिनों के भीतर भीतर उस विफलता का निवारण करने में विफल रहता है, बशर्ते कि, भा.वि.प्रा. ने एक परवर्ती एस्क्रो बैंक की नियुक्ति की व्यवस्था कर ली हो और एस्क्रो खाते (इसके किसी भी उप-खाते सहित) में जमा राशियों को परवर्ती एस्क्रो बैंक के साथ स्थापित नए खातों में स्थानांतरित करने की व्यवस्था कर ली गई हो।
- 6.5
 - i. इस धारा 6 के अनुसार नियुक्त कोई भी परवर्ती एस्क्रो बैंक, ऐसी नियुक्ति स्वीकार करने वाला लिखित निष्पादित, स्वीकार और लाभकारी पक्षों तथा अपने पूर्ववर्ती एस्क्रो बैंक को, उनके लाभ के लिए, प्रदान करेगा, तत्पश्चात पूर्ववर्ती एस्क्रो बैंक का त्यागपत्र या उसका हटाया जाना प्रभावी हो जाएगा और ऐसा उत्तराधिकारी एस्क्रो बैंक, किसी अतिरिक्त कार्रवाई, विलेख या हस्तांतरण के बिना, इस अनुबंध के अंतर्गत अपने पूर्ववर्ती के सभी अधिकारों, शक्तियों, कर्तव्यों और दायित्वों से युक्त हो जाएगा, मानो उसे मूलतः एस्क्रो बैंक के रूप में नामित किया गया हो;
 - ii. बशर्ते कि लाभकारी पक्षों या परवर्ती एस्क्रो बैंक के लिखित अनुरोध पर, कार्य करना बंद करने वाला एस्क्रो बैंक ऐसे कदम लेगा या कार्रवाई करेगा जो लाभकारी पक्षों द्वारा उससे अपेक्षित हैं, जिसमें बिना किसी सीमा के ऐसे परवर्ती एस्क्रो बैंक (ऐसे परवर्ती को क्षतिपूर्ति करने की बाध्यता के बिना) को कार्य करना बंद करने वाले एस्क्रो बैंक के सभी अधिकारों और शक्तियों को स्थानांतरित करने और सौंपने वाले लिखत या लिखतों का निष्पादन और वितरण शामिल है, साथ ही इस अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्वों से संबंधित सभी दस्तावेज, लिखत आदि को लाभकारी पक्षों को सौंपना शामिल है।
 - iii. किसी भी ऐसे परवर्ती एस्क्रो बैंक के युक्तिसंगत अनुरोध पर, लाभकारी पक्ष ऐसे परवर्ती एस्क्रो बैंक को सभी ऐसे अधिकार और शक्तियाँ अधिक पूर्ण और निश्चित रूप से निहित करने और प्रदान करने के लिए लिखित रूप में किन्हीं भी और सभी लिखत को निष्पादित करेंगे।
- 6.6 कोई भी निगम जिसमें एस्क्रो बैंक का विलय या परिवर्तन हो सकता है या जिसके साथ उसका समेकन किया जा सकता है या कोई भी निगम जो किसी भी विलय, परिवर्तन या समेकन के परिणामस्वरूप बनता है जिसमें एस्क्रो बैंक एक पक्ष हो, या कोई भी निगम जो कॉर्पोरेट एस्क्रो बैंक के अधिकारों या व्यवसाय या दोनों का परवर्ती है, भा.वि.प्रा. की मंजूरी के अधीन, विलय, परिवर्तन या समेकन की कार्यवाही या प्रक्रिया के संबंध में हस्तांतरणकर्ता एस्क्रो बैंक को मूल रूप से उपलब्ध और प्रदान किए गए सभी अधिकारों, लाभों, दायित्वों और कर्तव्यों के साथ एस्क्रो बैंक का परवर्ती होगा।
- 6.7 बहीखाते और रिकॉर्ड
 - 6.7.1 एस्क्रो बैंक एस्क्रो खाते (और उसके सभी उप-खातों) से संबंधित सभी लेन-देन, जमा, निकासी या निधियों के अंतरण का सही और पूर्ण रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

6.7.2 कानून में निहित प्रतिबंधों के अधीन एस्क्रो खाते के संबंध में एस्क्रो बैंक के ऐसे बहीखातों और रिकॉर्ड की समीक्षा करने के लिए भा.वि.प्रा. की अप्रतिबंधित पहुंच होगी। कंपनी अपरिवर्तनीय रूप से भा.वि.प्रा. को एस्क्रो खाते के बहीखातों और रिकॉर्ड की समीक्षा करने की पहुंच प्रदान करती है और ऐसे बहीखातों और रिकॉर्ड के संबंध में विद्यमान किसी भी गोपनीयता के अधिकार का अपरिवर्तनीय रूप से परित्याग करती है।

6.8 राशि और घटनाओं का निर्धारण

(क) एस्क्रो बैंक निम्नलिखित मामलों के संबंध में एकल रूप से निम्नलिखित दस्तावेजों पर भरोसा करने का हकदार होगा (बशर्ते वे एस्क्रो बैंक को सौंपे गए हों):

(i) चूक की घटनाओं के घटित होने के संबंध में, भा.वि.प्रा. का चूक की घटना का प्रासंगिक नोटिस।

(ख) एस्क्रो बैंक, भा.वि.प्रा. की सहमति से सभी उद्देश्यों के लिए कंपनी के एक अधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र पर किसी भी तथ्य या मामले के रूप में भरोसा कर सकता है, जिसका निर्धारण का तरीका विशेष रूप से यहां प्रदान नहीं किया गया है।

6.9 अधिकृत निवेशों का विवरण

भा.वि.प्रा. के अनुरोध पर, और किसी भी स्थिति में, किसी भी कैलेंडर माह की समाप्ति के पांच कार्य दिवसों के बाद नहीं, एस्क्रो बैंक उस माह के दौरान अधिग्रहण किए गए या निपटाए गए निवेशों की एक अनुसूची लाभकारी पक्षों को ऐसे विवरण में सौंपेगा जिसकी भा.वि.प्रा. यथोचित मांग कर सकता है।

6.10 गोपनीयता

एस्क्रो बैंक, कंपनी या परियोजना से संबंधित एस्क्रो बैंक को किसी भी पक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गई सभी जानकारी ("जानकारी") (इस अनुबंध और/या किसी भी और सभी परियोजना अनुबंधों के नियमों और शर्तों सहित) को गोपनीय रखने के लिए सहमत है, और इसके द्वारा किसी भी तीसरे पक्ष को कोई भी जानकारी संप्रेषित नहीं करने, या किसी भी जानकारी को संप्रेषित करने की अनुमति नहीं देने का वचन देता है और प्रतिज्ञा करता है, जब तक कि:

(क) इस अनुबंध से उत्पन्न या इससे संबंधित किसी भी कार्यवाही के संबंध में उस सीमा तक जो ऐसा पक्ष अपने हित या एस्क्रो बैंक के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक समझ सकता है; या

(ख) सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के आदेश द्वारा ऐसा करने की आवश्यकता है, चाहे वह दस्तावेजों की खोज की किसी प्रक्रिया के अनुसरण में हो या नहीं; या

(ग) किसी भी लागू कानून के अनुसार जिसके अधीन ऐसे पक्ष को कार्य करने की आवश्यकता हो; या

(घ) अपने लेखा परीक्षकों को एस्क्रो बैंक का ऑडिट पूरा करने में सक्षम बनाने के उद्देश्यों के लिए या अपने कानूनी सलाहकारों को इस अनुबंध के संबंध में सद्भावनापूर्वक कानूनी सलाह मांगते समय; या

(ङ) ऐसी परिस्थितियों में जहां प्रासंगिक जानकारी कंपनी और/या किसी अन्य लाभकारी पक्ष द्वारा गोपनीयता से मुक्त स्थितियों में प्रकाशित या घोषित की गई है या अन्यथा संबंधित पक्ष की किसी चूक के बिना सार्वजनिक क्षेत्र में आ गई हो; या

(च) जानकारी ऐसे एस्क्रो बैंक द्वारा एक स्वतंत्र या तीसरे पक्ष के स्रोत से प्राप्त की गई थी जो लाभकारी पक्षों के साथ किसी भी गोपनीयता दायित्वों के उल्लंघन में न हो।

6.11 व्यक्तिगत हैसियत में कार्य न करना

इसमें सृजित न्यायों को स्वीकार करते हुए, **एस्क्रो बैंक केवल एस्क्रो बैंक के रूप में अपनी हैसियत से कार्य करता है, न कि अपनी व्यक्तिगत हैसियत से,** और परियोजना करारों में परिकल्पित लेन-देन के कारण एस्क्रो बैंक के विरुद्ध किसी प्रकार का दावा रखने वाली सभी संस्थाएँ, इस करार में अन्यथा उपबंधित होने के सिवाय, ऐसे

दावे के भुगतान या उसकी संतुष्टि के लिए केवल कंपनी से ही संपर्क करेंगी, **सिवाय इसके कि ऐसा दावा एस्क्रो बैंक के जानबूझकर किए गए दुराचार या घोर उपेक्षा के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ हो।**

6.12 क्षतिपूर्ति

कंपनी एस्क्रो बैंक को किसी भी और सभी देनदारियों, दायित्वों, नुकसान, क्षति, दंड, कार्रवाई, निर्णय, मुकदमों, लागतों, खर्चों, दावों या किसी भी प्रकार या प्रकृति के संवितरण के लिए क्षतिपूर्ति करेगी जो बातचीत, संरक्षण या किसी भी अधिकार के प्रवर्तन के संबंध में या इस अनुबंध के तहत अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने में एस्क्रो बैंक पर अधिरोपित, उसके द्वारा वहन या उसके विरुद्ध दावाकृत किए जाएँ (एस्क्रो बैंक की ओर से घोर लापरवाही या जानबूझकर चूक के कारण होने वाले खर्चों को छोड़कर)।

7. एस्क्रो बैंक और कंपनी के अभ्यावेदन और वारंटी

एस्क्रो बैंक और कंपनी प्रत्येक यह अभ्यावेदन और आश्वासन देते हैं कि वे भारत के कानूनों के अंतर्गत विधिवत् संगठित और वैध रूप से विद्यमान हैं और इस अनुबंध में प्रवेश करने और इसके तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करने और अपने दायित्वों का पालन करने की शक्ति रखते हैं और इस अनुबंध के निष्पादन और इसके तहत अपने दायित्वों के प्रदर्शन के लिए आवश्यक सभी कॉर्पोरेट और अन्य आवश्यक कार्रवाइयाँ कर चुके हैं। एस्क्रो बैंक यह अभ्यावेदन और आश्वासन देता है कि वह इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार लाभकारी पक्षों के लाभ के लिए ट्रस्ट में एस्क्रो खाते में सभी निधियाँ रखेगा और यह भी अभ्यावेदन और आश्वासन देता है कि उसने इस अनुबंध के निष्पादन और इसके तहत अपने दायित्वों के प्रदर्शन के लिए आवश्यक सभी अनुमोदन, परमिट और अन्य अत्रापत्तियाँ प्राप्त कर ली हैं।

8. विविध

8.1 समनुदेशन (असाइनमेंट) पर प्रतिबंध

धारा 6 में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, कंपनी और एस्क्रो बैंक, भा.वि.प्रा. की पूर्व सहमति के बिना इस अनुबंध के तहत अपने संबंधित अधिकारों या दायित्वों के किसी भाग का समनुदेशन या अंतरण नहीं करेंगे। पक्षों के बीच यह स्पष्ट रूप से सहमति है कि इस धारा 8.1 में कुछ भी भा.वि.प्रा. को इस अनुबंध के तहत अपने अधिकारों, लाभों और दायित्वों का किसी इकाई को समनुदेशन, नवेशन या अंतरण करने से नहीं रोकेगी।

8.2 सूचनाएं (Notices)

8.2.1 सभी सूचनाएं इसके साथ संलग्न अनुसूची ए में निर्दिष्ट पते और संपर्क नंबर पर या ऐसे अन्य पते और संपर्क नंबर पर भेजी जाएंगी जो ऐसे पक्ष द्वारा अन्य पक्षों को लिखित नोटिस में नामित किया गया हो।

8.2.2 ऐसे सभी नोटिस और संचार प्रभावी होंगे (i) यदि टैलेक्स द्वारा भेजे जाते हैं, जब भेजे जाते हैं (सही उत्तर-पुष्टि के साथ), (ii) यदि टेलीकॉपियर द्वारा भेजे जाते हैं, जब भेजे जाते हैं (सही टेलीकॉपियर नंबर पर पुष्टि प्राप्त होने पर), (iii) यदि व्यक्ति द्वारा भेजे जाते हैं, जब सुपुर्द किए जाते हैं, (iv) यदि कूरियर द्वारा भेजे जाते हैं, तो (ए) अंतर्देशीय वितरण के लिए रातोंरात कूरियर के पास जमा करने के एक कार्य दिवस बाद और (बी) विदेशी वितरण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय कूरियर के पास जमा करने के पांच कार्य दिवस बाद और (सी) यदि पंजीकृत पत्र द्वारा भेजा जाता है, तो उस समय जब पंजीकृत पत्र डाक के सामान्य क्रम में वितरित किया जाता, चाहे वह वास्तव में वितरित किया गया हो या नहीं।

8.2.3 टैलेक्स या टेलीकॉपी द्वारा भेजे गए प्रत्येक नोटिस और संचार की एक मूल प्रति व्यक्ति द्वारा, रातोंरात कूरियर (यदि अंतर्देशीय वितरण के लिए हो) या अंतरराष्ट्रीय कूरियर (यदि विदेशी वितरण के लिए हो) द्वारा भेजी जाएगी और, यदि ऐसा व्यक्ति या कूरियर सेवा उपलब्ध नहीं है, तो पंजीकृत एयरमेल (या, यदि अंतर्देशीय वितरण के लिए हो, पंजीकृत प्रथम श्रेणी मेल) द्वारा पूर्व-भुगतान किए गए डाक के साथ, बशर्ते कि ऐसे किसी भी नोटिस की प्रभावी तिथि ऐसी मूल प्रति के प्रेषण को ध्यान में लिए बिना, मामले के अनुसार धारा 8.2.2 के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

- 8.3 कोई छूट नहीं; उपचार
किसी भी पक्ष की ओर से इसके तहत किसी भी अधिकार, शक्ति या विशेषाधिकार का प्रयोग करने में कोई विफलता, और प्रयोग करने में विलंब, उसकी छूट या सहमति के रूप में कार्य नहीं करेगी; और न ही ऐसे किसी अधिकार, शक्ति या विशेषाधिकार का कोई एकल या आंशिक प्रयोग उसके किसी अन्य या आगे के प्रयोग या किसी अन्य अधिकार, शक्ति या विशेषाधिकार के प्रयोग को रोकेगा। यहां दिए गए उपचार संचयी हैं और लागू कानून द्वारा प्रदान किए गए किसी भी उपचार के अनन्य नहीं हैं।
- 8.4 पृथक्करणीयता
इस अनुबंध का कोई भी प्रावधान जो किसी भी अधिकार क्षेत्र में निषिद्ध या अप्रवर्तनीय है, ऐसे अधिकार क्षेत्र के संबंध में, निषेध या अप्रवर्तनीयता की सीमा तक अप्रभावी होगा, लेकिन इससे इस समझौते के शेष प्रावधान अमान्य नहीं होंगे या किसी अन्य अधिकार क्षेत्र में ऐसे प्रावधान को प्रभावित नहीं करेंगे।
- 8.5 संशोधन या छूट
इस अनुबंध के किसी भी प्रावधान का कोई संशोधन या छूट, और न ही पक्षों में से किसी के द्वारा इससे विचलन करने की सहमति, किसी भी स्थिति में प्रभावी होगी जब तक कि वह लिखित रूप में न हो और यहां के पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित न हो और फिर ऐसी छूट या सहमति केवल विशिष्ट उदाहरण में और उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रभावी होगी जिसके लिए वह दी गई है।
- 8.6 शासी कानून
यह अनुबंध भारत के कानूनों द्वारा शासित होगा और उसी के अनुसार इसका अर्थान्वयन किया जाएगा।
- 8.7 विवाद समाधान
- 8.7.1 पक्ष किसी भी विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए अपने संबंधित उचित प्रयास करेंगे। यदि कोई विवाद एक पक्ष (या पक्षों के समूह) ("दावेदार") द्वारा दूसरे पक्ष (या पक्षों के समूह) ("प्रतिवादी") को विवाद की लिखित सूचना के तीस (30) दिनों के भीतर हल नहीं होता है, तो धारा 8.7.2 से धारा 8.7.7 के प्रावधान लागू होंगे।
- 8.7.2 इस करार से उत्पन्न होने वाले अथवा इससे संबंधित, या इसमें निहित किसी उपबंध की व्याख्या अथवा निर्वचन से संबंधित ऐसे सभी विवाद, जिनका पक्षकारों द्वारा उपर्युक्त धारा 8.8.1 के अनुसार सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान नहीं किया गया है, उनका अंतिम निपटारा इसमें निर्धारित उपबंधों के अनुसार, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के उपबंधों के अनुरूप, मध्यस्थता द्वारा किया जाएगा।
- 8.7.3 किसी भी विवाद को तीन (3) मध्यस्थों (इसके बाद "मध्यस्थ न्यायाधिकरण") से युक्त मध्यस्थ न्यायाधिकरण को भेजा जाएगा। दावेदार और प्रतिवादी प्रत्येक मध्यस्थ न्यायाधिकरण में एक (1) मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और इस प्रकार नियुक्त दो मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ का चयन करेंगे, जो मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पीठासीन मध्यस्थ के रूप में भी कार्य करेगा।
- 8.7.4 ऐसे निर्णय के कारणों द्वारा समर्थित मध्यस्थ न्यायाधिकरण का/के निर्णय अंतिम होगा और पक्षों पर बाध्यकारी होगा।
- 8.7.5 मध्यस्थता का स्थान नई दिल्ली होगा।
- 8.7.6 मध्यस्थता का शासी कानून भारत के मूल कानून होंगे।
- 8.7.7 यह अनुच्छेद 8.7 इस अनुबंध की समाप्ति या अवधि-पूरण के बाद भी लागू रहेगा।
- 8.8 विनियामक अनुमोदन
कंपनी एस्क्रो खाते को स्थापित करने और संचालित करने के लिए आवश्यक सभी विनियामक अनुमोदनों की खरीद करेगी और उसके बाद उनका रखरखाव और अनुपालन करेगी।

- 8.9 शेष राशि की अधिसूचना
प्रत्येक कैलेंडर माह की समाप्ति के सात (7) दिनों के भीतर, एस्क्रो बैंक भा.वि.प्रा. को (माह के) अंतिम कार्य दिवस पर एस्क्रो खाते (उसके अंतर्गत प्रत्येक उप-खाते में शेष राशि सहित) में संबंधित शेष राशि की सूचना देगा।
- 8.10 अतिरिक्त अधिकार
इस अनुबंध के अनुसार पक्षों को प्रदत्त कोई भी अधिकार परियोजना अनुबंधों या अन्यथा के तहत पक्षों को किसी भी समय प्राप्त होने वाले किन्हीं भी अन्य अधिकारों और उपचारों के अतिरिक्त होंगे और उनके प्रतिस्थापन या अल्पीकरण में नहीं होंगे।

जिसके साक्ष्य स्वरूप कंपनी ने पहली बार ऊपर लिखी गई तिथि पर इस पर और इसके एक डुप्लिकेट पर अपनी सामान्य मुहर लगाई है और एस्क्रो बैंक और भा.वि.प्रा. ने इसे अपने अधिकृत अधिकारी द्वारा निष्पादित कराया है।

[कंपनी] के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर को उसके निदेशक मंडल के प्रस्ताव दिनांक ___ दिन ___ के अनुसरण में लगाया गया है जिसे श्री ___ और श्री ___ निदेशकों की उपस्थिति में यहां लगाया गया है, जिन्होंने इसके प्रतीक स्वरूप इन प्रस्तुतियों पर हस्ताक्षर किए हैं और अधिकृत अधिकारी / कंपनी सचिव द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए गए हैं।
[एस्क्रो बैंक] द्वारा उसके अधिकृत अधिकारी के माध्यम से हस्ताक्षरित और वितरित।
भा.वि.प्रा. द्वारा उसके अधिकृत अधिकारी के माध्यम से हस्ताक्षरित और वितरित।

**अनुसूची A -
पक्षों की नोटिस**

कंपनी

पक्ष का नाम:

पता:

टेलीफोन नं.:

फैक्स नं.:

ध्यानार्थ:

एस्करो बैंक

पक्ष का नाम:

पता:

टेलीफोन नं.:

फैक्स नं.:

ध्यानार्थ:

भा.वि.प्रा.

पक्ष का नाम: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

पता:

टेलीफोन नं.:

फैक्स नं.:

ध्यानार्थ:

अनुसूची 14
प्रारंभिक विकास योजना

अनुसूची 15
विशेषज्ञों की सूची¹

1. जी. वी. संजय रेड्डी;
2. रामामूर्ति यादवल्ली;
3. सी. वेंकट रमना;
4. कॉर्नेलियस मुलर;
5. फ्रेकोइस स्वानपेल;
6. हेंक डी लैंग;
7. रॉबर्ट एडविन गुर; और
8. अक्षय बाबू।

¹ जेवीसी द्वारा समय-समय पर प्रासंगिक विशेषज्ञों के साथ उपयुक्त रूप से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

अनुसूची 16
आवश्यक सेवाएं

- शौचालय;
- ट्रॉलियां;
- यात्री सामान प्रबंधन और
- पेयजल।

अनुसूची 17
बोली बांड का प्रारूप

बी.जी. सं. -----दिनांक-----

यह गारंटी विलेख ("बोली बांड") _____[स्थान] पर _____[बैंक का नाम] जिसका प्रधान/पंजीकृत कार्यालय _____[पता] पर है (जिसे इसके बाद "गारंटर" कहा गया है), द्वारा निष्पादित किया गया, जिसकी अभिव्यक्ति में, जब तक कि यह विषय या संदर्भ के प्रतिकूल न हो, उसके निष्पादक, प्रशासक, उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी शामिल होंगे;

के पक्ष में

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (जिसे इसके बाद "भा.वि.प्रा." कहा गया है), जिसका कार्यालय _____[पता] पर है, जिसकी अभिव्यक्ति में, जब तक कि यह विषय या संदर्भ के प्रतिकूल न हो, उसके निष्पादक, प्रशासक, उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी शामिल होंगे:

चूंकि मेसर्स _____[आवेदक का नाम], एक [इकाई]² [कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत, जिसका पंजीकृत कार्यालय]³ _____[पता] पर है (जिसे इसके बाद "आवेदक" कहा गया है) जिसकी अभिव्यक्ति में, जब तक कि यह विषय या संदर्भ के प्रतिकूल न हो, उसके निष्पादक, प्रशासक, उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी शामिल होंगे, ने छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के ढांचागत बदलाव और आधुनिकीकरण (जिसे इसके बाद "परियोजना" कहा गया है) के लिए बोली लगाई है।

चूंकि दिनांक 01 अप्रैल, 2005 के प्रस्ताव अनुरोध दस्तावेज (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आरएफपी दस्तावेज" कहा गया है) के निबंधनों के अंतर्गत, आवेदक को भाविप्रा (एएआई) को बोली बांड के रूप में, यथास्थिति, 50 करोड़ रुपये (केवल 500,000,000 रुपये) या 500 करोड़ रुपये (केवल 5000,000,000 रुपये) की राशि के लिए एक बिना शर्त और अप्रतिसंहरणीय बैंक गारंटी प्रस्तुत करना अपेक्षित है, और गारंटीकर्ता ने आवेदक के अनुरोध पर इस विलेख के माध्यम से ऐसी गारंटी प्रदान करने की सहमति दी है:

अब, यह विलेख इस बात का साक्षी है कि उपर्युक्त तथ्यों के प्रतिफलस्वरूप, हम, _____ गारंटर, निम्नलिखित घोषणा, वचन और सहमति देते हैं:

- (क) हम, प्राथमिक बाध्यकार के रूप में, भाविप्रा (एएआई) की ऐसी लिखित मांग प्राप्त होने के 5 दिनों के भीतर, जिसमें यह उल्लेख हो कि भाविप्रा द्वारा आवेदक को सफल बोलीदाता घोषित और अधिसूचित किए जाने तथा आवेदक द्वारा आरएफपी दस्तावेज के निबंधनों के अनुसार आवश्यकताओं को पूरा न करने पर बोली बांड को प्रवर्तित और जब्त कर लिया गया है, भाविप्रा को बिना किसी आपत्ति के, बिना शर्त और अप्रतिसंहरणीय रूप से, यथास्थिति, 50 करोड़ रुपये (केवल 500,000,000 रुपये) या 500 करोड़ रुपये (केवल 5000,000,000 रुपये) से अनधिक राशि का भुगतान करेंगे। भाविप्रा द्वारा हमसे की गई ऐसी कोई भी मांग, बोली बांड के प्रवर्तन व जब्ती तथा इस गारंटी के अंतर्गत देय और भुगतान योग्य राशि के संबंध में निर्णायक और अंतिम होगी। हम स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि इस गारंटी को एकाधिक बार प्रवर्तित किया जा सकता है।

² यथाउपयुक्त इकाई का प्रकार ³ पंजीकरण विवरण

- (ख) उपरोक्त भुगतान हमारे द्वारा आवेदक या किसी अन्य व्यक्ति के किसी भी संदर्भ के बिना और इस बात पर विचार किए बिना किया जाएगा कि भा.वि.प्रा. के दावे पर आवेदक द्वारा विवाद किया गया है या नहीं।
- (ग) यह गारंटी (दिनांक) _____ से _____⁴ महीने की अवधि के लिए या ऐसी विस्तारित अवधि के लिए, जो भाविप्रा और आवेदक के बीच आपसी सहमति से तय हो, पूर्ण रूप से प्रभावी रहेगी और इस गारंटी के अंतर्गत सभी राशियों का भुगतान होने तक प्रवर्तनीय बनी रहेगी।
- (घ) इस गारंटी को पूर्ण रूप से प्रभावी करने के लिए, भाविप्रा गारंटीकर्ता को मुख्य ऋणी मानने का हकदार होगा और गारंटीकर्ता के दायित्व आरएफपी दस्तावेज या अन्य दस्तावेजों के निबंधनों और शर्तों में किसी भी परिवर्तन से, या आवेदक द्वारा किन्हीं भी दायित्वों के निष्पादन के समय में विस्तार से, या आवेदक के

विरुद्ध भाविप्रा द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के किसी भी समय के लिए स्थगन से, या आवेदक द्वारा आरएफपी दस्तावेज का अनुपालन न करने से संबंधित किन्हीं भी निबंधनों और शर्तों से प्रविरत रहने या उन्हें लागू करने से प्रभावित नहीं होंगे; और हम आवेदक को दिए गए किसी भी परिवर्तन या विस्तार के कारण, या भाविप्रा की ओर से किसी भी प्रविरति या चूक के कारण, या भाविप्रा द्वारा आवेदक को दी गई किसी भी रियायत या ऐसे किसी भी मामले या बात के कारण अपने दायित्वों से मुक्त नहीं होंगे, जिसका प्रतिभुओं से संबंधित कानून के अंतर्गत इस प्रावधान के न होने पर हमें इस प्रकार मुक्त करने का प्रभाव होता।

- (ड) यह गारंटी अपरिवर्तनीय होगी और तब तक पूर्ण रूप से प्रभावी रहेगी जब तक कि इस गारंटी के तहत हमारे सभी दायित्वों का विधिवत निर्वहन नहीं हो जाता।
- (च) इसके अंतर्गत किया गया कोई भी भुगतान किन्हीं भी वर्तमान या भविष्य के प्रभारों, फीसों, कमीशनों, कटौतियों या चाहे जो कुछ भी हों और चाहे वे किसी के भी द्वारा लगाए गए हों, से मुक्त और स्पष्ट रूप से तथा उनके लिए या उनके कारण किसी कटौती के बिना किया जाएगा।
- (छ) गारंटीकर्ता के पास इस गारंटी को वैध रूप से निष्पादित करने और जारी करने की शक्ति और प्राधिकार है और अधोहस्ताक्षरी _____ के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति के अनुसरण में इस गारंटी को निष्पादित करने और परिदत्त करने के लिए विधिवत प्राधिकृत है तथा इस गारंटी के अंतर्गत इसके दायित्व कानूनी रूप से वैध, बाध्यकारी और इसके निमित्त प्रवर्तनीय होंगे।
- (ज) सूचनाएं इस गारंटी के अंतर्गत कोई भी मांग प्रमाणपत्र, नोटिस या कोई अन्य संसूचना (i) लिखित रूप में होगी और (ii) निम्नलिखित पतों पर फैक्स द्वारा या दस्ती, अथवा ओवरनाइट कूरियर द्वारा भेजी जाएगी: [सम्मिलित करें]

ऐसे सभी मांग प्रमाणपत्र, नोटिस और संसूचनाएं प्रभावी होंगी (i) यदि फैक्स द्वारा भेजी गई हैं, तो भेजे जाने पर (सही पावती के साथ), (ii) यदि दस्ती भेजी गई हैं, तो परिदत्त किए जाने पर, (iii) यदि कूरियर द्वारा भेजी गई हैं, तो किसी ओवरनाइट कूरियर के पास जमा करने के एक (1) कार्य दिवस बाद, और (iv) यदि पंजीकृत पत्र द्वारा भेजी गई हैं, तो उस समय जब पंजीकृत पत्र डाक के सामान्य अनुक्रम में परिदत्त हो जाता, चाहे वह वास्तव में परिदत्त हुआ हो या नहीं।
बोलीदाता यह सुनिश्चित करे कि बोली बांड आरएफपी के अनुसार बोली अवधि के लिए वैध है।

i) यह गारंटी भारत के कानूनों के अधीन है। इस गारंटी या इसकी विषय-वस्तु से उत्पन्न होने वाला कोई भी वाद, कार्रवाई या अन्य कार्यवाहियां नई दिल्ली, भारत के न्यायालयों के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन होंगी।

इसके साक्ष्यस्वरूप, गारंटीकर्ता ने इसमें ऊपर प्रथम उल्लिखित दिन, माह और वर्ष को अपने हस्ताक्षर किए हैं।

बैंक द्वारा हस्ताक्षरित एवं सुपुर्द

श्री _____ के माध्यम से
_____ एवं अधिकृत अधिकारी

अनुसूची 18
निष्पादन बांड का प्रारूप
दिनांक []

सेवा में,
भा वि प्रा
[*]

विषय: निष्पादन बैंक गारंटी

यह निष्पादन बैंक गारंटी (जिसे इसमें इसके पश्चात् "गारंटी" कहा गया है) [नई दिल्ली] में वर्ष 2005 के [•] माह के [•] दिन को निष्पादित की गई है।

जबकि

- (क) जेवीसी (जेवीसी), कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय [] पर है (जिसे इसके बाद "जेवीसी" कहा गया है, जिसकी अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिनी शामिल होंगे) ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (जिसे इसके बाद "भा.वि.प्रा." कहा गया है, जिसकी अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी शामिल होंगे) के साथ हवाई अड्डे के प्रचालन, रखरखाव, विकास, डिजाइनिंग, निर्माण, उन्नयन, आधुनिकीकरण, वित्तपोषण और प्रबंधन की परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए दिनांक [] को एक प्रचालन, प्रबंधन और विकास अनुबंध (जिसे इसके पश्चात् "ओएमडीए" (ओएमडीए) कहा गया है) किया है।
- (ख) "ओएमडीए" (ओएमडीए) के नियमों और शर्तों के अनुसार, जेवीसी भा.वि.प्रा. को भारत में एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से एक अपरिवर्तनीय, बिना शर्त और स्वचालित परिक्रामी बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है, जिसका मूल्य और वैधता नीचे दी गई है।
- (ग) [*] जिसका पंजीकृत कार्यालय [] में है और एक शाखा कार्यालय [नई दिल्ली], भारत में है, (जिसे इसके बाद "बैंक" कहा गया है, जिसकी अभिव्यक्ति में जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारी शामिल माने जाएंगे), जो भारत में एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है, ने जेवीसी के अनुरोध पर, भा.वि.प्रा. के पक्ष में नीचे दी गई नियमों और शर्तों के अनुसार इस निष्पादन बैंक गारंटी को जारी करने पर सहमति व्यक्त की है।

अतः अब, बैंक एतद्वारा ओएमडीए (ओएमडीए) के सम्यक् निष्पादन के लिए भाविप्रा (एएआई) के प्रति जेवीसी (जेवीसी) की आर्थिक जिम्मेदारी लेता है और एतद्वारा जेवीसी की ओर से भाविप्रा के पक्ष में यह अप्रतिसंहरणीय और बिना शर्त निष्पादन और भुगतान बैंक गारंटी (जिसे इसमें इसके पश्चात् "गारंटी" कहा गया है) जारी करता है।

1. बैंक इसके उद्देश्य के लिए बिना किसी आपत्ति, आरक्षण, चेतावनी, विरोध या सहारा के भा.वि.प्रा. को भुगतान करने का बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से वचन देता है; भाविप्रा से प्रथम लिखित मांग प्राप्त होने पर तत्काल, किसी राशि या राशियों (एक या अधिक दावों के रूप में) का भाविप्रा को भुगतान करने का बिना शर्त और अप्रतिसंहरणीय रूप से वचन देता है, जिसके लिए भाविप्रा को बैंक के समक्ष उसमें विनिर्दिष्ट राशि की ऐसी मांग के लिए आधार या कारण सिद्ध करने या दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी और ओएमडीए के निष्पादन या जेवीसी द्वारा भाविप्रा को देय धन या किसी भी अन्य मामले के संबंध में भाविप्रा और जेवीसी के बीच किसी भी विवाद या मतभेद के होते हुए भी यह लागू होगा।
2. बैंक स्वीकार करता है कि यह गारंटी एक से अधिक बार लागू की जा सकती है और भा.वि.प्रा. द्वारा बैंक द्वारा भा.वि.प्रा. को देय राशियों की ऐसी प्रत्येक मांग भा.वि.प्रा. को जेवीसी द्वारा देय राशियों के संबंध में अंतिम, बाध्यकारी और निर्णायक साक्ष्य होगी।
3. बैंक एतद्वारा भाविप्रा (एएआई) के लिए जेवीसी (जेवीसी) से पूर्वोक्त राशि या उसके किसी भी भाग की मांग करने की आवश्यकता का अधित्याग करता है और ऐसे किसी भी अधिकार का भी अधित्याग करता है जो बैंक के पास हो सकता है, जिसके तहत इस गारंटी के अंतर्गत भुगतान के लिए बैंक को कोई भी लिखित मांग प्रस्तुत करने से पहले भाविप्रा से जेवीसी के विरुद्ध अपने कानूनी उपचारों का प्रयोग करने की अपेक्षा की जाए।

4. बैंक आगे भाविप्रा (एएआई) के साथ बिना किसी शर्त के सहमत है कि भाविप्रा, बैंक की सहमति के बिना और इस गारंटी के अंतर्गत बैंक के दायित्व को किसी भी तरह से प्रभावित किए बिना, समय-समय पर निम्नलिखित के लिए स्वतंत्र होगा:
 - (i) ओएमडीए (ओएमडीए) के किन्हीं भी निबंधनों और शर्तों में परिवर्तन और/या संशोधन करने;
 - (ii) ओएमडीए के अंतर्गत जेवीसी के दायित्वों के निष्पादन के समय का विस्तार करने और/या उसे स्थगित करने; या
 - (iii) ओएमडीए के निबंधनों और शर्तों के अंतर्गत जेवीसी के विरुद्ध भाविप्रा द्वारा प्रयोग किए जा सकने वाले किन्हीं भी अधिकारों को लागू करने या उनसे प्रविरत रहने; और बैंक भा.वि.प्रा. की ओर से किसी भी ऐसे कार्य या चूक या भा.वि.प्रा. द्वारा जेवीसी को दिए गए किसी भी रियायत या किसी अन्य बात के कारण अपने दायित्व से मुक्त नहीं होगा, जो कि प्रतिभूओं से संबंधित कानून के तहत इस प्रावधान के अभाव में बैंक को इस गारंटी के तहत उसके दायित्वों से मुक्त करने का प्रभाव रखता।
5. ओएमडीए (ओएमडीए) के किसी आंशिक निष्पादन के कारण इस गारंटी के अंतर्गत बैंक के दायित्व कम नहीं होंगे। ओएमडीए के अंतर्गत अपने किसी भी दायित्व का समय पर भुगतान या निष्पादन करने में भाविप्रा (एएआई) की विफलता से बैंक के दायित्व कम नहीं होंगे।
6. इसके तहत किया गया कोई भी भुगतान किसी भी वर्तमान या भविष्य के शुल्क, फीस, कमीशन, कटौती के लिए या उसके कारण कटौती के बिना और मुक्त और स्पष्ट रूप से किया जाएगा, चाहे वह किसी के भी द्वारा लगाया गया हो।
7. यह गारंटी एक सतत बैंक गारंटी होगी और जेवीसी (जेवीसी) के किसी भी सदस्य के गठन में परिवर्तन से दायित्व-मुक्त नहीं होगी, तथा जेवीसी या जेवीसी के किसी भी सदस्य के परिसमापन, समापन, दिवालियापन, पुनर्गठन, विघटन या दिवाला अथवा किन्हीं भी अन्य परिस्थितियों, चाहे वे जो कुछ भी हों, से यह गारंटी प्रभावित या दायित्व-मुक्त नहीं होगी।
8. इस गारंटी की न्यूनतम वैधता कम से कम बारह (12) महीने होगी और ओएमडीए (ओएमडीए) की समाप्ति या समय-पूर्व समापन, जो भी पहले हो, तक इसे वैध बनाए रखने के लिए इसकी समाप्ति से कम से कम तीन (3) महीने पहले इसे आगे बढ़ाया (रोल ओवर) और नवीनीकृत किया जाएगा। बशर्ते कि यदि बैंक ऊपर दिए गए तरीके से इसकी समाप्ति से तीन (3) महीने पहले गारंटी का नवीनीकरण नहीं करता है, तो भाविप्रा (एएआई) को, जेवीसी (जेवीसी) द्वारा ओएमडीए के अन्य निबंधनों के सम्यक् निष्पादन पर विचार किए बिना, एक या अधिक मांगों में गारंटी की पूर्ण राशि भुनाने का अधिकार होगा। यह गारंटी तब तक वैध और विद्यमान रहेगी जब तक कि भाविप्रा द्वारा इसे लिखित रूप में मुक्त न कर दिया जाए।
9. यह गारंटी ओएमडीए के अंतर्गत जेवीसी के दायित्वों के निष्पादन को सुरक्षित करने के लिए भाविप्रा द्वारा धारित किसी अन्य प्रतिभूति के अतिरिक्त होगी, न कि उसके प्रतिस्थापन या अल्पीकरण में।
10. बैंक सहमत है कि भाविप्रा अपने विकल्प पर, प्रथम दृष्टया जेवीसी या भाविप्रा के पास उपलब्ध किसी अन्य प्रतिभूति/गारंटी के विरुद्ध कार्यवाही किए बिना, बैंक के विरुद्ध एक मुख्य ऋणी के रूप में इस गारंटी को प्रवर्तित करने का हकदार होगा।
11. ओएमडीए की प्रभावी तिथि के बाद पहले पांच (5) वर्षों के दौरान गारंटी की मात्रा 500,00,00,000/- रुपये (केवल पांच सौ करोड़ रुपये) ⁵ होगी (ऐसी राशि गारंटी की "पूर्ण राशि" होगी)। यदि इसके अनुसरण में गारंटी के किसी भी भाग को भुनाया जाता है, तो ऐसे नकदीकरण के तत्काल बाद, बैंक गारंटी की उसकी पूर्ण राशि तक पुनः पूर्ति करेगा। यदि गारंटी के किसी भी भाग को भुनाने के तीन (3) महीने के भीतर उसकी पूर्ण राशि तक पुनः पूर्ति नहीं की जाती है, तो भाविप्रा को संपूर्ण गारंटी को भुनाने का अधिकार होगा।
12. यह गारंटी भारत के कानूनों के अधीन है। इस गारंटी या इसके विषय वस्तु से उत्पन्न होने वाला कोई भी मुकदमा, कार्रवाई या अन्य कार्यवाही नई दिल्ली, भारत के न्यायालयों के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन होगी।
13. बोल्ट अक्षरों वाले ऐसे पद जिन्हें इसमें अन्यथा परिभाषित नहीं किया गया है, उनके संबंधित अर्थ वही होंगे जो ओएमडीए (ओएमडीए) में ऐसे पदों के लिए निर्धारित किए गए हैं।
14. बैंक के पास इस गारंटी को वैध रूप से निष्पादित करने और जारी करने की शक्ति और प्राधिकार है और अधोहस्ताक्षरी _____ के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति के अनुसरण में इस गारंटी को निष्पादित करने और परिदत्त करने के लिए विधिवत प्राधिकृत है तथा इस गारंटी के अंतर्गत इसके दायित्व कानूनी रूप से वैध, बाध्यकारी और बैंक के विरुद्ध प्रवर्तनीय होंगे।
15. सूचनाएं.
इस गारंटी के अंतर्गत कोई भी मांग प्रमाणपत्र, नोटिस या कोई अन्य संसूचना (i) लिखित रूप में होगी और (ii) निम्नलिखित पतों पर फैक्स द्वारा या दस्ती, अथवा ओवरनाइट कूरियर द्वारा भेजी जाएगी:

[सम्मिलित करें]

⁵ ओएमडीए (ओएमडीए) में दिए गए प्रावधान के अनुसार वृद्धिशील।

ऐसे सभी मांग प्रमाणपत्र, नोटिस और सूचनाएं प्रभावी होंगी (i) यदि फैक्स द्वारा भेजी गई हैं, तो भेजे जाने पर (सही पावती के साथ), (ii) यदि दस्ती भेजी गई हैं, तो परिदत्त किए जाने पर, (iii) यदि कूरियर द्वारा भेजी गई हैं, तो किसी ओवरनाइट कूरियर के पास जमा करने के एक (1) कार्य दिवस बाद, और (iv) यदि पंजीकृत पत्र द्वारा भेजी गई हैं, तो उस समय जब पंजीकृत पत्र डाक के सामान्य अनुक्रम में परिदत्त हो जाता, चाहे वह वास्तव में परिदत्त हुआ हो या नहीं।

इसके साक्ष्यस्वरूप, बैंक ने अपने अधिकृत अधिकारी के माध्यम से इस _____ दिनांक _____ 2005 को अपने हस्ताक्षर और मुहर लगा दी है।

उपस्थिति में

(1)

(2)

अनुसूची 19*

*जानबूझकर छोड़ा गया ।

अनुसूची-20
अस्वीकरण प्रमाणपत्र

[जो जेवीसी और प्रत्येक कंसोर्टियम सदस्य द्वारा भाविप्रा के पक्ष में दिया जाना है]

यह **अस्वीकरण प्रमाणपत्र** आज दिनांक _____ दिन _____ 2005 को निष्पादित किया गया है:

द्वारा :

1. **[*]**, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय [*] पर स्थित है (इसके बाद इसे "**जेवीसी**" कहा गया है); और
2. इसके अनुलग्नक 1 में सूचीबद्ध प्रत्येक संस्थाएं (सामूहिक रूप से "**कंसोर्टियम सदस्य**" और व्यक्तिगत रूप से "**कंसोर्टियम सदस्य**")।

किसके पक्ष में :

3. **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण**, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के तहत गठित है, जिसका मुख्य कार्यालय _____ पर स्थित है, जो अपने अध्यक्ष के माध्यम से कार्य कर रहा है (इसके बाद इसे "**भाविप्रा**" कहा गया है)।

जबकि :

क. भाविप्रा, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के तहत स्थापित एक प्राधिकरण है, जो भारत में हवाई अड्डों के विकास, प्रचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है।

ख. जेवीसी, भाविप्रा और कंसोर्टियम सदस्यों के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जिसे अन्य बातों के साथ-साथ **छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ("हवाई अड्डा")** के विकास देने, स्थापित करने, विकसित करने, वित्तपोषित करने, प्रचालित करने और बनाए रखने के उद्देश्यों से स्थापित किया गया है।

ग. भाविप्रा और जेवीसी ने दिनांक [] को एक प्रचालन, प्रबंधन और विकास अनुबंध किया है (इसके बाद इसे "**ओएमडीए**" कहा गया है)।

इसलिए अब, अच्छे और मूल्यवान प्रतिफल के बदले, जिसकी प्राप्ति, पर्याप्तता और उपयुक्तता को इसके द्वारा स्वीकार किया जाता है, और कानूनी रूप से बाध्य होने के प्रयोजन से, जेवीसी और प्रत्येक कंसोर्टियम सदस्य इसके द्वारा निम्नलिखित की पुष्टि, घोषणा और स्वीकार करते हैं:

1. कि उन्होंने व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से ओएमडीए की शर्तों को पढ़ और समझ लिया है।
2. कि वे स्पष्ट अक्षरों वाले शब्द जिन्हें यहाँ परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु ओएमडीए में परिभाषित किया गया है, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा आवश्यक न हो, उनका वही अर्थ होगा जो ओएमडीए में दिया गया है।
3. कि उन्होंने:
 - (क) हवाई अड्डे, और हवाई अड्डा स्थल (टर्मिनलों और वहां मौजूद सभी भवनों सहित) तथा उसके आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया है।
 - (ख) वे इस बात से संतुष्ट हो गए हैं कि हवाई अड्डे की जलवायु, पानी से जुड़ी और सामान्य भौतिक स्थितियों, भूमि और भूमि के नीचे की मिट्टी की प्रकृति, हवाई अड्डे के आकार और स्वरूप, और डिज़ाइन, कार्य और सामग्री, कारीगरी, तकनीकी जानकारी और प्रबंधन कौशल की प्रकृति ऐसी है जो ओएमडीए के तहत जीवीसी की ज़िम्मेदारियों को अभी और इसके लागू रहने के दौरान पूरा करने के लिए आवश्यक हैं।
 - (ग) ओएमडीए के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अपेक्षित, हवाई अड्डे पर आवागमन, वहाँ ठहरने और बातचीत करने के साधनों के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर लिया है।
 - (घ) सभी आवश्यक सूचना प्राप्त कर ली गई है—जैसे कि जोखिम, आकस्मिक स्थितियाँ और वे सभी अन्य स्थितियाँ जो इसे या जीवीसी को, और ओएमडीए के तहत इसके अधिकारों और दायित्वों को प्रभावित कर सकते हैं।

- (ii) कंसोर्टियम के सदस्य साफ़ तौर पर मानते हैं कि उन्होंने पूरी सावधानी बरती है। अगर उनमें से किसी से ऊपर बताए गए आर्टिकल-3 (i) के प्रावधानों के संबंध में कोई त्रुटि होती है या कोई गलतफहमी होती है, तो वे भाविप्रा के विरुद्ध कोई दावा नहीं कर सकेंगे और इस संबंध में भाविप्रा की कोई भी ज़िम्मेदारी नहीं होगी।
4. कंसोर्टियम सदस्यों में से प्रत्येक और जेवीसी यह स्वीकार करते हैं कि ओएमडीए के निष्पादन से पहले, उन्होंने पूर्ण और सावधानीपूर्वक जांच के बाद, संपूर्ण रूप से हवाई अड्डे और इसकी प्रत्येक सुविधा, भवनों, परिसंपत्तियों, मशीनरी, उपकरणों, कर्मियों और ज्ञान का एक स्वतंत्र मूल्यांकन किया है। उन्होंने उन कठिनाइयों, उन्नयन, इनपुट, लागतों, समय, संसाधनों, जोखिमों और खतरों की प्रकृति और सीमा का निर्धारण किया है, जो ओएमडीए के तहत जेवीसी के दायित्वों के निष्पादन के दौरान उत्पन्न होने या जेवीसी द्वारा सामना किए जाने की संभावना है, और अब या ओएमडीए की अवधि के दौरान समय-समय पर आवश्यक आधुनिकीकरण की सीमा और तरीके का निर्धारण किया है।
5. कंसोर्टियम सदस्यों में से प्रत्येक और जेवीसी स्वीकार करते हैं और इसके द्वारा ओएमडीए के तहत जेवीसी के दायित्वों के निष्पादन से जुड़ी कठिनाइयों, उन्नयन, इनपुट, लागत, समय, संसाधनों, जोखिमों और खतरों को स्वीकार करते हैं। इसके द्वारा यह सहमति व्यक्त करते हैं कि भाविप्रा किसी भी तरीके से जेवीसी के प्रति इनके लिए उत्तरदायी नहीं होगा, सिवाय इसके कि ओएमडीए में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया हो।
6. कंसोर्टियम सदस्य और जेवीसी स्वयं को बाध्य करते हैं कि वे किसी भी इकाई द्वारा उन्हें दी गई गलत या अपर्याप्त जानकारी के आधार पर गलतफहमी या गलत धारणा के आधार पर, चाहे वह भाविप्रा या किसी सरकारी प्राधिकरण के अधिकार में हो या न हो, भाविप्रा या किसी भी सरकारी प्राधिकरण के विरुद्ध रद्द करने, हानि या अन्यथा के लिए कोई दावा करने के हकदार नहीं होंगे। न ही, जब तक कि ओएमडीए में स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रावधान न किया गया हो, जेवीसी को ऐसे किसी आधार पर या इस आधार पर कि वह किसी ऐसे मामले का पूर्वानुमान नहीं लगा सका या नहीं लगा सकता था, जो वास्तव में ओएमडीए के तहत उसके दायित्वों के निष्पादन को प्रभावित कर सकता है या प्रभावित किया है, ओएमडीए के तहत उस पर लगाए गए या उसके द्वारा उठाए गए किसी भी दायित्व या जोखिम से राहत दी जाएगी।
7. ओएमडीए के प्रावधानों के अधीन, जेवीसी और कंसोर्टियम सदस्य घोषणा करते हैं कि जेवीसी पूरी तरह से और विशेष रूप से इसके लिए जिम्मेदार होगा और हवाई अड्डे के डिज़ाइन, वित्तपोषण, आधुनिकीकरण, निर्माण, पूर्णता, कमीशनिंग (चालू करने), रखरखाव, प्रचालन, प्रबंधन और विकास तथा ओएमडीए के तहत या इसके अनुसार अपने सभी अन्य अधिकारों और दायित्वों के संबंध में वित्तीय, तकनीकी, वाणिज्यिक, कानूनी और अन्य जोखिम, चाहे किसी भी प्रकार के जोखिम, आकस्मिकताएं, परिस्थितियां और/या खतरे (पूर्वानुमानित या अपूर्वानुमानित) सामने आए, को वहन करेगा। असाधारण आधारों पर या अन्यथा किसी भी प्रकार के जोखिमों, आकस्मिकताओं, परिस्थितियों और/या खतरों में किसी भी परिवर्तन के बावजूद और चाहे वे पूर्वानुमानित हों या अपूर्वानुमानित हों; और जेवीसी या किसी भी कंसोर्टियम सदस्य को भाविप्रा, भारत सरकार और/या उनकी किसी भी एजेंसी के विरुद्ध कोई दावा प्रस्तुत करने या उनसे कोई क्षतिपूर्ति या अन्य राशि प्राप्त करने का कोई अधिकार (चाहे व्यक्त हो या निहित) नहीं होगा, सिवाय उन मामलों के संबंध में जिनके लिए ओएमडीए में स्पष्ट प्रावधान किया गया है।

जिसके साक्ष्य स्वरूप, कंसोर्टियम सदस्यों में से प्रत्येक और जेवीसी ने अपने-अपने विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से ऊपर लिखे गए दिन और वर्ष को इस अस्वीकरण प्रमाणपत्र को निष्पादित कराया है।

हस्ताक्षरित और सुपुर्द किया गया

अनुलग्नक - I
कंसोर्टियम सदस्य

अनुसूची 21
स्वतंत्र इंजीनियर के कर्तव्य

स्वतंत्र इंजीनियर के कर्तव्यों का दायरा इस प्रकार है:

- (क) निम्नलिखित के साथ अनुपालन का आकलन करने के लिए सभी डिज़ाइन, ड्राइंग, विनिर्देशों और प्रापण दस्तावेजों की समीक्षा करना:
- (i) अंतिम रूप दी गई मुख्य विकास योजना (यदि लागू हो)
 - (ii) अनुसूची 1 में दिए गए विवरण के अनुसार विकास मानक और आवश्यकताएं तथा अंतिम रूप दी गई मुख्य विकास योजना
- (ख) लागतों को अनावश्यक रूप से बढ़ाने और/या अत्यधिक दिखावटी व्यय से बचने के लिए, समान दायरे और प्रकृति की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजनाओं के आधार पर परियोजना के विनिर्देशों और लागत के लिए जेवीसी द्वारा किए गए बैचमार्किंग अभ्यास की समीक्षा करना।
- (ग) अनुसूची 1 में विस्तृत विकास मानकों और आवश्यकताओं तथा स्वीकृत मुख्य विकास योजना के संबंध में किए गए कार्यों के अनुपालन का आकलन करने के लिए जेवीसी द्वारा प्रस्तुत विकास रिपोर्टों की समीक्षा करना। इस संबंध में, स्वतंत्र इंजीनियर यह सुनिश्चित करेगा कि:
- (i) किसी भी समझौते में या ओएमडीए तंत्र के माध्यम से सहमत स्वामित्व की आवश्यकताओं, मुख्य योजना की आवश्यकताओं, विनिर्देशों और डिज़ाइन मापदंडों को पूरी तरह से संबोधित और अनुपालन किया गया है।
 - (ii) परियोजनाओं को पूरा करने के लिए (अनिवार्य पूंजीगत परियोजनाएं चरण-1 परियोजनाओं को छोड़कर) उचित और निष्पक्ष समय दिया गया है।
 - (iii) मात्रा उचित हैं।
- (घ) हवाई अड्डे के डिज़ाइन, निर्माण, पूर्णता, कमीशनिंग और विकास के किसी भी और सभी पहलुओं या जेवीसी की किसी भी समूह संस्थाओं को किसी अन्य वाणिज्यिक अनुबंध से संबंधित किसी भी अनुबंध के आवंटन की समीक्षा करना।
- (ङ) ऐसे किसी भी अन्य कर्तव्य का पालन करना जो आवश्यक समझे जाएं और उनके नियुक्ति पत्र में निर्दिष्ट किए जाएं।

अनुसूची 22

बैंक गारंटी का प्रारूप (इक्विटी प्रतिबद्धता)

(कंसोर्टियम सदस्यों द्वारा आवश्यकतानुसार और प्रासंगिक होने पर प्रदान किया जाने वाला)

बैंक गारंटी संख्या: _____ दिनांक: _____

यह गारंटी विलेख ("इक्विटी बैंक गारंटी" या "गारंटी") _____ पर _____ (बैंक का नाम) द्वारा निष्पादित किया गया है, जिसका प्रधान/पंजीकृत कार्यालय _____ पर स्थित है (इसके बाद इसे "गारंटर" कहा गया है)।

किसके पक्ष में:

[जेवीसी] (इसके बाद इसे "जेवीसी" कहा गया है), जिसका कार्यालय _____ पर स्थित है, और इस शब्द के अर्थ में — जब तक कि विषय या संदर्भ के विपरीत न हो — इसके निष्पादक, प्रशासक, उत्तराधिकारी और प्रतिनिधि व्यक्ति भी शामिल होंगे।

जबकि मैसर्स _____, एक (संस्था) (जो कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत है और जिसका पंजीकृत कार्यालय _____ पर स्थित है) (जिसे आगे 'आवेदक' कहा जाएगा) - इस शब्द में, जब तक कि विषय या संदर्भ के विपरीत न हो, इसके निष्पादक, प्रशासक, उत्तराधिकारी और समनुदेशित शामिल होंगे - ने छत्रपति शिवाजी अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे (जिसे आगे 'परियोजना' कहा जाएगा) के पुनर्गठन और आधुनिकीकरण के लिए बोली लगाई है।

जबकि 1 अप्रैल, 2005 के 'रिक्रेस्ट फ़ॉर प्रोज़ेज़ल' दस्तावेज़ (जिसे आगे 'आर पी एफ दस्तावेज़' कहा गया है) और उसके बाद दी गई स्पष्टीकरणों के अनुसार, आवेदक को भाविप्रा के पास इक्विटी बैंक गारंटी के तौर पर [] करोड़ रुपये (केवल रुपये) की बिना शर्त और अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी जमा करनी है, और गारंटर ने आवेदक के अनुरोध पर ऐसी गारंटी देने के लिए सहमति व्यक्त की है:

अब यह विलेख प्रमाणित करता है कि ऊपर बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए, हम, (गारंटर) इसके द्वारा निम्नलिखित घोषणा करते हैं, वचन देते हैं और सहमत होते हैं कि :

- (ए) हम, मुख्य देनदार के तौर पर, बिना किसी आपत्ति, शर्त, रोक-टोक, विरोध या किसी और उपाय की मांग किए, भाविप्रा/ जेवीसी को की राशि का भुगतान करने का बिना शर्त और अपरिवर्तनीय वचन देते हैं।

संस्था का प्रकार (जैसा उचित हो)

पंजीकरण की जानकारी

लागू होने वाली राशि लिखें। यह राशि ₹500 करोड़ या प्रभावी तारीख के बाद पहले सात वर्षों में इक्विटी के लिए ज़रूरी राशि—इनमें से जो भी ज़्यादा हो—हो सकती है। यह राशि सफल बोलीदाताओं द्वारा आरपीएफ की ज़रूरतों के अनुसार जमा किए गए वित्तीय योजना में बताई गई होनी चाहिए (इसे वास्तविक वार्षिक शुल्क, ट्रैफ़िक का अनुमान और टैरिफ़ स्ट्रक्चर आदि के हिसाब से अपडेट किया गया हो)।

लागू होने वाली राशि शब्दों में लिखें।

जेवीसी या भाविप्रा (यह स्पष्ट रूप से समझा और सहमति व्यक्त की गई है कि भाविप्रा के पास जेवीसी के लिए और उसकी ओर से इस गारंटी के तहत मांग करने और इसे लागू करने का अधिकार और प्राधिकरण होगा) से लिखित मांग प्राप्त होने के 5 दिनों के भीतर, बिना किसी आपत्ति के, ₹ [राशि]* करोड़ (केवल [शब्दों में राशि]* रुपये) से अधिक न होने वाली राशि का भुगतान करेंगे। यह मांग जेवीसी द्वारा इक्विटी मुद्दे की शर्तों के अनुसार इक्विटी अंशदान प्राप्त करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद ही की जाएगी, जिसमें यह कहा गया हो कि इक्विटी बैंक गारंटी को लागू कर लिया गया है और आवेदक द्वारा ओएमडीए की प्रभावी तिथि के बाद किसी भी तिथि पर जेवीसी द्वारा मांगे गए इक्विटी पूंजी कॉल के अपने हिस्से का अंशदान न करने पर इसे जब्त कर लिया गया है (बिना भाविप्रा या जेवीसी को ऐसी मांग के आधार या कारण साबित करने या साझा करने की आवश्यकता के)। भाविप्रा या जेवीसी द्वारा हम पर की गई ऐसी कोई भी मांग अंतिम, बाध्यकारी, निर्णायक साक्ष्य और इक्विटी बैंक गारंटी के लागू होने, उसकी ज़ब्त और इस गारंटी के तहत देय राशि के संबंध में पूर्ण होगी। हम स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि इस इक्विटी बैंक गारंटी को एक से अधिक बार लागू किया जा सकता है।

- (बी) उपर्युक्त भुगतान हमारे द्वारा आवेदक या किसी अन्य व्यक्ति के किसी भी संदर्भ के बिना किया जाएगा, चाहे जेवीसी या भाविप्रा के दावे पर आवेदक द्वारा विवाद किया गया हो या नहीं। यह स्पष्ट किया जाता है कि जेवीसी / भाविप्रा द्वारा इसके तहत कई बार निकासी की जा सकती है।
- (सी) इस इक्विटी बैंक गारंटी की न्यूनतम वैधता अवधि कम से कम बारह (12) महीने होगी और इसे इसकी समाप्ति से कम से कम तीन (3) महीने पहले रोल ओवर (नवीनीकृत) किया जाएगा ताकि भाविप्रा द्वारा लिखित रूप में जारी किए जाने तक इसे वैध रखा जा सके। बशर्ते कि यदि इस इक्विटी बैंक गारंटी को ऊपर बताए गए तरीके से इसकी समाप्ति से तीन (3) महीने पहले नवीनीकृत नहीं किया जाता है, तो भाविप्रा या जेवीसी को इस गारंटी की पूरी राशि को भुनाने का अधिकार होगा। यह इक्विटी बैंक गारंटी [तारीख दर्ज करें]*13 से 1 वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगी या भाविप्रा और आवेदक के बीच परस्पर सहमत विस्तारित अवधि तक लागू रहेगी, और तब तक लागू करने योग्य रहेगी जब तक कि इस गारंटी के तहत सभी राशियों का भुगतान नहीं कर दिया जाता।
- (डी) आवेदक द्वारा जेवीसी में इक्विटी के रूप में कोई भी राशि डाले जाने के अनुसार इस इक्विटी बैंक गारंटी का मूल्य क्रमिक रूप से कम किया जा सकता है।
- (ई) इस इक्विटी बैंक गारंटी को पूर्ण प्रभाव देने के लिए, भाविप्रा / जेवीसी गारंटकर्ता (बैंक) को मुख्य देनदार के रूप में मानने के हकदार होंगे। गारंटकर्ता के दायित्व आरपीएफ दस्तावेज़ या अन्य दस्तावेज़ों के नियमों और शर्तों में किसी भी बदलाव से, या आवेदक द्वारा किसी भी दायित्व के निष्पादन के समय के विस्तार से, या आवेदक के खिलाफ जेवीसी / भाविप्रा द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के किसी भी समय के स्थगन से, या आवेदक द्वारा आरपीएफ दस्तावेज़ के गैर-अनुपालन से संबंधित किसी भी नियम और शर्त को लागू करने में दी गई छूट से प्रभावित नहीं होंगे, और हम अपने इन दायित्वों से मुक्त नहीं होंगे...
- 10 लागू राशि दर्ज करें।
- 11 लागू राशि शब्दों में दर्ज करें।
- 12 प्रभावी तिथि से 7 वर्ष तक की अवधि या इक्विटी पूंजीकरण की तिथि (जो भी बाद में हो) तक वार्षिक गारंटी को रोल ओवर किया जाएगा। गारंटी की अवधि समाप्त होने से एक महीने पहले रोलिंग ओवर होना चाहिए।
- 13 बोली की तारीख दर्ज करें।
- आवेदक को दी गई किसी भी भिन्नता या विस्तार के कारण, या भाविप्रा /जेवीसी की ओर से किसी भी सहनशीलता या चूक के कारण, या भाविप्रा / जेवीसी द्वारा आवेदक को दी गई किसी भी ढील/अनुग्रह के कारण जो ज़मानतदार से संबंधित कानून के तहत इस प्रावधान के अभाव में हमें इस प्रकार दायित्वों से मुक्त करने का प्रभाव रखती, हम अपने दायित्वों से मुक्त नहीं होंगे।
- (क) इसके तहत किया गया कोई भी भुगतान किसी भी वर्तमान या भविष्य के शुल्क, फीस, कमीशन, कटौती से मुक्त और बिना किसी कटौती के किया जाएगा, चाहे वह किसी भी व्यक्ति द्वारा लगाया गया हो।
- (ख) यह गारंटी अपरिवर्तनीय होगी और तब तक पूर्ण प्रभाव में रहेगी जब तक कि इस गारंटी के तहत हमारे सभी दायित्वों का विधिवत निर्वहन नहीं हो जाता।
- (ग) गारंटीकर्ता के पास इस गारंटी को वैध रूप से निष्पादित करने और जारी करने की शक्ति और अधिकार है तथा अधोहस्ताक्षरी को [शक्ति या अधिकार पत्र दर्ज करें] के तहत दी गई शक्ति के अनुसार इस गारंटी को निष्पादित करने और सौंपने के लिए विधिवत अधिकृत किया गया है और इस गारंटी के तहत इसके दायित्व कानूनी रूप से वैध, बाध्यकारी और इसके खिलाफ लागू करने योग्य होंगे।
- (घ) नोटिस :

इस गारंटी के तहत कोई भी मांग पत्र, नोटिस या अन्य कोई भी संचार (i) लिखित रूप में होगा और (ii) फैक्स द्वारा या व्यक्तिगत रूप से, या निम्नलिखित पते पर ओवरनाइट कूरियर द्वारा भेजा जाएगा:

[दर्ज करें]

ऐसे सभी मांग पत्र, नोटिस और संचार प्रभावी होंगे: (i) यदि फैक्स द्वारा भेजे गए हैं, तो भेजे जाने पर (सही उत्तर/उत्तर-पुष्टि के साथ), (ii) यदि व्यक्तिगत रूप से भेजे गए हैं, तो सुपुर्द किए जाने पर, (iii) यदि कूरियर द्वारा भेजे गए हैं, तो ओवरनाइट कूरियर के पास जमा करने के एक (1) कार्य दिवस के बाद, और (iv) यदि पंजीकृत पत्र द्वारा भेजे गए हैं, तो उस समय जब पंजीकृत पत्र, डाक के सामान्य क्रम में, वितरित किया जाता, चाहे वह वास्तव में वितरित हुआ हो या नहीं।

(ड.) यह गारंटी भारत के कानूनों के अधीन है। इस गारंटी या इसके विषय वस्तु से उत्पन्न होने वाला कोई भी मुकदमा, कार्रवाई या अन्य कार्यवाही नई दिल्ली, भारत की अदालतों के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन होगी।

जिसके साक्ष्य स्वरूप गारंटकर्ता ने ऊपर लिखे गए दिन, महीने और वर्ष को अपने हस्ताक्षर किए हैं।

[बैंक का नाम] द्वारा

श्री [नाम दर्ज करें],

जो इसके [पद का नाम] और अधिकृत अधिकारी हैं, के हाथों हस्ताक्षरित और सुपुर्द किया गया।

अनुसूची 23
प्रचालन सहायता लागत का विवरण

(सीएसआई हवाई अड्डे के लिए)

मुंबई के सीएसआई हवाई अड्डे के लिए तीन वर्षों की अनुमानित प्रचालन सहायता लागत निम्नलिखित है:

वर्ष	प्रचालन सहायता लागत
2006-07	95 करोड़ रुपये
2007-08	118 करोड़ रुपये
2008-09	126 करोड़ रुपये

उपरोक्त अनुमान वर्तमान वेतनमानों पर आधारित हैं और इनमें 01.01.2007 से देय वेतन संशोधन, फ्रिज बेनिफिट टैक्स/सर्विस टैक्स और कर्मचारी कल्याण योजनाओं के प्रभाव शामिल नहीं हैं।

1. 01.01.2007 से देय वेतन और भत्तों का संशोधन
2. फ़ाइनेंस एक्ट, 2005 के तहत लागू किए गए फ्रिज बेनिफिट्स टैक्स, सर्विस टैक्स आदि जैसे टैक्स।
3. प्रचालन सहायता अवधि के दौरान भाविप्रा द्वारा लागू की जा सकने वाली किसी भी कर्मचारी कल्याण योजना पर पड़ने वाला असर।

अनुसूची 24
मंजूरीयों की सूची

जेवीसी को प्रचालन शुरू करने के लिए निम्नलिखित मंजूरीयां प्राप्त करना आवश्यक है:

- आयात-निर्यात और ट्रांसशिपमेंट माल तथा कार्गो के लिए अभिरक्षा ।
- अनुबंध श्रम अधिनियम के तहत पंजीकरण।
- प्रचालन शुरू करने के लिए आवश्यक अन्य सभी मंजूरीयां।

अनुसूची 25
हस्तांतरित परिसर

(हस्तांतरित परिसर को दर्शाने वाला मानचित्र संलग्न है)

अनुसूची 26
अतिक्रमण

(अतिक्रमण दर्शाने वाला मानचित्र संलग्न है)

अनुसूची 27
अलग की गई संपत्तियां
अलग की गई संपत्तियों का विवरण

मुंबई हवाई अड्डा

क्र. सं.	संपत्तियां/पट्टे	भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1.	नया एटीसी टावर	12,045.50
2.	भाविप्रा की एनएडी स्टाफ कॉलोनी	2,02,919.44
3.	होटल लीला वेंचर को भूमि का पट्टा	27,000.00
4.	हवाई अड्डे की प्रचालन सीमा के बाहर स्थित सभी खुदरा ईंधन आउटलेट	2,032.61
5.	कन्वेंशन सेंटर	64,749.60

अनुसूची 28				
मौजूदा पट्टे				
मौजूदा पट्टों की सूची: छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा				
भूमि पट्टे पर देने की व्यवस्था				
क्रम संख्या	एजेंसी का नाम	क्षेत्र (वर्ग मीटर)	उद्देश्य	अनुबंध की नियत अवधि
1	मैसर्स जेट एयरवेज़	451 +(1400 प्रस्तावित)	रैम्प उपकरणों की पार्किंग	05-12-96 से 04-12-97
		10524	ग्राउंड सपोर्ट उपकरण एवं इंजीनियरिंग सुविधाओं का रखरखाव	15-12-99 से 14-12-04
		391	कार्गो शेड के लिए पक्का क्षेत्र	01-12-00 से 01-12-01
		4390	पार्किंग स्थान	30.06.99 से 29-06-02
		1261	रैम्प उपकरणों के लिए पार्किंग स्थान	11.03.99 से 28-02-02
		237.45	बेलमैन हैंगर	10-12-98 से 09-12-01
		1136	पुराने एयरपोर्ट में ओपन एरिया	14-08-98 से 13-08-01
		564	पुराने एयरपोर्ट में ओपन एरिया	14-08-98 से 13-08-01
		11850	हैंगर का निर्माण	15-10-01 से 14-10-11
		1889	पुराने एयरपोर्ट में ओपन एरिया	01-12-00 से 30-11-01
2	मैसर्स सहारा एयरवेज़	953	रैम्प उपकरणों के लिए पार्किंग स्थान	15-09-99 से अस्थायी आधार पर
3	मैसर्स वीज़ा एयरवेज़	120	पोर्टा केबिन के लिए	17-01-02 से 28-09-03
4	मैसर्स एयर डेक्कन	422	ग्राउंड सपोर्ट पार्किंग के लिए खुली पक्की भूमि	30-12-03 से 29-12-06
5	मैसर्स कैथे पैसिफिक	1000	ग्राउंड सपोर्ट पार्किंग के लिए खुली पक्की भूमि	01-04-01 से 31-03-04
		300	यू एल डी पार्किंग	04-04-91 से 31-03-03
6	मैसर्स एयर फ्रांस	300	ग्राउंड सपोर्ट पार्किंग के लिए खुली पक्की भूमि	18-04-91 से 13-09-93
7	मैसर्स गुल एयर	200	ग्राउंड सपोर्ट पार्किंग के लिए खुली पक्की भूमि	15-04-91 से 31-03-03
8	मैसर्स लुफ्थांसा एयरवेज़	250	ग्राउंड सपोर्ट पार्किंग के लिए खुली पक्की भूमि	11-04-91 से 31-03-03
9	मैसर्स कुवैत एयरवेज़	800	ग्राउंड सपोर्ट पार्किंग के लिए खुली पक्की भूमि	04-04-91 से 31-03-99
	1.1.1			
	1.1.2	एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को आवंटित ज़मीन		
क्रम संख्या	एजेंसी का नाम	क्षेत्र (वर्ग मीटर)	उद्देश्य	अनुबंध की नियत अवधि
1	एयर इंडिया	342563	कार्यालय, हैंगर और सड़कें	लागू नहीं
		3600	पुराने एयरपोर्ट की अतिरिक्त भूमि, हैंगर के लिए जगह	10.04.00 से 09-04-10
		78848	प्रथम आवासीय कॉलोनी	14-05-55 से 15-05-90

क्रम संख्या	एजेंसी का नाम	क्षेत्र (वर्ग मीटर)	उद्देश्य	अनुबंध की नियत अवधि
2	इंडियन एयरलाइंस	43839	दूसरी आवासीय कॉलोनी	22-02-64 से 23-02-99
		17400	दूसरी आवासीय कॉलोनी	01-05-79 से 01-07-84
		8385	एनआईटीसी में माल गोदाम	02-11-82 से 02-11-87
		8600	एनआईटीसी में अतिरिक्त क्षेत्र माल गोदाम	03-11-83 से 02-11-88
		9996	एनआईटीसी में ट्रांसपोर्ट वर्कशॉप और जीएसडी पार्किंग	03-10-83 से 12-10-89
		27000	एनआईटीसी में विंग्स हैंगर और एनेक्स इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स	31-05-82 से 30-05-87
		24000	एनआईटीसी में आरओएफएस अधिकारी	01-01-81 से 01-01-85
		1260	एनआईटीसी में आरओएफएस बिल्डिंग के पास कार पार्किंग	15-05-80 से 15-05-85
		943	एनआईटीसी में आरओएफएस बिल्डिंग के पास कार पार्किंग	14-02-82 से 31-05-85
		1177	एनआईटीसी में आरओएफएस बिल्डिंग के पीछे कार पार्किंग	09-04-84 से 08-04-89
		3680	टर्मिनल 2 पर इलेक्ट्रिकल सब-स्टेशन का निर्माण	09-04-84 से 09-04-89
		3680	टी2 पर सेंट्रलाइज्ड किचन	16-02-84 से 15-02-89
		8763	ट्रांसपोर्ट वर्कशॉप के उत्तरी हिस्से में जीएसडी सुविधाओं का विस्तार	01-07-88 से 30-06-93
		5000	टी2 पर विंग हैंगर के लिए अतिरिक्त भूमि	09-04-84 से 09-04-89
		7350	टी2 पर 747 विंग हैंगर के पश्चिमी हिस्से में	26-08-85 से 25-08-90
		5820	टी2 पर विंग हैंगर के पश्चिमी हिस्से में भूमि	07-07-88 से 08-12-94
		5900	टी2 पर नॉर्थ साइड हैंगर पर भूमि	18-11-93 से 17-11-98
		5353	टी2 पर विंग हैंगर के पश्चिमी हिस्से में भूमि	01-04-90 से 31-03-95
		17100	विंग के पास रन-अप पर एयरक्राफ्ट पार्किंग के लिए भूमि	01-12-88 से 31-11-93
		102.8	टी2 पर फ्लाईओवर के नीचे स्केलेटरिया और रेस्ट रूम	03-02-81 से 21-10-86
		156	टी2 पर फ्लाईओवर के नीचे कंस्ट्रक्शन ट्रांसपोर्ट मूवमेंट ऑफिस के लिए अतिरिक्त भूमि	13-11-85 से 12-11-00
		8480	यू एल डी, कुली और ट्रॉली की पार्किंग के लिए दूर स्थित पार्किंग बे के साथ भूमि	02-04-85 से 01-04-93
		4000	टी2 पर ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट की पार्किंग	05-12-80 से 05-12-85
		1856	सीएसआईए के मॉड्यूल के सामने एयर इंडिया की गाड़ियों की पार्किंग	09-03-86 से 08-03-81
		1426	टर्मिनल 1 बीपर भाविप्रा कैटीन के पास सी एम सी बिल्डिंग	01-07-83 से 01-07-88
		200	टी2 पर पक्की भूमि	04-04-91 से 03-04-96
		26184.3	एन ई सी में अविकसित भूमि का हिस्सा	उपटो से 27-08-94
		1743.5	नए इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स में विकसित भूमि	26-01-92 से 25-01-02

क्रम संख्या	एजेंसी का नाम	क्षेत्र (वर्ग मीटर)	उद्देश्य	अनुबंध की नियत अवधि
		11312.5	इंजन रन-अप बे	26-01-92 से 25-01-02
		16998.67	कनेक्टिंग रनवे 14-32 के दूसरी ओर अविकसित भूमि	27-08-94 से 25-01-22
		277.16	बेस इंजीनियरिंग बिल्डिंग के पास मूवमेंट कंट्रोल ब्लॉक बनाने के लिए विकसित भूमि	01-04-78 से 14-01-85
		2699.7	कार्गो वेयरहाउस के पास विकसित भूमि	01-04-78 से 14-01-85
		19156.7	ट्रांसपोर्ट हैंगर	01-04-1986 से 01-04-16
		550	ट्रांसपोर्ट हैंगर तक मार्ग	01-04-1986 से 01-04-16
		73987.73	फर्स्ट ए सी स्टाफ क्वार्टर	01-06-84 से 07-01-99
		439.8	फर्स्ट ए सी स्पोर्ट्स क्लब	01-12-70 से 31-07-80
		19389	सेकंड ए सी स्टाफ क्वार्टर	03-12-82 से 02-12-92
		1464.65	एयरबस के ग्राउंड सपोर्ट उपकरण के लिए पार्किंग की जगह के तौर पर विकसित भूमि	03-03-78 से 23-01-95
		1415	ग्राउंड सपोर्ट डिपार्टमेंट कैटीन	21-07-92 से 23-07-95
		7483	पार्किंग ग्राउंड सपोर्ट एवं यू एल डी उपकरण	from 06-11-00
		185	ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट की अनधिकृत पार्किंग	लागू नहीं
		11283.67	एन डी टी सी के निकट विकसित भूमि	लागू नहीं
		800	लाइन मेंटेनेंस बिल्डिंग के पास पार्किंग और ग्राउंड सपोर्ट उपकरण के लिए पक्की भूमि	1991 से
		51743	एन ई सी में भूमि	28-08-84 से 27-08-93

1.1.3

1.1.4

हैंगर निर्माण हेतु भूमि आवंटित

क्रम संख्या	एजेंसी का नाम	क्षेत्र (वर्ग मीटर)	उद्देश्य	अनुबंध की नियत अवधि
		3172	बीओटी आधार पर हैंगर का निर्माण	11-11-03 से 10-11-18
1	ताज			
2	एस्सार	2646	बीओटी आधार पर हैंगर का निर्माण	22-04-04 से 21-04-19
3	रिलायंस	2701	बीओटी आधार पर हैंगर का निर्माण	12-03-04 से 11-03-19

1.1.5

1.1.6

अन्य एजेंसियों के लिए ज़मीन

क्रम संख्या	एजेंसी का नाम	क्षेत्र (वर्ग मीटर)	उद्देश्य	अनुबंध की नियत अवधि
1	सहार होस्पिटैलिटी प्रा लि	30047.12	होटल हेतु भूमि	05-06-03 से 04-06-31
2	शेफेयर (एच सी आई)	14000	फ्लाइट किचन	01-01-01 से 31-12-29
3	ओबेराय	22000	फ्लाइट किचन	01-12-82 से 31-12-12
4	ए एस ईरानी	290	कैफीटेरिया	01-04-02 से 31-03-05

मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
प्रचालन, प्रबंधन, और विकास करार

5	अंबेसडर	15000	फ्लाइट किचन	20-05-87 से 20-05-17
6	भारत होटल	5658	फ्लाइट किचन	12-01-83 से 20-05-87
		700	होटल हेतु मार्ग	15-03-01 से 14-03-05
7	लोयड स्टील इंडस्ट्रीज	3105	दिए गए माध्यस्थ के अनुसार	06-10-94 से 05-10-95
8	ताज एयर कैटरार्स	2955	दिए गए माध्यस्थ के अनुसार	03-01-05 से 02-01-06
9	सहार पोलिस स्टेशन	1858	पोलिस स्टेशन	10-10-82 से 10-10-12
10	ग्लोब ग्राउंड	2000	ग्राउंड सपोर्ट पार्किंग	19-05-02 से 18-06-03
11	डीजीसीए	556	चकाला में क्वार्टर	27-11-92 से 26-11-02
12	एम टी एन एल	650	आर एल यू एक्सचेंज	08-03-89 से 07-03-94
13	बीडीडीएस	3605	आवास एवं ऑफिस हेतु	23-07-92 से 22-07-22
14	कम्बाटा	2440	सी सी आर के निकट ग्राउंड सपोर्ट पार्किंग	21-07-95 से 30-09-98
		3520	कार्गो के निकट ग्राउंड सपोर्ट पार्किंग	13-02-02 से
15	पी एन टी	5800	डाक एवं वितरण कार्यालय	22-05-87 से 21-05-17
		423	डाक एवं वितरण कार्यालय	06-02-84 से 17-02-99
		4557	डाक एवं वितरण कार्यालय	17-02-69 से 16-02-99
		575	डाक एवं वितरण कार्यालय	24-02-94 से 16-02-99
16	ब्लू डार्ट	768+760.8	कार्यालय एवं ग्राउंड सपोर्ट पार्किंग	08-10-99 से 30-06-04
17	इंडियन नेवी	21998	हैंगर का निर्माण	04-03-92 से 03-03-22
18	महानगर गैस	806	भाविप्रा भूमि के माध्यम से केबल डालना	10-02-02 से 09-02-05
19	इंडियन एयर फोर्स	14164.5	रु 1 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष के न्यूनतम प्रभार पर हैंगर हेतु	16-05-84 से 15-06-14
		22562	भूमि का विनिमय	01-02-83 से
		22953	भूमि का विनिमय	09-07-84 से
20	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन	2700	रिटेल आउटलेट (अंबेसडर फ्लाइट किचन टर्मिनल 2 के निकट) मैसर्स इंटेल	19-05-82 से 18-05-92
		371.75	15 एवं 16 बे के निकट भूमि	21-09-79 से 20-09-81
		1170	सेन्टॉर होटल के सम्मुख पेट्रोल पंप	01-09-81 से 31-08-86
		2600	सहार में बी एस ई एस के सम्मुख पेट्रोल पंप	13-08-90 से 12-08-95
		7748.32	एविएशन संबंधित सेवाएँ	01-09-86 से 31-08-91

मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
प्रचालन, प्रबंधन, और विकास करार

		38890	रिटेल आउटलेट फ्यूल स्टेशन	28-02-80 से 27-02-10
21	एच पी सी एल	22488	रिटेल आउटलेट फ्यूल स्टेशन	19-08-91 से 18-08-01
22	बी पी सी एल	2937.59	एविएशन संबंधित सेवाएँ	01-01-87 से 21-12-89
		700	टैकरों की पार्किंग	01-10-91 से 01-10-01
		1925	एविएशन ईंधन सेवाएँ	22-01-84 से 21-12-89

1.1.7

1.1.8

सरकारी विभागों के लिए भूमि

क्रम संख्या	एजेंसी का नाम	क्षेत्र (वर्ग मीटर)	उद्देश्य	अनुबंध की नियत अवधि
1	बेस्ट	30	बेस्ट चौकी प्रस्तावित	20-05-00 से 19-05-02
2	रिलायंस एनर्जी	5000	रिसीविंग स्टेशन सहार	21-12-79 से 21-12-09
		2185	सहारा होस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के सम्मुख रिसीविंग स्टेशन	02-06-92 से 02-06-02
3	बी सी ए एस	104	डॉग कैनेल	06-06-86 से

अनुसूची 29

अनुसूची 30
स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं के पैनल का चयन

1. स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता का चयन

- 1.1 भाविप्रा, हस्तांतरित की जाने वाली संपत्तियों की उचित बाज़ार मूल्य तय करने के लिए उनका मूल्यांकन करने के लिए 'वेल्थ टैक्स एक्ट' के तहत रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स और कंसल्टिंग इंजीनियरिंग फर्मों या कॉर्पोरेट संस्थाओं से बोलियां मंगाएगा। बोलियां मंगाने और उनके मूल्यांकन के लिए, जुलाई 1997 में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी 'कंसल्टेंसी असाइनमेंट: टाइम-बेस्ड (वॉल्यूम V)' के लिए स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट्स के भाग II के प्रावधान (ज़रूरी बदलावों के साथ) लागू होंगे।
- 1.2 प्राप्त प्रस्तावों के तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन के आधार पर, भाविप्रा योग्य फर्मों को शॉर्टलिस्ट करेगा। शॉर्टलिस्ट की गई फर्मों के बीच प्राथमिकता का क्रम वित्तीय बोलियों के आधार पर तय किया जाएगा और सबसे कम वित्तीय बोली वाली फर्म को पहला स्थान दिया जाएगा; बशर्ते कि अपनी वित्तीय बोलियों के आधार पर दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर रहने वाली फर्मों को भाविप्रा द्वारा सबसे कम वित्तीय बोली के समान बोली लगाने का मौका दिया जाएगा। यदि वे (या उनमें से जो सबसे कम वित्तीय बोली के बराबर बोली लगाने के लिए सहमत हों) ऐसा करते हैं, और शॉर्टलिस्ट की गई कोई भी योग्य फर्म पहले स्थान पर रहने वाली फर्म की वित्तीय बोली के बराबर बोली लगाने के लिए सहमत नहीं होती है, तो प्राथमिकता क्रम में अगली फर्मों (जैसे छठी और उसके बाद की) को पहले स्थान पर रहने वाली फर्म की वित्तीय बोली के बराबर बोली लगाने का अवसर दिया जाएगा। जो फर्म पहले स्थान पर रहने वाली फर्म की वित्तीय बोली के समान बोली लगाएंगी, उन्हें स्वीकृत स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं का पैनल माना जाएगा।
- 1.3 इस अनुसूची 30 के पैरा 1.2 में बताए गए मानदंडों के आधार पर, पांच फर्मों का एक पैनल बनाया जाएगा।
- 1.4 भाविप्रा, ऊपर बताए गए फर्मों के पैनल की जानकारी जेवीसी को जांच और टिप्पणियों (अगर कोई हों) के लिए भेजेगा। जेवीसी को भाविप्रा के संबंधित रिकॉर्ड की जांच करने का अधिकार होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि फर्मों का चयन तय प्रक्रिया के अनुसार किया गया है या नहीं; साथ ही, पैनल की जानकारी मिलने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर जेवीसी अपनी टिप्पणियां (अगर कोई हों) भाविप्रा को भेजेगा। ऐसी टिप्पणियां मिलने पर, भाविप्रा सभी संबंधित बातों पर विचार करने के बाद 3 (तीन) फर्मों का एक पैनल फाइनल करके गठित करेगा और अपना निर्णय जेवीसी को बताएगा।

2. शुल्क और खर्च

स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं को भुगतान उसी न्यूनतम वित्तीय बोली के आधार पर किया जाएगा जिसके तहत पैनल का गठन हुआ है। स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं के शुल्क और खर्चों का भुगतान भाविप्रा द्वारा किया जाएगा; यह भुगतान समझौते के तहत संपत्तियों के हस्तांतरण के लिए देय राशि में से कटौती करके किया जाएगा। ।

3. नए पैनल का गठन

करार की अवधि खत्म होने से न्यूनतम छह महीने पहले या उसके पहले समाप्त होने पर (जो भी पहले हो), भाविप्रा इस अनुसूची 30 में बताए गए मानदंडों के अनुसार फर्मों का एक पैनल तैयार करेगा; बशर्ते कि भाविप्रा, जे वी सी की पूर्व लिखित सहमति से किसी भी समय एक नया पैनल तैयार कर सकता है।

4. स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता के रूप में सरकारी इकाई की नियुक्ति

इस अनुसूची में दी गई किसी भी बात के बावजूद, भाविप्रा अपनी इच्छा से स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं के पैनल में सरकार के स्वामित्व वाली किसी संस्था को नियुक्त कर सकता है, बशर्ते वह संस्था एक कॉर्पोरेट निकाय हो और उसका मुख्य कार्य सिविल निर्माण परियोजनाओं के लिए परामर्श, सलाह और पर्यवेक्षण सेवाएं देना हो।